लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(आठवां सत्र)



(खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य चार रुपये

विषय-सूची

अंक 35, सोमवार, 12 अप्रैल, 1982/22 चैत्र, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	**1—18**
*तारांकित प्रश्न संख्या :671 से 673, 677, 679 और 681		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	**18—194**
*तारांकित प्रश्न संख्या :674 से 676, 678,680, 682 से 690, 503 और 618	...	18—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7408 से 7546 और 7548 से 7637	...	30—194
डा० अम्बेडकर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल, 1982 को सभा की बैठक का रद्द किया जाना	...	**194—195**
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	**195—199**
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	**199—210**
दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में नकली वस्त्र के समानान्तर-व्यापार के समाचार		
श्री राजेश कुमार सिंह	...	199—202
श्री शिवराज वी० पाटिल	...	199—210
श्री रामावतार शास्त्री	...	202—204
श्री रामविलास पासवान	...	206—207
नियम 377 के अधीन मामले	...	**210—213**
(एक) उड़ीसा के मान चेस्वर-रेल वर्कशाप में टूटफूट की मरम्मत करने का अनुभाग खोलने की आवश्यकता		
श्री चिंतामणि जेना	...	—210
(दो) लखनऊ और इलाहाबाद के बीच एक तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता		
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	...	—211
(तीन) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पेड़ों के अंधाधुंध काटे जाने को रोकने के उपाय		
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	...	—211

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(चार) तमिलनाडु में रामनाथपुरम में एक माईक्रोवेव केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता		
श्री एम० एस० के० सत्येन्द्रन	...	211—212
(पांच) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण फसलों को पहुंची क्षति और स्थिति का सामना करने के लिए राहत कार्य		
डा० उत्तमराव पाटिल	...	—212
(छः) उत्तर प्रदेश में बरेली में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए मांग		
श्री हरीश कुमार गंगवार	...	212—213
(सात) 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सिंध से आये शरणार्थियों का पुनर्वास		
श्री कृष्ण कुमार गोयल	...	—213
अनुदानों की मांगें 1982-83	...	**214—294**
(एक) वाणिज्य मंत्रालय	...	**214—271**
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा	...	214—216
श्री रामसिंह यादव	...	216—220
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	220—229
श्री ईरा मोहन	...	229—233
श्रीमती कृष्णा साही	...	233—237
श्री अशफाक हुसैन	...	237—240
श्री दौलतसिंहजी जदेजा	...	240—243
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	...	243—245
श्री उमाकांत मिश्र	...	245—248
श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर	...	248—252
श्री मनीराम बागड़ी	...	—252
श्री शिवराज वी० पाटिल	...	252—271
(दो) कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय	...	**271—294**
श्री भीम सिंह	...	273—294 तथा 283—286
श्री नगीना राय	...	286—292
श्री वृद्धिचन्द्र जैन	...	292—293

लोक सभा

सोमवार, 12 अप्रैल, 1982/22 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं, आपने जुटो सिद्धान्त पर जो भाषण दिया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। वह एक शानदार भाषण था। इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपके बाद भाषण देने वालों ने आपके भाषण का हवाला दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि वह एक अपमानजनक शब्द है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना चाहते हैं तो मैं ऐसा कर दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : मैं समझा नहीं क्या बात कही है इन्होंने। दुबारा कह दो जी। मैं कान लगा लेता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : दुबारा हिन्दी में कहूं ?

श्री मनी राम बागड़ी : हिन्दी में कह दें।

अध्यक्ष महोदय : काम करने दो।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हिन्दी राष्ट्र भाषा है। उसी में बात करेंगे।

श्री मनी राम बागड़ी : हमारी बुराई की थी क्या ?

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशों में भेजा गया किसानों का शिष्टमंडल

*671. **श्री जी नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में हुए कृषि विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसानों का शिष्टमंडल विदेशों में भेजती है;

(ख) क्या 1980 के दौरान कुछ शिष्टमंडलों में ऐसे व्यक्ति शामिल किए गए थे जो किसान होने का दावा करते थे और जिन्होंने कोई वास्तविक कृषि कार्य नहीं किया था;

(ग) यदि हां, तो ऐसे चयन का मानदंड क्या है और क्या चयनकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया जायेगा कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाये जो वास्तविक रूप में कृषि कार्य में लगे हों;

(घ) क्या ये शिष्टमंडल ऐसे देशों में भेजे जाते हैं जहां की कृषि प्रणाली पूरी तरह मशीनीकृत है और इसलिये इस बारे में प्राप्त किया गया ज्ञान हमारे देश के लिए सहायक सिद्ध नहीं होता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या देशों के चयन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ताकि हमारे यात्रा करने वाले कृषक उन यात्राओं से वास्तव में कुछ ज्ञान प्राप्त करें?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क)जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) रूस तथा अमेरिका के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों के अन्तर्गत अभी तक इन देशों को किसानों के प्रतिनिधि-मंडल भेजे गए हैं। यह सत्य है कि अमेरिका और रूस में कृषि प्रणालियां अधिकांशत: यंत्रीकृत हैं, लेकिन भारतीय किसान इन देशों में अपने प्रवास के दौरान फार्म प्रबन्ध की नई तकनीकों और कारीगरी को देखने, उसका अवलोकन करने और सीखने में सफल हो सकते हैं। विकसित देशों में फार्म प्रबन्ध को इस प्रकार देखकर भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन्नत कृषि प्रणालियों और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को अपनाकर खेती के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है।

(ङ) मेजबान देशों का चुनाव प्राप्त होने वाले प्रस्तावों और किए जाने वाले समझौतों के आधार पर किया जाता है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं उस मामले में आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रश्न का उत्तर साधारण है। (क) जी हां; (ख) जी नहीं, (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं सभा के सामने कुछ बातें लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : लयबद्ध क्रम तो देखिये।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : बहुत सुन्दर है लेकिन उत्तर असंतोषजनक है।

अत: मेरा अनुरोध है कि हमारे देश में किसानों के प्रतिनिधियों के चयन के बारे में किसानों, जिन्हें हम अध्ययन के लिये विदेशों को भेज रहे हैं, कई अफवाहें हैं।

मैं मन्त्री महोदय से अपने प्रश्न द्वारा जानना चाहता था :

(ख) क्या 1980 के दौरान कुछ शिष्टमंडलों में ऐसे व्यक्ति शामिल किए गए थे, जो किसान होने का दावा करते थे और जिन्होंने कोई वास्तविक कृषि कार्य नहीं किया था।

(ग) यदि हां, तो ऐसे चयन का मानदंड क्या है और क्या चयनकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया जायेगा कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाये जो वास्तविक रूप में कृषि कार्य में लगे हों।

इनका उत्तर केवल (ख) "जी, नहीं और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।"

मैं आपकी सहायता से उन लोगों के नाम जानना चाहता हूं जो 1980 में चुने गये थे और मैं मन्त्री महोदय द्वारा इस बात का प्रमाण भी चाहता हूं कि ये लोग सचमुच किसान समुदाय के हैं और यह कि यह आरोप गलत है कि ये किसान नहीं है।

मैं ऐसे ही उत्तर की आशा रखता था। अत: मैं —यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है बल्कि इस उत्तर से सम्बन्धित है—मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से नाम बताने के लिये कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नाम क्यों दोहराये जायें ?

जी० नरसिम्हा रेड्डी : ऐसे उम्मीदवारों का चयन करने का क्या मापदंड है ?

अध्यक्ष महोदय : अब यह अनुपूरक प्रश्न बन गया है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं आशा रखता था कि माननीय सदस्य इस बात को बतायेंगे कि उन्हें भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर नहीं मिले; लेकिन वे भूल गये।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं नहीं भूला। मैं भाग (ख) तथा (ग) के बारे में कुछ कहना चाहता था। (व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : अब मैं आपकी अनुति से भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर पढ़ूंगा। उत्तर है :—

(घ) रूस तथा अमेरिका के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों के अन्तर्गत अभी तक इन देशों को किसानों के प्रतिनिधि-मण्डल भेजे गए हैं। यह सत्य है कि अमेरिका और रूस में कृषि प्रणालियां अधिकांशत: यंत्रीकृत हैं, लेकिन भारतीय किसान इन देशों में अपने प्रवास के दौरान फार्म प्रबंधकों नई तकनीकों और कारीगरों को देखने, उसका अवलोकन करने और सीखने में सफल हो सकते हैं। विकसित देशों में कार्य प्रबन्ध को इस प्रकार देखकर भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन्नत कृषि प्रणालियों और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को अपनाकर खेती के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है।

(ङ) मेजबान देशों का चुनाव प्राप्त होने वाले प्रस्तावों और किए जाने वाले समझौतों के आधार पर किया जाता है।

अब माननीय सदस्य ने भेजे गये व्यक्तियों और संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत रूस भेजे गये किसानों के चयन सम्बन्धी मापदण्ड के बारे में पूछा है। 1981 में संयुक्त राज्य अमरीका को 4 किसान भेजे गये, नाम इस प्रकार हैं : श्री रघुमोहन रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश), विलियम ग्रिग्येरी सेबेस्टाईन वास (कर्नाटक), सरसिंह माधवराव खदाम्बे पवार (महाराष्ट्र) तथा खुरेडम इन्द्रजीत सिंह (मणिपुर)।

संयुक्त राज्य अमरीका को ये लोग भेजे गये। इसके बदले में संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ किसानों ने 1980 तथा 1981 में भारत का दौरा किया। कोई भी भारत नहीं आया—1981 में कोई भी किसान भारत नहीं आया।

मापदंड यह है कि भेजे जाने वाले किसान व्यवहारिक किसान होने चाहिए, वे 19 तथा 25 वर्ष की आयु के बीच होने चाहिए; राज्य सरकारों को यह प्रमाणित करना है कि वे निर्धारित माप-

दंड को पूरा करते हैं। नामों की सिफारिश राज्य सरकारें करती हैं। इसके बाद राज्य सरकारों द्वारा नामजद लोगों की छानबीन एक चयन समिति करती है; और मेजबान देशों के प्रतिनिधि भी ऐसे किसानों के चयन से सम्बद्ध होते हैं और राज्य सरकारों की सिफारिशों पर पूरा विचार किये जाने के बाद ही उन्हें विदेशों को भेजा जाता है। (व्यवधान)

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है : क्या यह सच है कि प्रतिनिधि मण्डल के साथ हमारे देश के कुछ अधिकारियों का चयन भी किया जाता है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये अधिकारी सचिवालय से होते हैं अर्थात् क्लर्क अथवा उप-सचिव अथवा अवर सचिव हैं अथवा क्या ये अधिकारी सचमुच कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिधित्व करते हैं अथवा ये अधिकारी ऐसे हैं जो हमारे देश की कृषि से सीधे सम्बन्धित हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं विभिन्न निर्धारित तथा अपनाये जा रहे मापदंडों को बता चुका हूं। मेरी सूचना के अनुसार ये योजनायें केवल किसानों के लिये हैं, अधिकारियों के लिये नहीं। कुछ अन्य बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं जैसे कि उस देश, जहां वे जाते हैं, की भाषा का काम चलाउ ज्ञान, कृषि सम्बन्धी उनका अनुभव, उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा कुछ अन्य बातें आदि-आदि। इन योजनाओं के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी विदेश नहीं जा सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि क्या सरकार अन्य देशों द्वारा आमंत्रित प्रतिनिधि मंडलों जैसे कृषि प्रतिनिधि मंडलों, कृषक प्रतिनिधि मंडलों को भी अधिकृत करती है; क्या यह सच है कि 1980 में श्री के० एल० भाटिया, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक कृषक प्रतिनिधि मंडल गया जिसमें डालमिया जैसे उद्योगपति भी शामिल थे, जिनका कृषि से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी प्रतिनिधि-मंडल देश से बाहर नहीं जा सकता। क्या यह सच है कि ऐसा एक प्रतिनिधि मंडल गया था, जिसमें अधिकांश सदस्य गैर-किसान थे; क्या सरकार को ऐसे प्रतिनिधि मंडल के बाहर जाने से कोई लाभ हुआ है।

राव वीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने जिस प्रतिनिधि मंडल का जिक्र किया है, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन यदि लोग अपनी इच्छा से बाहर जाना चाहें तो··· (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : यह सरकार द्वारा आमंत्रित एक प्रतिनिधि मंडल था।

राव वीरेन्द्र सिंह : उस बारे में, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। सरकार ने इस प्रकार का कोई भी प्रतिनिधि-मंडल नहीं भेजा। यह दो संस्थाओं के निजी प्रबन्ध द्वारा आयोजित हो सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैंने सरकार से कहा है। विदेशी विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इस देश का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, विशेषकर सरकार की पूर्व अनुमति बिना राजनीतिज्ञ नहीं जा सकता।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप वहां प्रतिदिन जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये पता लगायेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : तो आप उन्हें सूचना एकत्र करने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : ये पता लगायेंगे।

श्री सुधीर गिरि : जनसंख्या वृद्धि के कारण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुये, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को ऐसे औजार बनाने का अनुदेश दें जो ग्रामीण श्रमिकों का स्थान लें किन्तु उत्पादन में वृद्धि हो।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री सुधीर गिरि : यह (ग) भाग से सम्बन्धित है—यंत्रीकृत कृषि के सम्बन्ध में ऐसा कहा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप इसके लिए दूसरा प्रश्न दें।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि हमारे किसानों ने बाहर के देशों को भेजे गये प्रतिनिधि मंडल से क्या लाभ उठाया है; क्या इन दौरों से हमारे देश की कृषि में सुधार हुआ है; यदि नहीं, तो क्या सरकार किसी अन्य उपाय पर विचार कर रही है जिससे कि देश के अधिकतम किसानों को लाभ पहुंच सके ?

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं उत्तर में पहले ही कह चुका हूं कि इन प्रतिनिधि मंडलों का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार के दौरों से निश्चय ही किसानों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। वे अन्य देशों से काफी सीखते हैं। विभिन्न देशों द्वारा अपनायी गई कृषि तथा अन्य तकनीकियों के अतिरिक्त उन्हें अन्य देशों के किसानों के जीवन स्तर तथा सामाजिक जीवन की जानकारी भी प्राप्त होती है और इससे निश्चय ही हमें अन्य देशों विशेषकर प्रगतिशील देशों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि हमारे गांव के लोग गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वे अन्य देशों के किसानों से बहुत पीछे हैं।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या उन्हें शिक्षा दी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं।

श्री आर० पी० गायकवाड : क्या उन्हें शिक्षा दी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इससे काफी सहायता मिलती है। यह एक अच्छा विचार है।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह अपने विचार की बात है। हो सकता है आप मुझसे संतुष्ट न हों। मैं नहीं जानता कि कुछ माननीय सदस्य हमारे किसानों के विदेशी दौरों का विरोध क्यों करते हैं ? (व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जैसे कि प्रश्न पूछा गया··· (व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : वह उनके दौरे का उद्देश्य है।

श्री मूलचन्द डागा : विशेष प्रश्न यह है कि क्या उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त होता है।

राव वीरेन्द्र सिंह : यदि वे हवाई अड्डे तक भी जायें, तो भी वे ज्ञान प्राप्त करेंगे··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन दौरों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

श्री अर्जुन सेठी ।

भूमिगत जल-संसाधनों का सर्वेक्षण

*672. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भूमिगत जन-संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने के लिये, विशेषकर कम वर्षा वाले या सूखे की संभावना वाले क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने हेतु किसी बात पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संसाधनों का उपयोग करके इस समय सिंचाई संबंधी कितने प्रतिशत आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हाँ । केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड गत लगभग दस वर्षों से देश की भूमिगत जल क्षमता को निर्धारित करने के कार्य में लगा हुआ है । कुल 28.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से, जिसका योजनाबद्ध ढंग से सर्वेक्षण करने की अपेक्षा है, मार्च, 1982 के अन्त तक 17.5 लाख वर्ग कि०मी० क्षेत्र का पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है । सम्पूर्ण कार्य सातवीं योजना की अवधि के दौरान पूर्ण कर लिए जाने की प्रत्याशा है ।

(ख) जी, हां । केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके सूखा-ग्रस्त, सूखा-प्रवण, जनजातीय, पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों के विकास के संबंध में सर्वेक्षण तथा अन्वेषग के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है, यद्यपि यह कार्य अधिक कठिन है जिसमें अधिकांश कठोर चट्टानों वाले क्षेत्र अन्तर्ग्रस्त हैं ।

(ग) अब तक सृजित की गई कुल 61·58 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता में से 24.50 मिलियन हैक्टेयर क्षमता भूमिगत जल से सृजित की गई है और इसलिए, भूमिगत जल का योगदान लगभग 40 प्रतिशत बैठता है ।

श्री अर्जुन सेठी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सर्वेक्षण की यह प्रक्रिया सातवीं योजना के अंत तक ही पूरी होगी । इसमें कोई शक नहीं है कि देश के भूमिगत जल-संसाधनों का मूल्यांकन करना बहुत बड़ा काम है लेकिन इसके लिए इन्होंने बहुत लंबी अवधि निश्चित की है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितने का बजट बनाया गया तथा कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं विशेषकर भूमिगत जल देने पर विचार किया गया है तथा वे कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का अधिकतम लाभ मिला है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह सच है कि हमें तेजी से काम करने की आवश्यकता है । लेकिन हमारी कुछ परिसीमाएं हैं । इस भूमिगत जल बोर्ड के संबंध है हमारे पास धन, रिगों तथा मानव-शक्ति की कमी है । हमने भूमिगत जल बोर्ड को मजबूत बनाने तथा अधिक रिग खरीदने के लिए कुछ कदम उठाए हैं ।

जहां तक सर्वेक्षण और खोज के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में आवंटन का संबंध है, छठी योजना में कुल 40 करोड़ रुपए का तथा 1982-83 के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जहां तक सूखे की संभावना वाले क्षेत्र में जल-संबंधी सर्वेक्षण का संबंध है, उसका कुल क्षेत्र 12,068 वर्ग किलोमीटर है। कुल 35,406 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सुविधाएँ प्रदान करने का विचार है जिसमें से 12,068 वर्ग किलोमीटर सूखा-प्रवण क्षेत्र है।

श्री अर्जुन सेठी : मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने मानव-शक्ति की कमी की ओर संकेत किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में कभी भी श्रमिकों का अभाव नहीं रहा। जहां तक प्रौद्योगिकी श्रमिकों का संबंध है निश्चय ही उनकी कमी है। सर्वेक्षण करने तथा सिंचाई के अतिरिक्त क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए बजट में दिए गए धन की समस्या के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी कमियां हैं। अध्ययन करने से यह पता चला है कि पानी के प्रबंध में अकुशलता, पानी के बारीबार बंटवारे का अभाव तथा विशेषकर राज्यों में प्रबोधन की कमी के कारण देश में उपलब्ध सिंचाई साधनों का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा। सरकार ने यह देखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं कि देश में जो भी साधन उपलब्ध कराए गए हैं उनका देश के हित में उचित उपयोग किया जा रहा है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं समझता हूं कि मानव शक्ति के संबंध में मैंने जो कुछ कहा है माननीय सदस्य ने उसे गलत समझा है। 'मानव-शक्ति' से मेरा मतलब था प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए मानव शक्ति। मेरा आशय देश की कुल जनसंख्या, जो कि बहुत अधिक है, से नहीं था। इस संदर्भ में मैंने जब कभी भी मानव शक्ति के बारे में कहा उससे मेरा अभिप्राय प्रौद्योगिकी संबंधी लोगों तथा उपकरणों से था।

एक माननीय सदस्य : क्या आप यह बता सकते हैं कि मानव-शक्ति की कितनी कमी है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका बात में व्यवधान मत डालिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, क्या मुझे उस प्रश्न का उत्तर देना होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप श्री अर्जुन सेठी द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

सिंचाई मंत्री (श्री कदार पांडे) : इस देश में कुल सिंचाई क्षमता 1130 लाख हेक्टेयर है। उसमें से, भूमिगत जल की कुल सिंचाई क्षमता 400 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से हम मार्च 1982 तक 245 लाख हेक्टेयर क्षमता भूमिगत जल से सृजित कर पाए हैं। अतः भूमिगत जल से केवल 155 लाख हेक्टेयर क्षमता सृजित करना बाकी है।

जहाँ तक सर्वेक्षण का संबंध है, कुल 28.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना है, जिसमें से 17.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है। शेष क्षेत्र का अभी सर्वेक्षण किया जाना बाकी है। नवीनतम योजना के अनुसार, हम संभवतः 1990 के अंत तक अर्थात् सातवीं योजना के अंत तक सारा सर्वेक्षण पूरा कर पाएंगे। सर्वेक्षण जारी है। इसमें देरी धन की कमी के कारण नहीं हो रही है। बल्कि योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण करने में अधिक समय लगता है। ऐसा नहीं है कि इसे एक साल में ही पूरा किया जा सके; इसमें समय लगता है। एक कारण यह भी है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित कार्मिक तैयार करने की आवश्यकता है। इसकी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। हमारे पास इसके लिए धन है। छठी योजना में हमें सिंचाई के लिए कुल 12,000

करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि धन की कमी के कारण सर्वेक्षण पूरे नहीं हुए हैं। बहुत सी प्रक्रियाओं को अभी पूरा किया जाना है। यही समस्या है।

श्री अर्जुन सेठी : मैंने धन की कमी का जिक्र नहीं किया था, मैंने तो उचित प्रबंध न होने का जिक्र किया था।

श्री केदार पांडे : अच्छे प्रबंध की कमी है। हमें प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता है और हम उन्हें ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुजरात में किन-किन क्षेत्रों में और कितने वर्ग किलोमीटर में सर्वेक्षण किया गया है और कहां-कहां कितनी गहराई से पानी मिला है तथा इसका क्या नतीजा हुआ है ?

श्री केदार पांडे : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुजरात में मेजर और माइनर इरिगेशन की बात है, उसमें प्रायः पानी ज्यादा से ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ है। वे अधिकतम सिंचाई क्षमता सृजित कर पाए हैं। इस प्रकार कुछ ही काम गुजरात में बाकी है। वहाँ आज ऐसी स्थिति है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि कहां-कहां पर सर्वेक्षण किया गया है और कितनी गहराई से पानी मिला है ?

श्री केदार पांडे : इस बारे में आप दूसरा नोटिस दीजिए कि कहां-कहां पर हुआ है ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता उनकी इस के बारे में जानकारी है।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा जरूरी क्वैश्चन था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए अलग से प्रश्न पूछिए।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद

*673. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन**
श्री बी० बी० देसाई } : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् और नदी बेसिन आयोग की स्थापना करने और अन्तर्राज्यीय जल विवादों का शीघ्र निपटान करने के लिये विधान बनाने के प्रस्तावों की पुष्टि की है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की स्थापना करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इन्टरस्टेट वाटर डिसप्यूट्स के मामलों में केन्द्रीय सरकार के पास सीमित या यों कहिए कि कोई अधिकार न होने की वजह से बहुत से मामले 10-10, 12-12 और कहीं-कहीं पर 20-20 वर्षों से विवाद में पड़े हुए हैं और हल नहीं हुए हैं, जिससे देश की पैदावार को बड़ा धक्का पहुंचा है। क्या केन्द्रीय सरकार इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए कोई लेजिसलेशन प्रस्तुत करने जा रही है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि केन्द्र के पास पानी के सिलसिले में बहुत ही महदूद अख्तियारात हैं। इन्टरस्टेट के ये अख्तियारात आर्टिकल 262 में हैं तथा इस सिलसिले में जो कुछ भी इससे पहले किया गया था, वह इतना काफी नहीं था, जिसकी वजह से 10-10, 12-12 साल एक-एक झगड़े को निपटाने में लगे। इस बात का ध्यान रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ मिनिस्टर्स का ध्यान दिलाया और उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में फैसला लिया गया कि नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउन्सिल, जिसकी प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स उसके मैम्बर हों और दूसरी कन्सर्ड मिनिस्ट्री पानी से ताल्लुक रखने वाली हैं, उनके रिप्रजेन्टेटिव उसमें हों और वह बजूद में आए और एक नेशनल वाटर पॉलिसी भी बनाए और इन झगड़ों को निपटाने के सिलसिले में भी आसान करे। एक नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउन्सिल और दूसरे रिवर पेबिसन कमीशन और अगर इसके बाद भी नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउन्सिल में इस बात को महसूस किया गया कि किसी लैजिस-लेशन की जरूरत है, जैसा कि कान्स्टीचूशन में पहले ही प्रोवीजन्स हैं, इनके अलावा कुछ और लैजिसलेशन की जरूरत है, तो उस लैजिसलेशन को टेकअप करेंगे। लेकिन प्रपोजल यह है कि नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउन्सिल प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में बनाने के लिए इनिशिएट किया गया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउन्सिल के बारे में फर्मा रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका गठन और इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी और इसका अधिकार क्षेत्र क्या रहेगा ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी इसकी स्थापना हो जाए और उस सिलसिले में हमने इनिशिएट किया है कि वह जल्दी से जल्दी वजूद में आए। जहां तक उसके अख्तियारात का सवाल है, उस सिलसिले में नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउन्सिल की स्थापना को उचित समझा है। वह इसी नजर से समझा है कि एक नेशनल वाटर पालिसी होनी चाहिए और उस नेशनल वाटर पालिसी को बनाने के लिए कोई नेशनल फौरम हो। इसीलिए नेशनल वाटर रिसोर्सेज कौंसिल बनाने के बारे में तय किया, जिसकी हैड प्राइम मिनिस्टर हैं। वह नेशनल पर्सपैक्टिव को सामने रखते हुए, जो इन्टर-स्टेट वाटर्स हैं, उनका इन्वेस्टीगेशन करे और सर्वे करे। फिर स्टेट्स और नेशनल पर्सपैक्टिव, दोनों को नजर में रख कर, कोई चीज उसके सामने पेश हो और वह उसको एप्रूव करे। इस नुक्ते-नजर से यह नेशनल वाटर रिसोर्सेज कौंसिल बनाई जा रही है। नेशनल वाटर रिसोर्सेज कौंसिल के जो फंक्शन्स होंगे और जो उसके अख्तियारात हैं, अगर आप इजाजत दें, तो मैं उन को पढ़कर सुना दूं।

राष्ट्रीय जल परिषद के कार्य इस प्रकार होंगे—

(1) राष्ट्रीय जल नीति तैयार करना तथा समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा करना।

(2) राष्ट्रीय जल संसाधन विकास एजेंसी, नदी बेसिन आयोग आदि द्वारा प्रस्तुत की गई जल विकास योजनाओं पर विचार करना तथा उनकी पुनरीक्षा करना।

(3) जल योजना में उचित तथा आवश्यक सुधार करके उनकी स्वीकृति के लिए सिफारिश करना।

(4) योजनाओं अथवा उसके घटकों पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिए निर्देश देना तथा अग्रेतर अध्ययन करना ।

(5) जल योजना के विशिष्ट तत्त्वों तथा ऐसे अन्य मामलों के संबंध में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को हल करने का सुझाव देना, जिनकी परियोजना को योजनाबद्ध करते समय अथवा उसे लागू करते समय उत्पन्न होने की संभावना हो ।

(6) लोगों के अनुकूल विकास तथा अधिकतम लाभ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लाभार्थियों द्वारा जल संसाधनों के उचित बंटवारे और उपयोग के लिए कार्य पद्धतियों तथा प्रशासन संबंधी प्रबंधों और नियमों के सम्बन्ध में सुझाव देना ।

(7) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से मजबूत तथा मितव्ययी विकास हो सके ।

इन उद्देश्यों के लिए ही इस राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना पर विचार किया गया है ।

श्री बी० वी० देसाई : हमें बहुत खुशी है कि आखिर प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली संसाधन परिषद् की स्थापना की गई है अथवा की जा रही है । लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने इस परिषद के कार्यों और कर्त्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया है, वे सभी सलाह परक हैं । मुख्य समस्या परिषद् अथवा बोर्ड का गठन करना नहीं है । 1956 में भी नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया था और उसमें नदी बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध किया गया था । लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हुआ । पुनः हमने एक अन्तर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम बनाया जिसके अंतर्गत ट्राइब्यूनल बनाये जा सकते थे । विभिन्न राज्यों में मतभेद होने के कारण ट्राइब्यूनल अधिनियम नहीं बनाए जा रहे हैं तथा यह विवाद अभी भी जारी है । प्रश्न किसी परिषद अथवा बोर्ड अथवा अन्य किसी ऐसी एजेंसी के गठन का नहीं है वरन् प्रश्न इस राष्ट्र के संकल्प का है नदी का जल राष्ट्रीय सम्पत्ति मानने का है । क्या सरकार इस दिशा में विचार करने तथा उचित कार्यवाही करने जा रही है कि नदी जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है तथा इस नीति को क्रियान्वित करने अथवा उस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है ? यदि ऐसा है तो लागू करने का प्रश्न आता है । प्रादेशिक आधार पर एक नदी बेसिन को अन्य नदी बेसिन के साथ जोड़ा जा सकता है । क्या सरकार इन सभी बातों पर विचार कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : यह सच है कि भारतीय नदियाँ राष्ट्रीय नदियाँ हैं । हम यह मानते हैं कि जल देश का राष्ट्रीय संसाधन है । लेकिन वर्तमान संविधान के अनुसार, जल राज्य का विषय है । इस समय, हमारे आज के संविधान के अनुसार जल राज्य का मामला है न कि केन्द्र का ।

प्रो० मधु दण्डवते : जल सार्वभौमिक सम्पत्ति है ।

श्री केदार पांडे : यह राज्य का विषय है : लेकिन सिद्धान्त रूप से हम यह स्वीकार करते हैं कि जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है । संविधान के अनुसार, आज तक यह राज्य का विषय रहा है । विवादों को निपटाने के लिए, हमने बैठकें की, चर्चा की, तथा हमने समझौते

किए ताकि देश के लिए कोई समाधान निकाल सकें । अभी तक जो विवाद लम्बित है, वह कावेरी नदी का विवाद है । यह बहुत महत्त्वपूर्ण विवाद है, जो अभी लम्बित है । 12 मार्च, 1982 को, हमने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक की थी, तथा हमने काफी चर्चा की । उस संकल्प के अनुसार एक परिषद की स्थापना की जानी थी । इसकी स्थापना की जा रही है । निश्चय ही इस समिति की अभी पर्यवेक्षी समिति है । उस मामले में, हम कुछ प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे । राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद तथा नदी आयोग की स्थापना के बाद, इस विवाद की एक सीमा तक कम होने की संभावना है । हम ऐसा ही महसूस करते हैं । इसके बावजूद भी, यदि विवाद उठता है, तब जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सुझाव दिया गया है, कानून बनाने के लिए कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए । लेकिन ऐसा केवल राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठकों तथा बेसिन योजनाओं पर चर्चा करने के बाद ही किया जा सकता है जिससे यह पता लगेगा कि राज्य किस सीमा तक सहयोग देते हैं और राष्ट्रीय योजना कहां तक सफल होती है । अतः अंतिम विश्लेषण के तौर पर, यदि हम यह सब करने में असफल रहते हैं तो कानून बनाया जाएगा । लेकिन मुख्यमंत्रियों को विश्वास लेते हुए, प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में यदि हम इन सभी प्रयासों में असफल रहते हैं, तब एक कानून बनाया जाएगा । फिलहाल यही स्थिति है ।

श्री डी० पी० यादव : महोदय, जल और विद्युत ऐसे दो साधन हैं, जिन पर राष्ट्र की प्रगति निर्भर है । विद्युत के क्षेत्र में, हमारे पास बिजली घर बनाने की दो प्रणालियाँ हैं । एक केन्द्रीय क्षेत्र है तथा दूसरा राज्य क्षेत्र । उसी प्रकार, क्या मंत्री महोदय बड़ी बांध परियोजनाएँ, अंतर्बेसिन परियोजना, अन्तर-नदी परियोजना को पूरा करने तथा उनका निर्माण करने पर विचार करने तथा उन्हें केन्द्रीय परियोजना के रूप में पूरा करने को तैयार हैं । क्या इस संबंध में सदन में कोई कानून लाया जाएगा ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इस समय हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं है । जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जल राज्य का विषय है । योजनाओं अथवा परियोजनाओं को क्रियान्वित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । यह बोझ केन्द्रीय सरकार के कंधों पर डालने के लिए हमारे सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया ।

गेहूं की ढुलाई में घोटाला

* 677.**श्रीमती कृष्ण साही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं को राज्य से बाहर अवैध रूप से भेजे जाने के बारे में उत्तर प्रदेश में खाद्य नियंत्रकों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर मारे गये छापों संबंधी मामले को केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जो कि इस मामले से संबंधित है, क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, कानपुर को जाली पृष्ठांकनों के आधार पर गेहूं के वैगनों में अवैध लदान का पता चला था । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने संबंधित थोक

व्यापारियों और कमीशन एजेन्टों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए हैं। इसके अलावा, एक वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, दो विपणन निरीक्षकों को एक क्लर्क को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने आपराधिक जांच विभाग द्वारा विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अच्छी बात है ··।

अध्यक्ष महोदय : जवाब अच्छा है या इनका जवाब देना अच्छी बात है ?

श्रीमती कृष्णा साही : सरकार ने तत्काल कार्यवाही की, यह अच्छी बात है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि जो अवैध गेहूं का लदान किया गया, उसकी मात्रा कितनी थी और क्या उसमें एफ० सी० आई० का गेहूं भी था या उत्तरप्रदेश सरकार का ही था ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : यह लदान 4 स्टेशनों से हुआ यू० पी० में कुल 115 वैगन लोड हुए, जिनमें से 44 वैगनों पर हुआ लदान एंडोर्समेंट वगैरह की जो शर्तें थीं, जिनके आधार पर लोड कर सकते हैं, वे ठीक पाई गईं और 71 वैगनों पर लदान अवैध पाया गया। 20 हजार बोरी के करीब गेहूं था, इनमें से कुछ वैगन जो पकड़े गए, स्टेट सरकार के आदेश से वे डेस्टीनेशन पर पहुंच गए, कुछ कोर्टस में मामले अभी तक चल रहे हैं।

श्रीमती कृष्ण साही : एफ० सी० आई० का गेहूं था या नहीं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : एफ० सी० आई० का गेहूं नहीं था, प्राइवेट डीलर्स का था और स्टेट सरकार ने जो नियम बनाए हैं कि इन शर्तों के आधार पर गेहूं बाहर जा सकता है, उन शर्तों की खिलाफवर्जी करते हुए इन वैगन्स को पकड़ा गया।

श्रीमती कृष्णा साही : दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि खाद्य नियंत्रक कार्यालय ने प्रदेशों से गेहूं बाहर जाने पर रोक लगा दी तथा गेहूं बाहर भेजने वाले व्यापारियों को "आपत्ति नहीं" का प्रमाण-पत्र देना बंद कर दिया, यह तो ठीक बात है, लेकिन इसके बावजूद व्यापारियों ने क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रण कार्यालयों के कुछ कर्मचारियों से मिलकर "आपत्ति नहीं" के प्रमाण-पत्र अनेक कागजी फर्मों के नाम बनवा लिए हैं, जिसके कारण अभी भी गेहूं का अवैध व्यापार एफ० सी० आई० की सांठ-गांठ से चल रहा है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : इन चीजों के ऊपर कड़ी निगाह रखना स्टेट-गवर्नमेंट का काम है। इसमें एफ० सी० आई० की तरफ से कोई आदेश नहीं दिए गए।

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने आदेश की बात नहीं की, मैंने कहा है कि उसके भी कर्मचारी इसमें शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये तो मिलीभगत की बात कर रही हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : अगर कोई मिलीभगत इनकी निगाह में है तो उसकी जानकारी अवश्य दें।

श्रीमती कृष्णा साही : अगर मंत्री महोदय को जानकारी होगी तो क्या वे कार्यवाही करेंगे ?

राव वीरेन्द्र सिंह : आप पूरी तरह जानकारी देंगी तो कार्यवाही जरूर की जाएगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह घटना कब हुई, इस पर जांच कब बैठाई गई ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो दूसरे प्रदेशों को या दूसरी जगहों पर गेहूं गलत तरीके से भेजा जाता है, इसकी एक वजह है कि गेहूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर पाबंदी लगा दी जाती है। एक जिले दूसरे जिले एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गेहूं नहीं भेजा जा सकता, पाबंदी लगा दी जाती है। यह सवाल पहले भी कई बार उठाया गया है कि पाबंदी समाप्त कर दी जाए। तो क्या सरकार इस विषय पर भी विचार कर रही है कि इस तरह की पाबंदी न लगाई जाए ।

राव वीरेन्द्र सिंह : वैगन डीटेन करने का मामला जनवरी, फरवरी, मार्च-1982 का ज्यादातर है।

कानूनी तौर पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अन्दर गेहूं ले जाने के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। लेकिन स्टेट सरकार ने अपने कुछ नियम बना रखे हैं जिससे उनके टैक्सों के अन्दर चोरी न हो, मंडी कमेटियों और एजेंसियों को नुकसान न पहुंचे, तरीके से व्यापारी खरीदे । इस तरह की बातों के ऊपर पाबन्दी लगाई जाती है, जांच पड़ताल की जाती है और देखा जाता है कि कहां से किसी व्यापारी ने खरीदा, मंडी के टैक्स की चोरी तो नहीं की, स्टेट सरकार के किसी और टैक्स की चोरी तो नहीं की, कहीं ब्लेक मनी तो इस्तेमान नहीं हो रहा है इस ट्रेड में । इन चीजों के ऊपर निगरानी रखने के लिए जो रेग्युलेशंज बनाए जाते हैं उनके तहत जांच पड़ताल होती है। और कोई पाबन्दी नहीं है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : एक जिले से दूसरे जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगा दी गई है, गेहूं जा नहीं सकता है कहीं। मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उनको जवाब देना चाहिये। वह नहीं दे रहे हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबन्दी लगाई गई है उत्तर प्रदेश में । इसके बारे में मंत्री महोदय को कुछ जानकारी है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री आर एन राकेश : जानकारी हासिल करने में भी पाबन्दी है।

श्री जयराम वर्मा : प्रश्न संख्या 679 ।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की खरीद

*679 **श्री जयराम वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले साल मिलों ने किसानों से गन्ना किस दर पर खरीदा और इस साल किस दर पर खरीद रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में इस साल मिलें किसानों से गन्ना धीरे-धीरे खरीद रही हैं जिसके कारण किसान गन्ना पेरने वालों को और भी कम दामों में बेचने पर बाध्य हो रहे हैं; और

(ग) इस समय किसानों का और कितना गन्ना पेरा जाना बाकी है तथा सारे गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(1) उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष 19.00 रुपये और 26.00 रुपये प्रति क्विंटल के बीच के रेंज में अदा किए गए मूल्यों की तुलना में वर्तमान चीनी वर्ष के दौरान मिलों द्वारा 20.50 रुपये और 21.50 रुपये के बीच के रेंज में मूल्य अदा किए गए और अदा किए जा रहे हैं ।

(2) चीनी मिलों की पिराई क्षमता समिति है और राज्य में उत्पादित समस्त गन्ने की पिराई नहीं की जा सकती है । खण्डसारी और गुड़ उत्पादकों द्वारा भारी मात्रा में गन्ने की पिराई की जानी होती है और कुछ गन्ना चूसने और बीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ।

(3) राज्य के 225 लाख मीटरी टन बांडेड गन्ने में से 22 मार्च, 1982 तक 141 लाख मीटरी टन की मात्रा पेरी जा चुकी थी और क्योंकि मौसम अभी भी चल रहा है इसलिए शेष मात्रा को पेरने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है ।

(4) यथासम्भव अधिकतम गन्ना पेरने के लिए फैक्ट्रियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शीघ्र पिराई करने के लिए उत्पादन शुल्क में रिबेट देने के रूप में उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है । विलम्ब से पिराई करने पर भी इसी प्रकार का प्रोत्साहन देने विषयक प्रश्न विचाराधीन है ।

(5) राज्य में 31.3.1982 तक 90 फैक्ट्रियां कार्यरत थीं जबकि पिछले वर्ष उसी तारीख तक केवल 28 फैक्ट्रियाँ कार्यरत थीं ।

श्री जयराम वर्मा : इस प्रश्न के एक भाग में मैंने यह जानना चाहा कि निश्चित रूप से किसान को पिछले साल मिलों द्वारा कितना दाम मिला था और इस साल कितना मिल रहा है । मन्त्री जी ने रेंज बता दिया है कि 19 से 26 रुपये के बीच पिछले साल मिला । निश्चित बात नहीं बताई । क्या यह सही नहीं है कि पिछले साल 7 दिसम्बर तक 19 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का दाम दिया गया लेकिन किसान की मांग पर सरकार ने उसको उचित समझ कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 22 रुपये मुकर्रर कर दिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 23 रुपये मुकर्रर कर दिए जिससे अच्छा असर पड़ा और किसान को गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्साह पैदा हुआ ? लेकिन इस साल सरकार ने उसके दाम मिलों से जो समझौता किया है उसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए साढ़े बीस रुपये और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए साढ़े 21 रुपये कर दिये हैं और क्या यह सही नहीं है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में दाम कम हो गए हैं और क्या इसका यह असर नहीं पड़ा है कि किसान में जो जोश और उत्साह पैदा हुआ था गन्ने की काश्त का और उसका उत्पादन बढ़ाने का, वह कम हो गया है ? क्या किसान के गन्ने की पिराई में अब कठिनाई पैदा नहीं हो रही है, उसका गन्ना लिया नहीं जा रहा है ? अगर ऐसा है तो गन्ने की काश्त और पैदावार बढ़ाने में किसान का उत्साह पूर्ववत् बना रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : किसान का उत्साह बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उनकी मुनासिब कीमत मिले। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि पिछले साल राज्य सरकार ने स्टेट एडवाइज्ड प्राइस मुकर्रर की और इस साल भी स्टेट एडवाइज्ड प्राइस तय की। माननीय सदस्य ने खुद बताया है हर फैक्ट्री अपने-अपने इलाके में जहां से गन्ना खरीदती है उसमें कीमत में फर्क होता है, कोई फैक्ट्री ज्यादा दे सकती है। पिछले साल जो साढ़े 22 रुपये कीमत तय की गई राज्य सरकार की तरफ से तो 26 रुपये तक भी गन्ना बिका। शायद किसी-किसी फैक्ट्री ने इससे भी ज्यादा पैसा दिया हो। इसी तरीके से कहीं कोई फैक्ट्री कम भी दे देती है। लेकिन यह देखना पड़ता है कि किसान को उचित दाम मिल रहे हैं या नहीं। इस साल खास कदम उठाए गए हैं भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से किसान को गन्ने का रिम्युनरेटिव भाव मिले, उचित पैसा मिले। हमें इस बात की तसल्ली है कि किसान को शुगर मिलों की तरफ से भाव अच्छा मिल रहा हैं। लेकिन जहां गुड़ बनाने के लिए गन्ना दिया जाता है या खांडसारी मिलों के अन्दर गन्ना जाता है वहां भाव जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा है। उसको किस तरीके से हम ज्यादा करा सकते हैं, इसके लिए हमने कुछ उपाय किये हैं। गुड़ की एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई है। इसी तरीके से गुड़ का फारवर्ड ट्रेडिंग जो बन्द हो गया था उसको फिर खोल दिया है। इससे भी गुड़ के भाव कुछ ऊंचे जाने की सम्भावना है, ऐसी ही उम्मीद करते हैं और उससे शायद गुड़ बनाने वाले, खंडसारी बनाने वाले गन्ने की कीमत ज्यादा दे पायेंगे।

श्री जयराम वर्मा : मन्त्री जी ने कहा है कि इस साल गन्ने का 225 लाख टन का बांड हुआ है और 22 मार्च तक 141 लाख टन की पेराई हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल कितने गन्ने का बांड हुआ था और 22 मार्च तक कितनी पेराई हुई थी ? और क्या यह बात सही है कि जिस हिसाब से गन्ने की पैदावार बढ़ी है उसके हिसाब से बौंडेड गन्ने में इजाफा नहीं हुआ ?

राव वीरेन्द्र सिंह : मेरे ख्याल से यू० पी० में गन्ने की पैदावार के साथ-साथ क्रशिंग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और तेजी के साथ क्रशिंग चल रही है। 70 मिलियन टन के करीब गन्ने की पैदावार का अन्दाजा था यू० पी० में इस साल और पिछले साल इसके मुकाबले में 64·24 मिलियन टन का अन्दाजा था। तो पैदावार भी इसी तरीके से बढ़ी है। इस बार उम्मीद की जाती है कि 33 फीसदी तक गन्ना टोटल पैदावार का यू० पी० में क्रश कर लिया जायेगा। जबकि पिछले साल कुल पैदावार का 22 परसेंट सिर्फ क्रश किया गया था। तो टोटल पैदावार की पिछले साल 22 परसेंट गन्ने की क्रशिंग करने के बजाय इस साल हम 33 परसेंट तक क्रश करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह काफी ज्यादा तादाद है, 50 परसेंट बढ़ रही है पिछले साल के मुकाबले में। और बांडेड शुगर केन में से 15 मिलियन टन गन्ना अब तक क्रश हो चुका है यू० पी० फैक्ट्रीज में। जबकि उम्मीद करते हैं कि 23 मिलियन टन तक बांडेड शुगरकेन इस बार क्रशकर पायेंगे। 31-3-82 तक 15 मिलियन टन गन्ना क्रश हो चुका है। यह पहले के मुकाबले में काफी तादाद गन्ने की क्रश हो रही है। टोटल 23 मिलियन टन तक हम उम्मीद करते हैं कि गन्ना पेर दिया जाएगा।

श्री हरिकेश बहादुर : मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रति क्विंटल निर्धारित मूल्य जो गन्ने का है, वह किसानों को इस समय मिल रहा है कि नहीं ? मेरी जानकारी है कि आज उत्तर प्रदेश के मिल मालिक किसानों को प्रति क्विंटल निर्धारित गन्ने का मूल्य नहीं दे रहे हैं इसके लिये

किसानों ने सरकार के सामने आवाज उठायी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या मन्त्री जी इसे दिलायेंगे ? और साथ ही जो गन्ना इस समय खेतों में सूख रहा है जिसकी वजह से किसान हतोत्साहित होकर अगले वर्ष गन्ने की पैदावार में कमी कर सकते हैं, तो मिलों को कब तक चलाने के लिये आदेश दिये जायेंगे ताकि अधिक से अधिक गन्ने की पेराई की जा सके ? अगर ऐसा नहीं होगा तो गन्ने के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

राव वीरेन्द्र सिंह : पिछले साल की तरह हम इस बार भी तेजी कर रहे हैं कि लेट क्रशिंग के लिये इंसेटिव्ज कुछ एक्साइज ड्यूटी में दिये जायें जिससे फैक्ट्रीज काफी अर्से तक गन्ने को पेरती रहें। और जैसा मैंने कहा बांडेड शुगरकेन की जितनी फैक्ट्रीज हैं 23 मिलियन टन के करीब गन्ना इस बार क्रश कराया जायेगा इसके लिये हम उपाय कर रहे हैं।

श्री आर० एन० राकेश : निर्धारित मूल्य का जवाब नहीं दिया मन्त्री ने।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : निर्धारित मूल्य के मुताबिक पैसा फैक्ट्रीज से दिलाया जा रहा है। निर्धारित मूल्य से क्या आपका मतलब है, यह मैं नहीं समझ पाया। मिनिमय स्टेट्यूटरी प्राइस तो 13 रु० प्रति क्विंटल है। निर्धारित मूल्य तो वह है जो लेवी शुगर की कौस्ट आफ प्रोडक्शन लगा कर 65 परसेंट वसूल करने के लिये कीमत रखी है सरकार ने। वह 13 रु० है। बाकी राज्य सरकार की एडवाइज्ड प्राइस है, उसका मैं पहले जवाब दे चुका हूं। उसके मुताबिक फैक्ट्रीज से पैसा दिलाने की बात राज्य सरकार करती है। हर फैक्ट्रीज का अलग मूल्य होता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मंत्री महोदय ने गन्ने के सम्बन्ध में दिये गये अपने प्रयासों से अवगत कराया, लेकिन एक चीज छूट गई है, अबकी बार जब सीजन चल रहा था तो मैं स्वयं 14,15 कांटों पर गया था जहां पर कि गन्ने की तुलाई हो रही थी। प्रत्येक स्थान पर किसानों की शिकायत थी कि यह कांटे खराब हैं। मैंने माननीय मन्त्री महोदय को चिट्ठी लिखी और औराई चीनी मिल वाराणसी व नन्दगंज चीनी मिल गाजीपुर को भी हमने पत्र लिखे कि ये कांटे खराब हैं। आज तक सिर्फ उस पत्र की पावती मंत्री जी ने स्वीकार की है। उस पर कार्यवाही क्या हुई, यह पता नहीं। इस तरह की गन्ने के कम तोलने की शिकायतें हैं।

इसके साथ-साथ जहां तक किसानों को गन्ने के भुगतान का सवाल है, उसमें ऐसा है कि अगर आज किसान गन्ना लेकर आया है, तो 2,3 दिन तक उसको तुलाई के लिये इन्तजार करना पड़ता है और उसके बाद उसे एक चिट दे दी जाती है और वह चला जाता है। इसके बाद हफ्ते डेढ़ हफ्ते और कभी-कभी महीनों तक किसान को अपनी रकम प्राप्त करने के लिये परेशान रहना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जो शिकायतें किसी की तरफ से आती हैं, खास तौर पर आनरेबल मेम्बर्स की तरफ से जो शिकायतें आती हैं, उन पर फौरन कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार को लिखा जाता हैं कि उसकी देखभाल करे और हालात को ठीक कराये। नाप-तोल में कहीं गड़बड़ी होती है तो उसके लिये नाप-तोल कानून है, वेट एण्ड मेजर्स का कानून है, उसके तहत प्रासीक्यूट किया जाता है, पकड़ा जाता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने में और फैक्ट आपके सामने रखने में कितने दिन का समय लगता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेते हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : यह सब निजी मामलों पर निर्भर करता है। एक मामले में सम्भवत: कम समय लगता है जबकि किसी जटिल मामले में अधिक समय लग सकता है। तत्पश्चात बहुत सी एजेंसियां हैं और बहुत कुछ उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। हमारी कोई प्रवर्त्तन एजेंसी नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह तो मामूली बात है, इस सीजन में शिकायत हुई, 2,3 सीजन के बाद आप जांच करायेंगे।

राव वीरेन्द्र सिंह : उसी सीजन में जांच करते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अभी तक जांच नहीं हुई है, सीजन खत्म हो रहा है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जाकर पता कीजिये, हो गई है।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि लेट क्रशिंग में चीनी मिल को इन्सैंटिव दिये जायेंगे। किसानों का गन्ना सूख रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि इन्सैंटिव की पालिसी कब तक मन्त्री जी घोषित कर देंगे ? उसका फायदा केवल मिल मालिकों को मिलेगा या सीधे किसानों को मिलेगा ?

राव वीरेन्द्र सिंह : इन्सैंटिव का जो फायदा मिल मालिकों को दिया जायेगा, उसका फायदा अल्टीमेटली किसानों को ही पहुंचना चाहिये। गन्ने की रिकवरी कम होती है, उसके सूखने के साथ-साथ उसमें टैक्स की छूट मिलों को दी जाती है। उसकी वजह से ज्यादा पैसा किसानों को मिल जाता है। देर तक जब तक गन्ना सूख गया, उस वक्त तक मिलता है। इसका फैसला जल्दी होने की उम्मीद है।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर: उन पर कोई बन्धन लगायेंगे क्योंकि पैसा तो मिल मालिकों को मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न पूछिये।

आनन्द डेयरी माडल की सफलता

*681. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 12 मार्च, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रैस" की रिपोर्ट के अनुसार खर्चीले संवर्द्धन अभियानों के बावजूद आनन्द डेयरी माडल भारतीय अर्थशास्त्रियों को आकर्षित नहीं कर सका है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल में यह स्पष्ट हो गया है कि आनन्द डेयरी माडल अनुसरणीय नहीं है क्योंकि अमुल काम्प्लैक्स ने व्यापक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है जो उसकी सफलता का द्योतक है;

(ग) क्या आनन्द माडल की सफलता में भारी अड़चनों को देखते हुए, सरकार सच्चाई का पता लगाने के लिए समाज-अर्थशास्त्रियों के एक उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन दल का गठन करेगी, और

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात में आनन्द माडल के 40 वर्षों से भी अधिक काल से चलते रहने और डेरी परियोजनाओं में 20 करोड़ रुपयों की धनराशि लगाने के बावजूद, उस राज्य में दुग्ध उत्पादन में कमी आई है जिससे आनन्द पैटर्न पर गम्भीर शंकाएं पैदा हो गई हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) सरकार का ध्यान कथित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है।

आपरेशन फ्लड-1 और आपरेशन फ्लड-2, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत डेरी विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मुख्यत: ग्राम स्तर की डेरी सहकारी समितियों के आधार पर किया जाता है, जो उत्पादकों से दूध एकत्र करने और सदस्य उत्पादकों के लिए अपेक्षित तकनीकी आदान जैसे पशु चारे और पशु चिकित्सा सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। इस नीति की उपयोगिता की प्रशंसा राष्ट्र संघ, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा गठित विभिन्न मूल्यांकन मिशनों द्वारा भी की गई है।

क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न डेरी विकास कार्यक्रम का प्रबोधन कृषि विभाग के अन्तर्गत की गई उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाओं द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों में डेरी विकास कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था की सामान्य प्रक्रिया किसी भी रूप में गुजरात के 'अमूल' की तुलना में कम अनुकूल नहीं है। इन कार्यक्रमों को, इनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही मंजूरी दी गई है।

सामान्यत: गुजरात में वर्ष 1979-80 को छोड़कर जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण गाय के दूध के उत्पादन में मामूली गिरावट आयी थी, 1970-80 के दौरान दुग्ध उत्पादन में कमी नहीं आई है। 1970-80 की अवधि के दौरान गुजरात में दुग्ध-उत्पादन 18.06 लाख मीटरी टन बढ़कर 21.88 लाख मीटरी टन हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

व्यक्ति, जिन पर कालाबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु संदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया/दोषी ठहराये

* 674. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालाबाज़ारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु संदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कितने व्यक्तियों पर (राज्यवार) मुकदमा चलाया गया है और उन्हें दोषी पाया गया;

(ख) क्या कालाबाजारी रोकने तथा जमाखोरी आदि के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में आने वाली बाधाओं को रोकने के लिए कोई अन्य उपाय किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप तथा प्रभाव क्या है;

(घ) क्या इस अधिनियम को लागू करने में किसी राज्य सरकार ने किसी प्रकार की शिथिलता अथवा अनिच्छा व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या नाम है ?

कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत मुकदमा चलाने तथा दोष सिद्ध करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को इस दृष्टि से नजरबन्द करने की व्यवस्था है, कि उसे ऐसा कार्य करने से रोका जा सके जो लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने में किसी भी प्रकार प्रतिकूल है। अधिनियम के (शुरू में अक्तूबर, 1979 में अध्यादेश के रूप में) लागू होने से लेकर 31 मार्च, 1982 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 497 व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिये गये, जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) व (ग) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय, अधिनियम, 1980 के अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, जिसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक अधिसूचित की गई वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण और व्यापार व वाणिज्य को आम जनता के हित में नियंत्रित करने की व्यवस्था है, का भी चोरबाजारी तथा जमाखोरी आदि को रोकने के लिए प्रयोग किया गया है। इस अधिनियम के दण्डात्मक उपबन्ध को और अधिक कड़ा तथा कारगार बनाने के लिए संसद ने 1981 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 द्वारा संशोधन किया है।

(घ) व (ङ) यद्यपि चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980, सिवाय जम्मू व कश्मीर राज्य के सारे देश में प्रवर्तनीय है, तथापि 1981 में केरल की तत्कालीन सरकार और पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के उपबन्धों का सहारा लेने से इन्कार कर दिया था, क्योंकि वे नीतिगत कारणों से निवारक नजरबन्दी उपायों के पक्ष में नहीं थे। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से किसी ने भी इस प्रकार की अनिच्छा प्रकट नहीं की है। अब तक आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश व दिल्ली में नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये हैं। उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिन्हें यह अधिनियम लागू होता है, कि सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे उपयुक्त मामलों में इसके उपबन्धों का प्रयोग करें ताकि जमाखोरों तथा कालाबाजारियों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1980, 1981 और 1982 (मार्च, 1982 तक) के दौरान चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिये गये, उनके बारे में राज्यवार सूचना।

क्र० स०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	निम्नलिखित वर्ष में जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिये गये, उनकी संख्या		
		1980	1981	1982 (मार्च, 82 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	—	15	3
2.	असम	—	1	—
3.	बिहार	25	1	7

जारी

4. गुजरात	43	36	15
5. हिमाचल प्रदेश	—	4	—
6. कर्नाटक	41	8	—
7 मध्य प्रदेश	28	31	5
8 महाराष्ट्र	40	12	3
9. उड़ीसा	14	10	—
10. पंजाब	6	8	—
11. राजस्थान	4	—	—
12. उत्तर प्रदेश	38	62	9
13. अरुणाचल प्रदेश	—	1	—
14. दिल्ली	10	—	—
योग :	249	189	42

टिप्पणी : वर्ष 1979 में, 17 व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिये गये थे। इस प्रकार, 1979 से 1982 तक (31-3-82 तक) जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिये गये, उनकी कुल संख्या 497 है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रचार

*675. **श्री राम प्रसाद अहिरवार**
श्री सूरज भान } : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक ब्यौरा सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा ग्रामीण विकास में आधुनिक/प्रौद्योगिकी का प्रचार किए जाने के लिए प्रशिक्षण तथा दौरे किए जाने की व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इसे किस किस राज्य ने लागू किया है तथा इससे किस प्रकार से किसान लाभांवित हुए हैं;

(ग) इस व्यवस्था को किन कारणों से अन्य राज्यों ने नहीं अपनाया है;

(घ) इस व्यवस्था पर राज्यवार कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) इस समय कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या पर यह व्यवस्था लागू है ?

कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेंद्र सिंह) (क) प्रशिक्षण एवं दौरा पद्धति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(1) ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ताओं तथा राज्य कृषि विभागों के बीच इकहरी प्रशासन प्रणाली की स्थापना करना;

(2) ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ताओं को कृषि विस्तार कार्य के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाना;

(3) नियमित सेवारत प्रशिक्षण को विस्तार कार्यकलापों का अभिन्न अंग बनाना;

(4) ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ताओं द्वारा किसानों के खेतों का नियमित एवं अनवरत दौरा करने के लिए निश्चित कार्यक्रम आरम्भ करना;

(5) विस्तार कार्यकलापों तथा कृषि अनुसंधान के बीच कार्यकारी सम्पर्क में सुधार करना; तथा

(6) नियमित प्रबोधन एवं मूल्यांकन पद्धति की स्थापना करना।

(ख) अब तक तेरह राज्यों अर्थात असम, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश ने इस पद्धति को अपनाया है।

किसानों को नियमित रूप से निश्चित अन्तराल पर कृषि कार्यों के सम्बन्ध में समय पर मार्गदर्शन देकर फायदा पहुंचा है।

(ग) अधिकांश राज्यों ने पहले से ही इस पद्धति को अपना लिया है तथा शेष राज्य भी शीघ्र ही इसे लागू करने वाले हैं।

(घ) 31 जनवरी, 1982 तक विश्व बैंक द्वारा राज्यवार संवितरित की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है

	(करोड़ रुपए)
1. उड़ीसा	13.02
2. पश्चिम बंगाल	शून्य
3. असम	6.13
4. मध्य प्रदेश चरण 1	4.83
5. राजस्थान	4.83
6. गुजरात	2.62
7. बिहार	1.11
8. हरियाणा	1.39
9. कर्नाटक	2.62
10. केरल	0.86
11. तमिलनाडु	शून्य
12. महाराष्ट्र	शून्य
13. मध्य प्रदेश चरण 2	शून्य
14. आंध्र प्रदेश	शून्य

(ङ) लगभग 77 प्रतिशत।

मत्स्यन पालन के सहकारिता शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

*676. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने मत्स्य पालन के लिये वर्तमान सहकारिता शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक मूल्यांकन समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इस समिति के शीघ्र बाद एक अन्य मूल्यांकन समिति नियुक्त कर दी है; और

(घ) इस समिति की नियुक्ति का क्या औचित्य है और क्या इस समिति में सहकारी आन्दोलन को कोई प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

कृषि ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह): (क) से (घ) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है।

विवरण

1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने जून, 1980 में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा कार्यान्वित और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता की जाने वाली मात्स्यिकी सहकारी समितियों के लिए सदस्य शिक्षा की योजना के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शी आधार पर एक मूल्यांकन समिति की नियुक्ति की। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पहली सितम्बर, 1981 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भजी गई थी।

2. क्योंकि योजना के जारी रखने की बढ़ाई गई अवधि 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त होनी थी और मात्स्यिकी सहकारी शिक्षा परियोजनाओं के कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के आदेशों, जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा जारी किए गए थे, के विरुद्ध सरकार को विभिन्न स्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, अतः उठाए गए मामलों पर विचार करने के लिए 21 सितम्बर, 1981 को कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा एक आपात बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में दिए गए सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने योजना की अवधि 31 मार्च, 1982 तक बढ़ा दी।

3. इसी समय यह महसूस किया गया कि इस योजना का एक स्वतन्त्र दल द्वारा अधिक उपयुक्त ढंग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं नियुक्त की गई समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाए। अतः सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मात्स्यकी सहकारी समितियों के लिए सदस्य शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित योजना का मूल्यांकन करने के लिए 13 नवम्बर, 1981 को एक दल की नियुक्ति की।

4. कृषि और सहकारिता विभाग में मुख्य निदेशक (सहकारिता) की अध्यक्षता में एक दल में उप सलाहकार (सहकारिता), योजना आयोग, उपायुक्त (मात्स्यिकी), कृषि और सहकारिता विभाग और मुख्य निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। दल में प्रतिनिधित्व करने वाली एजेंसियां, देश में मात्स्यिकी सहकारी समितियों सहित सहकारी आन्दोलनों के नियोजन, सम्बन्धन और विकास से सम्बन्धित हैं।

सेवा निवृत्त अथवा सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए डी० डी० ए० की स्व:वित्त पोषण आवास योजना

*678. **श्री आर० एस० माने** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की ... करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त अथवा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्ववित्त पोषण योजना पिछली बार डी० डी० ए० द्वारा कब शुरू की गई थी;

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितने आवेदकों के नाम पंजीकृत किये गये और कितने फ्लैट दिए गए;

(ग) क्या उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जो दिल्ली में आगामी 2-3 वर्षों के दौरान अथवा इसके आसपास सेवा निवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने इस प्रकार पिछली किसी योजना के अन्तर्गत स्वयं को दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक अन्य स्व:वित्त पोषण योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सेवा-निवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए गत स्ववित्त पोषित आवास योजना 7-1-81 से 7-3-81 तक की अवधि के दौरान आरम्भ की गई थी।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत 570 व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत करवाए। 160 व्यक्तियों को फ्लेटों का नियतन किया गया है। अन्य 317 फ्लैट गणतन्त्र दिवस, 1982 की पूर्वसंध्या पर नियतन हेतु रिलीज किये गये और 1-3-82 से 31-3-82 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन फ्लैटों के नियतन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस योजना से निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर उन सरकारी कर्मचारियों को एक अवसर मिला था जो 1978, 1979 और 1980 के दौरान सेवा निवृत्त हुए थे और जिनकी 1981 और 1982 के दौरान सेवानिवृत्त होने की सम्भावना थी। इसलिए इस अवस्था में कोई नई योजना आरम्भ करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

वर्ष 1982-83 में अधिष्ठापित किए जाने वाले बायो-गैस संयंत्र

*680. **श्री के० मालन्ना**
श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति } : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "नेशनल प्रोजेक्ट आन बायो गैस यूजेज" ने वर्ष 1982-83 में अनेक बायो गैस संयंत्र अधिष्ठापित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और गोबर खाद प्राप्त करने हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बायो गैस संयंत्रों की अधिष्ठापना हेतु वित्त व्यवस्था करने के लिए राज्य और जिला स्तर की समितियों के माध्यम से बैंकों के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए सहयोग मांगा गया है;और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लक्ष्यों को खाद की मात्रा या बिजली उत्पादन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ईंधन की मात्रा के आधार पर निर्धारित न करके बायो-गैस एककों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। देश में 1982-83 के लिए 75000 बायो-गैस एककों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) व (घ) राज्य सरकारों से कहा गया है कि राज्य स्तर तथा जिला स्तर की समन्वयन समितियों सहित, जिनमें बैंकों के प्रतिनिधि भी हों, विभिन्न प्रयासों के माध्यम से बायो गैस कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्त की उपलब्धि सुनिश्चित करें तथा उसका प्रबोधन करें।

मध्य प्रदेश के लिए आयातित नक-कूप ड्रिलिंग मशीनें

*682. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के 45,000 समस्या वाले गांवों को प्राथमिकता के आधार पर जल की सप्लाई करने के लिए उच्च दबाव वाली नल-कूप ड्रिलिंग मशीनों की आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय सरकार को अवगत करा दिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इन गांवों में नलकूपों के लिए मध्य प्रदेश द्वारा मांगी गई उच्च दबाव वाली आयातित मशीनों की सप्लाई करने के लिए कार्यवाही कर रही है;और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), (ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार से मार्च, 1982 में द्विपक्षीय सहायता से उच्च दबाव के ड्रिलिंग रिंग प्राप्त करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर द्विपक्षीय सहायता के लिए कार्यवाही की जायेगी।

उड़ीसा में सूखाग्रस्त क्षेत्र

*683. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें 1981-82 में लगातार सूखा पड़ता है;

(ख) उक्त वर्ष में सूखे से फसल की कुल कितनी हानि हुई;

(ग) केन्द्र ने इन सूखाग्रस्त जिलों के छोटे तथा सीमांत किसानों को क्या सहायता तथा राहत दी है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1981-82 के दौरान जिन जिलों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल नष्ट हुई है, वे बालासोर, धेंनकनाल, गंजम, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज, पुरी, सम्भलपुर और सुन्दरगढ़ हैं ।

(ख) फसल कटाई के प्रयोगों के आधार पर इन 9 जिलो के 3244 ग्रामों में 50 प्रतिशत तथा उससे अधिक फसल नष्ट होने की सूचना मिली है ।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने सूखे से प्रभावित छोटे तथा सिमान्त किसानों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है । तथापि, भारत सरकार ने 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 820 लाख रुपए की नकद सहायता नियतन की है, इसमें 14000 मीटरी टन खाद्यान्न भी शामिल है और किसानों के लिए कृषि आदानों की खरीद तथा वितरण के तहत अल्पकालीन ऋण 500 लाख (खरीफ के लिए 300 लाख रुपए तथा रबी के लिए 200 लाख रुपए) रुपए मंजूर किए हैं ।

हिमालय की परिस्थितकीय स्थिति खराब होने का कृषि क्षमता पर प्रभाव

*684. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय की पारिस्थितकीय स्थिति खराब होने का सिन्धु-गंगा मैदान की कृषि क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा है, और

(ख) हिमालय की पारिस्थितकीय स्थिति को खराब होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) हिमालय क्षत्र में पारिस्थितिकीय को होने वाली क्षति से सिन्ध-गंगा के मैदान की कृषि क्षमता पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव ये हैं :—

(1) बाढ़ें, जिनके परिणामस्वरूप कृषि मैदानों, खड़ी फसलों और पशुधन की क्षति पहुंचती है;

(2) जलाशयों में गाद का भरना, जिससे उनकी संग्रहण क्षमता और सिंचाई क्षमता में कमी आ जाती है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(1) हिमालय क्षेत्र में परिस्थिति तन्त्र के संरक्षण और उसे कायम रखने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि से "हिमालय क्षेत्र में मृदा, जला और वृक्ष संरक्षण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है;

(2) जलाशयों में गाद के भरने और उनके श्रवण क्षेत्रों के अपकर्षण को कम करने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि से "नदी घाटी परियोजनाओं के श्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण योजना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है;

(3) बार बार आने वाली बाढ़ों के खतरों और गाद भरने को रोकने तथा पनधाराओं की धारणा क्षमता को बढ़ाने के लिए 1980-81 के दौरान "सिंध-गंगा के बेसिन की बाढ़-प्रवण नदियों के जल श्रवण क्षेत्रों में समेकित जलविभाजक प्रबन्ध" की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है;

(4) राज्य क्षेत्र में संबधित राज्य अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत मृदा संरक्षण के उपाय कर रहे हैं;

(5) केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने देश में, विशेषकर पहाड़ी अंचलों में संक्रातिक पारिस्थितिक प्रणालियों की खोज करने तथा समेकित तरीके से पारिस्थितिकीय संरक्षण की परियोजनाओं के व्यवृहत खाके तैयार करने के मुख्य उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड की स्थापना की है। राज्य सरकारों से घनिष्ठ सहयोग। परामर्श से यह बोर्ड बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाएगा जिसमें निवृत सैनिकों में से पारिस्थितिकी-विकास कतक दलों का गठन और युवा शक्ति का समर्थन प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी-विकास शिवरों का आयोजन शामिल होगा।

(6) खड़ी ढलानों और नदियों और नालों के किनारों पर कोई वृक्ष नहीं काटे जाते;

(7) हिमालय अंचल में आग और अत्यधिक चराई से वनों का बचाव।

धान उत्पादन के लिए ए० आई० सी० आर० आई० पी० द्वारा

नई प्रोद्योगिकी का विकास

* 685. **श्री हरीश रावत :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आल इंडिया काआर्डिनेटेड रिसर्च इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट' ने ऐसी नई प्रौद्योगिकी का विकास किया है जिसके प्रयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धान के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। अखिल भारतीय समन्वित चावल अनुसंधान प्रायोजना ने अनेक किस्मों और प्रक्रियाओं की उपयुक्त पैकेज का विकास किया है जिन्हें प्रतिकूल खेती की स्थितियों, जैसे-वर्षा पर आश्रित ऊंची भूमि वाले क्षेत्र, नीची भूमि वाली अत्यधिक जल की स्थितियां, लवणीय क्षारीय स्थितियों, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र और कीट-व्याधि तथा महामारी वाले क्षेत्रों के अन्तर्गत उगाया जा सके।

(ख) जी हां, श्रीमान्। चावल सुधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय प्रदर्शन संचालनात्मक अनुसंधान प्रायोजना, कृषि विज्ञान केंद्र, प्रयोगशाला से खेत तक के कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक नयी विकसित प्रौद्योगिकी को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। कृषि विभाग को भी, जो मुख्य विस्तार अधिकरण है, नवीनतम प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जाता है।

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण फसलों को क्षति

*686. **श्री कमल नाथ** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण फसलों की कितनी क्षति हुई है, और

(ख) इस संकट में कृषकों की सहायता करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेंद्र सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए ज्ञापन के अनुसार ओलावृष्टि से कुल 4.96 लाख हैक्टेयर सस्यगत क्षेत्र को क्षति पहुंची है।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केंद्रीय दल ने 27 और 28 मार्च, 1982 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। 1981-82 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को 1320.20 लाख रुपए की नकद सहायता का आवंटन किया है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 22,000 मीटरी टन खाद्यान्न और किसानों के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए 1200 लाख रुपए का अल्पकालिक ऋण (खरीफ और रबी-प्रत्येक के लिए 600 लाख रुपए) भी शामिल है।

वनस्पति के निर्माण के लिए सहकारी क्षेत्र को

प्राथमिकता देना

* 687. **श्री बालकृष्ण वासनिक**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल } : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति के निर्माण में सहकारी क्षेत्र को "सर्वप्रथम प्राथमिकता" देने का निर्णय किया है;

(ख) देश में कितनी सहकारी मिलें वनस्पति का उत्पादन कर रही हैं; और

(ग) वनस्पति के उत्पादन के लिये वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी नई सहकारी मिलों की स्थापना की जायेगी ?

कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेंद्र सिंह) : (क) जहां आवश्यकता है वहां नये वनस्पति एकक लगाने के लिए सरकार नीतिगत रूप में सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देने का विचार रखती है।

(ख) सहकारी क्षेत्र में चार वनस्पति एकक हैं।

(ग) ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

दिल्ली में शहरी आवास के लिए बहुक्षेत्रीय

दृष्टिकोण

* 688. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई नगर आयोजन विशेषज्ञों का यह दृष्टिकोण है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का भूमि के विकास और मकानों के निर्माण का एकाधिकार समाप्त किया जाना चाहिए और उसे शहरी आवास के लिये बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण में बदला जाना चाहिए;

(क) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में तथा उचित मूल्यों पर भूमि उपलब्ध कराने और निर्माण गतिविधि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नगर ओयाजना विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त ऐसे किसी दृष्टिकोण की उन्हें जानकारी नहीं है। नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन ने भी बताया है कि ऐसे किसी प्रमाणितकृत दृष्टिकोण की उन्हें जानकारी नहीं है जिसनें नगर आयोजकों के किसी प्रमुख संगठन ने भूमि विकास और मकानों के निर्माण से संबंधित दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका पर संदेह प्रकट किया हो।

(ख) इस मामले में सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रिहायशी, वाणिज्यिक, सांस्थानिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विकासित प्लाटों/भूमि की बिक्री के लिए भूमि का विकास करने के लिए कदम उठाए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण बड़े मनोरंजनात्मक क्षेत्रों का भी विकास कर रहा है। अलाभकारी संस्थाओं को भी कम दरों पर भूमि का आवंटन किया जाता है। उन उद्योगों को भी पूर्व-निर्धारित दरों पर काफी भूमि का आवंटन किया जाता है जिन्हें अपने उद्योगों को असंगत क्षेत्रों से स्थानान्तरित किया जाता है। रिहायशी और औद्योगिक दोनों सहकारी समितियों को भी पूर्व-निर्धारित दरों पर भूमि का आबटंन किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न आय वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मकान बनाने का कार्य आरम्भ किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहणी योजना के अन्तर्गत मुख्यतया निम्न आय वर्गों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को पूर्व-निर्धारित दरों पर आवटंनार्थ 1,17,000 प्लाटों का विकास कार्य भी प्रारम्भ किया है।

हिमाचल प्रदेश में आटा मिलें

* 689. **श्री कृष्ण दत्त, सुलतानपुरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये गये लाइसेंसों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में कितने आटा मिल लगाये गये हैं; और

(ख) उन्हें पिसाई के लिये खाद्यान्नों की सप्लाई हेतु क्या मानदंड अपनाया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेंद्र सिंह) : (क) हिमाचल प्रदेश में तीनों गेहूं रोलर फ्लोर मिलों को राज्य सरकार ने उन्हें सौंपे गए अधिकारों के अधीन मिलिंग लाइसेंस जारी कर दिये हैं। ये मिलें लघु क्षेत्र में हैं।

(ख) हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों को फ्लोर मिलों के लिए गेहूं का आवंटन केंद्रीय पूल में गेहूं की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, अतीत में रोलर फ्लोर मिलों द्वारा उठाई गई औसत मात्रा और अन्य सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के बाद मासिक आधार पर किया जाता है। राज्य सरकार बाद में मिलों को आवंटन करती हैं। 1981 में हिमाचल प्रदेश में फ्लोर मिलों को सप्लाई की गई गेहूं की मासिक औसत मात्रा 2200 मीटरी टन थी।

दिल्ली में आकाश को छूते हुए भूमि के मूल्य

* 690. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि दिल्ली में भूमि के मूल्य आकाश को छू रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के लिये प्रथम वृहत योजना के अन्तर्गत उसे आवंटित की गई कुल भूमि का केवल 33 प्रतिशत उपयोग किया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का नगर में भूमि विकास तथा भवन निर्माण में एकाधिकार है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण एक "विकास प्राधिकरण" की अपेक्षा "भूमि का दलाल" बन गया है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आम मुद्रास्फीति की प्रवृति तथा जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई मांग की तुलना में खरीद के लिए भूमि की कम उपलब्धता जैसे विभिन्न तथ्यों के कारण दिल्ली में भूमि की कीमतों में स्पष्ट वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। दिल्ली प्राधिकरण के अलावा दिल्ली नगर निगम, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इत्यादि जैसे अन्य अभिकरण भी दिल्ली में भूमि का विकास करते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आवास परिसरों का विकास करता है।

(ख) जी, नहीं। भूमि विकास के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विशेषरूप से निम्न आय वर्ग तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एक वृहद आवास कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया है। यह गन्दी बस्ती सुधार तथा उद्यान गतिविधियों के कार्यों पर लगा हुआ है। भावी योजना बनाना भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों में से एक कार्य है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में सफाई की सुविधाएं

* 503. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में केवल 10 से 15 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों और केवल 0.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो असंतोषजनक प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)31-3-1981 को लगभग 27 प्र० श० नगरीय जनसंख्या तथा 0 5 प्र० श० ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह संख्या 1981 की प्रक्षिप्त जनसंख्या पर आधारित है।

(ख) और (ग) स्वच्छता प्रबन्ध की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की है। संसाधनों का दबाव तथा अन्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों की प्रतिस्पर्धी मांगें अपेक्षाकृत धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार होती हैं।

पश्चिम बंगाल के जिलों में खाद्यान्न पहुंचाने में भारतीय खाद्य निगम की कथित विफलता

*618. **श्री समर मुखर्जी**
श्री हन्नान मोल्लाह } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में समय पर खाद्यान्न पहुंचाने में विफल हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम को पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में खाद्यान्न पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

कृषि ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों को समय पर खाद्यान्न भेजने में असफल रहा है। वास्तव में, भारतीय खाद्य निगम ने 1981 में पश्चिमी बंगाल को जो 21.77 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भेजे थे वह मात्रा अन्य राज्यों को भेजी गई मात्रा की तुलना में सबसे अधिक थी और पहली मार्च, 1982 को पश्चिम बंगाल में गेहूं और चावल के स्टाक की स्थिति सुगम थी अर्थात् वहां क्रमश: 2.75 लाख और 2.41 लाख मीटरी टन स्टाक था। पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को खाद्यान्न भेजने के कार्य की एक संयुक्त उच्च स्तरीय ग्रुप द्वारा निगरानी रखी जाती है ताकि संचलन कार्यक्रम और जिला तथा डिपों पर उपलब्धता के साथ समनुरूपता को सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण जल प्रदाय योजना के कार्यान्वयन के लिए डेनमार्क सरकार से अनुदान

7408. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेनमार्क सरकार देश में ग्रामीण जल प्रदाय योजना के कार्यालय के लिये अनुदान उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो डेनमार्क सरकार से उक्त प्रयोजन के लिये कितनी राशि मिलने की संभावना है;

(ग) डेनमार्क सरकार से सहायता कब तक प्राप्त होगी; और

(घ) डेनमार्क सरकार सहायता के अन्तर्गत किन राज्यों को पेयजल व्यवस्था करने हेतु चुना गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) डेनमार्क सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण जल सप्लाई परियोजनाएं तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में पहले ही निष्पादनाधीन हैं। इन दो परियोजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली सहायता क्रमशः 16.0 मिलियन के जिस क्रोनर (2 करोड़ रुपये) तथा 19.7 मिलियन डेविस क्रोनर (2.5 करोड़ रुपये) की अनुमानित लागत से रिगो तथा अन्य उपकरणों के रूप में है।

डेनमार्क सरकार ने तमिलनाडु राज्य में आलेग तथा दक्षिणी आरकोट के जिलों में हैण्डपम्पों के नवीकरण के लिए दूसरी योजना को सहायता देना भी स्वीकार किया है। उपकरणों की सहायता का अनुमान 72 लाख रुपये हैं।

उड़ीसा के सलिने वेल्ट में ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना के लिए शीघ्र ही करार हस्ताक्षर होने की आशा है जिससे 3500 से 4000 तक समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैया करवाने की आशा है। इस परियोजना के लिए डेनमार्क सरकार से कुल प्रत्याशित सहायता 220 मिलियन रुपये की है। परियोजना के प्रारम्भिक चरण के लिए 124 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए दोनों देशों के बीच शीघ्र ही उप-करार होने की आशा है।

इसके अतिरिक्त डेनमार्क सरकार ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तथा उड़ीसा में हैण्डपम्पों को बदलने के प्रस्ताव पर तथा तमिलनाडु में सालेम तथा दक्षिणी आरकोट जिलों के लिए व्यापक जल सप्लाई योजना पर अपनी रुचि प्रकट की है।

कचार (आसाम) में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

7409. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कचार (आसाम) में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्य आरम्भ किये गये हैं; और

(ख) आसाम सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर आज तक कचार जिले में कितने कार्य आरम्भ किये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण लिंक रोडों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

7410. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण लिंक रोडों के निर्माण के लिए कुछ वित्तीय सहायता आवंटित की है;

(ख) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कुछ धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) सड़कों के निर्माण के संबंध में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश राज्य में, अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए राज्य योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए आवंटन किए गए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें

(अनन्तिम)

सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से गांवों को जोड़ना

31 मार्च, 1981 की स्थिति

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	31 मार्च, 1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	27,221	10,627
2.	असम	22,026	11,136
3.	बिहार	67,566	19,094
4.	गुजरात	18,275	8,691
5.	हरियाणा	6,741	6,360
6.	हिमाचल प्रदेश	16,916	2,115
7.	जम्मू तथा काश्मीर	6,503	3,465
8.	कर्नाटक	26,871	7,448
9.	केरल	1,268	1,268
10.	मध्य प्रदेश	70,883	14,072
11.	महाराष्ट्र	36,033	9,554
12.	मणिपुर	2,000	394*
13.	मेघालय	4,583	2,185
14.	नागालैण्ड	960	628
15.	उड़ीसा	54,606	717
16.	पंजाब	12,188	11,997
17.	राजस्थान	33,305	5,287
18.	सिक्किम	434	161
19.	तमिलनाडु	23,047	11,530

1	2	3	4
20.	त्रिपुरा	4,930	1,250
21.	उत्तर प्रदेश	1,12,561	9,081
22.	पश्चिम बंगाल	38,074	16,870
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अरुणाचल प्रदेश	3,463	अप्राप्य
24.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	352	207
25.	चण्डीगढ़	26	26
26.	दादरा तथा नगर हवेली	72	55*
27.	दिल्ली	20	20
28.	गोवा, दमन तथा दीव	435	402
29.	लक्षद्वीप	अप्राप्य	अप्राप्य
30.	पांडिचेरी	333	286
31.	मिजोरम	237	40
	योग	5,91,929	1,55,166

*31 मार्च, 1980 तक

वनस्पति उद्योग को सप्लाई किए जा रहे आयातित खाद्य तेल की मात्रा और मूल्य

7411. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि ऐसे आदानों की मूल्य नीति का पुनरीक्षण करने का उचित समय आ गया है जो सरकार देश में वनस्पति के उत्पादन के लिए उद्योग को देती है;

(ख) क्या जब आयातित तेल का खरीद मूल्य घट रहा था, उस समय सरकार ने वनस्पति के उत्पादन के लिए वनस्पति उद्योग को दिए जा रहे आयातित तेल के मूल्य बढ़ा दिए थे, जो बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जब खरीद मूल्य 4500 रुपये प्रति टन या इससे कम था, सरकार ने उत्पादकों से इसके लिए 8500 रुपये प्रति टन वसूल किए थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्पादकों को दिए जा रहे तेल की मात्रा को कई वर्ष से निरन्तर कम किया जा रहा है और जब तक कि शीघ्र ही कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाते, वनस्पति के बिक्री मूल्य इतने अधिक बढ़ जाएंगे कि गरीब और मध्यम दर्जे के उपभोक्ता तो इसे खरीद भी नहीं पाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो वनस्पति उत्पादकों के लिए आयातित तेल के मूल्य को युक्तिसंगत बनाने और इसे कम करने के लिए क्या उपाय करने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) आयातित तेलों के मूल्यों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

(ख) आयातित तेलों का निर्गम मूल्य बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुये नियत किया जाता है, जिनमें ये भी शामिल हैं—अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनके मूल्य, देशी खाद्य तेलों के मूल्य, देश के बाजार में आयातित तेलों की सप्लाई का प्रभाव, आदि ।

(ग) व (घ) वनस्पति घी के उत्पादकों को देशी अप्रधान/गैर-परम्परागत तेल स्रोतों का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से वनस्पति घी के लिए प्रयोग किये जाने वाले आयातित तेलों का प्रतिशत 70 से घटाकर 60 कर दिया गया है । वनस्पति घी का मूल्य वनस्पति उद्योग द्वारा बरते जा रहे स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण द्वारा उचित स्तर पर बनाये रखा जा रहा है । इसके अनुसार वनस्पति घी के 16.5 किलोग्राम के टीन का कारखाना मूल्य 217/-रु० (उत्पादन शुल्क सहित) से अधिक नहीं होना है ।

स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा आर्थिक सहायता का दिया जाना

7412. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन सालों के दौरान स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा कृषि ऋण, सहायता अनुदान और राज सहायता के तौर पर कितनी धन-राशि दी गई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । यह एजेंसी अनुमोदित दरों पर उपदान उपलब्ध करती है । ऋण वित्तदायी संस्था द्वारा उपलब्ध किया जाता है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित लघु किसान विकास निगम जैसी कोई एजेंसी नहीं है । पिछले 3 वर्षों के दौरान उपलब्ध किए गए उपदान तथा जुटाये गए आवधिक ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध किए गए उपदान और आवधिक ऋण

	1979-80	1980-81	1981-82 †
1. उपलब्ध किए गए उपदान* (लाख रुपये में)	6885.62	15044.90	12256.06
2. जुटाया गया आवधिक ऋण (लाख रुपये में)	8450.97	19901.78	17219.65

* इसमें प्रशासनिक व्यय और आधारभूत ढांचे की मदों के लिए कुछ धनराशि शामिल है ।

† वर्ष 1981-82 के आंकड़े जुलाई, 1981 से लेकर जनवरी, 1982 तक की विभिन्न अवधियों के लिए प्राप्त अद्यतन प्रगति रिपोर्टों पर आधारित हैं ।

उड़ीसा के समुद्रीय तट तथा चिल्का झील में पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा में कमी

7413. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार से उड़ीसा के समुद्री तट तथा चिल्का झील में पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा में तेजी से हुई कमी के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति के बारे में कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस स्थिति का अनेक मछुओं एवं मत्स्य नौका मालिकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार ने परम्परागत मछुओं एवं छोटी मत्स्य नौकाओं के मालिकों को विनाश से बचाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि सेवा केंद्रों की असफलता

7414. **श्री समर मुखर्जी**
प्रो० अजित कुमार साहा } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के चेयरमैनों तथा मेनेजिंग डाइरेक्टरों ने सरकार को अपने प्रतिवेदन दिये हैं कि कृषि सेवा केन्द्रों की योजना के असफल होने के कारण देश के लगभग 3500 बेरोजगार इंजीनियरों, कृषि स्नातकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी स्थिति दिवालिया और कंगाल जैसी होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति इस रूप में सुधारने के लिये कि इंजीनियर पुनः इंजीनियरों जैसा जीवन बिता सकें, सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : राज्य कृषि उद्योग निगमों ने कतिपय कृषि सेवा केन्द्रों के खराब निष्पादन और इसके परिणामस्वरूप कृषि सेवा उद्यमियों जो इनका संचालन कर रहे थे, की वित्तीय कठिनाइयों की सूचना दी है।

(1) राज्य सरकारों को उद्यमियों को देय ब्याज सम्बन्धी राज सहायता के लिए समस्त दावों का शीघ्रता से भुगतान करने का परामर्श दिया गया है।

(2) राज्य सरकारों को भूमि सुधार और कमान क्षेत्र विकास सहित अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उद्यमियों को कस्टम किराया कार्य दिलाने में सहायता करने और उनके जरिए कृषि आदानों का वितरण करने का भी परामर्श दिया गया है।

(3) केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय से भी वित्त प्रदान करने वाले बैंकों को यह निदेश देने का अनुरोध किया गया है कि वे उन उद्यमियों के ब्याज शुल्क माफ कर दें जिन्होंने अपने केन्द्र बंद कर दिए हैं और वे उनकी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए योग्य मामलों में आगे वित्तीय सहायता प्रदान करें।

(4) पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय से भी इन केन्द्रों को डीजल, पेट्रोल तथा ओंगन के वितरण के लिए उन्हें डीलरशिप प्रदान करके पुन:स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ।

ग्रामीण सड़कें

7415. **श्री नवीन रवाणी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेष रूप से गुजरात राज्य में ग्रामीण सड़कों के अभाव में किसान अपने उत्पादों को अच्छे बाजारों में नहीं ले जा सकते; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) देश में ग्रामीण सड़कों के एक सुगठित तथा सुव्यवस्थित जाल के अभाव में किसान आम तौर पर अपनी फसलों का पूरा मूल्य प्राप्त करने के लिए समय से उपयुक्त बाजारों तक पहुंचाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

(ख) छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक 1500 तथा उससे ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है। छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य क्षेत्र में 1164.90 करोड़ रुपए का परिव्यय सुलभ किया गया है ।

अधिगृहीत भूमि का उपयोग

7416. **श्री राजेश पाइलट : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में शहरी क्षेत्रों में अधिगृहीत की गई परन्तु उपयोग में न लाई गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार अथवा भूतपूर्व मालिकों अथवा भूमिहीनों द्वारा उक्त भूमि को उपयुक्त रूप से अथवा अस्थायी रूप से डेयरी अथवा कृषि उत्पादों के अस्थायी उत्पादन के लिये भूमिहीनों द्वारा उपयोग में लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम पटेल नगर तथा करमपुरा नई दिल्ली में शौचालय के लिये व्यवस्था

7417. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने पश्चिम पटेल नगर और करमपुरा, नई दिल्ली में रिहायशी क्वार्टरों के कब्जाधारियों को उनके क्वाटरों के पीछे/सामने शौचालयों के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि कोने के फ्लैटवालों को शौचालयों के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन नहीं किया गया है, तो उनके लिए उक्त प्रयोजन हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या बीच के फ्लैटों के कब्जाधारियों को शौचालयों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है; यदि हां, तो किस के द्वारा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) करमपुरा, नई दिल्ली के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली के बारे में सूचना निम्नलिखित है :—

(क) रिहायशी दो मंजिले क्वार्टरों के कब्जेदारों को उनके क्वार्टरों के पीछे शौचालय निर्माण के लिए कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) किनारे के क्वार्टरों/फ्लैटों के कब्जेदारों को शौचालयों के निर्माण के लिए कोई अतिरिक्त भूमि आवंटित नहीं की गई है। कब्जेदारों के उपयोग के लिए प्रत्येक ब्लाक में पृथक्-पृथक् साझे शौचालयों का पहले ही से प्रावधान है।

(ग) बीच के क्वाटरों/फ्लैटों के दखलकारों को शौचालय निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने क्वार्टरों/फ्लैटों के पीछे की तरफ शौचालयों के निर्माण के लिए एक मानक योजना अनुमोदित की है ।

गुजरात में अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

7418. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में दिसम्बर, 1981 के अन्त तक जो बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अपूर्ण थीं, उनके क्या नाम हैं;

(ख) उनके पूर्ण होने का क्या समय निर्धारित किया गया है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय होगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) यह प्रश्न संभवत: छठी योजना से पहले की उन परियोजनाओं से संबंधित है जो दिसम्बर, 1981 तक भी पूरी नहीं हुई थीं। छठी योजना से पहले की बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो दिसम्बर, 1981 के अन्त तक अपूर्ण थीं, से संबंधित अपेक्षित सूचना, उपलब्ध सूचना के आधार पर, संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण-1

गुजरात में दिसम्बर, 1981 के अन्त तक अपूर्ण बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमोदित लागत	1981-82 तक प्रत्याशित व्यय	छठी-योजना में परिव्यय	पूर्ण होने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6
	बृहद				
1.	दमनगंगा	10884	6579	4870	सातवीं योजना
2.	करजान	8960	3055	7120	सातवीं योजना
3.	हेरन	5053	1005	4450	सातवीं योजना
4.	पानम	4136	3550	1628	1983-84
5.	सुखी	3249	2062	2207	1983-84
6.	वतरक*	2625	1619	1528	1983-84
7.	सिपु	2554	655	1700	सातवीं योजना
8.	उकई	13207	13074	178	1982-83
9.	कडाना	9507	9308	353	1982-83
10.	साबरमती	6432	6118	968	1982-83
11.	माही चरण-एक	4122	4098	79	1982-83
12.	ककरापारा	2176	2152	29	1982-83
13.	माही बजाज सागर	3949	3905	563	छठी योजना
	मध्यम				
1.	सुख भादर	588	516	404	1983-84
2.	मछुन्दरी	734	595	364	1983-84
3.	कालुभार	631	544	377	1983-84
4.	मच्छन नाला	625	456	289	सातवीं योजना
5.	अमली (वीर-दो)	644	526	352	1983-84
6.	देव	1606	740	1326	1983-84
7.	वेनु-दो	892	496	722	1983-84
8.	अजी-दो	679	123	289	सातवीं योजना
9.	उन्द	1506	699	1171	1983-84
10.	भादर	1417	800	1101	सातवीं योजना

जारी.....

(लाख रुपये)

1 2	3	4	5	6
11. अजी-तीन	1639	359	516	सातवीं योजना
12.* मजाम	12322	259	350	सातवीं योजना
13. देमी-दो	576	236	483	सातवीं योजना
14. हदफ	786	372	707	1983-84
15. गुहाई	1089	300	1400	सातवीं योजना
16. केलिया	617	396	575	1983-84
17. झुज	1004	238	982	1983-84
18. उबेर	611	377	282	सातवीं योजना
19. कालिन्द्री	163	163	4	मार्च, 1982
20. हरनव-दो	349	131	121	सातवीं योजना
21. रामी	149	106	85	1983-84
22. बलदेव	121	120	25	1983-84
23. पिगुत	147	133	29	तदैव
24. वेदी	165	240	4	तदैव
25. फोफाल	351	346	8	तदैव
26. बगद	259	221	4	1982-83
27. शिगोडा	300	268	45	वही
28. छपारवादी	290	261	53	वही
29. अम्बाजल	99	96	3	वही
30. रावल	340	315	56	वही
31. नारा	210	168	62	1983-84
32. सेनी	186	151	129	वही
33. गोड़ोथोड	77	72	6	1982-83
34. अमीपुर	363	166	247	1983-84
35. गौदाधरी	177	141	76	वही
36. हिरन	468	457	28	वही
37. जंगादिया	129	124	50	1982-83
38. भुखी	147	154	98	—वही—
39. वंकलेश्वर भेय	131	121	45	—वही—
40. रजवाल	282	259	25	—वही—
41. मिट्टी	179	176	50	—वही—
42. नानी वाहियाल पर बांध	189	30	189	1984-85

* अनुमोदित न की गई स्कीमें।

(लाख रुपये)

1	2	3	4	5	6
43.	लखिगांव	98	78	27	1982-83
44.	कबूतरी	114	100	65	1982-83
45.	संकरा	174	68	147	1983-84
46.	ढोली	211	59	191	—वही—
47.	उमरिया	111	87	81	1983-84
48.	शेदी शाखा	1248	384	309	सातवीं योजना

मदर डेयरी

7419. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदर डेयरी केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाती है,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाओं के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि मदर डेयरी के विभिन्न केन्द्रों पर दूध की अलग-अलग दरें नियत की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) विभिन्न केन्द्रों पर दरों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री(श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मदर डेयरी, दिल्ली का संचालन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

(ख) से (घ) मदर डेयरी, दिल्ली की अन्य राज्यों में कोई शाखा नहीं है। तथापि, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में तीन और मदर डेरियां हैं। कलकत्ता (दनकुर्ना) की मदर डेयरी पश्चिम बंगाल सरकार के स्वामित्व में है। इस समय, इसका प्रबन्ध, पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

बम्बई (कुरला डेयरी) की मदर डेयरी महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व में है और इसका संचालन भी वही करती है। मद्रास (अम्बाटूर डेयरी) की मदर डेरी तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि० के स्वामित्व में है और यही संघ उसका संचालन भी करता है। इन डेरियों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य नीचे दिए गए हैं—

शहर	दूध की किस्म	पैकिंग	मूल्य प्रति लीटर (रु०)
दिल्ली	टोण्ड	खुली बिक्री	2·20
	पूर्ण क्रीमयुक्त दूध (6 प्रतिशत वसा और 8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ०)	थैली	3·80

जारी.....

बम्बई	मानक	थैली	3.30
	पूर्ण क्रीमयुक्त दूध (6 प्रतिशत वसा और 9 प्रतिशत एस० एन० एफ०)	थैली	5.00
कलकत्ता	टोण्ड दूध	थैली	3.00
	टोण्ड दूध	खुला	2.70
मद्रास	मानक	थैली	3.00
	मानक	डिब्बा (खुला)	2.90

(ङ) कच्चे दूध के अधिप्राप्ति मूल्य, परिसंस्करण, पैकिंग तथा वितरण की लागत और सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मूल्यों का अलग-अलग होना विभिन्न स्थानों पर दरों में विभिन्ता का मुख्य कारण है ।

माइक्रोबा फुसारियम से उत्पन्न संकट

7420. **श्री समीनुद्दीन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के अनुसंधान संस्थान की खोज के अनुसार माइक्रोबा फुसारियम वाराणसी और मिर्जापुर के फार्म उत्पादों के लिए खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि माइक्रोसंघटना के कारण इस क्षेत्र के आम के वृक्षों पर बिल्कुल फल नहीं आते हैं और अन्य फसलें भी घट गई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनका विष मनुष्यों और जानवरों के विभिन्न अवयवों में व्याप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो माइक्रो संकट के कुप्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) (ख), (ग) तथा (घ) यह प्रश्न विशेषकर उत्तर प्रदेश के बनारस तथा मिर्जापुर जिलों के फार्म उत्पादों के फुसारियम के खतरे के बारे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अनुसंधान संस्थान की उपलब्धियों से सम्बन्धित है । बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान से विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है । जैसे ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तर प्राप्त हो जायेगा उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

बेयर्ड रोड तथा राजा बाजार, नई दिल्ली के बीच पहुंच सड़कों का समुचित रखरखाव

7421. **श्री के० लकप्पा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री बेयर्ड रोड तथा राजा बाजार नई दिल्ली के बीच पहुंच सड़कों के बारे में 8 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदार अभी भी मंत्रालय द्वारा दिये गये आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और डेसू कार्यालय (जहां पर नई दिल्ली नगर पालिका का स्कूल स्थित था) के निकट सड़क के बीच में ईंटें इकट्ठी कर रखी हैं और ईंटों को वहां से हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ख) क्या बेयर्ड रोड की तरफ से यूनियन एकेडमी स्कूल की ओर जाने वाली सड़क की हालत बहुत अधिक बिगड़ गई है और सरकारी वाहन के द्वारा इस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है, हालांकि स्कूल की ओर से आने वाली यह एकमात्र सड़क है;

(ग) क्या निकट के जल भण्डार से उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित सड़क पर पीने का पानी निरन्तर बहता रहता है जिसके कारण सड़क की हालत भी बिगड़ गई है; और

(घ) सरकार का पीने के पानी के फिजूल बहाव तथा उसके द्वारा सड़क की हालत को और अधिक बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ऐसा बताया गया है कि अब ठेकेदार डेसू कार्यालय के समीप सड़क के बीच में ईंटों के चट्टे नहीं लगा रहे हैं।

(ख) इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण तथा रुके हुए ट्रकों के आने जाने के कारण सम्पर्क मार्ग की टूट-फूट को समय-समय पर ठीक किया जा रहा है और इस सड़क की उचित मरम्मत होती रहती है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि पाइपलाइन में कुछ सांयोगिक क्षति थी जिसे तत्काल ही ठीक कर दिया गया था।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में शीत लहर के कारण मौतें

7422. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में शीत लहर के कारण प्रति वर्ष अनेक लोग मर जाते हैं,

यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के दौरान देश भर में शीत लहर के कारण राज्यवार कितनी मौतें हुई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) प्रति वर्ष शीत लहर के कारण कुछ लोगों के मरने की सूचना मिलती है।

अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर 1981-82 के दौरन शीत लहर के कारण बिहार में तीन मौतें, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान प्रत्येक में दो-दो मौतें हुईं।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे गृहहीन तथा पटरी पर रहने वाले लोगों के लिए सभी आश्रय-स्थलों का रख-रखाव करें तथा चटाइयों, कम्बलों तथा तापन प्रबन्ध आदि की मुफ्त में व्यवस्था करें और पुलिस अधिकारियों को निदेश दिए जाएं कि वे शीत मौसम

के दौरान पटरी पर रहने वाले लोगों का धर्मशालाओं या रात्रि-आश्रय-स्थलों में जाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे शीत लहर के कारण अभाग्यवश मरने वाले लोगों के मामले में, उनके सम्बन्धियों को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी तत्काल मन्जूर करें।

मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान की स्थापना

7423. **श्री केयूर भूषण :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान की स्थापन की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संस्थान के पंजीकरण सम्बन्धी औपचारिकता पूरी हो गई है;

(घ) क्या संस्थान ने अपना कोई कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ङ) क्या संस्थान के भवन निर्माण के बारे में कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान 175 लाख रुपये के परिव्यय से भोपाल में भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान स्थापित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य वानिकी प्रबन्ध में व्यावसायिक प्रवीणता में वृद्धि करना है। यह संस्था एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। प्रबन्ध सम्बन्धी पाठ्यक्रम चलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

(ङ) तथा (च) भवन के निर्माण के बारे में संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना है, जिसकी अभी बैठक होनी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के वर्ष 1981-82 के लिए लक्ष्य

7424. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में वर्ष 1981-82 से आज तक हुई प्रगति तथा उसकी उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया है;

(ख) क्या सरकार अपने प्रोग्रामानुसार हुई प्रगति तथा कार्यनिष्पादन से सन्तुष्ट है; और

(ग) यदि प्रोग्राम की प्रगति मन्द है तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क), (ख) व (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में क्षेत्र से पूरी रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, पहले से प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जायेंगे।

सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, बसंत बिहार, नई दिल्ली के सदस्यों द्वारा उप-पट्टा करना

7425. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, बसंत बिहार, नई दिल्ली के सदस्यों द्वारा किये गये उप-पट्टों में यह उपबन्ध है कि उन्हें आवंटित की गई भूमि के लिए उप-राज्यपाल, दिल्ली द्वारा निर्णय किये जाने पर अतिरिक्त राशि अदा करनी होगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि आवंटितियों द्वारा किये गये उप-पट्टों में कोई भी परिवर्तन उप राज्यपाल दिल्ली विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इसके क्या कारण हैं कि उक्त समिति द्वारा उक्त शर्तों का उल्लंघन करके शांति निकेतन कालोनी के आवंटियों से अतिरिक्त राशि ली जा रही है;

(घ) क्या समिति ने इस अनियमितता के निराकरण के लिए शांति निकेतन के आवंटितियों से अनुपूरक उप-पट्टा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति द्वारा विकसित शान्ति निकेतन तथा बसन्त बिहार कालोनियों में प्लाटों के आवंटियों के बीच शान्ति निकेतन के भाग की भूमि के बारे में विभिन्न न्यायालयों द्वारा एवार्ड किए गए परिवर्धित मुआवजे की अदायगी से सम्बन्धित एक वाद के तय होने का मामला है जिसे शान्ति निकेतन ग्रुप के सदस्यों से वसूल किया गया था। उसने आगे कहा है कि उच्च न्यायालय ने शान्ति निकेतन कल्याण संघ के दावे की याचिका को खारिज कर दिया था तथा उनकी विशेष समय वृद्धि की याचिका भी उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दी थी।

गणेश फ्लोर मिल्स का राष्ट्रीयकरण

7426. **श्री एम० गोपाल रेड्डी :** क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गणेश फ्लोर मिल्स का जो पहले से ही भारत सरकार के प्रबन्ध में है, राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क), (ख) और (ग) सरकार गणेश फ्लोर मिल्स के पुनर्गठन के बारे में विचार कर रही है।

यमुना विहार कालोनी, दिल्ली में दुकानों का आवंटन

7427. **श्री जैनुल बशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की यमुना विहार कालोनी के सभी ब्लाकों में सरकारी शौपिंग सेंटरों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन दुकानों को कब तक आवंटन किए जाने की सम्भावना है और इसका आवंटन करने में क्या मानदण्ड अपनाए जायेंगे;

(ग) क्या यह सच है कि विकलांगों और अनुसूचित जातियों के लोगों को इन दुकानों का आवंटन करने हेतु उनके लिए कोटा निर्धारित किया गया है;और

(घ) यदि हां, तो यह कितने प्रतिशत है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में रोलर फ्लोर मिल

7428. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन मिलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गेहूं के उत्पादन बनाने के लिए गेहूं सप्लाई किया जाता है और क्या परिवर्तित गेहूं उत्पादों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है और उसकी दरें निर्धारित की जाती हैं या मिलों को उन्हें अपनी लागत पर बेचने की स्वतन्त्रता होती है;और

(ख) इन मिलों का लाभ का अंश निश्चित करने हेतु तथा सारे देश में उनके द्वारा कमाये जाने वाले अत्यधिक लाभ पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

डी० डी० ए० द्वारा दिल्ली शाहपुर जट गांव में भूमि का अधिग्रहण

7429. **श्री ए० के० राय** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहपुर जट गांव की भूमि का जहां पर अब एशियाई खेलों के लिए निर्माण कार्य हो रहा है अधिग्रहण किए जाते समय डी०डी०ए० की मूल योजना का ब्यौरा क्या है, इसमें कितने क्षेत्र अन्तर्ग्रस्त हैं और इसका किस तिथि को अधिग्रहण किया गया था;

(ख) अधिगृहीत की गई कुल भूमि में कृषि भूमि कितनी है;

(ग) क्या इस बारे में कि अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किए जाए, के कानूनी उपबंध का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"बोगस परमिट्स फार मैदा एंड वनस्पति" शीर्षक से समाचार

7430. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "बोगस परमिट्स फार मैदा एण्ड वनस्पति" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, मैदा और वनस्पति के लिए हेराफेरी से कोई जाली कोटा परमिट नहीं बनाये गये, जैसा कि समाचार में आरोप लगाया गया है।

सम्पदा निदेशालय के अन्तर्गत रिहायशी और वाणिज्यि-एकक

7431. **श्री राम लाल राही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1973 से 1 जनवरी, 1982 की अवधि के भीतर सम्पदा निदेशालय के अन्तर्गत एककों (रिहायशी तथा वाणिज्यिक) की संख्या में कितनी वृद्धि हुई और उस अवधि में आवेदन एवं किराया विंग के कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पहले सम्पदा निदेशालय केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन था और किराये का लेखा जोखा रखने वाले क्लर्क लेखा क्लर्क के रूप में वर्गीकृत किये जाते थे और अब सम्पदा निदेशालय के किराया विंग में काम करने वाले क्लर्क लेखा क्लर्क के रूप में वर्गीकृत नहीं किये जाते; और

(ग) क्या यह सच है कि सम्पदा निदेशालय के किराया विंग में अधीक्षण कर्मचारियों का काम पूरी तरह से तकनीकी (लेखा) प्रकृति का है परन्तु गैर अधीक्षण कर्मचारियों के उसी प्रकृति के काम को तकनीकी प्रकृति का नहीं माना जाता; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जनवरी, 73 से जनवरी, 82 तक की अवधि के दौरान बढ़े हुए/घटे हुए एककों (रिहायशी और वाणिज्यिक) की संख्या इस प्रकार है :—

रिहायशी	वाणिज्यिक	कार्यालय वास
13858	426	21.62 लाख वर्ग फुट
बढ़े हुए	घटे हुए	बढ़े हुए

(इसमें होस्टल वास शामिल नहीं है)

सम्पदा निदेशालय के आवंटन और किराया विंग के स्टाफ में समतुल्य वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) सम्पदा निदेशालय के किराया विंग में पर्यवेक्षी स्टाफ (लेखाकार, अधीक्षक, सहायक निदेशक (लेखा) का कार्य विशिष्ट प्रकृति का है। सहायक निदेशक (लेखा) और अधीक्षकों के पद, लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। लेखाकारों का चुनाव संयुक्त विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए लिपिकीय कर्मचारी पात्र हैं।

गृह कर की गणना करने का मानदंड

7432. **श्री शिबु सोरन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1980 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये हाल ही के निर्णय के आधार पर आजकल गृह कर की गणना की जा रही है और क्या इस निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय मालिक के कब्जे वाले मकानों तथा किराये पर दिये गये मकानों दोनों ही यूनिटों के मामले में गृह कर किन आधार पर वसूल किया जा रहा है;

(ग) क्या गृह कर में वर्तमान वृद्धि से दिल्ली के निवासियों में भारी आक्रोश है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोगों को राहत देने तथा असहनीय भार से बचाने के लिये गृह-कर नियमों में संशोधन करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में गृह कर, उच्चतम न्यायालय के अनुसार मानक किराए के आधार पर लगाया जा रहा है। इस निर्णय की प्रतिलिपि पढ़ने के लिए मेरे मंत्रालय में उपलब्ध है।

(ख) उयुर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त निर्णय के बाद दिल्ली में गृह कर की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं।

(घ) गृह कर से सम्बन्धित प्रावधानों के संशोधनार्थ सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

चीनी उद्योग द्वारा गन्ने की पेराई

7433. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1977-78, 78-79, 79-80 और 80-81 तथा 81-82 के दौरन कितने गैर-सरकारी, सरकारी और सहकारी चीनी कारखाने (क्षमता का उल्लेख देते हुए) काम कर रहे थे;

(ख) वर्ष 1979-80, 80-81 और 81-82 के दौरान इन कारखानों द्वारा कितने दिन गन्ने की पेराई की गई और कितने दिन नहीं की गई;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान (वर्ष-वार और राज्यवार) कितने चीनी कारखाने (श्रेणी-वार) अधुनिक बनाए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) 1977-78 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान गैर-सरकारी/सरकारी और सहकारी चीनी फैक्टरियोंकी संख्या साथ में उनकी वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता बताने वाला एक विवरण संलग्न हैं) **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3880/82)**

(ख) चीनी फैक्ट्रियां सारा वर्ष कार्य नहीं करती है। मौसमी उद्योग होने के नाते, एक फैक्ट्री कितने दिन कार्य करती है यह मौसम विशेष में गन्ने की उपलब्धता पर निर्भर करता है। देश में सभी चीनी फक्ट्रियों ने 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान 22 घण्टे कार्य करने के आधार पर वास्तव में जितने दिन कार्य किया उसका ब्यौरा अनुबन्ध 2 में दिया गया है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3880/82)** फैक्ट्रियों के 1981-82 में कार्य दिन की संख्या अनुमानित है क्योंकि चीनी वर्ष 1981-82 30-9-1982 तक जारी रहेगा।

(ग) चीनी फैक्ट्रियों में आधुनिकीकरण के परिमाण को मापने के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। चीनी फैक्ट्री का आधुनिकीकरण एक अविरल प्रक्रिया है और चीनी फैक्ट्रियां किसी वर्ष विशेष में संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण के कार्य की कभी भी पूरा नहीं कर पाती हैं। अतः सरकार ने ऐसी चीनी फैक्ट्रियों की कोई सूची तैयार नहीं की है जिसमें प्रत्येक फैक्ट्री में वर्षवार हुए आधुनिकीकरण का ब्यौरा दिया गया हो। जिस चीनी फैक्ट्री ने किसी चीनी वर्ष विशेष में आधुनिकीकरण किया है, वह आने वाले चीनी वर्षों में भी अपने संयंत्र और उपकरणों का और आधुनिकीकरण कर सकती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को सी०जी०एच०एस० की सुविधायें न देना

7434. **श्री आर०एन०राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन क्षेत्रों में सी०जी०एच०एस०/के औषधालय हैं, वहां रह रहे दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को इन औषधालयों की सुविधायें नहीं दी गई हैं;

(ख) क्या ये सुविधायें इस बात को लेकर हटा दी गई थीं कि इन क्षेत्रों में सी० जी० एच० एस० के औषधालय नहीं है और इनमें रहने वाले कुछ कर्मचारी अंशदान नहीं करना चाहते हैं और उसके बदले नकद राशि की क्षतिपूर्ति चाहते हैं; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सी० जी० एच० एस० के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को इन औषधालयों में इलाज कराने की अनुमति देने पर पुनर्विचार करेगी और उपचारात्मक उपाय करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा ली जा रही सी० जी० एच० एस० सुविधायें 1-12-82 से समाप्त कर दी गई हैं और इसके बदले में समूह "ग" और "घ" से सम्बन्धित कर्मचारियों को एक समान दरों पर चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है।

समूह "क" और "ख" के कर्मचारी चिकित्सा पर किये गये व्यय को वापस लेने के हकदार हैं यदि इलाज अधिकृत चिकित्सक से कराया गया हो ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

रिहायशी सम्पत्तियों के दुरुपयोग संबंधी शुल्कों को वसूल करना

7435. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पट्टेधारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लीज व्यवस्था का उल्लघन करते हुए दुरुपयोग सम्बन्धी सामान्य/मानक शुल्कों से कम राशि अदा करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या पट्टेधारियों के किरायेदारों द्वारा रिहायशी सम्पत्तियों के वाणिज्यिक दुरुपयोग के मामलों से निपटने के लिए एल० एण्ड डी० ओ० की कोई नीति, मार्गदर्शी सिद्धांत अथवा मानदण्ड है जहां ऐसे किरायेदार दुरुपयोग सम्बन्धी शुल्क नहीं दे रहे हैं और निरन्तर बढ़ रहे दुरुपयोग सम्बन्धी शुल्कों का भुगतान न करने के लिए इसका समस्त भार मकान मालिकों पर पड़ता है जिनकी इस शुल्क को अदा करने की न तो क्षमता है और न ही संसाधन हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पट्टेधारियों को क्या उपाय उपलब्ध हैं जिन्होंने ऐसे किरायेदारों द्वारा दुरुपयोग के विरुद्ध पहले ही अदालती कार्यवाही आरम्भ कर दी है और जिन्हें इस धमकी के साथ दुरुपयोग सम्बन्धी शुल्क अदा करने के लिए कहा जा रहा है कि दुरुपयोगकर्त्ता के विरुद्ध कानूनी मुकदमे में निर्णय होने से पहले वे वापस आ जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) भूमि तथा विकास अधिकारी की सूचनानुसार पट्टा समझौतों का उल्लंघन करके जिन पट्टाधारियों को सामान्य/मानक दुरुपयोग प्रभारों की अपेक्षा कम प्रभार अदा करने के लिए अनुमति दी गई है उनके बारे में कोई सांख्यकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) जी, नहीं । करार का सम्बन्ध पट्टाधारी तथा पट्टाकर्त्ता के बीच है न कि पट्टाकर्ता तथा पट्टाधारी के किरायेदार के बीच ।

(ग) पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत, जहां कि पट्टाधिकारी के किरायेदार द्वारा दुरुपयोग किया जाना अथवा क्षति पहुंचाई जाती है, वहां दुरुपयोग को दुर करने की जिम्मेदारी पट्टाधारी की होती जोकि न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई कर सकता है ।

उचित दर की नई दुकानें खोलना

7436. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री उचित दर की दुकानों पर यूनिटों की संख्या के बारे में 29 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5671 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में कितनी उचित दर की दुकानें आवंटित की गई जिनमें अभी भी निर्धारित 4000 यूनिटों से कम यूनिट हैं;

(ख) उपर्युक्त दुकानों में नये राशन कार्डों को संलग्न करने के स्थान पर नजदीक के उचित दर दुकानों को निर्धारित यूनिटों से बकाया यूनिटों को स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां उचित दर की दुकानें अधिसूचित की गई थीं परंतु जिनके लिए कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला और इनके नोटिस कब जारी किये गये तथा ये कहां-कहां लगाये गये और क्या समाचार-पत्रों में भी तदर्थ विज्ञापन दिया गया;

(घ) उचित दर दुकानों के ऐसे कितने दुकानदार हैं जिन्होंने निर्धारित यूनिट संख्या उपलब्ध न होने और पर्याप्त सामयिक सप्लाई न होने के विरोध स्वरूप दुकानें बन्द करने का नोटिस दिया है; और

(ङ) विभाग नये दुकानों को निर्धारित यूनिट संख्या उपलब्ध कराने और पर्याप्त सामयिक सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) हाल ही में दिल्ली में खोली गयी कुल 790 उचित दर की दुकानों में से 558 दुकानों के पास 4000 से कम यूनिट हैं। 29-3-82 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5671 के उत्तर के बाद स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) जहां कहीं सम्भव होता है, अनुमत सीमा से अधिक संख्या में यूनिट रखने वाली दुकानों से यूनिट उन नई खोली गई दुकानों को अन्तरित कर दिये जाते हैं जिनके पास 4000 से कम यूनिट होते हैं। यह कार्य इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि नई दुकान किस जगह पर स्थित है और खाद्य-कार्डधारी को विनिर्दिष्ट खाद्य-वस्तुओं का अपना कोटा लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा। कुछ मामलों में ऐसे अन्तरण पर खाद्य-कार्डधारियों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई और इस आधार पर विरोध प्रकट किया गया कि उन्हें इससे असुविधा हुई है। इस प्रकार उन्हें खाद्य-कार्डधारियों के हित में फिर से पहले स्थान पर अन्तरित करना पड़ा।

(ग) कश्मीरी गेट, राजपुर रोड, बेला रोड, नया बाजार, बाड़ा हिंदू राव, बस्ती हरफूल-सिंह, कसाबपुरा, तिमारपुर, चांदनी चौक, खारी बावली, टैगोर गार्डन, बिजवासन, राजौरी गार्डन, हरीनगर, उत्तम नगर, बापानगर, देवनगर, पहाड़गंज, नबी करीम, मिन्टो रोड, फराशखाना, अजमेरी गेट, कमला मार्केट, प्रेसीडेन्ट्स एस्टेट, कर्जन रोड, फिरोजशाह रोड, किलोकड़ी, सरायकाले खां, बसन्त बिहार, रामकृष्णपुरम (सैक्टर 1, 3, 8, 9), यशवन्त पैलेस, पृथ्वीराज रोड, लोधी रोड, खान मार्किट और राजेंद्र नगर ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए पहले 19-1-81 को नई उचित दर की दुकानें अधिसूचित की गई थीं परंतु इनके लिए आवेदन बहुत कम प्राप्त हुए हैं। इनके नोटिस मूलत: समाचार-पत्रों में विज्ञापित किये गये थे तथा समय-समय पर सर्कल कार्यालयों के सूचना-पट्टों पर भी लगाये गये थे। संबंधित सर्कल अधिकारियों ने इन क्षेत्रों के दुकानदारों को इस बात के लिए राजी करने के लिये भी प्रयास किये कि वे उचित दर की दुकानों के लिये लाइसेंस लें परन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ है। यह बात इन क्षेत्रों में उपयुक्त परिसर न मिलने तथा यहाँ के ऊंचे किरायों/व्यापारिक महत्व के कारण है।

(घ) दिल्ली प्रशासन के नागरिक आपूर्ति आयुक्त के कार्यालय में ऐसा कोई औपचारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) नई उचित दर की दुकानों को जैसे-जैसे ये दुकानें अपने को जमाती जायेंगी और उपभोक्ताओं में इनकी साख बढ़ती जायेगी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर खाद्य कार्ड मिलेंगे। सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिये निरन्तर प्रयास किये जाते हैं और यह बात इन वस्तुओं की समग्र उपलभ्यता पर निर्भर करती है।

गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस वर्कर्स यूनियन, अलीगढ़ (यू० पी०)

7437. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में पंजीकृत यूनियनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या अलीगढ़ मुद्रणालय में राजकीय प्रेस मजदूर संघ नामक एक यूनियन भी है, और क्या इस यूनियम में नियन के अनुसार वर्ष 1967 से 1979 तक की अवधि के दौरान फार्म 'जे' और 'के' प्रस्तुत नहीं किया था; और

(ग) यदि इस यूनियन ने लगातार 12 वर्षों से प्रतिवर्ष फार्म 'जे' और 'के' भरकर प्रस्तुत नहीं किया है, तो यह यूनियन किस प्रकार कार्य कर रही है और क्या सरकार ने इसका पंजीकरण रद्द नहीं किया है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली नगर निगम की दक्षिण जोन की वर्तमान मंजूरशुदा कालोनियों में मूल सुविधाओं का प्रावधान

7438. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन की वृहद योजना के जी-4 सेक्टर की मनोहर पार्क, अशोक पार्क एक्सटेंशन, अशोक पार्क (मेन) अदन पार्क, जयदेव पार्क, भगवान दास नगर जैसी आवासीय कालोनियों, जो रोहतक रोड़ और ईस्ट आफ पंजाबी बाग (पूर्वी क्षेत्र) के आस पास स्थित है मान्यता प्राप्त और मंजूर शुदा कालोनियां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम ने वहां स्ट्रीट लाइटों, सड़कों, फुटपाथों और नालियों जैसी न्यूनतम सामाजिक सुविधाओं के हेतु आवश्यक प्रावधान किया है,

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने इस क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत का कार्य पिछले 10-12 वर्षों से नहीं किया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपयुक्त नालियों के अभाव में इन कालोनियों में गन्दा पानी हमेशा नालियों में ठहरा रहता है; और

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण रोहतक रोड और लारेंस रोड के चौराहे पर डी०डी०ए० की खाली पड़ी भूमि में 'बारात-घर' कम्युनिटी सेण्टर जैसी सुविधा देने पर विचार कर रहा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में चयन पदों पर पदोन्नति

7439. श्री डूंगर सिंह : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक (निर्माण) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चयन पदों पर पदोन्नति हेतु बनाई गई नीति में यह प्रावधान है कि उच्च पदों पर सभी पदोन्नति वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाएंगी और यह नीति केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (इलैक्ट्रीकल, मैकेनीकल) हैड कार्कों तथा कार्यालय अधीक्षकों की पदोन्नति के मामले में लागू है तथा अनुभाग अधिकारी (उद्यान) की सहायता निदेशक (उद्यान) के पद पर पदोन्नति के लिए इस नीति का उल्लंघन किया जा रहा है जैसा कि 14 सितम्बर, 1981 को जारी किये गए 1981 की कार्यालय आदेश संख्या 565 में अंकित है,

(ख) क्या उक्त आदेश में यह दर्शाया गया है कि पहले छः अनुभाग अधिकारी (उद्यान) की वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति की गई है, जब कि अन्य सात पदोन्नतियां अनुभाग अधिकारी (उद्यान) को उसी कार्यालय आदेशों में योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई, और

(ग) इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह):(क) भर्ती नियमों के अनुसार कनिष्ठ इंजीनियर के ग्रेड से सहायक इंजीनियर (सिविल और विद्युत) और कार्यालय अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति गुणावगुण व वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं। प्रधान लिपिक के ग्रेड पर 50 प्रतिशत नियुक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति के आधार पर की जाती हैं बशर्ते कि कोई अस्वीकृत या अयोग्य न हो। सहायक उद्यान निदेशक के ग्रेड पर पदोन्नति गुणावगुण व वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। तथापि, नितान्त तदर्थ नियुक्तियों के लिये वरिष्ठता व योग्यता के मानदण्ड को अपनाया जाता है। कार्यालय आदेश संख्या 565/81 के अंतर्गत नियमित आधार पर सहायक निदेशक उद्यान के रूप में पदोन्नत और नियुक्ति सभी 13 अधिकारियों को गुणावगुण व वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था ।

(ख) तथा (ग) उक्त कार्यालय आदेशों के पैरा 1 में उल्लिखित 6 व्यक्ति सहायक निदेशक उद्यान के रूप में नियमित रूप से काम करने के लिये पदोन्नत किये जाने से पहले नितान्त तदर्थ आधार पर पहले ही कार्य कर रहे थे । अतः यह दावा सही नहीं है कि प्रथम छः अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) को वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर तथा शेष सात को गुणावगुण व वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया है।

निर्माण महानिदेशालय में सहायक इन्जीनियरों की पदोन्नति

7440. **श्री तारिक अनवर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण महानिदेशालय में सहायक इंजीनियरों (विभागीय उम्मीदवार) को तदर्थ पदोन्नति के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सहायक इंजीनियरों (विभागीय उम्मीदवारों) की तदर्थ पदोन्नति का प्रश्न केवल तभी उठता है जबकि कार्यपालक इंजीनियर (सिविल तथा विद्युत) के ग्रेड में रिक्तियां उपलब्ध होती हैं । फिलहाल, कार्यपालक इंजीनियर (सिविल तथा विद्युत) के ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में काली मिर्च की फसल में बीमारी

7441. **श्री एम० एम० लारेन्स** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि केरल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काली मिर्च की फसल में एक किस्म की बीमारी फैल रही है;

(ख) क्या यह सच है कि बीमारी के कारण काली मिर्च का उत्पादन बहुत कम हो गया है जिसके कारण किसानों की आमदनी और राजकोष को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) तथा (ग) केरल में काली मिर्च की लताओं पर लगने वाला सबसे विनाशकारी रोग शीघ्र मुरझान रोग है जो कि **फाइटोपथोरा पामीवोरा** फफूंद से बढ़ जाता है । यह रोग लताओं के पत्तों और आधारीय हिस्सों पर लगता है । रोगग्रस्त बागों में हानि 25-30 प्रतिशत के बीच हो सकती है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान और अखिल भारतीय मसाला समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत इस रोग की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है । इसके लिए समेकित नियन्त्रण कार्यनीति की सिफारिश की गई है । जिसमें वार्डियाक्स मिक्सचर, बेहतर कृषि पद्धति और स्वच्छता उपाय शामिल हैं ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान को अनुदान

7442. **डा बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान को अनुसंधान कार्यों के लिए सरकार से तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से अनुदान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान सरकार द्वारा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इसे कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या सरकार को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के विरुद्ध फण्ड्स के दुरुपयोग, लेखापरीक्षकों की प्रतिकूल रिपोर्ट; अप्रयोक्त ट्रैक्टरों और अनेक दुधारू पशुओं की मौत हो जाने सम्बन्धी आरोपों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 1981 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "आयरन पीसिज फाउण्ड इन काऊज स्टोमक" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें जख्म से होने वाले जड़र रोग से 250 से भी अधिक गायों या बछड़ों के मर जाने का विवरण दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान्। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के कुछ अनुसंधान कार्यकलाप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से दिये जाने वाले अनुदानों से चलाये जाते हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदान निम्नलिखित हैं :

(I) 1978-79	रु० 10·67 लाख
(II) 1979-80	रु० 29·70 लाख
(III) 1980-81	रु० 20·46 लाख

अन्य सरकारी स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदान से सम्बन्धित सूचना विश्वविद्यालय से एकत्रित की जा रही है।

(ग) जी नहीं; श्रीमान्।

(घ) जी हां, श्रीमान्। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान से 250 गायों तथा बछड़ों की मौत की रिपोर्ट तथा उसके कारण के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त किया रहा है।

(ङ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने एक समिति नियुक्त की है, जिसके अध्यक्ष निदेशक-पशु पालन, उ० प्र० है; जो इस मामले की जांच करेगी। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली के किराया नियंत्रण न्यायालयों में काम

7443. **श्री आर० आर० भोले** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के किराया नियंत्रण न्यायालयों में काम में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसके कारण सुनवाई के लिए 6-7 महीने की तारीखें दी जा रही हैं;

(ख) 31 मार्च, 1979 को इन न्यायालयों में कितने न्यायाधीश थे और 31 जनवरी, 1982 को कितने थे; और

(ग) सरकार इन न्यायालयों के बकाया काम को किस प्रकार निपटाने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली किराया नियंत्रण न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों से काम बढ़ा है।

(ख)	31-3-79 की स्थिति के अनुसार	31-3-82 की स्थिति के अनुसार
किराया नियन्त्रण न्यायाधिकरण	1	1
किराया नियंत्रक	1	1
अपर किराया नियंत्रक	6	6

(ग) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत पहले ही अपर किराया नियत्रक की नियुक्ति के लिये प्रावधान विद्यमान है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके अपर किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

7444. **श्री एस० एम० कृष्ण**
श्रीमती मोहसिना किदवई } : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने का कृपा करग कि :

(क) क्या छठी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक विकास हेतु समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नामक तीन विशेष केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र और राज्यों ने इन कार्यक्रमों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक ग्रामीण निर्धनों को कितना लाभ पहुंचा है; और

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितने परिवारों को लाभ मिला है ?

(कृषि और ग्रामीण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम): (क) जी, हां।

(ख), (ग) व (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में विवरण 1 व 2 सलंग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3881/82] न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

भगीरथ पत्रिकाएं

7445. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पत्रिकाएं प्रकाशित करने के क्या उद्देश्य हैं और सम्पादकीय बोर्ड के क्या कार्य हैं;

(ख) बोर्ड की 1980 और 1981 के दौरान कितनी बैठक हुई और निर्णय पर की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सम्पादकीय बोर्ड के निर्णयों पर कार्यवाहियों में विलम्ब हुआ है और सम्पादकीय बोर्ड की बैठकों को टाला जा रहा है; और

(घ) इन उपयोगी पत्रिकाओं का मासिक प्रकाशन आरम्भ करने और बिना और विलम्ब किये आवश्यक कर्मचारी तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) :(क) भगीरथ पत्रिकाओं का उद्देश्य देश में सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण तथा सम्बद्ध विषयों के बारे में योजनाओं एवं प्रगति की पाठकों को जानकारी देना है।

उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सम्पादक-मण्डल पथप्रदर्शन करता है।

(ख) 1980 के दौरान हिन्दी भगीरथ के सम्पादक-मंडल को दो बैठकें हुई थीं। अंग्रेजी भगीरथ के लिए सम्पादक-मण्डल का 10-7-1981 को गठन किए जाने के पश्चात्, दोनों पत्रिकाओं के सम्पादक-मंडल की 1981 में एक संयुक्त बैठक हुई थी।

सम्पादक-मण्डल की उपर्युक्त बैठकों में लिये गये निर्णयों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई है—

(1) अंग्रेजी भगीरथ के लेखकों को मानदेय की अदायगी की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।

(2) मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, भगीरथ तथा भगीरथ पत्रिका भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद में ही मुद्रित की जाती रहेगी।

(3) पत्रिकाओं में सामग्री शामिल करने के लिए, सम्पादक और सहायक सम्पादक को महत्वपूर्ण सम्मेलनों तथा गोष्ठियों में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है।

(4) सम्पादक, भगीरथ, सहायक-सम्पादक, भगीरथ पत्रिका तथा पत्रिकाओं के अन्य सम्पादकीय कर्मचारियों के पदों के केन्द्रीय सूचना सेवा के संवर्ग में शामिल करने के मामले पर कार्यवाई की जा रही है।

(5) दोनों पत्रिकाओं के लिए आवश्यक कर्मचारियों एवं सुविधाओं की व्यवस्था करने के सभी प्रयास किये जाते हैं।

(6) अंग्रेजी भगीरथ तथा हिन्दी भगीरथ के लिए अभी हाल में अलग-अलग स्थान की और हिन्दी भगीरथ के लिए एक विस्तार लाइन के साथ टेलीफोन की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1982 में गुजरात के बारे में एक विशेष अंक प्रकाशित करने का भी प्रस्ताव है। संपादक-मण्डल ने हिन्दी भगीरथ के मासिक प्रकाशन के लिए जोर न देने का भी निर्णय किया है।

(ग) जी, नहीं। सम्पादक-मण्डल की बैठकें, जब भी आवश्यकता होती है, सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाती है।

(घ) इस समय पत्रिकाओं के मासिक प्रकाशनों को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कृषि विभाग में सहायक ग्रेड-काडर की वरिष्ठता के बारे में विवाद

7446. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि विभाग में पिछले कई वर्षों से सहायक ग्रेड-काडर की वरिष्ठता विवाद-ग्रस्त है और इस बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से सलाह हेतु पूछा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पदोन्नत किये गये व्यक्तियों और सीधे भर्ती किये गये सहायकों की वरिष्ठता निर्धारित करने में लागू होने वाले कतिपय नियमों और अनुदेशों को लागू करने के बारे में उठाए गए मुद्दों पर सलाह मांगी गई थी अथवा पिछले बाकी रिक्त स्थानों के पूर्व विकेन्द्रीकरण के मामले को उस विभाग के पास भेजा गया था;

(ग) क्या कृषि काडर में पदोन्नत सीधी भर्ती किये गये सहायकों को अन्तः वरिष्ठता के बारे में उठाये गये सभी मुद्दों पर उस विभाग की सलाह उपलब्ध हो गयी है अथवा नहीं; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित विवाद-ग्रस्त वरिष्ठता का मामला कब तक हल हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सलाह अभ्यावेदन कर्त्ताओं द्वारा उठाये गये मुद्दों पर मांगी गई थी न कि केवल विकेन्द्रीकरण से पहले बकाया रिक्त पदों से संबंधित मुद्दे पर ।

(ग) और (घ) फरवरी, 1982 में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने पहले दी गई अपनी सलाह को दोहराया था और यह भी उल्लेख किया था कि कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा 1980 में तैयार की गई वरीयता सुची ठीक थी । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार संदर्भाधीन विवाद अन्तिम रूप से तय हो गया है ।

भूमिहीन लोगों की संख्या और अनुपात

7447. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन लोगों की कुल जनसंख्या तथा उनके अनुपात के बारे में राज्य-वार नवीनतम स्थिति क्या है, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनके पास 1 एकड़ से कम, 1 से 2/½ एकड़, 2½ से 5 एकड़ और 5 से 10 एकड़ के बीच और 10 एकड़ से अधिक भूमि है और प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत किस अनुपात में अथवा कितने एकड़ भूमि है;

(ख) क्या गैर मौजूद भूमिधर को हटा कर अपनी खेती अपने-आप सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति एक काम या ऐसे ही अन्य उपाय किये जाने पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) दो विवरण (विवरण संख्या 1 व 2) संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3882/82**]

(ख) व (ग) कुछेक राज्यों को छोड़कर, ऐसे भूमि स्वामियों जो किसी विशिष्ट शारीरिक असमर्थता से पीड़ित हैं अथवा जो रक्षा सेनाओं के सदस्य हैं, के मामले के सिवा काश्त करने वाले काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिलाने के लिए काश्तकारी कानूनों के अधीन प्रावधान किया गया है।

(घ) जहां भूमि को पट्टे पर देने हेतु अनुमति है, वहां कानून में काश्तकार की काश्तकारी की सुरक्षा, भूमिस्वामी की इच्छा पर भूमि वापस लेने के लिए उन्मुक्ति और किराये की अधिकतम सीमा के लिए प्रावधान है।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सघन खेती

7448. **श्री भानु प्रताप शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सोयाबीन की सघन खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत विदिशा और रायसेन जिलों को चुना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी खरीफ के मौसम के दौरान इन दो जिलों में सोयाबीन बोने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इसका क्रम के अन्तर्गत किसानों को उर्वरक और बीज खरीदने हेतु वित्तीय सहायता या अनुदान देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय सोयाबीन परियोजना में सोयाबीन के तहत का क्षेत्र 1980-81 के 4.50 लाख हैक्टार से बढ़ाकर 1985-86 के अन्त तक 18 लाख हैक्टार करने का लक्ष्य है और 14.40 लाख मीटरी टन का उत्पादन करने का अनुमान है। इस परियोजना के तहत सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से परती भूमि में करने का प्रस्ताव है। परियोजना की कुल लागत का अनुमान 15 करोड़ रुपये लगाया गया है, जिसे पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ) इस परियोजना के अन्तर्गत उर्वरकों की खरीद करने के लिए किसानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, बीजों के लिए निम्नलिखित राज-सहायता दी जा रही है :—

(1) प्रमाणीकृत बीजों पर 150 रुपये प्रति क्विंटल।

(2) सही ढंग से लेबल लगे हुए बीज पर 100 रुपये प्रति क्विंटल; और

(3) सामान्य बीज पर 60 रु० प्रति क्विंटल।

इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदर्शनों खरपतवार-नाशी औषधियों राइजोवियम की खेती, वनस्पति रक्षण उपायों, किसानों तथा विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा प्रचार पर भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

महानगरों में जनसंख्या की निरंकुश वृद्धि को रोकने हेतु शहरीकरण नीति

7449. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार महानगरों में जनसंख्या की निरंकुश वृद्धि को रोकने हेतु एक व्यापक शहरीकरण नीति बनाने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में जानकारी है कि इस जनसंख्या वृद्धि ने वित्तीय और सामाजिक आधार ढांचे पर भारी दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया है;

(ग) क्या देश में 12 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या सीमा से भी आगे निकल गयी है;

(घ) यदि हां, तो बड़े नगरों की जनसंख्या में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) तैयार की गयी योजना कब तक लागू की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) से (ङ) सरकार की नगरीकरण नीति छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) दस्तावेजों में दी गई है। छोटे, मध्यम तथा मंझले दर्जे के शहरों में पर्याप्त अध संरचनात्मक और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए नगरीकरण नीति में काफी अधिक जोर दिया गया है जिससे कि महानगरों में प्रवसन की दर को कम किया जा सके। मार्च, 1985 तक 231 छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक योजना चालू है। यह सही है कि 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 12 शहर है। महानगरों में अध संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अबाध वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार ने 1974-75 से 1978-79 तक के वर्षों के दौरान महानगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के एकीकृत नगर विकास की एक योजना का कार्यान्वयन किया था। 31 महानगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के लिए 136 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था।

(ii) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से नगरीय अधसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। नगर विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और स्थानीय अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है।

(iii) शहरी गन्दी बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 1972 से गन्दी बस्ती सुधार योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना राज्य क्षेत्र में है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए 151.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(iv) 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों से औद्योगिक, वाणिज्यिक और प्रशासनिक गतिविधियों को अन्य विकास केन्द्रों में विकेन्द्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(v) औद्योगिक नीति संकल्प, महानगरों में और औद्योगिक एककों की स्थापना पर पाबन्दी लगाते हैं और पिछड़े जिलों तथा अपेक्षाकृत छोटे शहरों में उद्योगों की स्थापना के लिए कई प्रोत्साहन देता है।

(vi) कुछ राज्य सरकारों ने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे महानगरों के भीतर या उनके आस पास उपनगरों का विकास आरम्भ कर दिया है या विकास आरम्भ करने के लिए विचार कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को पुनः सक्रिय किया जा रहा है।

डी० डी० ए० के डिप्टी चेयरमैन के कार्यालय को सज्जित करने में हुआ खर्च

7450. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के डिप्टी चेयरमैन के कार्यालय को सज्जित करने में वर्ष 1980-81 में कितना खर्च हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि एक वर्ष पूर्व इसी कार्यालय को सज्जित करने में बहुत अधिक खर्च किया गया था;

(ग) दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय को सज्जित करने में वर्ष 1981-82 में कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उप-राज्यपाल का कार्यालय एक बहुत पुराने भवन में है जहां साज-सज्जा की यदा कदा आवश्यकता होती है लेकिन डिप्टी चेयरमैन का कार्यालय नये भवन में है जहां साज-सज्जा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय को सज्जित करने के लिए इतना अधिक खर्च करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के लिए आर्थिक सहायता

7451. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए क्या आर्थिक सहायता देने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : चूंकि बाढ़-नियंत्रण एक राज्य-विषय है, इसलिए बाढ़-नियंत्रण स्कीमों के आयोजन और क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार द्वारा 1981-82 के दौरान बाढ़ नियंत्रण वर्क्स पर किया गया प्रत्याशित खर्च 2854.75 लाख रुपये है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा हाथ में ली गई कुछ महत्वपूर्ण और निर्धारित बाढ़-नियंत्रण स्कीमों को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए भारत सरकार ऋण-सहायता भी देती है।

1980-81 और 1981-82 के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को निम्न-लिखित स्कीमों के लिए ऋण सहायता दी है : —

स्कीम का नाम	स्वीकृत ऋण (लाख रुपयों में)	
	1980-81	1981-82
1. सुन्दरबन क्षेत्र में आवश्यक विकास निर्माण-कार्य	89.89	100.00
2. घेया कुन्ती जल-निकास स्कीम	52.28	42.00
3. दुब्दा बेसिन जल-निकास स्कीम	20.20	—
	162.37	142.00

हुडको द्वारा निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता

7452. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको द्वारा लोगों को निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग, के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए क्या फार्मूला अपनाया जा रहा है;

(ख) सहायता की उपर्युक्त दरें कब से अपनाई गई हैं;

(ग) क्या मकान बनाने की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए सहायता राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, सहायता का फार्मूला क्या होगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) आवास तथा नगर विकास निगम लोगों को कोई प्रत्यक्ष ऋण सहायता नहीं देता है। तथापि, यह विभिन्न वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए विभिन्न अभिकरणों की आवास योजनाओं में वित्तीय सहायता करता है। निधियों का 30 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों

की योजनाओं के लिए, 25 प्रतिशत निम्न आय के वर्गों के लिए, 25 प्रतिशत मध्यम आय के वर्गों के लिए और 20 प्रतिशत उच्च आय के वर्गों के लिए उद्दिष्ट है।

ब्याज की विद्यमान दरें, ऋण सहायता की सीमा और अधिकतम लागत 1975-76 से जारी हैं। हुडको की मौजूदा वित्तीय पद्धति की जांच करने और उनमें परिवर्तन करने के सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ सहायता के मापदण्डों में परिवर्तन करने और हुडको के ऋणों पर ब्याज की दरों में नाम मात्र परिवर्तन करने की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है। मौजूदा शर्तों तथा सुझाए गए परिवर्तनों के बारे में ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। तथापि, कार्यकारी दल की सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

हुडको की वित्तीय सहायता की मौजूदा शर्तें तथा कार्यकारी दल द्वारा सुझाए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों में मौजूदा स्थिति बताई गई है।

वर्ग	अधिकतम लागत	ऋण सहायता की सीमा (प्र०श०)	ब्याज दर (कुल) (प्र०श०)	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग				
आवास				
(i) स्थल तथा सेवाएं	5000 (2700)	100	4(4)	20(20)
(ii) कोर आवास	5000	100	5(5)	20(20)
(iii) अपूर्ण आवास	5000	100	5(5)	20(20)
(iv) ग्रामीण आवास	6000 (4000)	50	5(5)	10(10)
(v) गन्दी बस्ती सुधार	2000	50	5(5)	10(20)
(vi) नगर आवास (क)	12000 (8000)	वर्गीकृत मापदण्डानुसार	7(5)	20(20)
नगर आवास (ख)	20000 18,000	—वही—	8(7)	15(15)
(vii) काटे गए प्लाटों का विकास				
(क) वर्ग (ए०)	5000 (2700)	—वही—	5(5)	20(20)

जारी.....

(ख) वर्ग (बी)	8000 (4500)	—वही—	8(7)	15(15)
मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग आवास				
(i) मध्यम आय वर्ग I	30,000 (25,000)	वर्गीकृत मापदण्डानुसार	$10\frac{1}{2}$ (9.5)	12(12)
(ii) मध्यम आय वर्ग II	50,000 (42,000)	—वही—	$11\frac{1}{2}$ (10.5)	12(12)
(iii) उच्च आय वर्ग	1,25,000 (1,00,000)	—वही— (किसी-2 मामले में अधिक 60,000)	$12\frac{1}{2}$ (11.5)	10(10)
(iv) काटे गए प्लाटों का विकास				
(क) मध्यम आय वर्ग	20,000 (12,500)	वर्गीकृत मापदण्डानुसार	$11\frac{1}{2}$ (9.5)	12(12)
(ख) उच्च आय वर्ग	50,000 (25,000)	—वही—	$12\frac{1}{2}$ (11.5)	10(10)
अन्य योजनाएं				
किराया	1,25,000	70(70)	$13\frac{1}{2}$ (12)	7(7)
वाणिज्यिक भवन निर्माण	उपलब्ध नहीं	100(100)	15(14)	8(8)
सामग्री योजना	—वही—	100(100) (सार्वजनिक क्षेत्र के लिए) 80(80) (निजी क्षेत्रों के लिए)	13 (10.75)	8(8)
नगर विकास योजनाएं	—वही—	50(50)	10(8.5)	12(12)
प्राइवेट भवन निर्माता	30,000 रु० 50 प्र०श० एककों से कम के लिए नहीं और शेष 50,000 रु० से अधिक नहीं।	50	15(14)	5(5)

एम० आई० जी० और स्व-वित्तपोषण योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा के बदले दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों तथा फ्लैटों का आवंटन

7453. **श्री बी० राजगोपाल राव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० आई० जी० और स्व-वित्तपोषण योजनाओं के अन्तर्गत भूमि/फ्लैटों की लागत विदेशी मुद्रा के रूप में ज़मा कराने वालों और उन्हें जिनका भारत में अनावासी लेखा (नान रेजिडेन्ट अकाउंट) है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाट या फ्लैट देने में तरजीह दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो योजना संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाजरे का उत्पादन

7454. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करग ाक :

(क) क्या सच है कि बाजरे के उत्पादन में कुछ प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अगले वर्ष उसके उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि की आशा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न कदन्नों के नये संकर तथा उन्नत किस्मों का विकास किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनाने के लिए इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उपलब्धि के तौर पर ज्वार के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1982-83 में चालू वर्ष की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

महाराष्ट्र में चीनी मिलों के लिए लाइसेंस

7455. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने चीनी मिलों के लिए लाइसेंस मंजूर करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) 25 आवेदन पत्र महाराष्ट्र से केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ प्राप्त हुए हैं—24 नये चीनी प्लांट लगाने के लिए और एक वर्तमान यूनिट में विस्तार करने के लिए अब तक 12 आशयपत्र जारी किए जा चुके हैं—11 नई परियोजनाओं के लिए और एक विस्तार के लिए। शेष आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और आशा है कि इनके बारे में छठी योजना में लाइसेंस देने के लिए निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार और अन्तर-क्षेत्रीय तथा पिछड़े जिलों की अग्रता को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा। प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा देने वाला विवरण।

क्रम सं०	प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री का स्थान और जिला	औद्योगिक विकास विभाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख	आशय पत्र/ लाइसेंस प्रदान करने की तारीख
1	2	3	4
	नई फैक्ट्रियां		
1.	विठेवाड़ी (लोहानेर) तालुक कलवां, जिला नासिक	14-10-1977	26-3-1981
2.	तालुक वालवा, जिला सांगली	15-5-1978	26-3-1981
3.	तालुक जुनार, जिला पूना	16-7-1978	26-3-1981
4.	तहसील अटपाड़ी, जिला सांगली	14-7-1975	30-3-1981
5.	तहसील शिरपुर, जिला धूलिया	17-6-1980	15-3-1982
6.	कवाठे महांकल, जिला सांगली	17-2-1981	6-7-1981
7.	शिन्द्री, जिला सतारा	28-3-1981	6-7-1981
8.	बिलाडी, तह० और जिला धुले	9-6-1981	9-7-1981
9.	जवाले, तालु० परनेर, जिला अहमदनगर	9-6-1981	22-3-1982
10.	अम्बेगांव, तालु० खानापुर, जिला सांगली	11-6-1981	31-12-1981
11.	तीर्थपुरी, तालुक अम्बाद, जिला औरंगाबाद	19-6-1981	31-12-1981
12.	अजरा, जिला कोल्हापुर	22-6-1981	जांचाधीन
13.	नालदुर्ग, तालुक तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद	23-6-1981	—वही—
14.	धूलगांव, तालुक येवला, जिला नासिक	26-6-1981	—वही—
15.	कंजारवाड़ी, तालुक और जिला बीड़	8-7-1981	—वही—
16.	सवांगी, तालुक, जिला औरंगाबाद	15-7-1981	जांचाधीन
17.	गगनबावड़ा, जिला कोल्हापुर	30-7-1981	—वही—
18.	नालेगांव, जिला उस्मानाबाद	27-8-1981	—वही—
19.	अम्बुलगा (बी०के०) तालुक नीलंगा, जिला उस्मानाबाद	4-9-1981	—वही—
20.	ग्राम वाशी, तालुक भूम, जिला उस्मानाबाद	4-9-1981	—वही—
21.	हुपाड़ी, जिला कोल्हापुर	18-9-1981	—वही—

1	2	3	4
22.	चहारड़ी, त० चोपड़ा, जिला जलगांव	21-9-1981	—वही—
23.	कछार टर्फ वेदगांव, तह० हत्काननगले, जिला कोल्हापुर	26-9-1981	—वही—
24.	भद्रगाड, जिला कोल्हापुर	22-10-1981	—वही—
	विस्तार		
1.	असुरले तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर (400 से 1250 टी०सी०डी०)	23-8-1979	26-3-1981

दिल्ली में पेय जल

7456. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है, और इसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कुछ क्षेत्रों में कई बार जल सप्लाई बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली के कौन से क्षेत्रों में अब भी पेय जल का अभाव है; और

(घ) सरकार पेय जल की सप्लाई के लिए एक त्रुटिहीन प्रणाली शुरू करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुल्तानपुरी के लिए राशन का आवंटन

7457. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुल्तानपुरी के लिए राशन के आवंटन में दिसम्बर, 1980 से आधी कटौती कर दी गई है और क्या समाज विकास समिति ने खाद्य और सम्भरण आयुक्त तथा उपराज्यपाल को अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं; यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या क्षेत्र संबंधी तथा लिपिकीय, दोनों प्रकार के स्टाफ को तैनाती के प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के पश्चात् बारी-बारी से बदल दिया जाना नहीं चाहिए ताकि साठ-गांठ और निहित स्वार्थों की रोकथाम की जा सके और क्या इस बात को जानने के प्रयास किए गए हैं कि उनके पास जो सम्पत्ति है, क्या वह उनकी आय के ज्ञात साधनों के अनुपात में ही है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों की ओर से उपराज्यपाल और नागरिक पूर्ति विभाग को कितने पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने पत्र अभी तक विचाराधीन हैं और यदि कोई विलम्ब है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) सुल्तानपुरी क्षेत्र को दिसंबर, 1980 से चावल तथा परिणामी आटे का आवंटन उस क्षेत्र की उचित दर की दुकानों की हकदारी के अनुसार किया जाता रहा है। तथापि, उस अवधि के दौरान गेहूं का आवंटन 60 से 57 प्रतिशत और चीनी का 95 प्रतिशत रहा है। समाज विकास समिति के अभ्यावेदन पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया गया था और सुल्तानपुरी क्षेत्र को दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की तुलना में चीनी और गेहूं का आवंटन ऊंची दर पर किया गया।

(ख) दिल्ली प्रशासन अपने कर्मचारियों को हर तीन वर्ष के बाद बारी-बारी से बदलता रहा है; बहुत से मामलों में तो दो साल बाद ही या उससे कम की अवधि में स्थानान्तरण हुए हैं। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के उपबन्धों के अंतर्गत प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी को हर वर्ष अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति की विवरणियां प्रस्तुत करनी होती हैं और इन विवरणियों की पूरी तरह से जांच की जाती है। इसी प्रकार, प्रत्येक अधिकारी को अपने या अपने पर निर्भर किसी व्यक्ति के नाम स कोई भी ऐसी चल या अचल सम्पत्ति लेते समय, जिसका मूल्य 1000 रु० से अधिक हो, सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना होता है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के नागरिक आपूर्ति को संसद सदस्यों से वर्ष 198 1 के दौरान 948 पत्र तथा 1982 के पहले तीन महीनों के दौरान 182 पत्र प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, संसद सदस्यों द्वारा 44 सर्कल अधिकारियों को लगभग 30,000 से 40,000 तक पत्र सीधे लिखे गये। इनमें से अधिकांश पत्र सिफारिशी स्वरूप के थे, जिनमें सीमेन्ट, उचित दर की दुकानों, मिट्टी के तेल डिपुओं आदि के आवंटन के लिए कहा गया था और इनमें विशेष रूप से उत्तर भेजने के लिए नहीं कहा गया था। इन पत्रों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा यथोचित ध्यान दिया गया। खाद्य तथा आपूर्ति विभाग के ये स्थायी आदेश हैं कि ऐसे पत्रों पर सामान्यत: एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही की जाए।

कोको बटर के स्थान पर आम की गुठली की मेद का प्रयोग

7458. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कोको बटर के स्थान पर आम की गुठली की मेद (फैट) का प्रयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) (क) जी हां।

(ख) विभिन्न उपयोगों के लिए आम की गुठली की मेद (फैट) की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इसका कोको बटर एक्सटेंडर या अनुकल्प (सब्स्टीट्यूट) के रूप में प्रयोग भी शामिल है, आम की गुठली की मेद के लिए विशिष्टयाँ निर्धारित की गयी हैं। आम की गुठली के निष्कर्षण के निर्यात पर नकद सहायता देनी भी शुरू की गयी है, ताकि इस मेद के अधिक उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।

डी० डी० ए० में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

7459. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कुल कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और इन प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के पदों तथा ग्रेडों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है तथा क्या डी० डी० ए० का कार्य प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को लिए बिना नहीं चल सकता है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा भविष्य में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य सुझाने के लिए राष्ट्रीय मूल्य आयोग

7460 **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के एक समय मूल्य निर्धारित करने तथा किसानों को भेदभाव से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्य आयोग बनाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं। कृषि मूल्य आयोग पहले से ही किसी कृषि जिन्स के अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ साथ कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में आए परिवर्तनों को ध्यान में रख रहा है।

सिंचाई एकड़ क्षेत्र

7461. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में कृषि भूमि का योजनावार और राज्यवार कुल सिंचित एकड़ कितना है और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सिंचित एकड़ क्षेत्र की प्राप्ति में राज्यवार कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) (एक) समस्त छठी योजना अवधि के दौरान निर्धारित सिंचित भूमि का लक्ष्य क्या है;

(दो) छठी योजनावधि के दौरान बाकी अवधि में कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और खर्च की जाने की संभावना है;

(तीन) चालू योजनावधि के दौरान राज्यवार कौन सी सिंचाई परियोजनाएं पूरी तरह से कार्यान्वित करने का विचार है और उनमें से प्रत्येक परियोजना की सिंचाई संभावनाएं क्या हैं और इस बारे में किये गये अथवा किये जाने वाले विभिन्न उपाय क्या हैं; और

(चार) क्या योजनावधि के दौरान पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पूरी तरह से कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) प्रत्येक योजना के अन्त तक सृजित राज्यवार संचयी सिंचाई क्षमता (विवरण-एक) तथा प्रत्येक योजना की अवधि में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यवार परिव्यय (विवरण-दो) को दिखाने वाले दो विवरण संग्लन हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3883/82]

(ख) (1) छठी योजना पंचवर्षीय योजना के अन्त तक संचयी क्षमता का लक्ष्य 70.6 मिलियन हैक्टेयर है।

(2) छठी योजना के प्रथम दो वर्षों में व्यय की गई राशि 3430 करोड़ रुपये है। छठी योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान 7685 करोड़ रुपये की राशि का व्यय होने की संभावना है।

(3) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(4) कोसी परियोजना को 1987 तक पूर्ण किए जाने का प्रस्ताव है।

रोहिणी विकास योजना का क्रियान्वयन

7462. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोहिणी विकास योजना का क्रियान्वयन कब तक होगा और इस योजना के अन्तर्गत कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है और यह किस दर पर अधिगृहीत की गई है;

(ख) क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत निम्न आय के लोगों तथा कर्मचारियों को बड़ी संख्या में मकान बनाने के लिए जमीन देकर 20-सूत्री कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करेगी; और

(ग) प्लाट कौन सी विभिन्न श्रेणियों को देने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बस्तर जिले की कुटारू राष्ट्रीय पार्क योजना

7463. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की कुटारू राष्ट्रीय पार्क योजना जिसे केवल भैंसों के लिए आरक्षित करने का विचार है, की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस पार्क के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है;

(ग) जमीन के अधिग्रहण से कितने गांव तथा कितने आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे;

(घ) क्या प्रभावित गांवों के आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :(क) मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले में कुटारू राष्ट्रीय पार्क गठित करने का इरादा अधिसूचित किया है। इस पार्क में संरक्षण हेतु मुख्य प्रजाति जंगली भैंसा है।

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय पार्क के लिए लगभग 1258 वर्ग किलो मीटर का एक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। इसमें से केवल लगभग 28 वर्ग किलो मीटर खेती की भूमि है, और शेष आरक्षित और संरक्षित वन है। अभी किसी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(ग) से (च) आदिवासियों से सम्बन्धित किसी निजी भूमि के अधिग्रहण की किसी योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अतः इस अवस्था में पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं होता।

वर्षा का उपयोग

7464. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या सिचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिवृष्टि का विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत प्रजनन और सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) क्या सरकार ने भारत में बाढ़ों को बार-बार आने वाली समस्या का समाधान करने के लिये विश्व बैंक को कोई परियोजना प्रस्तुत की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहान अंसारी): (क) विभिन्न राज्यों द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन और निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहुद्देशीय जल-संचयन परियोजनाओं से नदी प्रवाहों का मानसून के दौरान विभिन्न लाभकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का विचार है। सरकार का भी, जहां बहुद्देश्यीय उपयोगों व्यवहार्य हो, अतिरिक्त संचयन जलाशयों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं! इस समय, कोई भी बाढ़ नियंत्रण परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत नहीं की गई है।

दिल्ली में नार्थ-ट्रंक सीवर का रुक जान.

7465. **श्री त्रिलोक चन्द : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नार्थ-ट्रंकसीवर माल रोड से यमुना के निकट शोधन संयंत्र तक रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसे किन कारणों से साफ नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नार्थ ट्रंक सीवर के रुक जाने के कारण इस सीवर का सारा गन्दा पानी उस मैन होल को तोड़कर नजफगढ़ नाले में गिराया गया है जिससे यमुना का पानी सीधा प्रदूषित होता है; और

(घ) इस प्रदूषण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि माल रोड के ऊपर की तरफ दो मेनहोल्स क्षतिग्रस्त/पंक्चर हो गए हैं जिसके कारण कुछ मल नजफगढ़ नाले में बहता है।

(घ) दिल्ली नगर निगम के द्वारा नजफगढ़ नाले में मल/गन्दगी के बहने को रोकने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(I) उत्तरी दिल्ली के मुख्य सीवर की मरम्मतें की जा रही हैं।

(II) नजफगढ़ नाले में बहने वाली गन्दगी को माल रोड के समीप मुख्य सीवर में पम्प से फेंका जाता है।

(III) बहाव का अंश पम्प से बाहर निकाला जाता है और नजफगढ़ नाले के आखरी छोर पर आक्सीकृत तालाबों में शोधन किया जाता है।

(IV) उत्तरी तथा पश्चिमी दिल्ली में नजफगढ़ नाले के किनारों पर अतिरिक्त निस्त्राव को बहाने के लिए नई मुख्य सीवर लाइन बिछायी जा रही है। पम्पिग स्टेशन और राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर है।

(V) पश्चिमी दिल्ली में एक उप-सीवर बिछाया जा रहा है।

(VI) रिठाला में मल पम्पिग से सम्बद्ध कार्यों सहित एक पम्पिग स्टेशन तथा एक नया मल शोधन संयत्र भी लगाया जा रहा है।

दूध की प्रति व्यक्ति मांग

7466. **श्री चतुर्भुज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध दूध की मात्रा की तुलना में इसकी प्रति व्यक्ति मांग कितनी है;

(ख) दूध की वार्षिक मांग कितनी है तथा वर्ष में कुल कितना दूध उपलब्ध होता है; और

(ग) क्या दूध की कमी दूर करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने पोषक तत्वों की औसत न्यूनतम आवश्यकता के रूप में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 201 ग्राम दूध की सिफारिश की है। इसकी तुलना में 1979-80 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए 125 ग्राम दूध की उपलब्धि होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने क्रय शक्ति/आय की लोच के आधार पर दुग्ध की सकल वार्षिक मांग के दो प्रकार के आंकड़ों का अनुमान लगाया है जो वर्ष 1985 के लिए 333.7 और 441.7 लाख मीटरी टन दूध है। 1979-80 में कुल 302 लाख मीटरी टन दुग्ध उत्पादन का अनुमान लगाया गया था और वर्ष 1984-85 के लिए 380 लाख मीटरी टन दुग्ध-उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छठी योजना में शामिल किये गए कुछ प्रमुख कार्यक्रम ये हैं :—

(1) सघन पशु विकास परियोजनाएं और मूल-ग्राम योजना;

(2) गोपशु और भैंस प्रजनन फार्मों की स्थापना;

(3) हिमित वीर्य सांड केन्द्र/हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना;

(4) बढ़िया नस्ल के प्रजनन सांडों का उत्पादन करने के लिए सन्तति परीक्षण योजना;

(5) विदेशी डेरी पशुओं से पशुओं का संकर प्रजनन और हिमित वीर्य तकनीकों के इस्तेमाल से भैंसों की नस्लों को उन्नत बनाना;

(6) द्वीपक्षीय सहायता प्राप्त पशु विकास परियोजाएं;

(7) आपरेशन फ्लड्-2 एक बड़े पैमाने का पशु एवं डेरी विकास कार्यक्रम;

(8) दाने-चारे के साधनों में परिमाणात्मक/गुणात्मक सुधार करने के उपाय।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई स्ववित्त पोषण योजनाएं

7467. **श्री भाऊसाहिब थोरट :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के आवास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी स्ववित्त पोषण योजनायें चल रही हैं और इन प्रत्येक योजनाओं में कितने लोगों ने पंजीकरण कराया है तथा उनमें से अब तक कितने लोगों को मकान उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे लोगों के लिए जो अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपने को पंजीकृत नहीं करा सके हैं, कोई नई स्ववित्त पोषण योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार अब तक पांच स्ववित्त पोषित योजनायें चालू की गई हैं :—

योजना का नाम		पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
स्ववित्त पोषित योजना	I	2743
,,	II	4393
,,	III	3616
,,	IV	8615
सेवानिवृत्त। सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये विशेष स्ववित्त पोषित योजना।		750

यह भी सूचित किया गया है कि पंजीकृत व्यक्तियों को अब तक 8834 फ्लैटों का नियतन किया जा चुका है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नये पंजीकरण को आरम्भ करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऐसी आवश्यक वस्तुएं जिन्हें रेल भाड़ा समान लाभ मिले हुए हैं

7468. **श्री रेणुपद दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन आवश्यक वस्तुओं को रेल भाड़ा समानीकरण लाभ दिए गए हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) किन किन आवश्यक वस्तुओं पर भाड़ा समानीकरण लाभ नहीं दिए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन): (क) तथा (ख) विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टेट फार्मस कार्पोरेशन

7469. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट फार्मस कार्पोरेशन आफ इंडिया को 11 वर्ष पूरे हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी पूंजी का निवेश हुआ है और इसके कब्जे में कुल कितने हेक्टेयर भूमि है और इस भूमि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि इसे वर्ष 1978 से 1981 तक की अवधि के दौरान घाटा हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं;

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राज्य फार्म निगम का वित्तीय वर्ष 30 जून को समाप्त होता है। 30 जून 1981 तक निगम का पूंजीगत निवेश निम्न प्रकार है :

प्रदत्त पूंजी		723.79 लाख रुपये
पूंजी आरक्षण ऋण :		93.63 लाख रुपये
	भारत सरकार	230.67 लाख रुपये
	बैंक	237.95 लाख रुपये

विभिन्न केन्द्रीय राज्य फार्मों के अधिकार में 36619 हैक्टेयर भूमि है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ग) इस अवधि के दौरान, निगम को वर्ष 1979-80 में उत्तरी भारत में पड़े गम्भीर और व्यापक सूखे की परिस्थितियों की वजह से 80.22 लाख रुपये की हानि हुई।

विवरण

भारतीय राज्य फार्म निगम लि०

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

भारतीय राज्य फार्म निगम की भूमि का विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र० सं०	फार्म का नाम	क्षेत्र अपने अधिकार में
1.	सूरतगढ़ (राजस्थान)	5135
2.	सरदारगढ़ (राजस्थान)	5996
3.	जेतसर (राजस्थान)	5391
4.	हिसार (हरियाणा)	2715
5.	लोढोवाल (पंजाब)	1163
6.	बहराइच (उ० प्र०)	3593
7.	रायबरेली (उ० प्र०)	191
8.	कोक्लिाबाडी (असम)	1986
9.	राहचुर (कर्नाटक)	2960
10.	चेंगम (तमिलनाडु)	3906
11.	कन्नानोर (केरल)	3060
12.	मिजोरम	523
	कुल	36619

केन्द्रीय सरकार द्वारा ट्रावनकोर हाउस का अधिग्रहण

7470. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ट्रावनकोर हाउस का किस आधार पर अधिग्रहण किया गया था और यह अधिग्रहण किस तारीख को किया गया था;

(ख) क्या इस भवन को केरल सरकार को लौटाये जाने हेतु केरल राज्य सरकार द्वारा कोई मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इसे केरल सरकार को लौटाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) ट्रावनकोर हाउस 18 मार्च, 1966 से सभी करों और रखरखाव प्रभारों (परन्तु जल और विद्युत प्रभारों को छोड़कर) सहित 8,674.00 रुपये मासिक लाइसेंस फीस पर कार्यालय वास के उपयोग के लिये भारत सरकार के पास है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान दखलकारों को स्थानान्तरित करने के लिये उपयुक्त वैकल्पिक वास के उपलब्ध होते ही भारत सरकार का इसको केरल राज्य सरकार को वापस दे देने का प्रस्ताव है।

कृषि बीमा निगम

7471. **श्री आर० पी० गायकवाड़**
श्री एस० बी० सिदनलाल } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि बीमा निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जायेगी तथा कृषि हेतु शुरू की जाने वाली बीमा योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार ने देश में दीर्घ कालिक आधार पर फसल बीमा शुरू करने के लिए एजेंसी पर विचार करने हेतु कृषि मंत्रालय में एक समिति गठित की है। यह समिति कृषि बीमा निगम की स्थापना करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

"कोआपरेटिव आथर्स" सोसाइटी का पंजीकरण

7472. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण हेतु "कोआपरेटिव आथर्स" सोसाइटियों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है। इस प्रकार संबद्ध राज्य किसी सहकारी समिति के पंजीयन हेतु राज्य में उसके परिचालन क्षेत्र सहित प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। किसी बहु-

एकक सहकारी समिति जो अपने अधिकार क्षेत्र का एक राज्य से अधिक राज्यों में विस्तार कर रही हो, को पंजीकृत करना केन्द्र सरकार की सीमा में आता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक को बहु-एकक सहकारी प्रवर्त्तक समिति को पंजीकृत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषि उत्पादों के विपणन के लिए कार्यक्रम

7473. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पादों के विपणन के लिए विस्तृत कार्यक्रम बना लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उत्पादों के विपणन के लक्ष्य 1 जुलाई से शुरू होने वाले सहकारी वर्ष के लिये तैयार किये जाते हैं, न कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से। आगामी सहकारी वर्ष 1982-83 (अर्थात 1 जुलाई 1982 से 30 जून, 1983 तक) के लिये, सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उत्पादों के विपणन हेतु 2300 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ख) राज्यवार ब्यौरा विवरण में दे दिया गया है।

विवरण

अनुबंध

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	1982-83 लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.00
2.	असम	40.00
3.	बिहार	30.00
4.	गुजरात	240.00
5.	हरियाणा	125.00
6.	हिमाचल प्रदेश	10.00
7.	जम्मू और काश्मीर	13.00
8.	कर्नाटक	130.00
9.	केरल	110.00
10.	मध्य प्रदेश	100.00
11.	महाराष्ट्र	670.00
12.	मणिपुर	2.70
13.	मेघालय	5.00
14.	नागालैण्ड	1.80

जारी...

15.	उड़ीसा	30.00
16.	पंजाब	240.00
17.	राजस्थान	30.00
18.	तमिलनाडु	65.00
19.	त्रिपुरा	5.00
20.	उत्तर प्रदेश	390.00
21.	पश्चिम बंगाल	30.00
22.	संघ शासित क्षेत्र	10.00
	योग	2300.00

त्रिपुरा को खाद्यान्न

7474. **श्री अजय विश्वास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा को वर्ष 1981 के लिए खाद्यान्नों का कुल कितना आवंटन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस राज्य सरकार को कितनी मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई की गई है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न के सम्पूर्ण आवंटन की सप्लाई करने में विफल रहा है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा त्रिपुरा सरकार को 1981 के दौरान आवंटित खाद्यान्नों की कुल मात्रा और सप्लाई की गई कुल मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1981 के दौरान त्रिपुरा में भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार के पास खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता प्रति मास के आवंटन से सामान्यतया अधिक रही है। आवंटनों के प्रति कम उठान आवश्यक रूप से भारतीय खाद्य निगम की ओर से असफलता का सूचक नहीं होता है।

विवरण

1981 के दौरान केन्द्रीय पूल से त्रिपुरा सरकार को खाद्यान्नों का आवंटन और कुल उठाई गई मात्रा बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

अनाज	1981 का कुल आवंटन	1981 में कुल उठाई गई मात्रा
चावल	81.0	45.5
गेहूं सा०वि०प्र०	6.0	2.9
गेहूं मिलें	11.2	8.2
योग	98.2	56.6

काली मिर्च का उत्पादन

7475. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में देश में काली मिर्च का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है;

(ख) काली मिर्च उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं;

(ग) केरल में वर्ष 1980-81 में मिर्च का कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1981-82 में मिर्च के आयात के लिए लाइसेंस जारी किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० पी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1980-81 में देश में काली मिर्च का उत्पादन 27.4 हजार मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) काली मिर्च केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में उगाई जाती है।

(ग) 1980-81 में केरल में काली मिर्च का उत्पादन 26.5 हजार मीटरी टन होने का अनुमान है।

(घ) जी हां। काली मिर्च के आयात के लिए आयात नीति 1981-82 के परिशिष्ट 19 के अंतर्गत एक लाइसेंस जारी किया गया था।

इण्डियन शुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा मांगा गया चीनी का न्यूनतम सांविधिक मूल्य

7476. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आई० एस० एम० ए०) ने वर्ष 1982-83 के मौसम के लिए गन्ने का 18 रु० प्रति क्विंटल न्यूनतम सांविधिक मूल्य जो 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से सम्बद्ध हो, रखने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के समर्थन में इस एसोसिएशन ने क्या तर्क दिए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क), (ख) और (ग) भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने कृषि मूल्य आयोग को सम्बोधित अपने 26 फरवरी, 1982 के पत्र में सुझाव दिया है कि 1982-83 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 18.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। एसोसिएशन ने इस मूल्य की सिफारिश इस दृष्टि से की है कि उनकी राय में हाल ही के वर्षों में गन्ने की काश्त की लागत में भारी वृद्धि और गेहूं, धान, मूंगफली आदि जैसी वैकल्पिक फसलों से अधिक प्राप्ति होती है और गन्ने के अन्तर्गत पर्याप्त क्षेत्रफल और चीनी की उत्पादन शनैः शनैः बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बनाए रखना है ताकि देश की गन्ना और चीनी अर्थ-व्यवस्था को सुस्थिर किया जा सके। आयोग को 1982-83 मौसम के लिए सांविधिक मूल्य पर अपनी सिफारिश अभी प्रस्तुत करनी है।

आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से शराब की बिक्री

7477. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री के० ए० स्वामी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में अर्क जैसी शराब की बिक्री के लिए सहकारी समितियां बनाए जाने को प्रोत्साहन दिया है;

(ख) क्या इस प्रकार की गतिविधियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय आवंटनों से वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप करके सहकारी संस्थाओं की अवमानना किए जाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को कारखानों में बने अर्क की बिक्री की गतिविधियों को अपनाने से रोक कर उसके विशेष अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क), (ख) (ग) तथा (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आदिवासी अर्क सहकारी समितियों तथा निजी आदिवासियों को सीमित नीलामी के माध्यम से अर्क की दुकानें पट्टे पर दी हैं।

केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता नहीं दे रही। भारत सरकार का दृष्टिकोण यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब की बिक्री करने की अनुमति न दी जाए क्योंकि यह आदिवासियों के शोषण का स्रोत है। परन्तु सरकार का विचार है कि आदिवासी इस बात के लिए समर्थ हों कि वे केवल अपने सामाजिक एवं घरेलू कार्यों के लिए ही शराब निकाल सकें। अतः आन्ध्र प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाए चाहे राज्य ने अन्य क्षेत्रों में नशाबन्दी समाप्त कर दी हो।

सहकारी समितियों, विशेषरूप से आदिवासी जैसे कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को अल्कोहलयुक्त शराब की वाणिज्यिक बिक्री नहीं करनी चाहिए, अपितु इन्हें आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आर्थिक हित के संवर्धन से सम्बन्धित कार्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

सहकारी समिति राज्य का विषय है और आन्ध्र प्रदेश में आदिवासी सहकारी समितियों द्वारा अर्क की बिक्री को (यदि कोई हो) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

राजभाषा संबंधी नीति का क्रियान्वयन

7478. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों में राजभाषा संबंधी नीति के क्रियान्वयन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अधिकांश पत्रादि अभी भी अंग्रेजी में ही जारी किए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका मुख्य कारण इन कार्यालयों में अपर्याप्त व्यवस्था का होना है; और

(ग) यदि हां, तो लगातार लम्बी अवधि के बावजूद कोई व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली दुग्ध केन्द्र के दूध की अधिक मूल्य पर बिक्री

7479. **श्री चित्त महाटा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजधानी में विशेषकर नार्थ एवेन्यू क्षेत्र में डी० एम० एस० के डिपुओं पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना का दूध निर्धारित मूल्यों की बजाय अधिक मूल्यों पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो क्या इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन डिपुओं पर बनाई गई खिड़कियों की बजाय दूध पिछले दरवाजे से वितरित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और यदि नहीं, तो दूध का वितरण खिड़कियों से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या डी० एम० एस० डिपुओं पर नियुक्त कर्मचारी क्रेताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं ताकि वे दूध न खरीदें और बिना बिके दूध को अधिक मूल्यों पर बेचा जा सके; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) नार्थ एवेन्यू स्थित दूध के बूथों सहित दूध डिपुओं का निरीक्षण दिल्ली दुग्ध योजना के क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। दूध को अधिक कीमतों पर बेचे जाने की शिकायतें कभी कभी दिल्ली दुग्ध योजना को प्राप्त होती हैं और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इन शिकायतों की जांच तत्परता से की जाती है। तथापि पिछले छः महीनों के दौरान नार्थ एवेन्यू से प्राप्त किसी शिकायत को सही नहीं पाया गया है।

(ग) तथा (घ) डिपो के कर्मचारियों द्वारा दूध का वितरण खिड़की से किया जाता है। तथापि जिन क्षेत्रों में संसद सदस्य रहते हैं वहां के डिपो कर्मचारियों को यह हिदायत है कि जब कभी संसद सदस्य खुद दूध लेने डिपो पर आयें तब उन्हें बारी से पहले दूध वितरित कर दिया जाए।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों/दुकानों/प्लाटों के आवंटन के लिये आरक्षण

7480. **श्री भीखा भाई :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत फ्लैटों/दुकानों/प्लाटों/औद्योगिक प्लाटों के आवंटन में आरक्षण का उपबन्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या सरकार पिछले तीन वर्षों में आरक्षण वाले समुदायों को किये गये वर्षवार आवंटन का विवरण सभा पटल पर रखेगी;

(घ) इसके क्या कारण हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को किस्तों के आधार पर तथा लागत पर फ्लैट/प्लाट/दुकानें/औद्योगिक प्लाट अलाट करने के लिये दिल्ली

विकास प्राधिकरण के नियमों और विनियमों में अब तक संशोधन नहीं किये, क्योंकि उनको नकद अदायगी के माध्यम पर खरीदने की स्थिति में नहीं है; और

(ङ) क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान को खाद्य तेलों की सप्लाई

7481. **श्री जयनारायण रौत** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिक खाद्यान्न, कपड़ा और खाद्य तेलों की सप्लाई के लिये राजस्थान सरकार से कोई मांग प्राप्त हुई है ताकि राज्य सरकार इस राज्य में जनता की मांग पूरी कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और सरकार का विचार राज्य की बढ़ी हुई मांग कब पूरी करने का है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान सरकार ने राज्य में बार-बार होने वाली कमी की स्थिति तथा राज्य के पश्चिमी जिलों में अकाल की स्थिति को देखते हुये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये गेहूं के मौजूदा 22000 मी० टन के मासिक आवंटन को मार्च, 1982 से बढ़ाने का अनुरोध किया था। केन्द्र ने अब अप्रैल, 1982 से गेहूं का मासिक आवंटन 22000 मी० टन से बढ़ाकर 24,000 मी० टन कर दिया है। जहां तक चावल का संबंध है, उनकी सम्पूर्ण मांग पूरी की जा रही है।

कंट्रोल के कपड़े की कोई कमी नहीं है।

जहां तक आयातित खाद्य तेलों का संबंध है, राज्य सरकार ने चालू तेल वर्ष 1981-82 (नवंबर, 81 से अक्तूबर, 1982) के लिये 25 000 मी० टन की मांग सूचित की है। उन्होंने फिर नवंबर, 1981 में 500 मी० टन तथा दिसंबर, 1981 में 320 मी० टन आयातित खाद्य तेल आवंटित करने का अनुरोध किया। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का मासिक आवंटन उनकी आवश्यकता के यथार्थपरक अनुमान के अनुसार किया जाता है। यह अनुमान उनकी मांग, खपत के स्वरूप, राज्य में देशी तेलों की उपलभ्यता तथा अन्य संगत बातों, जिनमें पहले आवंटित किये गये तेलों को उठाने की गति भी शामिल है, के आधार पर लगाया जाता है। उपर्युक्त के आधार पर, चालू तेल वर्ष 1981-82 के दौरान राजस्थान को आयातित खाद्य तेलों की निम्नांकित मात्रा आवंटित की गई है :--

वर्ष 1981-82	आर० बी० डी० ताड़ का तेल	रेपसीड तेल (परिष्कृत)
नवम्बर, 1981	100 मी० टन	60 मी० टन
दिसंबर, 1981	100 मी० टन	20 मी० टन
जनवरी, 1982	206 मी० टन	—
फरवरी, 1982	206 मी० टन	—
मार्च, 1982	270 मी० टन	—
अप्रैल, 1982	300 मी० टन	—
मई, 1982	300 मी० टन	—
योग :	1482 मी० टन	80 मी० टन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को सुविधाएं

7482. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन किया गया था और स्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं इसे इस स्पष्ट आश्वासन के साथ स्थानान्तरित की गई थीं कि सरकारी सेवा के लाभ इन कर्मचारियों पर यथोपरिवर्तित रूप में लागू होंगे और यदि हां, तो इस आश्वासन का पालन किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारी, जो सरकारी सेवा से आये हैं सेवानिवृत्ति के बाद दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की तरह केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सेवा के पात्र नहीं होते हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या स्वतंत्र सांविधिक संघ लोक सेवा आयोग ने भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों के चयन के प्रति संतोष, विश्वास और आस्था भी व्यक्त नहीं की है और उनका काम ए० एस० आर० बी० जो एक अधीनस्थ निकाय है तथा पूरी तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक पर निर्भर है, देखता है; और

(घ) इन मामलों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और सरकार के निष्ठापूर्ण आश्वासन के अनुरूप अन्य सेवा शर्तें क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) सन् 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय को पूर्ण रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी द्वारा नियंत्रित और वित्त प्राप्त करने वाले एक कार्यालय के रूप में परिवर्तित करने का फैसला किया गया था जो तब से भारत सरकार के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता रहा। कृषि विभाग सचिवालय में कार्य करने वाले सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को, जो परिषद् की सेवा को स्वीकार करना चाहते थे, उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसायटी में सेवा के लिए ऐसे विकल्प के लिए कहा गया था, विकल्प के लिए आमंत्रित करते समय यह अनुबद्ध किया गया था कि वे साथ-साथ निम्नलिखित नियम और विनियमों से शासित होंगे :—

(I) कथित कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी, यात्रा तथा अन्य भत्तों की स्वीकृति तथा अन्य सेवा की शर्तें आवश्यक परिवर्तन सहित बुनियादी और परिपूरक नियम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले ऐसे अन्य नियमों और आदेशों से नियंत्रित होंगे ।

(II) कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाभों के लिए पात्र होंगे ।

सेवा के मामलों के संबंध में, उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसायटी द्वारा नियमों, उपनियमों, विनियमों या बनाये गये या जारी किये गये आदेशों में विशिष्ट व्यवस्था की गयी है, भारत सरकार द्वारा निर्मित सेवा और वित्तीय नियम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले ऐसे अन्य नियम और आदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित परिषद् के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(ख) दिल्ली स्थित परिषद् के कर्मचारी, जिन्होंने सेवा को स्वीकार किया है और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है दोनों केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाभों के हकदार हैं जैसे कि भारत सरकार के कर्मचारी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पेन्शन भोगियों के संबंध में—

जो पहले सरकारी कर्मचारी थे और बाद में परिषद् की सेवा स्वीकार की है, वे सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की तरह केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के भी पात्र हैं लेकिन उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से नर्सिंग होम की सुविधाएं नहीं प्रदान की गयी हैं। लेकिन उनको यह दिये गये वचन को ध्यान में रखते हुए कि वे केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाभ के पात्र बने रहेंगे परिषद् की सेवा स्वीकार करने वाले पेंशनभोगियों को नर्सिंग होम की सुविधायें प्रदान करने के लिए उस मंत्रालय (स्वास्थ्य मंत्रालय) से अनुरोध किया है।

(ग) परिषद में पदों पर कर्मचारियों का चयन सोसायटी के नियम और उपनियमों के अनुसार कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल द्वारा किया जाता है, लोक सभा की अनुदान समिति ने अपनी 35वें रिपोर्ट (छठी लोक सभा) (1978-79) में साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि परिषद में पदों को भरने का कार्य कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के बदले संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाना चाहिए। इस पर सरकार द्वारा विस्तृत रूप में विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि परिषद् के अन्तर्गत पदों की भर्ती का कार्य कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल द्वारा ज़ारी रखा जाना चाहिए। अनुमान समिति की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही को पहले ही लोक सभा के समक्ष रखा जा चुका है।

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल एक स्वतंत्र नियुक्ति करने वाला अधिकरण है और वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के अधीन कार्य नहीं कर रहा है। कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के अध्यक्ष (चेयरमैन) की नियुक्ति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष (प्रेसीडेंट) द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति से की जाती है। वे सीधे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष (प्रेसीडेंट) को रिपोर्ट देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि कृषि सेवा नियुक्ति मंडल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के अधीनस्थ तथा उन पर निर्भर एक निकाय है।

(घ) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में और अधिक परिवर्तन लाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

छठी योजना के दौरान जल सप्लाई और सफाई

7483. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठीं योजना को पानी की सप्लाई और सफाई के लिए जो राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं; कोई नया रूप दिया गया है;

(ख) क्या कोई योजनाएं और मार्गदर्शी निर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें राज्यों को भेजा गया है; और

(ग) इस संबंध में कितना व्यय होने का अनुमान है और क्या इसके लिये कोई अनन्तिम प्रावधान किये गये हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की सप्लाई को नए 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। छठी योजना के दौरान साल भर उपलब्ध स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था करके पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया करने के प्रयास किये जायेंगे।

(ख) मार्ग निर्देशन तैयार कर लिये गये हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ फरवरी, 1982 में आयोजित सम्मेलनों में उन्हें परिचालित और अपनाया गया है।

(ग) छठी योजना में जलपूर्ति एवं स्वच्छता के लिये परिव्यय पांचवीं योजना (1974-79) में लगभग 10.30 करोड़ रुपये की तुलना में 3900 करोड़ रुपये से अधिक है। छठी योजना में समस्याग्रस्त ग्रामों के लिये पेय जल पूर्ति पर बल दिया गया है जिसके लिए उपर्युक्त परिव्यय में 2007.11 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल किया है।

कोयला डिपो के लिए स्थान आवंटन करने हेतु आवेदन पत्र

7484. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों के दौरान नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से कोयला डिपो के लिए प्लाट के आवंटन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने मामले निपटान हेतु लम्बित पड़े हैं और कब से लम्बित पड़े हैं;

(ग) इस संबंध में डी० डी० ए० को कितनी शिकायतें अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे; और

(घ) लंबे समय से लम्बित पड़े इन मामलों को निपटाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) तक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1981-82 तक आई० आर० डी०पी०

7485. **श्री बी० आर० नहाटा**
श्री जितेन्द्र प्रसाद } : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79 से वर्ष 1981-82 तक, वर्ष-वार, कितने ब्लाकों में कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) प्रत्येक ब्लाक को प्रत्येक वर्ष में, राज्यवार, कितनी राज सहायता दी गई;

(ग) प्रत्येक ब्लाक में प्रत्येक वर्ष में कितना अग्रिम ऋण दिया गया और प्रत्येक ब्लाक में चलाई गई योजनाएं क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवार शामिल किए गए ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्यमन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क), (ख), (ग) व (घ) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1978-79 में 2300 खण्डों में आरम्भ किया गया था। वर्ष 1979-80 में यह कार्यक्रम 300 अन्य खण्डों में आरम्भ किया गया था जिससे खण्डों की कुल संख्या 2600 हो गई। 2 अक्तूबर, 1980 से इस कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी 5011 खण्डों में कर दिया गया। आरम्भ में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय प्रति खण्ड 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपये के बीच अलग-अलग था। 2 अक्तूबर, 1980 से

इस कार्यक्रम का सभी विकास खण्डों में विस्तार किए जाने पर समान आवंटन आरम्भ किया गया है। प्रति खण्ड परिव्यय 1980-81 में 5 लाख रुपये, 1981-82 में 6 लाख रुपए तथा 1982-83 में 8 लाख रुपए है। इस स्तर के छठी योजना के दौरान जारी रहने की संभावना है। व्यापक रूप में, छठी योजना अवधि के दौरान प्रति खण्ड परिव्यय 35 लाख रुपए होगा। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को उपदानों और ऋणों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, कुटीर तथा लघु उद्योग परम्परागत हस्तशिल्प तथा वास्तव में कोई भी सक्षम और बैंकग्राह्य आर्थिक गतिविधि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए परिवारों की संख्या, उपयोग में लाए गए ऋणों और उपदानों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अन्तर्गत लाने के बारे में सूचना का प्रबोधन राष्ट्रीय स्तर पर (जिलावर) किया जाता है तथा अलग-अलग योजनाओं या गतिविधियों का खण्ड-वार प्रबोधन नहीं किया जाता। वर्ष 1978-79, 197-980, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के उपयोग, दिए गए ऋणों तथा सहायियत परिवारों की संख्या के बारे में राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3884/82)

बाढ़ और सूखा राहत उपायों के लिए निर्धारित धनराशि

7486. **श्री फूल चन्द वर्मा : कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए धनराशियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन दो राज्यों में सूखा, बाढ़ और वर्षा से कोई क्षति नहीं हुई है;

(ग) यदि कोई क्षति हुई है तो उन जिलों के नाम क्या हैं जो मानसून के बाद से अब तक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) बाढ़, वर्षा और सूखा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) 1981-82 के दौरान राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु को सूखा से राहत के लिए धनराशि स्वीकृत की है।

1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी थी।

मध्य प्रदेश सरकार ने 2 मार्च, 1982 को सूखा, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से निपटने हेतु सहायता के लिए एक संयुक्त ज्ञापन और मार्च, 1982 के अंत में केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध करते हुए एक अनुपूरक ज्ञापन भेजा था।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1981-82 के मानसून के दौरान बाढ़ों से हुई क्षति की सूचना दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1981-82 के दौरान ओलावृष्टि और सूखा दोनों से हुई क्षति की सूचना दी है।

(ग) विवरण-1 संलग्न है।

(घ) सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं से पैदा होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए राज्यों को वार्षिक मार्जिन धनराशि दी गई है। राज्यों के पास उपलब्ध वार्षिक मार्जिन धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

* (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल-टी 3885/82)

1981-82 के दौरान विभिन्न आपदाओं के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमाएं विवरण-3 में दर्शाई गई हैं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3885/82)

जनवरी में वनस्पति की बिक्री पर नियंत्रण

7487. श्री हरीश कुमार गंगवार
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1982 में उपभोक्ताओं को वनस्पति घी की बिक्री पर नियंत्रण लगाने के क्या मुख्य और अत्यावश्यक कारण थे जबकि यह न तो त्यौहारों का और ना ही विवाहों का मौसम है और ऐसा करने से उचित दर दुकानों के बेईमान दुकानकारों को आयातित तेल काला बाजार में बेचने का अवसर मिला है;

(ख) क्या उत्पादकों द्वारा उत्पादन दर को बनाये नहीं रखा गया, यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) मिलों द्वारा उत्पादन दरें बढ़ाये जाने की मांग की धमकी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उपभोक्ताओं को वनस्पति घी की निरन्तर सप्लाई उचित दरों पर करने के लिए सरकार द्वारा वनस्पति उत्पादन को अपने अधिकार में लेने के बारे में क्या संभावनाएं हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क), (ख) व (ग) जनवरी, 1982 के दौरान वनस्पति का उत्पादन देश में इसकी मांग से बहुत अधिक हुआ था। वनस्पति की बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं था। उचित दर की दुकानों के लिये रखे गये आयातित खाद्य तेलों के काला बाजार में बेचे जाने का कोई दृष्टांत जानकारी में नहीं आया है।

वनस्पति की उपलभ्यता, कुल मिलाकर, संतोषजनक रही है। तथापि स्थानीय स्वरूप की अस्थायी कमियों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सरकार इस वस्तु की उपलभ्यता तथा मूल्य स्थिति पर पूरी तरह नजर रखे हुए है और स्थिति की मांग होने पर उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

7488. श्री माधव राव सिंधिया : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गृह निर्माण के कार्यों को प्रोत्साहन देने, गृह निर्माण में लगाई गई पूंजी को लाभकारी बनाने, मकानों से होने वाली आय को मूल्य की प्रवृत्तियों के अनुसार किराए

से सम्बद्ध करने के लिए जिसे निर्धन तथा सेवानिवृत्त लोगों को अपनी जीवन भर की बचत को मकानों में निवेश करना सुरक्षित लगे, दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में कोई संशोधन करने का विचार है;

(ख) क्या पगड़ी देने की प्रथा को प्रभावी ढंग से रोकने और समाप्त करने के लिए कोई उपबंध करने पर विचार किया जा रहा है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली में ऐसे रिहायशी इकाइयों और मकानों, जिनमें पुराने किराएदार जो पांचवें, छठे और सातवें दशकों में यहां बसे थे, बहुत कम किराया देकर रह रहे हैं तथा इन किरायों का वर्तमान मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है; की संख्या तथा प्रतिशतता के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं; यदि हां तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 को संशोधन करने के कतिपय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 की धारा 5(2)(क) पहले ही किसी परिसर की उप किराएदारी या किराएदारी को जारी रखने के लिए या नवीकरण को स्वीकृत करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा 'पगड़ी' या प्रीमियम के रूप में किसी भी राशि के भुगतान को प्राप्त करने या उसके लिए मांग करने का निषेध करती है ।

(ग) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

राज्यों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशियों का उपयोग न होना

7489. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के एक बड़े भाग का चालू वर्ष के दसवें महीने तक भी (जनवरी, 1982) उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक शेष धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं। असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल जैसे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अधिकांश एजेंसियों ने वर्ष 1981-82 के दौरान उपलब्ध निधियों के बड़े भाग का उपयोग कर लिया है जिसके पश्चात् उन्हें केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त बंटित की गई थी।

(ख) व (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

1982-83 में सिंचाई क्षमता के लिये योजना प्रावधान

7490. श्री जितेन्द्र प्रसाद
श्री राम स्वरूप राम } : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये बीस सूत्री कार्यक्रम में देश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उच्चतम वरीयता प्रदान की गई है और राज्यों के लिए योजना आयोग द्वारा हाल में स्वीकृत 1982-83 के वार्षिक परिव्यय में उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे पहाड़ी अथवा वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में, जहां परम्परागत सिंचाई सुविधाओं का सर्वथा अभाव है, लिफ्ट सिंचाई योजनायें लागू करके सिंचाई सुनिश्चित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी): (क) जी, हां। 1982-83 के लिए सिंचाई के वास्ते वार्षिक परिव्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नए 20-सूत्री कार्यक्रम में, देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों को, जो वास्तव में सिंचाई कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं, सलाह दी गई है कि वे सिंचाई के मामले में पिछड़े क्षेत्रों, जैसे पहाड़ी अथवा वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों को प्राथमिकता दें।

विवरण

सिंचाई के लिए 1982-83 की वार्षिक योजना के परिव्यय

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य	अन्तिम रूप से किया गया आवंटन			
		बृहद और मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई	कमान क्षेत्र विकास	कुल सिंचाई
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	14,850	10,000	800	16,650
2.	असम	1,080	1,350	30	2,460
3.	बिहार	16,907	3,405	635	20,947
4.	गुजरात	18,398	1,750	350	20,498
5.	हरियाणा	6,200	335	1,530	8,065
6.	हिमाचल प्रदेश	210	430	—	640
7.	जम्मू और काश्मीर	1,143	700	130	1,973
8.	कर्नाटक	8,007	1,851	456	10,314
9.	केरल	4,500	665	120	5,285
10.	मध्य प्रदेश	13,650	4,600	1,900	20,150

जारी.....

11. महाराष्ट्र	26,100	3,300	718	30,118
12. मणिपुर	750	125	130	1,005
13. मेघालय	30	125	—	155
14. नागालैंड	—	190*	—	190*
15. उड़ीसा	7,000	1,665	140	8,805
16. पंजाब	4,500	120	730	5,350
17. राजस्थान	9,459*	777*	उपलब्ध नहीं	10,236*
18. सिक्किम	—	90	—	90
19. तमिलनाडु	3,835	503	129	4,467
20. त्रिपुरा	350	255	—	605
21. उत्तर प्रदेश	18,000	5,504	1,800	25,304
22. पश्चिम बंगाल	4,374*	2,205*	उपलब्ध नहीं	6,579*
उप-जोड़—राज्य	159,343	30,945	9,598	199,886
संघ राज्य क्षेत्र†	1,390	467	8	1,865
केन्द्रीय सैक्टर**	1,155	1,080	4,500	6,735
कुल जोड़	161,888	32,492	14,106	208,486

उचित दर की दुकानों, मिट्टी के तेल के डिपो, कोयला डिपो की जांच पड़ताल

7491. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली प्रशासन के नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा कितनी उचित दर की दुकानों, मिट्टी के तेल के डिपो, कोयला डिपो आदि की जांच पड़ताल की गई है; जिन दुकानों का निरीक्षण किया गया, उनका ब्यौरा क्या है और जांच के क्या परिणाम निकले;

(ख) की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितनों का इससे पूर्व निरीक्षण किया गया था; और उसके क्या परिणाम निकले और क्या उन लोगों के लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कड़ी सजायें दी गई हैं जो बार-बार अपराधी पाये गये थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) खाद्य तथा आपूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन ने नवंबर, 1981 से जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान 412 उचित दर की दुकानों, 128 मिट्टी के तेल के डिपुओं और 21 कोयले के डिपुओं की

* इन परिव्ययों की सिफारिश कार्यकारी दल द्वारा की गई है। अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

† आंकड़े केवल 4 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं।

** इसमें फरक्का बराज परियोजना के लिए परिव्यय (1100 लाख रुपये) शामिल नहीं है।

जांच की । जिन दुकानों का निरीक्षण किया गया, उनकी सूची संलग्न है । [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3886/82] 347 उचित दर की दुकानों, 77 मिट्टी के तेल के डिपुओं और 12 कोयले के डिपुओं के मामले में अनियमितताओं का पता चला था।

(ख) यह देखते हुए कि अनियमितताएं गंभीर स्वरूप की हैं, 36 उचित दर की दुकानों, 28 मिट्टी के तेल के डिपुओं और 2 कोयले के डिपुओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए और विभागीय कार्रवाई भी आरंभ की गयी। विभागीय कार्रवाई के परिणामस्वरूप, इनमें से 11 उचित दर की दुकानों और 6 मिट्टी के तेल के डिपुओं के लाइसेंस रद्द किये गये । अन्य 9 उचित दर की दुकानों और 10 मिट्टी के तेल के डिपुओं की जमानत की राशि जब्त की गयी । 16 उचित दर की दुकानों, 12 मिट्टी तेल के डिपुओं और 2 कोयले के डिपुओं के मामले में विभागीय कार्यवाही चल रही है। शेष 311 उचित दर की दुकानों, 49 मिट्टी के तेल के डिपुओं और 10 कोयले के डिपुओं के मामले में साधारण स्वरूप की अनियमितताओं के लिए केवल विभागीय कार्यवाही ही आरंभ की गयी है, वे भी अभी चल रही हैं।

(ग) व (घ) 10 उचित दर की दुकानों और 8 मिट्टी के तेल के डिपुओं का पहले निरीक्षण किया गया था । उनके विरुद्ध चलाई गई विभागीय कार्रवाई में उनके बारे में पाई गई अनियमितताओं को गंभीर स्वरूप की नहीं माना गया था और हर मामले के अपराध के स्वरूप को देखते हुये केवल जमानत की आंशिक अथवा पूरी राशि ही जब्त की गयी थी। बार-बार अपराधी पाये जाने वाले व्यक्तियों को कड़ी सजा दी है, जिसमें लाइसेंसों को रद्द करना भी शामिल है।

सिंचाई मंत्रालय को संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्र

7492. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान मंत्रालय को संसद् सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) ये पत्र किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए थे, उनकी पावती कब भेजी गई और किन तारीखों में उनका अंतिम उत्तर भेजा गया; और

(ग) क्या संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां । विभागीय रूप से जारी किए गए विस्तृत अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर सामान्यतया, अधिक से अधिक एक महीने के अन्दर भेज दिए जाने चाहिएं।

मछली पकड़ने का बन्दरगाह माल्पी

7493. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली पकड़ने के बन्दरगाह माल्पी के निर्माण की क्या प्रगति है;

(ख) बन्दरगाह कब तक चालू हो जाएगा;

(ग) क्या क्षेत्र के यातायात की दृष्टि से बन्दरगाह पर्याप्त बड़ा है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बन्दरगाह के द्वितीय चरण का निर्माण कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पत्तन कार्य का लगभग 85% कार्य पूरा हो गया है। अलग-अलग मदों की प्रगति का ब्यौरा नीचे दे दिया गया है :—

ब्रेक वाटर्स	85%
क्वेज एण्ड जेटीज	85%
तलकर्षण	85%
स्लिपवे	70%
नीलामी हाल	98%
अन्य सुविधाएं	90%

(ख) पत्तन ने अक्तूबर, 1981 से कार्य करना शुरू कर दिया है। आशा है कि यह जून, 1982 तक पूरा हो जायेगा।

(ग) पत्तन की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार की गई थी कि विभिन्न आकार के लगभग 280 जलयानों के लिये माल उतारने और ठहरने की सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। कर्नाटक के मात्स्यकी निदेशक ने सूचित किया है कि अधिक कार्य की अवधि के दौरान लगभग 400 जलयानों के लिये माल उतारने और ठहरने की सुविधाओं की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से अधिक कार्य की अवधि के दौरान पत्तन की क्षमता अपर्याप्त हो सकती है।

(घ) पत्तन के दूसरे चरण को शुरू करने के लिये केन्द्र सरकार को कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। पत्तन के दूसरे चरण के निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ङ) भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता।

संकर चावल का विकास

7494. **श्री अनादि चरण दास**
श्री अर्जुन सेठी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकर चावल का विकास करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो संकर चावल उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में किस देश का अनुसरण किया गया है; और

(ग) उपरोक्त किस्म के संकर चावल की पैदावार के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) संकर चावल उत्पादन कार्यक्रम चीन द्वारा चलाया जा रहा है। मेल स्टराइल लाइन्स के रूप में मूल बीज सामग्री अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई० आर० आर० आई०), मनीला के माध्यम से चीन से प्राप्त की गयी है।

(ग) पिछले एक दशक से भी अधिक समय से चावल में संकर ओज के प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु अनुसंधान किया गया है। फिर भी, हाल ही में इस पर अधिक ध्यान दिया गया है, और ऐसा चीन में इसके सफलतापूर्वक उपयोग के कारण किया गया है। भारत में अनुसंधान कार्यक्रम क्रमबद्ध रूप में आरंभ किया गया है। अपने देश में उसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने की संभावना के अध्ययन के लिए तीन वैज्ञानिकों को चीन में नियुक्त किया गया था। साइटोजेनिक मेल स्टरिलीटी सोर्सेज जो व्यापारिक संकर बीज उत्पादन के आधार हैं आई॰ आर॰ आर॰ आई॰, मनीला से प्राप्त किये गये हैं और अपने यहां की अधिक उपज देने वाली किस्मों के आनुवंशिक पृष्ठभूमि में इन्हें स्थानान्तरित करने के कार्य में प्रगति जारी है। हमारे चावल वैज्ञानिक आई॰ आर॰ आर॰ आई॰, मनीला के निकट सहयोग में कार्य कर रहे हैं। ताकि संकर चावल के क्षेत्र में हुई किसी भी प्रगति का बिना किसी विलम्ब के लाभ प्राप्त कर सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उपकर निधि से एक विशिष्ट प्रायोजना भी तैयार की जा रही हैं जो देश के 5-7 केन्द्रों में संकर चावल कार्यक्रम में, संभवतः सहायता प्रदान करेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों का हौसला गिराया जाना

7495. **श्री कृष्ण कुमार गोयल**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिकों को हटाये जाने, बर्खास्त किए जाने, निलम्बन आदेश, प्रोत्साहन की कमी, परिषद् में कार्य की स्थितियों की गिरावट के कारण वैज्ञानिकों का इस परिषद् में हौसला गिर रहा है; और

(ख) गत्यावरोध समाप्त करने तथा देश के इस शीर्षस्थ वैज्ञानिक तंत्र में पदोन्नति के और अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर॰ वी॰ स्वामीनाथन्) : (क) जी नहीं श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों का मनोबल ऊंचा है तथा परिषद् में कार्यकरण की स्थितियां अनुसंधान के क्रियाकलापों के लिए अनुकूल हैं।

(ख) वैज्ञानिक संवर्ग में कोई गत्यावरोध नहीं है। वास्तव में योग्य वैज्ञानिकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रणाली तथा इसकी कार्मिक नीतियां पदोन्नति/अग्रिम वेतन वृद्धि हेतु पांच वर्षीय मूल्यांकन करती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा पहले से ही उठाये गये कदम और वृत्ति विकास के लिए दी जाने वाली सुविधायें सर्वोत्तम हैं।

शिमला में आग से क्षतिग्रस्त इमारतें

7496. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों में शिमला में कई प्राचीन सुविख्यात इमारतें आग से नष्ट हो गई हैं;

(ख) शिमला में पिछले पांच वर्षों में आग से कितनी इमारतें नष्ट हुई हैं;

(ग) उनमें कौन से सरकारी कार्यालय थे;

(घ) इससे सरकार को कितनी हानि हुई है;

(ङ) इन इमारतों में आग लगने के मुख्य कारण क्या थे; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चार।

(ग) (1) स्नोडाउन होस्पिटल।

(2) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का राजकीय निवास।

(3) पश्चिमी कमान का मुख्यालय।

(4) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

(5) जंगलात सर्वेक्षण।

(6) केन्द्रीय जनगणना विभाग।

(7) विधान सभा औषधालय।

(8) सहायक इंजीनियर (विद्युत), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्यालय।

(घ), (ड़) तथा (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारिता के आधार पर पानी का संरक्षण एवं उपयोग

7497. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारिता के आधार पर पानी के संरक्षण और उपयोग करने की प्रभावशाली प्रक्रिया अपनाने के लिए किन राज्यों में ग्रामों में "पानी पंचायत" बनाई गई है;

(ख) शुष्क खेती वाले क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला से धरती तक और अन्य प्रदर्शन कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) गत दस वर्षों के दौरान देश में 70 प्रतिशत बरसाती पानी पर निर्भर क्षेत्रों में विकसित प्रौद्योगिकी का लाभ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार को जानकारी है, महाराष्ट्र राज्य के पुरन्धर क्षेत्र में 'पानी पंचायत' की धारणा लागू की गई है।

(ख) और (ग) 'प्रयोगशाला से धरती तक' भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दौरान आरंभ किए गए प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का एक प्रयोगात्मक अंतरण है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों और जनजातीय समूहों पर विशेष बल देते हुए, मुख्यत: छोटे एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के समुदायों से 50,000 फार्म परिवारों को लिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक वैज्ञानिक फार्म योजना तैयार करना तथा रोजगार एवं आय में वृद्धि करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां लागू करना है। इस कार्यक्रम को सिंचित तथा शुष्क खेती, दोनों प्रकार की स्थितियों में आरंभ किया गया है। जून, 1982 से आरंभ होने वाले चरण-दो के अन्तर्गत, 75 हजार फार्म परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का विचार है जिसमें शुष्क भूमि में खेती करने पर उचित बल दिया जाएगा।

खाद्यान्न फसलों की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की क्षमता को कृषकों के खेतों में प्रदर्शित करने की दृष्टि से आई० सी० ए० आर० द्वारा 1967 में देश में राष्ट्रीय प्रदर्शनों का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना देश के 47 चुने हुए जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत, अनुसंधान वैज्ञानिक कृषकों के खेतों में प्रदर्शनों की व्यवस्था करते हैं और अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं ताकि प्रत्येक यूनिट समय में, प्रत्येक यूनिट क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इन प्रदर्शनों से यह स्पष्ट रूप से पता लगा है कि कृषकों द्वारा स्वयं प्राप्त किए जा रहे उत्पादन की अपेक्षा खाद्यान्न की फसलों के उत्पादन में 2 से 4 गुना वृद्धि की जा सकती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक चुने हुए जिले में कृषकों के खेतों में कुल 25 प्रदर्शन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रदर्शन वर्षा-पोषित क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे। 1977-78, 1978-79 और 1979-80 वर्ष के दौरान वर्षा-पोषित क्षेत्रों में क्रमशः 13, 24 और 29 प्रदर्शन किए गए थे। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्षा-पोषित क्षेत्रों में इन प्रदर्शनों को करने पर अधिक बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 प्रदर्शनों में से 18 प्रदर्शन चुने हुए जिलों में सूखी खेती की स्थितियों में किए जा रहे हैं।

मेरिन नेशनल पार्क बनाया जाना

7498. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरिन नेशनल पार्क बनाये जाने के लिए किन क्षेत्रों को उपयुक्त समझा गया है;

(ख) वे कब स्थापित किये गये थे और उनके लिए बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी; और

(ग) इन फर्मों का मुख्यालय बनाने के लिए आधारभूत ढांचा कब तैयार किया जायेगा और वहां पर शीशा-तल युक्त उपयुक्त नावें कब रखी जायेंगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) गुजरात के समुद्री तट से दूर कच्छ की खाड़ी और तमिलनाडु के समुद्री तट से दूर मन्नार खाड़ी में समुद्री पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पार्क राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तथापि, सम्बन्धित राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार द्वारा एतत्सम्बन्धी कार्य के लिए केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता सुलभ करायी जा सकती है।

भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जा रही परियोजनाएं

7499. **श्री कुंवर राम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से कितनी सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है;

(ख) जो परियोजनाएं अब तक पूरी हो गई हैं तथा जो अभी तक अधूरी हैं उनके क्या नाम हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) कोसी और गंडक नामक, केवल दो सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन भारत और नेपाल के बीच हुए करार के आधार पर किया जा रहा है। ये दोनों परियोजनाएं, जिनमें बराज और नहर प्रणालियों का निर्माण शामिल है, क्रियान्वित की जा रही हैं और ये पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई हैं। इन परियोजनाओं के पूरा न होने के मुख्य कारण ये हैं—धन की अपर्याप्तता, भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, परियोजनाओं के विस्तार में परिवर्तन, सीमेंट, इस्पात आदि जैसी दुर्लभ सामग्रियों की अनुपलब्धता। बाधाओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों के साथ, जो इन स्कीमों को क्रियान्वित कर रही हैं, निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है और निर्माण-कार्यों को छठी योजना के अन्त तक पूरा करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी का अन्तरण

7500. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उचित प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने तथा लोगों को इस सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति पर इस प्रौद्योगिकी अन्तरण का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) जहां तक विभिन्न योजनाओं को लागू किए जाने का सम्बन्ध है क्या इनमें हुई चूकों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सरकार ने कोई निर्णय लिया है और क्या इन्हें पुन: लागू किया गया है और उसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पहाड़गंज नई दिल्ली में मन्दिर के निकट स्थित मांस की दुकानों को हटाया जाना

7501. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजधानी में विशेष रूप से मार्कीटों में, जहां पर मांस की दुकानें घनी आबादी क्षेत्रों में अथवा गुरद्वारों तथा मन्दिरों जैसे धार्मिक स्थानों के निकट स्थित है, कोई नियन्त्रण है;

(ख) क्या सरकार ने देखा है कि पहाड़गंज में एक मन्दिर है और बिल्कुल उसके सामने मांस की एक दुकान है जिसके स्वास्थ्य के लिये हानिकर होने के साथ-साथ इसका भक्तों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मांस को खुला रखा जाता है और भक्तों को साफ नजर आता रहता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मांस की ऐसी दुकानों को पूजा स्थलों के निकट के स्थानों से हटाना उपयुक्त नहीं होगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोर्डी केराई सिंचाई परियोजना

7502. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में बोर्डी केराई सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने बोर्डी केराई सिंचाई स्कीम के संशोधित अनुमान को हाल में स्वीकृति प्रदान की है। इस स्कीम पर अब 14.88 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इससे 27530 हैक्टेयर के क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था होगी। इस परियोजना में ब्रह्मपुत्र की एक उप-सहायक नदी, बोर्डी केराई पर एक बराज और उसके साथ उसके बाएं किनारे पर नहर और वितरण प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

असम को गेहूं और चावल की सप्लाई

7503. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा असम को चावल और गेहूं की पूरी मात्रा नहीं भेजी जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य को दिए गए चावल और गेहूं की किस्म संतोषजनक नहीं नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) :(क) दिसम्बर, 1981 और उसके बाद से परिचालन संबंधी कारणों और संचलन विषयक बाधाओं के फलस्वरूप असम/उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र को खाद्यान्नों के संचलन में कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के असम और अन्य राज्यों में खाद्यान्नों की स्टाक/सप्लाई स्थिति कुछ हद तक कठिन हो गई है।

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप स्टाक और वह स्टाक जो खाद्य मिश्रण निवारण सीमा के अन्दर-अन्दर होता है, केवल उसे ही राज्य सरकार को दिया जाता है।

(ग) स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से असम/उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र को खाद्यान्नों का तुरन्त संचलन करवाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक पग उठाए जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा कछार (असम) में वित्तपोषित उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं

7504. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कछार (असम) में किन उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं को वित्त-पोषित किया गया है;

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के क्या नाम हैं तथा उनके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कछार (असम) में कोई लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं की जा रही हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ग्रामीण युवकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

7505. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 के दौरान असम में ग्रामीण युवकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की योजना केन्द्र सरकार द्वारा बना ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना शुरू की है। तथापि, कार्यक्रम का प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा संबंधित राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाना अपेक्षित है।

(ख) केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रति खण्ड 40 युवकों का लक्ष्य, जिससे 134 खण्डों के लिए 5360 युवकों का समग्र लक्ष्य सुलभ होगा, के मुकाबले में 1981-82 के दौरान वास्तविक उपलब्धि, असम सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह है कि 2181 युवकों को प्रशिक्षित किया गया था जिनमें से 582 स्वनियोजित हो गए हैं।

छोटे किसानों के बारे में सर्वेक्षण

7506. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पंजाब में छोटे किसानों, कृषि से उन्हें प्राप्त आय, उनकी क्रयशक्ति आदि के बारे में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में लगभग 25 प्रतिशत छोटे किसान अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं और यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या कर्नाटक राज्य में भी ऐसे सर्वेक्षण किए जाएंगे जिससे कि समस्या का पता लगाया जा सके और उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें और यदि हां, तो ये सर्वेक्षण कब कराए जाएंगे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया था लेकिन पंजाब में हरित क्रान्ति के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को निधियां सुलभ की थीं।

(ख) अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) रिपोर्ट में यह बताया गया था कि लगभग एक-चौथाई छोटे किसान गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे थे। तथापि, छठी योजना प्रलेख के अनुसार, 1977-78 में पंजाब में 11.87 प्रतिशत ग्रामीण जनता गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रही थी। ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न-क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त, पंजाब में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के आय स्तर को ऊपर उठाने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को सभी विकास खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पंजाब में गरीबी की रेखा पार करने के लिए प्रत्येक खण्ड में प्रतिवर्ष औसतन 600 परिवारों को सहायता सुलभ की जाती है जैसा कि देश के शेष भागों में किया जा रहा है।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए खण्ड स्तरीय योजनाएं तैयार करने हेतु पद्धति के एक भाग के रूप में कर्नाटक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का चयन करने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने हेतु पारिवारिक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। 2 अक्तूबर, 1980 से कर्नाटक के सभी विकास खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

अध्ययन से पता चला था कि सीमान्त तथा छोटे किसान मुख्य फसलों के लिये प्रति एकड़ उर्वरकों तथा खादों का प्रयोग उतनी मात्रा में नहीं कर पाए हैं जितना कि बड़े किसानों ने किया है। तथापि, सम्पूर्ण राज्य में, छोटे किसान मुख्य रूप से अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पारिवारिक श्रम निवेश लगाकर अधिक फसलोत्पादन करके मूल्यवान निवेशों के प्रयोग में हुई अपनी तुलनात्मक कमी को पूरा करते हुए पाये गये थे। बड़े तथा छोटे किसान दोनों अपने उपलब्ध निवेशों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए पाये गये हैं। बड़े किसानों ने अधिक पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त किया था जबकि छोटे किसानों ने श्रम निवेश अधिक मात्रा में लगाया था। यह भी सूचित किया गया था कि छोटे तथा सीमान्त किसानों ने गैर—फार्म व्यवसायों विशेषकर डेरी से अपनी पारिवारिक आय का अधिक भाग कमाया था। छोटे तथा सीमान्त किसानों को उपभोज्य वस्तुओं पर काफी घाटा उठाना पड़ा। उत्पादी परिसम्पत्तियों में निवेश लगाने के प्रयासों से इस प्रकार के घाटे और भी बोझिल बन गये। उनकी बढ़ती हुई आय के कारण काश्तकारों के उपभोज्य सुख में काफी धीमा लेकिन स्पष्ट परिवर्तन भी देखने में आया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी श्रेणियों के काश्तकारों को दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों पर काफी व्यय करना पड़ा। अधिकांश अनाज तथा दुग्ध उत्पादों का प्रयोग घर के उत्पादन से बाहर से करना पड़ा। तथापि, छोटे तथा सीमान्त किसानों को बड़े किसानों का केवल 2 प्रतिशत अनाज की आवश्यकताओं के मुकाबले में, अपनी एक-तिहाई अनाज की आवश्यकताओं की खरीद बाजार से करनी पड़ी।

उठाऊ सिंचाई प्रयोजनों के लिये पवन चक्कियों का उपयोग

7507. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उठाऊ सिंचाई प्रयोजनों के लिये पवन चक्कियों को उपयोग में लाने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी इस समय देश में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इसे अब तक किसी स्थान में उपयोग में लाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और ऐसे तरीकों के उपयोग के साथ क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने मार्च, 1982 तक देश में 300 चक्कियों की स्थापना करने का निश्चय किया था और यदि हां तो उनमें से अब तक कृषि प्रयोजनों के लिये कितनी पवन चक्कियां स्थापित की जा चुकी हैं और इनकी स्थापना किन राज्यों में की गई है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा के द्वारा 1982 में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने हेतु क्या भावी योजना तैयार की है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों से सम्बन्धित आयोग (कासे) ने लघु सिंचाई/पेयजल के वास्ते परीक्षण एवं प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में 1980-81 के दौरान 30 पवन चक्कियां स्थापित की थीं। इन पवन चक्कियों का कार्य-निष्पादन जो 2·5 मीटर/सैकण्ड के वायुवेग पर चलती हैं, सामान्यतः संतोषजनक पाया गया है।

(ग) ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों हेतु गठित आयोग का 1981-82 के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न स्थलों पर 300 पवन चक्कियां स्थापित करने का कार्यक्रम था। अब तक 160 पवन चक्कियों को स्थापित करने का कार्य पूरा किया जा चुका है और 140 पवन चक्कियां स्थापित करने का कार्य अभी तक चल रहा है और इसके मई, 1982 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। ये पवन चक्कियां भी लघु सिंचाई/पेयजल के प्रयोजन के लिये हैं।

(घ) ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों हेतु गठित आयोग का 1982-83 के दौरान देश के विभिन्न भागों में 500 और पवन चक्कियां स्थापित करने का एक और कार्यक्रम है। कृषकों को पवन-चक्की की लागत के एक भाग के रूप में राज-सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम इस मन्त्रालय के विचाराधीन है। छितरकों, सौर्य-पम्पों, पवन चक्की-पम्पों तथा हाइड्रामों आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 1980-85 की अवधि के लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत छठी योजना के प्रारूप में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सुदुर पूर्व में एक प्राइवेट व्यापारी द्वारा प्याज का निर्यात

7508. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाफेड ने वर्ष 1981 के दौरान सुदूर पूर्व को भारतीय प्याज के निर्यात करने के लिए आयातकर्त्ता के साथ एक करार किया है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के लगभग 100 प्रतिष्ठित निर्यातक इस व्यापार से अलग हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो एकल निर्यातक को चयन करने तथा प्याज के स्थापित बाजार को त्यागने के क्या आधार हैं क्योंकि एकल निर्यातक करार की सम्पूर्ण मात्रा का निर्यात नहीं कर सका था;

(घ) यदि हां, तो निर्यातक का नाम क्या है, वह कितनी मात्रा का निर्यात नहीं कर सका तथा इससे सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(घ) क्या सरकार प्याज के निर्यातकों का चयन करने हेतु निर्णय लिए जाने के बारे में तथा एकमात्र व्यक्ति को लाभ न दिए जाने तथा अन्य सभी लोगों को उपर्युक्त लाभ पहुंचाए जाने के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी निर्देश बनाएगी तथा इस संबंध में अच्छा आधार तैयार करेगी ताकि हमारे निर्यातकों को हानि न हो ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 के दौरान मलेशिया और सिंगापुर को निर्यात करने के लिये सरकार द्वारा 50,000 मीटरी टन प्याज का कोटा निर्धारित किया गया था। मई, 1981 तक इन दोनों देशों के विभिन्न खरीदारों को 12,177 मीटरी टन प्याज का निर्यात किया गया था। सरकार की नीति के अनुसार मई, 1982 तक मलेशिया तथा सिंगापुर को 50,000 मीटरी टन प्याज का निर्यात करने के लिये नेफेड ने पेनांग की एक मात्र फर्म के साथ एक समझौता किया। मई, 1981 में पेनांग फर्म के साथ समझौता करने के पश्चात्, जिसने वर्ष के कोटे को समाप्त कर दिया था। इन दो देशों को निर्यात करने के लिये और कोई करार नहीं हो सकता।

(ग) और (ख) इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०, और पेनांग फर्म द्वारा नामांकित उसके एसोशिएट शिप्पर्स मैसर्स ए० डी० जे० नाडार और कम्पनी निर्यातक थे। मलेशिया और सिंगापुर के लिये निर्धारित 50,000 मीटरी टन कोटे की तुलना में 31 मार्च, 1982 तक वास्तव में लगभग 45,000 मीटरी टन का निर्यात किया जा सका। सितम्बर-नवम्बर, 1981 के दौरान प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगने के कारण शेष 5,000 मीटरी टन का लदान नहीं किया जा सका। सभी लक्ष्यों के लिए लगभग 25% की समग्र कमी की तुलना में लगभग 10% की यह कमी कम है।

(ङ) एकमात्र खरीददार के साथ हुए करार से सुदूर पूर्वी देशों में प्याज के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। अत: नये मार्गदर्शी सिद्धान्त का निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में जनजाति जिलों में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनायें

7509. **श्री के० प्रधानी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जनजाति जिलों में जो बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, उनके क्या नाम हैं और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) उनके पूर्ण होने की तिथि क्या निर्धारित की गई है; और

(ग) निर्धारित समय सूची के अनुसार इन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने की दिशा से अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) उड़ीसा के जनजातीय जिलों में 3 बृहद् और 14 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन परियोजनाओं के नाम, उनके अनुमानित लागत, उन पर किया गया खर्च और उनके पूरा होने की संभावित तारीख दी गई है।

विवरण

उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	जिला, जहां स्थित है	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	मार्च, 1982 तक हुआ प्रत्याशित खर्च (लाख रुपये)	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
	बृहद				
1.	अपर कोलाब	कोरापुट	9669·85	1905·85	सातवीं योजना
2.	अपर इन्द्रावती	कालाहांडी	2256·00	1536.12	सातवीं योजना
3.	पोथेरु	कोरापुट	5841·61	2403.95	* छठी योजना
					*मार्च, 81 तक किया गया खर्च
	मध्यम				
1.	कालो	मयूरभंज	630.17	582·56	1982-83
2.	सुनेई	मयूरभंज	1200·00	662.99	छठी योजना
3.	सरापगढ़	सुन्दरगढ़	326·86	305·86	1982-83
4.	तलसारा	सुन्दरगढ़	420·08	404·08	1982-83
5.	कंसबहल	सुन्दरगढ़	677.00	61·50	सातवीं योजना
6.	रेमल	क्योंझर	753·35	298.34	छठी योजना
7.	कांझारी	क्योंझर	1552.00	551.80	सातवीं योजना
8.	पीलासाल्की	फूलबनी	577·97	573·97	1982
9.	बोंदापिपिली	फूलबनी	470·45	216 45	छठी योजना
10.	हरथंगी	गंजम	1878·90	462·47	सातवीं योजना
11.	बंकावल	मयूरभंज	1176.41	143·74	सातवीं योजना
12.	बरसुआं	सुन्दरगढ़	461·20	16.50	सातवीं योजना
13.	बालादिया (आधुनिकीकरण)	मयूरभंज	25·00	25.00	पूर्ण हो गई है
14.	बड़ानाला	कोरापुट	1336·00	70·32	सातवीं योजना

कोल्ड स्टोरों को हुई हानि

7510. **श्री राजेश पायलट** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने कोल्ड स्टोरों को अपर्याप्त रखरखाव अथवा अपर्याप्त बिजली सप्लाई अथवा दोनों के कारण घाटा हो रहा है तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान क्या कोई राशि निर्धारित की गई है, करने का प्रस्ताव है अथवा खर्च किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) गत वर्ष कितनी पूंजी लगाई गई और उसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में गेहूं और चावल की मांग और सप्लाई

7511. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 से प्रति माह राजधानी से संबंधित गेहूं की मांग और सप्लाई का मासिक औसत क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान अर्थात् जनवरी, 1981 से प्रति माह चावल की मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है; और

(ग) दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की जनवरी, 1981 से प्रतिमाह गेहूं व चावल की मांग और आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है :—

(आंकड़े हजार मीटरी टनों में)

मास	गेहूं			चावल		
	मांग	आवंटन	उठाई गई मात्रा	मांग	आवंटन	उठाई गई मात्रा
जनवरी, 1981	65.8	40.0	45.8	56.7	16.0	6.6
फरवरी, 1981	66.4	40.0	36.6	57.2	16 0	7.7
मार्च, 1981	67.2	40.0	40.3	58.5	16.0	9.8
अप्रैल, 1981	67 0	40.0	35.3	57.7	16.0	9.1
मई, 1981	66.9	40.0	28.6	57.4	16.0	8.7
जून, 1981	67.5	40.0	28.9	57.8	16.0	10.1
जुलाई, 1981	68.4	40.0	35.5	58.4	16.0	10.7
अगस्त, 1981	69.0	40.0	37.9	58.4	16.0	10.3
सितंबर, 1981	68.8	40.0	38.4	58.4	16.0	14.4
अक्तूबर, 1981	70.0	40.0	38.0	59.2	16.0	12.7
नवंबर, 1981	70.9	40.0	39.2	59.5	16.0	13.7
दिसंबर, 1981	70.5	40.0	41.1	59.7	16.0	12.6
जनवरी, 1982	71.2	40.0	40.0	59.9	16.0	11.7
फरवरी, 1982	72.0	40.0	37.3	60.4	16.0	12.1
मार्च, 1982	72.1	40.0	*	60.3	16.0	*

* भारतीय खाद्य निगम से अभी आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिये राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं :—

(1) आवश्यक वस्तुओं की वसूली, ढुलाई, भंडारण तथा वितरण के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित किया जाए;

(2) इस बात की आवश्यकता है कि राज्य नागरिक पूर्ति निगम अथवा राज्य स्तरीय सहकारी संगठन अथवा दोनों, जहां नही हैं, वहां इन्हें गठित किया जाए और जहां वे पहले से ही कार्य कर रहे हैं, वहां इन्हे उपयुक्त रूप से मजबूत किया जाए ;

(3) दूरस्थ तथा दुर्गम इलाकों में खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उचित तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन किया जाए;

(4) सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि कुछ समय के बाद संपूर्ण खुदरा बिक्री केन्द्र उन्हीं के द्वारा चलाये जा सकें;

(5) राज्य, जिला, ब्लाक तथा तालुका स्तरों पर उपभोक्ता सलाहकार समितियां गठित की जायें, जिनमें विधायक, पंचायतों के प्रतिनिधि तथा महिला मंडलों, आदि के प्रतिनिधि हों;

(6) जिला प्रशासन तंत्र को मजबूत किया जाये और इन तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का प्रभार केवल उन्हीं अधिकारियों को सौंपा जाए, जिन्हें इस कार्य में आवश्यक अभिरुचि तथा अनुभव है । आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूत किया जाये, ताकि जिला स्तर पर खुदरा बिक्री केन्द्रों का पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके; और

(7) इस प्रणाली के कार्यकरण की कारगर तथा समय से परिवीक्षा सुनिश्चित की जाये और केन्द्रीय सरकार को उससे समय-समय पर अवगत कराया जाता रहे।

नये बीस सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार पर जोर दें और दूरदराज के क्षेत्रों में और अधिक उचित दर की दुकानें, जिनमें चलती-फिरती दुकानें भी शामिल हैं, खोलें और साथ ही औद्योगिक मजदूरों तथा छात्रावासों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी दुकानें खोलें।

दिल्ली में संदर्भाधीन अवधि के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 786 उचित दर की दुकानें, मिट्टी के तेल के 395 नये डिपो तथा कोयले के 147 नये डिपो खोले गये हैं, ताकि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा सके । प्रर्वतन गतिविधियों में तेजी लाई गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वितरण न्यायोचित तथा उचित हो और राज सहायता प्राप्त खाद्य पदार्थ अनधिकृत माध्यमों को न पहुंच पायें । इस दृष्टि से कि विभागीय

कार्यवाही तेजी से निपटायी जाए और पर्यवेक्षी नियंत्रण में कड़ाई लाई जाए, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटों को भी मण्डलीय अधिकारियों के अधिकार सौंपे गए।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा तिलहन की नई किस्मों का विकास

7512. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने तिलहन की नई किस्मों का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त किस्मों के उत्पादन के लिए क्या प्रबंध किया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तिलहनों (तोरिया-सरसों तथा अरंडी) की कुछ नई किस्में विकसित की हैं । उन किस्मों के नाम तथा प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी जा रही हैं ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किस्मों के बीज किसानों के संवर्धन और वितरण हेतु राष्ट्रीय बीज निगम में उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषकों को उन्हें अपने संवर्धन हेतु जितना संभव हो सकता है, थोड़ी मात्रा में किस्मों के बीज सप्लाई करता है ।

विवरण

किस्में	औसत उपज (क्विंटल/ हैक्टेयर)	उपज क्षमता (क्विंटल/ हैक्टेयर)	तेल की मात्रा (प्रतिशत)	परिपक्वता (दिन)	अपनाये गये क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
		तोरिया			
भूरी सरसों					
पूसा कल्याणी (रिलीज की गई)	16.0—20.0	24.4	44.3	135-140	उ० प्र०, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, म०प्र० और पश्चिम बंगाल
डी०बी०एस०-1	15.0—18-0	23.8	42.0	130-134	दिल्ली, उ० प्र०, बिहार और हरियाणा
बी०आई०डी०-1	15.5—19.0	23.0	44.3	135-140	दिल्ली, उ० प्र० और हरियाणा
बी०आई०डी०-2	15.0—20.0	23.0	43.0	130-140	दिल्ली, उ०प्र० और बिहार

जारी.....

1	2	3	4	5	6
बी०आई०डी०-3	16.0—18.6	27.0	48.4	130-140	दिल्ली और उ० प्र०
पीली सरसों					
डी०वाई०एस०-1	15.0—2.00	24.81	44.5	130-135	दिल्ली, उ०प्र०, बिहार, हरियाणा और पंजाब
डी०वाई०एस०-2	14.0 —18.0	20.50	43.3	130-130	दिल्ली, उ० प्र०, बिहार, हरियाणा और पंजाब
डी०वाई०एस०-3	15.0—20.0	23.40	43.4	135-140	दिल्ली, उ० प्र०, बिहार, हरियाणा और पंजाब।
		तोरिया			
असम मास सैलेक्शन	8.0—10.0	12.3	40.4	90-95	दिल्ली, उ० प्र०, हरियाणा और पंजाब
		सरसों			
पी०आर०-50 (पूसा बोल्ड)	16.5—20.0	28.4	43.4	135-140	दिल्ली, उ० प्र०, और पश्चिम बंगाल
पी०आर०-45	16.0—19.5	26.3	42.6	135-140	दिल्ली, उ० प्र० और पश्चिम बंगाल
पी०आर०-30	16.0—20.0	26.5	40.4	135-140	दिल्ली, उ० प्र० और पश्चिम बंगाल
पी०आर०-10 (पूसा अगेती)	15.0—18.5	22.8	41.1	120-25	दिल्ली और उ० प्र०
पूसा किसान (टी० 6342)	16.0—20.0	32.8	41.0	140-150	राजस्थान और पश्चिम और मध्य उ० प्र०
पूसा क्रान्ति (पी० 26/21)	15.7—19.8	28.1	40.0	135-145	उ०प्र०, हरियाणा, पंजाब और म० प्र०

भाग 'ख' : पहले ही रिलीज की गई नई अरंडी की किस्मों की प्रमुख विशेषताएं ।

गुण	अरुणा	भाग्य (63)	सौभाग्य (157-बी)
उपज (क्विंटल/हैक्टेयर)	20-30	20-35	25-40
पकने की अवधि (दिन)	120-150	120-150	140-240
बीज का आकार	छोटा	मीडियम बोल्ड	छोटा
बीज प्रति किलो	6,000	3,500	5,800
तेल की मात्रा (1%)	51-52	52-54	50-51
विशिष्ट गुण	—	—	विशेष रूप से अन्त: फसल के लिए उपयुक्त।

नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा

धान की नई किस्म का विकास

7513. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 'प्लांट ब्रीडिंग' विभाग ने धान की एक नई किस्म विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पादों के मूल्यों को सीमाबद्ध करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय करार

7514. **श्री के मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के मूल्यों को सीमाबद्ध करने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय करार किए जाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) से अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ अन्य देशों के साथ भी इस मामले पर चर्चा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में खाद्य और कृषि संगठन तथा अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का अभाव

7515. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के बावजूद इसकी कमी है;

(ख) यदि हां, तो देश में इसकी कमी के क्या कारण हैं और सरकार ने इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार ने नाइट्रोजन उर्वरक युक्त की राज्यवार कितनी कमी निर्धारण की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

वन अनुसन्धान प्रशिक्षण कार्यक्रम

7516. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में गहन वन अनुसधान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने देहरादून में उपर्युक्त वन अनुसंधान प्रशिक्षण कालेज के लिए कम्प्यूटर से नियंत्रित होने वाली 'स्ट्रेस ग्रेडिंग' मशीन देने के लिए ब्रिटेन को आर्डर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस मशीन का मूल्य क्या है; और

(घ) इसके देश में कब तक आने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय निगम

7517. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फलों, सब्जियों और कुछ अन्य नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय निगम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निगम की शाखाएं विभिन्न राज्यों में भी होंगी; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

राज्यों में खाद्यान्न के रक्षित भंडार

7518. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य स्तर पर भी खाद्यान्न के रक्षित भंडार बनाए जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं। खाद्यान्नों का बफर स्टाक अखिल भारत आधार पर रखा जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में सागवान के वृक्ष उगाना

7519. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के जंगलों में सागवान के वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई अनुसधान और सर्वेक्षण करने का है;

(ख) क्या इसी तरह का कार्यक्रम कुछ अन्य राज्यों में भी शुरू किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिए चुने गये राज्यों के क्या नाम हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

7520. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के अन्तर्गत कितनी सहकारी समितियां स्थापित की गईं तथा 31-3 1982 को राज्यवार कुल कितनी सहकारी समितियां स्थापित की गईं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डार-व-दुकान खोलने के लिए इन सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दे रही है और साथ ही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण आरम्भ करने के लिए, जिसमें भंडार-एवं-दुकानें खोलना भी शामिल है, वित्तीय सहायता दे रही है। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान शहरी उपभोक्ता सहकारी समितियों के जितने नये बिक्री केन्द्रों और जितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्तीय सहायता दी गई उनकी संख्या संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(घ) व (ङ) छठी पंचवर्षीय योजना में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए 20 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है; और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को सहायता देने के लिए 55.56 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। इस बारे में राज्यवार कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है। राज्य सरकारों से मिलने वाले प्रस्तावों पर उनकी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता आदि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने के लिए जिन नए बिक्री केंद्रों और ग्राम सोसायटियों को सहायता दी गई, उनकी संख्या।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शहरी सोसायटियों के नये बिक्री केंद्रों की संख्या			ग्राम सोसायटियों की सं० जिन्हें सहायता दी गई		
		1980-81	1981-82	कुल	1980-81	1981-82	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	177	188	365
2.	असम	5	5	10	—	—	—
3.	बिहार	1	1	2	544	528	1072
4.	गुजरात	1	—	1	4	1	5
5.	हरियाणा	17	10	27	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	206	249	455
7.	जम्मू व कश्मीर	3	—	3	—	—	—
8.	कर्नाटक	1	1	2	721	175	896
9.	केरल	1	—	1	476	166	642
10.	मध्यप्र देश	4	1	5	1968	1214	3182
11.	महाराष्ट्र	11	—	11	96	94	190
12.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	8	4	12	81	57	138
16.	पंजाब	—	—	—	244	413	657
17.	राजस्थान	24	—	24	780	324	1104
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	17	—	17	185	—	185
20.	त्रिपुरा	—	—	—	77	8	85
21.	उत्तर प्रदेश	106	11	117	1842	3567	5409
22.	पश्चिम बंगाल	5	—	5	200	151	351
23.	दिल्ली	—	10	10	—	—	—
	योग :	204	43	247	7601	7135	14736

प्रगति मैदान में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कार्यकरण की जांच

7521. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रगति मैदान में एशियाड, 1982 के लिए कार्य कर रहे राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) क्या घटिया सामान को अधिक दरों पर खरीदा जा रहा है और ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा शुरू किया गया कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) ठेकेदारों को समय पर भुगतान कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जांच करने का कोई अवसर नहीं आया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मई, 1982 के अन्त तक ।

(घ) सहमति की शर्तों के अनुसार भुगतान पहले ही समय पर शीघ्र किया जा रहा है ।

बिहार के जिला भागलपुर के चन्दन बांध का अधिकार क्षेत्र

7522. **श्री समीनुद्दीन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है जिला भागलपुर में बांका बरोहर, राजौन, धौरैया, बहुन्सी ब्लाक और पौरेय्या तथा गौटा ब्लाक और जिला संथाल परगना के अन्य भाग, का अधिकतर भाग, बिहार के भागलपुर जिला में चन्दन बांध के प्रभाव क्षेत्र घोषित किये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त ब्लाकों में वर्ष 1979 और 1981 में बांध में जल की अनुपलब्धता के कारण सिंचाई नहीं हो पाई तथा इन सब क्षेत्रों को सूखा व अकाल क्षेत्र घोषित किया गया था; और

(ग) क्या सरकार किसानों को लघु सिंचाई योजना की सुविधा सुलभ करने हेतु कोई कदम उठायेगी और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे स्थानापन्न तदर्थ सहायक

7523. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के ऐसे कितने तदर्थ सहायक हैं जो अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न तौर पर काम कर रहे हैं और कब से;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को ऐसे नियमित उम्मीदवारों की सूची मिली है जिन्होंने अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की सयुक्त विभागीय परीक्षा, 1980 उत्तीर्ण की थी, यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मंत्रालय में नियुक्त नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केवल तदर्थ नियुक्तियों की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए कहीं उपर्युक्त उल्लिखित उम्मीदवारों को नहीं लिया गया जो कि नियमों के विरुद्ध है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, कोई नहीं।

(ख) जी, हां! परीक्षा कोटा के प्रत्याशियों की चार रिक्तियों पर इस मंत्रालय के लिए परीक्षा कोटा में से सात प्रत्याशियों को नामित किया गया है। इन सात नामित प्रत्याशियों में से चार को नियुक्त किया जा चुका है तथा शेष को परीक्षा कोटा में रिक्तियों की कमी के कारण नियुक्त नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

"फर्टिलाइजर यूज फाल्स इन वेस्ट बंगाल" शीर्षक समाचार

7524. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1982 के 'इकनामिक टाइम्स' में "फर्टिलाइजर यूज फाल्स इन वैस्ट बंगाल" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) यह समाचार उड़ीसा, असम तथा बिहार में उर्वरकों की अच्छी खपत की तुलना में रबी 1981-82 के दौरान पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की खपत में हुई कमी से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की खपत में कमी आने के ये कारण रहे हैं :—उर्वरकों की ऊंची कीमत, वर्षा न होना, अपर्याप्त सिंचाई तथा धान उत्पादक क्षेत्रों में वाइरस के संक्रमण से फसल को नुकसान पहुंचना।

(ग) उर्वरकों की खपत कई बातों पर निर्भर करती है अर्थात: मौसम, सिंचित तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत लाए गए क्षेत्र के विस्तार, उर्वरकों का प्रयोग किए जाने के संबंध में किसानों की जानकारी, ऋण, पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उर्वरकों की उपलब्धि तथा उर्वरकों के उपभोग का लागत-लाभ अनुपात। सभी प्रयासों के बावजूद रबी 1981-82 के दौरान पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की खपत मुख्यत: असामान्य मौसम की परिस्थितियों, जिसमें राज्य में पड़ा सूखा तथा तूफान भी शामिल है, के कारण प्रभावित हुई।

देश में उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) फसलों के समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उर्वरकों के बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखा गया है।

(2) देशीय उत्पादन तथा आयात के जरिए उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उपलब्धि सुनिश्चित की जा रही है।

(3) गहन अध्ययन किए जाने तक 15.8.1981 से तदर्थ आधार पर वितरण सीमांत करीब 22 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

(4) उन चुनींदा जिलों में जहां खपत की क्षमता है, किन्तु इस समय खपत कम है, गहन उर्वरक संवर्धन अभियान चलाया गया है।

(5) समूचे देश में खंड मुख्यालयों तक सरकारी खर्च पर उर्वरकों की सुपुर्दगी की जा रही है।

(6) 1981-82 में उर्वरकों सहित आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए राज्यों को अल्पकालीन ऋण की सीमा 200 करोड़ रुपए रखी गयी है, जब कि 1979-80 में यह 136 करोड़ रुपए थी।

किसानों को कृषि उत्पादों के लिये बेहतर मूल्य

7525. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार को किसानों को कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्य पर बेहतर मूल्य देने में कठिनाई हो रही है क्योंकि ऋण पर लगी रोक बाधक बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में बैंकों ने सहयोग नहीं किया है; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय इस मामले पर आगे कार्यवाही करेगा और किसानों को सुविधा दिलाने की कोशिश करेगा और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क), (ख) और (ग) भारत सरकार ने वर्तमान खरीफ 1981-82 मौसम के लिए धान और मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य निर्धारित किये थे और उन्होंने राज्यों को परामर्श दिया था कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से अधिक वसूली मूल्य घोषित न करें। राज्य की वसूली एजेन्सियों को भारत के रिजर्व बैंक द्वारा गठित कंसोरशियम के माध्यम से ब्याज की रियायती दर पर, जोकि इस समय 12.5 प्रतिशत है, ऋण सुलभ किया जाता है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्यों ने या तो राजसहायता, बोनस के रूप में अथवा परिवहन लागत के रूप में ऊंचे मूल्यों की घोषणा की थी। क्योंकि यह राष्ट्रीय खाद्य नीति और खाद्य ऋण प्रबन्धों के अनुरूप नहीं है, इन राज्यों से वाणिज्यिक दर पर अर्थात् 19.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज लिया जाता है। अत: ब्याज की वाणिज्यिक दर पर ऋण अभी भी उपलब्ध है।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड नई दिल्ली में उपदान (ग्रेच्यूटी) को रोकना

7526. **श्री के० लकप्पा**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को उपदान की समूची राशि रोकने के कितने मामले गत वर्ष से विचाराधीन हैं;

(ख) रोकी गई राशि सहित इनका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपदान की समूची राशि रोकने का यह कार्य भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे मामलों में, जहां राशि रोकी गई है, ब्याज देगी;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं; और

(च) क्या सरकार इन मामलों में उपदान की राशि तत्काल देने के लिए आदेश देगी?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1-4-1982 को गत एक वर्ष से भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली के किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के बारे में ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण राशि रोकने का मामला निलम्बित नहीं है ।

(ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा डाक्टरी आधार पर आवासीय क्वार्टरों का आवंटन

7527. **श्री के० लकप्पा**
श्री डी०एम०पुत्ते गौडा } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च 1982 में नई दिल्ली नगरपालिका के प्राधिकारियों ने अपने कर्मचारियों के लिए 75 आवासीय क्वार्टरों का आवंटन किया है, जिसमें से 16 क्वार्टर डाक्टरी आधार पर आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे आवेदनों पर नगर पालिका के चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर ही विचार किया जाता है;

(ग) क्या इस प्रक्रिया का उपरोक्त 16 व्यक्तियों के मामले में पालन किया गया है तथा उन्हें अपेक्षित डाक्टरी सिफारिशों के आधार पर ही आवासों का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन 16 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही चिकित्सा बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए वास्तविक मामलों की उपेक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका की इस कार्यवाही से ऐसे कितने व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा है तथा पालिका द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

डी० डी० ए० द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धर्मार्थ तथा सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन

7528. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०ए० ने दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान मन्दिरों/कार्यालयों भवनों, आदि के निर्माण के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्य, धर्मार्थ अथवा समाज सेवी संस्थाओं को भूमि के कोई प्लाट आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी संस्थाओं को भूमि आवंटित की गई है और कितनी को देना विचाराधीन है;

(ग) विचाराधीन आवेदकों को किस संभावित तारीख तक प्लाट दे दिए जायेंगे; और

(घ) इन प्लाटों के आवंटन का क्या मानदंड है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा

7529. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये 1 जनवरी, 1982 को नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चीनी का प्रति व्यक्ति कोटा कितना था;

(ख) देश में सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिये समान कोटा न देने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र को चीनी का कोटा किस आधार पर आवंटित किया जाता है और 1 जनवरी, 1982 को प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के लिए कितना कोटा था;

(घ) क्या त्यौहारों/शादियों आदि के लिए कोई अतिरिक्त कोटा आवंटित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में 1.1.82 को लेवी चीनी के वितरण की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 3887/82 हालांकि अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण की मात्रा समान होती है लेकिन कुछेक राज्यों में दोनों क्षेत्रों में वितरण की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है । प्रत्येक राज्य में लेवी चीनी का वितरण करने के कार्य के बारे में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है ।

(ग) मार्च, 1982 तक राज्य/संघ शासित प्रदेशों के लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे 1.4.78 को परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम की प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर आधारित थे लेकिन कुछेक मामलों में अर्थात् गुजरात, नागालैंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, गोआ, दिल्ली दमन और दीव तथा लक्षद्वीप को अधिक कोटे दिए गए थे । अप्रैल, 1982 से, राज्यवार कोटों को 1.3.81 को जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता के आधार पर बढ़ा दिया गया है । एक विवरण (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिएसंख्या एल० टी० 3887/81) संलग्न है जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के 1.1.82 तथा 1.4.82 को लेवी चीनी के मासिक कोटे का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय त्यौहारों, शादियों आदि के लिए कोई अतिरिक्त लेवी चीनी आवंटित नहीं की जा रही । है तथापि, कुछेक राज्य सरकारों के अनुरोध पर इन प्रयोजनों के लिए उन्हें

लेवी चीनी का अग्रिम तदर्थ आवंटन इस शर्त पर किया गया था कि उसका उनके आगामी महीनों के कोटे में समायोजन कर दिया जाएगा ।

भाण्डागार क्षमता का उपयोग

7530. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाण्डागार के महत्व के बारे में किसानों को जानकारी देने तथा इस प्रयोजन के लिये बनी विशिष्टियों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाकर उनके उत्पादों का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले और क्या प्रयोजन के लिए कोई प्रतिपुष्टि जानकारी सेवा भी चल रही है; और

(ग) क्या ऐसे भी कुछ मामले हैं जहाँ उपलब्ध भाण्डागार स्थान का पूरी तरह और वैज्ञानिक ढंग से उपयोग नहीं किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने 22 केन्द्रीय भाण्डागारों में "किसान विस्तार सेवा योजना" शुरू की है ताकि उन्हें सार्वजनिक भाण्डागार और वैज्ञानिक भण्डारण के लाभों के बारे में शिक्षित किया जा सके । भाण्डागारों के इर्द-गिर्द के गांवों के किसानों को प्रदर्शनों और अन्य साधनों के माध्यमों से इन पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जाता है ।

खाद्यान्नों का भण्डारण और परिरक्षण करने के उपयुक्त तरीकों के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए खाद्य विभाग भी विभिन्न राज्यों में "अन्न सुरक्षा अभियान" नामक एक योजना चला रहा है । उन्हें अनाज को शुष्क और साफ करने के बारे में सलाह दी जाती है ताकि अनाज को विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप लाया जा सके जिससे उन्हें अपने अनाज के अच्छे दाम मिल सकें ।

(ख) इस संबंध में जितनी संख्या में किसानों ने अभिरुचि दिखाई है वह प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न है । एक प्रतिपुष्टि जानकारी योजना लागू है ।

(ग) निगम के पास उपलब्ध भाण्डागारण स्थान का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया जाता है । 28.2.82 तक उपलब्ध सूचनानुसार निगम के पास उपलब्ध भाण्डागारण क्षमता का वास्तव में 95 प्रतिशत इस्तेमाल किया जा रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भेड़ जांच रिपोर्ट

7531. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भेड़ जांच रिपोर्ट भाग एक, दो और तीन अक्तूबर, 1980, जून 1981 और फरवरी, 1982 में प्राप्त हो गई थी जैसा कि बिजनैस स्टैंडर्ड (7-3-1982) में प्रकाशित हुआ है और यदि हां, तो इन रिपोर्टों में क्या मुख्य निष्कर्ष दिये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने के बजाय उनमें से कुछ अधिकारियों की पदोन्नति की गई है और यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुख्यालय के उच्च प्रबन्ध के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या इनमें बताई गई गम्भीर बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की जांच करेगी और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए समय पर उपचारात्मक कार्यवाही करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भेड़ जांच रिपोर्ट का भाग-I अक्तूबर, 1980 में प्राप्त हुआ जबकि भाग-II फरवरी, 1981 और रिपोर्ट के भाग-I के परिशिष्ट के साथ भाग III (अन्तिम रिपोर्ट) फरवरी, 1982 में प्राप्त हुआ था। जांच समिति की रिपोर्ट एक भारी भरकम कागजात (दस्तावेज) है और परिषद् में उस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है। भेड़ जांच समिति का गठन परिषद के शासी निकाय द्वारा किया गया था और परिषद् की टिप्पणी के साथ इस जांच समिति की रिपोर्ट शासी निकाय के समक्ष उनके विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कोई ऐसी पदोन्नति नहीं की गयी है जो परिषद् के नियम और विनियमों के अनुसार नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दोष साबित होता है, तो उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में स्पष्ट किये गये तथ्य को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

चंडीगढ़ में सफाई-कर्मचारियों के लिये मुफ्त मकान

7532. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ में सफाई-कर्मचारियों को मकान मुफ्त देने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : चण्डीगढ़ प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

1981-82 और 1982-83 में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों पर व्यय

7533. **श्री हरीश रावत** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में 1981-82 में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों पर कितना व्यय किया गया और 1982-83 में अनुमानत: कितना व्यय किया जायेगा;

(ख) क्या बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नदियों के दोनों किनारों पर पेड़ लगाने का सघन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आरम्भ करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) 1981-82 के दौरान बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के अन्तर्गत प्रत्याशित व्यय लगभग 177·00 करोड़ रुपये है। 1982-83 के लिए बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के लिए सेक्टर-वार परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के अन्तर्गत ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डी० डी० ए० द्वारा निर्धारित ऊंचाई से अधिक ऊंचे भवनों का निर्माण

7534. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० ने वर्ष 1977 और 1979 में दिल्ली में किसी भवन के निर्माण, विशेषकर भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के निर्माण के लिये निर्धारित ऊंचाई से अधिक ऊंचे भवन की अनुमति दी थी; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति किन नियमों के अन्तर्गत दी गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श के आधार पर भारत पर्यटन विकास निगम के 212 फी० की ऊंचाई वाले कनिष्क होटल तथा अशोक यात्री निवास के भवन नक्शों को नई दिल्ली नगर पालिका ने 27-1-1979 को स्वीकृत किया था।

(ख) होटल, बोर्डिंग हाउस, अतिथि गृह, होस्टल, आवास गृह तथा होटल (भवन मानक) विनियमन, 1977 के अन्तर्गत, दिल्ली में कोई होटल 120-फी० अधिकतम ऊंचाई का हो सकता है जब तक कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो अथवा हवाई पत्तन विनियम द्वारा यथा अपेक्षित हो ।

ओलावृष्टि के कारण हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए दल भेजने हेतु मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध

7535. **श्री कमल नाथ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अनुरोध मिला है जिसमें ओलावृष्टि के कारण हुई हानि का स्थल पर अनुमान लगाने के लिये दल भेजने हेतु कहा गया है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) जी हां। एक केन्द्रीय दल ने 27 तथा 28 मार्च, 1982 को ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। उनकी रिपोर्ट मिलने पर आगे कार्यवही की जायेगी ।

भारत-आस्ट्रेलिया पशु प्रजनन परियोजना हिसार के लिए आस्ट्रेलिया के साथ करार

7536. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिसार में भारत-आस्ट्रेलिया पशु प्रजनन परियोजना के लिए आवश्यक उपकरण, सलाहकार और प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए आस्ट्रेलिया के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किये गये करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त परियोजना पर कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार और आस्ट्रेलिया सरकार के बीच 5 जुलाई 1980 से तीन वर्ष की और अवधि हेतु परियोजना की अवधि बढ़ाने के लिए 30-12-1981 को भारत-आस्ट्रेलिया पशु प्रजनन परियोजना के समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस अवधि के दौरान आस्ट्रेलिया सरकार और भारत सरकार के अंशदान की अनुमानित लागत क्रमशः 1,680,000 आस्ट्रेलियन डालर और 1,30,000,00 रु० हो गई। आस्ट्रेलिया की सहायता वाहनों, मशीनरी, उपस्करों, फालतू पुर्जों, से सलाहकारों, परियोजना से सम्बद्ध भारतीय कर्मचारियों को आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण हेतु पुरस्कारों आदि के रूप में होगी। भारत का अंशदान मुख्यतः भूमि, देशी पशु, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी, वाहनों, मशीनरी और उपस्कर आदि की लागत से संबंधित होगी।

(ग) यह एक चालू परियोजना है।

तैयार खाद्य उद्योग का विस्तार

7537. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तैयार खाद्य उद्योग का विस्तार करने की भारी संभावना थी

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या उद्योग द्वारा निर्यात मंडी में वृद्धि के लिये मशीनरी विशेष रूप से पैकेजिक उपकरणों के शुल्क मुक्त आयात करने की मांग पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) : भारत में विधायित खाद्य उद्योग का विस्तार करने की बहुत अधिक सम्भाव्यता है।

(ख) इस दिशा में कुछेक महत्वपूर्ण पग उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है। उनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

(i) सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में खाद्य विधायन यूनिट लगाए गए हैं।

(ii) खाद्य विभाग में व्यवहार्यता/परियोजना रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए एक परामर्शदात्री सैल स्थापित किया गया है।

(iii) विधायित खाद्य पदार्थों पर गुण नियंत्रण रखा जाता है।

(iv) लघु उद्योग के बारे में संयंत्र और औजारों से संबंधित सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

(v) फल और सब्जी विधायन उद्योग के विकास के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन एक विकास परिषद का गठन किया गया है।

(vi) विधायित खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग की सहायता करने के लिए एक विधायत खाद्य निर्यात संवर्द्धन परिषद् है।

(vii) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम नासक एक निगम स्थापित किया जा रहा है जिसका मुख्यालय असम में होगा। यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बागबानी उत्पादों के विधायन और विपणन से संबंधित कार्य को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जा रहा है।

(viii) विशेषतया फलों और सब्जियों का विधायन करने और विधायित पदार्थों का विपणन करने के उद्देश्य से एक फल तथा सब्जी उत्पाद विकास निगम की स्थापना करने विषयक एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ix) विधायन और विपणन के साथ बागवानी उत्पादन को समाकलित करने के उद्देश्य से कर्नाटक और बिहार में कृषि औद्योगिक काम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) 100 प्रतिशत निर्यात मूलक यूनिटों को पूंजीगत माल और उपकरणों का शुल्क/मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है ।

उच्च ज्वार के कारण क्षति का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय दल का सुन्दरवन का दौरा

7538. **डा० कृपासिंधु** भोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1981 में दूज के चांद के दिन उच्च ज्वार से हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए उनके मंत्रालय से एक केन्द्रीय दल ने जनवरी, 1982 में सुन्दरवन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई; और

(ग) पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार को प्रदान किये गये राहत और पुनर्वास के उपाय क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार क्षति की मात्रा निम्नलिखित है :—

पश्चिम बंगाल	
प्राभवित जन संख्या	37 लाख
मृत व्यक्तियों की संख्या	198
लापता व्यक्तियों की संख्या	219
मारे गए गौ पशु/भैंसें	37,400
रक्षात्मक तटबन्धी, सार्वजनिक सड़कों, मात्स्यकी सम्पत्ति, पंचायत सम्पत्ति/ स्कूल के भवनों जैसी सम्पत्ति का नुकसान	मरम्मत और फिर से ठीक-ठाक करने के लिए 43.44 करोड़ रु०

(ग) केन्द्रीय दल जिसने पश्चिम बंगाल का 6 से 8 जनवरी, 1982 तक दौरा किया था, की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1981-82 में 1817.87 लाख रुपए और 1982-83 में 757.50 लाख रुपए के अधिकतम खर्च की मंजूरी प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास और समुद्री तूफान से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत और उसे ठीक-ठाक करने के लिए दी। राज्य सरकार को दी गयी केन्द्रीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :—

1981-82

(क) राहत	(लाख रुपए)
(1) समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य के कार्य	80.00

(लाख रुपए)

(2) प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों, गर्भवती/ दूध पिलाने वाली स्त्रियों आदि के लिए 45 दिन तक आपातकालिक पोषाहार कार्यक्रम 50.00

(3) मृत और लापता व्यक्तियों के परिवारों को 1000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से अनुग्रह राशि का भुगतान 4.17

(4) छोटे| सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के स्वामित्व के पशुओं के लिए चारे की सप्लाई और पशु चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था । 28.17

(ख) पुनर्वास

(1) क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए सहायता 70.00

(2) छोटे और सीमांत/भूमिहीन किसानों को तूफान में मारे गये पशुओं के बदले दूसरे पशुओं की खरीद करने के लिए लागत के क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 33⅓ प्रतिशत के हिसाब से सहायता 54.00

(3) कुटीर उद्योगों के मालिकों को दी गयी सहायता :

(क) करघों/औजारों और संयंत्रों को बदलने/मरम्मत करने तथा धागे और अन्य कच्चे माल की खरीद करने के लिए हथकरघा बुनाई इकाइयां और कुटीर उद्योगों की इकाइयां 63.20

(4) नावों और जालों की खरीद, मछली तालाबों की मरम्मत/पुनर्नवीकरण और रियायती दर पर अंगुलीमीन की खरीद के लिए मछुओं को सहायता 35.85

(ग) तूफान से क्षतिग्रस्त, सार्वजनिक सम्पति की मरम्मत/पुनः स्थापना

(1) 24 परगना/मिदनापुर क्षेत्र में तटबन्धों और जल विकास सेवाओं की मरम्मत/ पुनः स्थापना 799.00

	(लाख रुपए)
(2) स्वास्थ्य केन्द्रों/पंचायत भवनों/स्कूल भवनों/ वन विकास/लोक निर्माण विभाग की सम्पत्तियों की मरम्मत/पुनः स्थापना	58.55
(घ) तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में हस्त चलित नलकूपों को लगाकर और अन्य उपाय करके पेय जल को सप्लाई की फिर से ठीक-ठाक करना	222.00
(ङ) कृषि कार्य	
(1) अतिरिक्त मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना	1.28
(2) तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों को कम समय में तैयार होने वाली फसलें पैदा करने के लिए मिनीकिट, लवण रोधक धान के बीज, हरी-खाद के बीज और जैव खाद की सप्लाई करना	101.65
(च) रोजगार के अवसर पर पैदा करना	
तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में चल रही प्लान योजनाओं या उन नई योजनाओं के कार्यों में गति लाना जो योजना की परिधि में लाने लायक हों तथा जो योजना में शामिल की जा सकें ताकि छोटे और सीमान्त किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार की व्यवस्था की जा सके	250.00
1981-82 के दौरान खर्च की स्वीकृति की गयी कुल अधिकतम सीमा	1817.87

1981-82

(1) तूफान से क्षतिग्रस्त तटबन्धों की मरम्मत	250.00
(2) हस्त चालित नलकूपों आदि को लगाकर पेय जल की सप्लाई को पुनः शुरू करना	196.00
(3) तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता	61.50

(लाख रुपए)

(4) रोजगार के अवसर पैदा करना :

तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से योजना के चालू निर्माण कार्यों में गति लाना	250.00
1982-83 के दौरान स्वीकृत खर्च की अधिकतम सीमा	757.50
1982-82 और 1982-83 का कुल योग	2575.37

चीनी के मूल्य में प्रत्याशित कमी

7539. श्री जगदीश टाईटलर
श्री दया राम शाक्य } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता गन्ने के प्रचुर उत्पादन की अच्छी संभावनाओं के कारण चीनी के मूल्यों में भारी कमी की उम्मीद कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है कि जनता को निर्धारित दरों पर चीनी का उचित और पर्याप्त कोटा प्राप्त हो सके।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जहां तक लेवी चीनी के मूल्य का सम्बन्ध है, मौजूदा उपभोक्ता मूल्य जोकि 3.65 रुपये प्रति किलो है, में कोई कमी करने का विचार नहीं है। तथापि, अप्रैल, 1982 से लेवी चीनी का मासिक आवंटन 2.71 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 2.94 लाख मीटरी टन कर देने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए लेवी चीनी की उपलब्धता में वृद्धि हो गयी है।

खुली बिक्री की चीनी के मूल्य मांग और सप्लाई की बाजार शक्तियों द्वारा शासित होते हैं। उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखकर प्रतिमास खुली बिक्री की चीनी की सूझ-बूझ से से नियुक्ति कर मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जाता है।

लेवी चीनी और खुली बिक्री की चीनी का अनुपात इस समय 65:35 है।

कृषि उत्पादन के विपणन में सहकारी क्षेत्र का कार्य-क्षेत्र

7540. श्री जगदीश टाईटलर
श्री पी० एम०सईद } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृषि उत्पाद के विपणन में सहकारी क्षेत्र का कार्य-क्षेत्र बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि नकदी फसलों, फलों और सब्जियां के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित हो सकें।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन फार्म उत्पादों के सार्वजनिक वितरण के लिए किन तरीकों और साधनों की योजना बनाई गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) जी हां। सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादों के विपणन के मामले में सहकारी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। सहकारी समितियों द्वारा कृषि उत्पादों की संभाल को, जो कि 1979-80 में लगभग 1800 करोड़ रुपये के मूल्य की थी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 1984-85 में 2500 करोड़ रुपये तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। 1980-81 के दौरान 1950 करोड़ रुपए की उपलब्धि थी। 1981-82 के दौरान 2100 करोड़ रुपए की उपलब्धि का अनुमान है और 1982-83 के लिए 2300 करोड़ रुपए के लक्ष्य का प्रस्ताव है। सहकारी समितियों द्वारा किए गए कृषि उत्पादों के विपणन में लगभग 65 से 70 प्रतिशत विपणन नगदी फसलें जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, पटसन, बागान फसलों, फलों और सब्जियों आदि का होता है। सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाना है।

(ग) गन्ने से बनाई जाने वाली चीनी को छोड़ कर किसी अन्य नकदी फसल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। चीनी की वर्तमान दोहरी मूल्य नीति के अनुसार चीनी उत्पादन का 65 प्रतिशत भाग चीनी मिलों द्वारा सप्लाई करना होता है, जिसमें सहकारी चीनी मिलें भी शामिल हैं। यह सप्लाई उचित दर की दुकानों के जरिए वितरित करने के लिए पूर्व निर्धारित मूल्यों पर लेवी के रूप में की जाती है।

मत्स्य परियोजनाओं में सुधार

7541. **श्री हरिहर सोरन**
श्री अनादि चरण दास
श्री मोहन लाल पटेल } : **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की छठी योजनावधि के दौरान मत्स्य परियोजनाओं में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या योजना आयोग ने उनके मन्त्रालय को सुझाव दिया है कि वह कुछ राज्यों में मत्स्य परियोजनाओं की तत्परता से कार्यान्वित करें;

(ग) यदि हां, तो मत्स्य पत्तन परियोजनाओं की परिचालन लागत और समय पर नियंत्रण करने और इनके दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग द्वारा क्या वास्तविक उपायों का सुझाव दिया गया है; और

(घ) इस बारे में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। समस्त मत्स्य परियोजनाओं के सामान्य सुधार से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस मन्त्रालय ने योजना आयोग से कुछ समय पहले से कार्यरत कुछ मत्स्यपत्तनों का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया था ताकि इन बातों का अध्ययन किया जा सके; किस सीमा

तक पत्तन सुविधाओं का सृजन किया गया तथा निवेश किया गया और इन सुविधाओं के सृजन आदि के परिणामस्वरूप किस प्रकार के लाभ हुए।

(ग) योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन संगठन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की है:—

(1) मछली, बर्फ, शीतागार की सम्भाल के लिये मत्स्यन पत्तनों तक मछली उतारने के छोटे केन्द्रों की व्यवस्था करना जरूरी है।

(2) सहकारी समितियों से मिलने वाली वित्तीय सहायता सहित संस्थागत वित्तीय सहायता को अधिक होना चाहिए।

(3) विस्तार तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिये।

(4) नावों के पंजीयन के लिये उपयुक्त कानून होना चाहिए; तथा

(5) देशी नौका प्रचालकों के लिए क्षेत्र का सीमांकन होना चाहिये।

रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पांच परियोजनाओं में लागत एवं समय अधिक लगा।

(घ) नए मत्स्यन पत्तनों से सम्बन्धित योजनाएं तैयार करते समय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

भूमि के अधिक क्षेत्रों को काजू की खेती के अन्तर्गत लाना

7542. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान काजू उत्पादक राज्यों में भूमि के अधिक क्षेत्रों को काजू की खेती के अन्तर्गत लाने के लिये उनके मन्त्रालय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वित्तीय वर्ष में भूमि के अधिक क्षेत्रों को काजू की खेती के अन्तर्गत लाने के लिये विभिन्न राज्यों में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम क्या हैं; और

(ग) काजू की खेती के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्यों को किये गये वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान काजू उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों अर्थात केरल, कर्नाटक; आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और गोवा में काजू के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 35,965 हैक्टेयर क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है।

इसके वर्ष अलावा विश्व बैंक की 38.36 करोड़ रुपये की सहायता से एक बहु राज्य काजू परियोजना को 1980-81 से 5 वर्ष की अवधि के लिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि काजू के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाया जा सके।

(ग) 1980-81 के दौरान भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को काजू विकास से

सम्बन्धित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत किये गये वित्तीय आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	(लाख रुपये) 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी सहायता
1. केरल	17.585
2. कर्नाटक	5.110
3. आंध्र प्रदेश	13.500
4. महाराष्ट्र	0.900
5. तमिलनाडु	3.620
6. उड़ीसा	32.440
7. पश्चिम बंगाल	0.585
8. गोवा, दमन और दीव	9.665
योग	83.405

मूंगफली के तेल का आयात

7543. **श्री नवीन रवाणी** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली के तेल का आयात किया जाता है; यदि हां, तो वर्ष 1981 के दौरान कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया और किस देश से तथा किस दर पर;

(ख) किस एजेंसी के माध्यम से इसका आयात और वितरण किया गया था और किस दर पर; और

(ग) गुजरात राज्य की मांग पूरी करने के लिये वर्ष 1981 के दौरान इस राज्य को सप्लाई की गई मात्रा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) वर्ष 1981-82 की आयात नीति के अनुसार सभी वनस्पति तेलों का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है। इस वर्ष भारतीय राज्य व्यापार निगम ने मूंगफली के तेल का कोई आयात नहीं किया है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण आवासीय योजनायें

7544. **श्री नवीन रवाणी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत, राज्यवार, मकान उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित किया गया लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण आवास योजना कुछ राज्यों में लक्ष्य से बहुत पीछे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :(क) से(ग) छठी योजना के इस बात पर विचार किया गया है कि ग्रामीण भूमिहीन कामगारों की आवास-स्थल तथा निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत 36 लाख परिवारों को, जो भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या का लगभग 25 प्रतिशत है, निर्माण सहायता प्रदान की जाए।

1985 के लिए अनुमानित भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या और ऐसे परिवारों की संख्या जिन्हें 30-9-1981 तक सहायता दी गई, राज्यवार एक विवरण संलग्न है। योजना मापदण्डों के भीतर वाजिब आवास देने में कठिनाई तथा निर्माण सामग्री का अभाव, कमी के मुख्य कारण बताये जाते हैं।

(घ) इस योजना का कार्यान्वयन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किया जा रहा है। इसके प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु इसे नए 20-सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्यक्रम से उच्च प्राथमिकता दें और आवास तथा नगर विकास निगम, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा अन्य संस्थानों से उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पूरा लाभ उठाकर पर्याप्त बजट प्रावधान सुनिश्चित करे। उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि वे निधियों, सामग्रियों, कार्मिकों की उपलब्धता तथा कानूनी समस्याओं के सन्दर्भ में समन्वित कार्यान्वयन तथा सतत प्रबोधन के लिए विशेष कक्ष गठित करें।

विवरण

ग्रमीण भूमिहीन कामगारों की ग्रावास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	भूमिहीन परिवारों की संख्या			टिप्पणी
	1985 तक	30-9-81 तक लाभान्वित		
		आवास स्थलों द्वारा	निर्माण सहायता द्वारा	
1	2	3	4	5
	(आंकड़े हजार रुपये में)			
1. आंध्र प्रदेश	1960	1268	325	सरकार और लाभभोगियों के प्रयास से निर्मित

2.	असम	280	42	19	
3.	बिहार	2400	35 730	35	वासभूमि किरायेदारी अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमणों के विनियमन के जरिए
4.	गुजरात	610	462	176	
5.	हरियाणा	320	225	2	
6.	हिमाचल प्रदेश	नहीं	5	3	
7.	जम्मू तथा कश्मीर	20	6	1	
8.	कर्नाटक	1200	911	260	
9.	केरल	370	43	23	राज्य सरकार ने 2-10-75 तक आवास आवंटित किए जिस के पश्चात केवल आवास स्थलों का आवंटन किया गया।
10.	मध्य प्रदेश	1110	762	94	
11.	महाराष्ट्र	450	414	419	इनमें 'सी०' श्रेणी की नगरपालिका शामिल है।
12.	उड़ीसा	510	202	14	1-4-76 से, आवास स्थलों की विकास योजना का एकीकृत आवास आयोजना में बदल दिया गया है।
13.	पंजाब	350	295	16	
14.	राजस्थान	1040	854	66	
15.	तमिलनाडु	1840	839	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	
16.	त्रिपुरा	50	38	—वही—	

17.	उत्तर प्रदेश	1610	1237	14
18.	पश्चिम बंगाल	360	282	75

संघ राज्य क्षेत्र

1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	10	1	1
2.	चण्डीगढ़	—	00.5	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
3.	दादरा तथा नागर हवेली	—	1	0.3
4.	दिल्ली	10	12	1
5.	गोआ, दमण तथा दीप	10	01	0.3
6.	पांडिचेरी	10	12	7

उत्तर प्रदेश में शीतागार

7545. **श्री जेनुल बशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कितने शीतागार स्थापित किए जाने वाले हैं;

(ख) इन शीतागारों को कौन सी एजेंसी स्थापित करेंगी; और

(ग) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या है जहां ये स्थापित किए जाएंगे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) राष्ट्रीय विकास एशोसिएशन से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में 69 सहकारी शीतागारों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, जिला सहकारी संघों तथा प्राथमिक सहकारी समितियां द्वारा शीतागारों की स्थापना की जाएगी जिसके लिए उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ग) 69 शीतागारों में से 66 शीतागारों के लिए राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर स्थानों का पता लगा लिया गया है जिनका विवरण संलग्न हैं।

[ग्रन्थालय में रखा। गया देखिए संख्या एल० टी०3888/82]

हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग करने हेतु प्रबन्ध

7546. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के अधीन राजभाषा के रूप में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग करने हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान है;

(ख) उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार मंत्रालय, और इससे सम्बन्द्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी सम्पादकों, उपसम्पादकों, अनुवादकों आदि के कितने पद मंजूर किए गए हैं और इनमें कितने पद पिछले वर्ष से रिक्त हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि विभाग में कुछ उपलब्ध उपयुक्त उम्मीदवारों को इन रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है; और

(घ) हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु शीघ्र प्रयास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिन्दी पदों के सृजन के सम्बन्ध में अपने अ० स० पत्र सं० ई० 11015/17/73-रा० भा० सेल, दिनांक 6 अगस्त, 1973 द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय में एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा 3 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक होने चाहिए ।

(ख) और (ग) सिंचाई मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी का एक पद, हिन्दी अनुवादक ग्रेड एक के दो, और हिन्दी अनुवादक पद ग्रेड दो के दो पद तथा हिन्दी टाइपिस्ट के दो पद सृजित किए गए हैं। हिन्दी अधिकारी के पद को छोड़कर, ये सभी पद नियमित पदधारियों से भरे गए हैं। हिन्दी अधिकारी का पद, उसके धारक का वित्त मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) के पद पर चयन हो जाने के परिणामस्वरूप : 13-10-1981 (पूर्वाह्न) से रिक्त हो गया था। हिन्दी अधिकारी का पद तदर्थ आधार पर भरने के लिए कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी हैं।

सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) दस्तावेजों, पत्रों इत्यादि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है कि (i) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं, (ii) राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाएं, और (iii) हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इत्यादि और क्षेत्र 'ख' में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी पत्रादि अधिकतम संभवन सीमा तक हिन्दी में भेजे जाएं ।

(2) सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 'नकद पुरस्कार' के एक प्रोत्साहन योजना भी आरम्भ की गई है ।

(3) सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता के बारे में सभी संबंधितों पर समय-समय पर, विभिन्न मंचों पर बज दिया गया है ।

मद्रास पत्तन में खाद्यान्नों के उतारने के कारण भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि

7548. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि मद्रास पत्तन में आयातित गेहूं को मशीनों से उतारने के कारण भारतीय खाद्य निगम को हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं। अक्तूबर-नवम्बर, 1981 के दौरान मद्रास पत्तन पर केवल एक जहाज से आयातित गेहू का मशीनों से उतरान किया गया था। न केवल उतरान कार्य समय पर पूरा कर लिया गया था बल्कि भारतीय खाद्य निगम ने उक्त जहाज से लगभग 90,000 रुपये की डिस्पैच मनी भी कमायी थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पृथक मकानों के निर्माण के लिये "हुडको" के जरिए व्यक्तियों को ऋण

7549. **श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथक रिहायशी मकानों के निर्माण के लिये "हुडको" के जरिए व्यक्तियों को ऋण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पृथक मकान बनाने के लिये व्यक्तियों को ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिये किन्हीं अन्य वित्तीय निगमों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजनायें हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जीवन बीमा निगम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा आवास विकास वित्त निगम जो कि एक गैर सरकारी क्षेत्र उद्यम है, व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए सीधी ऋण सहायता देने वाले मुख्य संस्थान हैं।

जाति को आधार न मानते हुए मकान स्थलों का आवंटन

7550. **श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों आदि को उनकी जाति के आधार पर कुछ व्यक्तियों को मकान स्थलों का आवंटन करने की पद्धति समाप्त करने और जाति को आधार न मानते हुए व्यक्तियों को मकान-स्थलों का आवंटन करने के लिये प्रस्ताव है ताकि मिली-जुली कालोनियों का विकास हो सके और जाति रहित समाज की विचारधारा को बढ़ावा मिल सके; और

(ख) यदि नहीं, तो मिली-जुली कालोनियों, जिनमें सभी जातियों और धर्मों के लोग इकट्ठे रह सकें, का विकास करने के लिए ऐसे प्रस्ताव बनाये जायेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए गृहस्थल व निर्माण सहायता के लिए प्रावधान का कार्यक्रम जाति के आधार पर नहीं है। योजना आरम्भ करते समय राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी "कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों का पृथक्करण नहीं होना चाहिए ऐसे परिवारों को उन ग्रामों में या उनके पास के ग्रामों में जहां गृहस्थल आवंटित किए जा रहे हैं;

अन्य परिवारों के साथ अन्त: प्रकीर्णन किया जाना चाहिए" ताकि उनको यह आभास हो कि वे अपेक्षाकृत बड़े ग्रामीण समुदाय के हैं। इन निर्देशनों को बाद में भी दोहराया गया है । पृथक्करण को रोकने के विशिष्ट उपाय के रूप में, उन क्षेत्रों में जहां गृह आवास स्थल का नया आवंटन करना था, वहां लाटरी निकालने के लिए भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था ।

शहरी क्षेत्रों में भी आवास गतिविधियों पर इन निर्देशनों को लागू किया गया था ।

ग्राम पंचायतों के पास न्यायिक शक्तियां

7551. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्राम पंचायतों को न्यायिक शक्तियां देने की जरूरत समझती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) पंचायती राज राज्य का विषय है अत: विभिन्न राज्य सरकारें पंचायतों की शक्तियों तथा कार्यों के बारे में कानून बनाती हैं। कुछ राज्य विधानों में न्याय पंचायतों के लिए पहले से ही व्यवस्था है ।

जल प्रदाय योजनाओं के लिये केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना

7552. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रदाय योजनाओं के लिये प्रभावी ढंग से ऋण दिये जाने और नियंत्रित किये जाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल प्रदाय तथा सफाई दशक को सफल बनाने के लिये केन्द्रीय एजेंसी बनाने का सरकार का क्या प्रस्ताव है;

(ख) ऐसी केन्द्रीय एजेन्सी कब बनाई जायेंगी; और

(ग) ऐसी जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिये विभिन्न राज्यों में क्या कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) अंतर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक पर एपेक्स समिति द्वारा वित्तीय संसाधनों पर गठित कार्यकारी दल ने एक राष्ट्रीय स्तर का वित्तीय संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की थी ।

(ख) इस सिफारिश पर सरकार द्वारा विचार किया जाना है और इस अवस्था में यह बताया नहीं जा सकता है कि क्या इसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं ।

(ग) चूंकि पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता राज्य का विषय है, इसलिए 1981-1991 की अवधि के दौरान देश के अधिसंख्यक लोगों को स्वच्छ पानी और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट व्ययन सुविधाएं मुहैया करने के प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता थी और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यानाकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं । इस दशक के लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में, जल पूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए पांचवीं योजना (1974-79) में 1030 करोड़ रुपये के परिव्यय की छठी योजना में 3900 करोड़ रुपये से अधिक तक पर्याप्त रूप से बढ़ाकर एक शुरूआत की गई है। छठी

योजना में समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए पेय जलपूर्ति पर बल दिया गया है जिसके लिए उपर्युक्त परिव्यय में 2007.11 करोड रुपये का प्रावधान शामिल किया गया है। पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में वर्षवार जल उपलब्ध रहने वाला कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था कर, पेय जल मुहैया कराने के प्रयास किए जायेंगे।

बाहरवीं सोइल साइन्स कांग्रेस

7553. श्रीमती **जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् फरवरी, 1982 में नई दिल्ली में आयोजित बाहरवीं इन्टरनेशनल कांग्रेस आफ सोइल साइन्स का मुख्य आयोजक था;

(ख) नई दिल्ली में ऐसे सोइल कांग्रेस का आयोजन करने का उद्देश्य क्या था;

(ग) भारत और अन्य देशों के उन संस्थानों/संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन करने के लिए वित्तीय सामग्री तथा तकनीकी योगदान दिया; और

(घ) इन्टरनेशनल कांग्रेस आफ सोइल में भारत और अन्य देशों के कितने वैज्ञानिकों ने भाग लिया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान्। 8 से 16 फरवरी, 1982 तक नई दिल्ली में आयोजित 12वें अन्तर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सभा का मुख्य आयोजक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् था।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी, जिसके 127 देश सदस्य हैं, मृदा विज्ञान की सभी शाखाओं और उसके प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 4 वर्षों में एक बार सभा का आयोजन करती है। नई दिल्ली में आयोजित इस सभा में मृदा समस्याओं, प्रक्रियाओं और मृदा प्रबन्ध से संबंधित उपलब्ध प्रोद्योगिकियों के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को एक दूसरे के सम्पर्क में आने और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर उपलब्ध हुआ था। आज और कल की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय मृदा वैज्ञानिक भी भारत के वैज्ञानिक मानव शक्ति, उसकी क्षमता और प्रासंगिकता तथा मृदा अनुसंधान की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने में समर्थ थे।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और उसके अनुसंधान संस्थान विशेषकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो; कृषि विभाग, भारत सरकार के अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन से तकनीकी और सामग्री से संबंधित पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त होती है। अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्ध से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान से भी कुछ सहायता प्राप्त होती है।

वित्तीय सहायता का एक बड़ा भाग कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार से अनुदान के रूप में तथा सभा के प्रतिनिधियों के पंजीकरण शुल्क द्वारा प्राप्त होता है। कुछ वित्तीय सहायता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकादमी (आई० एन० एस०ए०) भारत उर्वरक संघ (एफ० ए० आई०), खाद्य और कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू० एन० ई० पी०), और शिक्षा तथा विकास की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति (सी० ओ० ए० टी० ई० डी०) से भी प्राप्त हुई है।

(घ) इस सभा में भाग लेने वाले कुल सदस्यों की संख्या 1016 थी, इनमें से 576 सदस्य भारतीय और 440 विदेशी सदस्य थे जो 74 देशों से आये थे और एक दर्जन सदस्य क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के थे।

'फ्रेसवाटर एक्वाकल्चर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट' का कार्य

7554. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुवनेश्वर के समीप कोशल्यागंज में स्थित 'फ्रेसवाटर एक्वाकल्चर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कृत्य क्या हैं;

(ख) इस परियोजना को यू०एन०डी०पी० द्वारा कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) क्या मंत्री महोदय इस केन्द्र को बारकपुर स्थित 'सेन्ट्रल इगलैण्ड फिसरीज रिसर्च इंस्टिट्यूट' की भांति एक स्वतंत्र संस्था बनाने पर विचार करेंगे ताकि यह देश में ताजा जल, जल-अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के संबंध में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सके;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) ताजे पानी के जल जीव-जंतु अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र का काम ताजे पानी के मछली पालन को गहन बनाने हेतु विशेषकर कार्प मछली के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना तथा विस्तार कार्यकर्त्ताओं तथा मछली पालने वाले किसानों को प्रशिक्षण देना है। एशिया में जल जीव जंतु केन्द्रों के नेट-वर्क के अन्तर्गत क्षेत्र के लिए कार्प लीड सेन्टर के रूप में भी यह केन्द्र कार्य करता है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इस परियोजना के कुछ चुने हुए क्षेत्रों, जैसे—मछली आनुवंशिकी, मछली पोषण, मछली के रोग, मछली के आहार तैयार करने आदि में शिक्षावृत्ति तथा उपस्करों की व्यवस्था के माध्यम से सहायता कर रहा है। वित्तीय अवधि में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के कुल निवेश की राशि 582509 यू० एस डालर्स है।

(ग) विभिन्न पहलुओं जैसे, प्रजनन, अंडज विकास, जीरा उत्पादन, खाने में परोसने वाली मछली का उत्पादन, तालाब प्रबन्ध, जल प्रबन्ध तथा मछली के फार्म डिजाइन आदि पर तीन दशकों के सम्मिलित अनुसंधान प्रयत्नों के पश्चात धौली में ताजे पानी के जल जीव जंतु अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। क्योंकि धौली केन्द्र मूलतः केन्द्रीय अन्तस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर का अविभाज्य अंग है जहां संस्थान के अन्य क्रियाकलाप जैसे—कट फीश कल्चर, फ्रेशवाटर एक्वेकल्चर एण्ड एयरब्रीदिंग फीश कल्चर आदि को मूल और व्यावहारिक पहलुओं दोनों पर जारी रखा जा रहा है। इसलिए, यह महसूस किया जाता है कि इस केन्द्र को केन्द्रीय अन्तस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के पृथक करने का कोई प्रस्ताव धौली केन्द्र और बैरकपुर स्थिति संस्थान दोनों को निष्फल बना देगा।

भारतीय खाद्य निगम से हानि से बचने के उपाय के लिए सुझाव देने हेतु समिति

7555. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को अनाज के लेन-देन संबंधी कार्य में वर्ष 1978-79 में 41.26 करोड़ रुपये की हुई हानि की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान 75.33 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान घाटा कम करने में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार हानि से बचने के उपाय और तरीके सुझाने के लिए किसी समिति का गठन करेगी ; और

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान हेराफेरी अथवा चोरी से सम्बद्ध होने के कारण किसी व्यक्ति को निलम्बित किया गया है अथवा दण्डित किया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान मार्गस्थ हानियों की मात्रा में वृद्धि पूर्णतया खाद्यान्नों, उर्वरकों आदि की उठाईगीरी अथवा चोरी के कारण नहीं हुई है । इन वर्षों के दौरान स्टाक के संचलन और कारोबार में वृद्धि तथा विभिन्न अनाजों के समर्थन/वसूली मूल्यों में वृद्धि होने के कारण भी हानि की कुल मात्रा में वृद्धि हुई है । हालांकि इस मामले की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम हानियों को न्यूनतम करने के लिए सभी सम्भव कदम उठा रहा है । जब कभी भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ/लाडिंग एजेन्सियों के काम में कमिया पायी जाती हैं तब उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । 1980-81 के दौरान पायी गई कमियों के कुछेक मामलों में स्टाफ के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 3889/82)**

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

7556. **श्री ए० के० राय** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काम के बदले अनाज योजना पर खर्च किए गए अनाज तथा धन प्राप्त स्थायी लाभ जन घंटों के रूप में निर्मित रोजगार के अवसर के विशेष सन्दर्भ में इस कार्यक्रम का कोई विस्तृत मूल्यांकन किया है तथा इसका राज्य वार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को समाप्त कर दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राहत कार्यक्रमों के स्थान पर काम के बदले अनाज योजना को कहीं भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 1979-80 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था ।

(ख) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पाई गई त्रुटियों/कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इसकी पूरी तरह पुनरीक्षा की गई थी तथा इसे नया रूप दिया गया था । कार्यक्रम को बन्द नहीं किया गया है बल्कि इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रख दिया गया है !

(ग) अब यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का नियमित भाग बन गया है और यह बिल्कुल भी राहत कार्यक्रम नहीं है ।

हिसार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नये गेहूं का विकास

7557. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कल्याण-सोना (गेहूं) जो हरित क्रान्ति में बड़ा सहायक रहा है, बुवाई को निरुत्साहित कर रही है; और

(ख) क्या हिसार कृषि विश्वविद्यालय ने एक ऐसी नई किस्म के गेहूं का विकास किया है; जो कल्याण सोना से बेहतर है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् । कल्याण सोना की खेती को, उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर आदि में जहां यह भूरे और पीले रतुआ रोग की नयी प्रजातियों के प्रति सुग्राही हो गयी है, हतोत्साहित किया जा रहा है। फिर भी, यह किस्म अभी भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में जहां इसकी पैदावार संतोषजनक है, उगायी जाती है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा गेहूं की दो नयी किस्में जैसे—डब्ल्यू एच 147 और डब्ल्यू एच 157 विकसित की गयी हैं जो कल्याण सोना से अधिक उपज देती हैं । हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा एक और नयी किस्म एस एच 291 विकसित की गयी है, जो जांच की अंतिम अवस्था में है।

बागवानी के लिए पृथक निदेशालय

7558. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को बागवानी के लिए पृथक निदेशालय खोलने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इन निदेशालयों का गठन कर लिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारत सरकार ने अलग से बागवानी निदेशालय की स्थापना करने के बारे में भारतीय बागवानी विकास परिषद की सिफारिशें उन राज्यों को भेज दी हैं, जहां बागवानी विकास की काफी क्षमता मौजूद है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों में अलग से बागवानी निदेशालय स्थापित किये जा चुके हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि इंजीनियरी कालेज की स्थापना

7559. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में एक कृषि इंजीनियरी कालेज शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में एक कृषि अभियान्त्रिकी महाविद्यालय

खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समन्वित उद्यानिकी परियोजना को सहायता देने की योजना

7560. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समन्वित उद्यानिकी परियोजना की मदद करने की कोई विशिष्ट योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) इस संबंध में केरल तथा पश्चिम बंगाल में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि, ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों की सहायता

7561. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्यों की क्या सहायता की है ;

(ख) केरल तथा पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल तथा पश्चिम बंगाल को इस कार्य के लिये दी गई सहायता संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) (ख) व (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन तथा प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। फिर भी, इस प्रणाली को कारगर ढंग से मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गये हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा कुछ समय पहले ही लोक सभा को सूचित किया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिये विशिष्ट रूप से वित्तीय सहायता निर्धारित नहीं की है। तथापि, इसी उद्देश्य की पूर्ति कई अन्य तरीकों से हो जाती है। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों (जिनमें पश्चिम बंगाल तथा केरल भी शामिल है) और केन्द्र शासित क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों, चीनी, मिट्टी के तेल तथा खाद्य तेलों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की वसूली, भण्डारण तथा आपूर्ति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आधार-ढांचा पर्याप्त नहीं रहा है, के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में एक स्कीम शामिल की गई है, जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना तथा गोदामों का निर्माण करने के लिए सहायता दी जानी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को सहकारी समितियों की नई शाखायें खोलने, बीमार/कमजोर सहकारी भण्डारों की पुन: स्थापना करने तथा ग्रामीण

क्षेत्रों में सहकारी समितियों को उपान्त धन प्रदान करने हेतु अनुदानों, ऋणों तथा अंशपूंजी के रूप में भी वित्तीय सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियां उत्तरोत्तर रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केरल तथा पश्चिम बंगाल दोनों में कार्य कर रही है। प्राप्त अन्तिम रिपोर्टों के अनुसार, केरल में 11559 तथा पश्चिम बंगाल में 18428 उचित दर की दुकानें खुली हुई थी। केरल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के माध्यम से चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल का वितरण कर रही है। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेलों, दालों, चाय, साबुन, (नहाने तथा कपड़े धोने का), दियासलाइयों, कापियों, मोमबत्तियों तथा जनता साड़ियों का वितरण कर रही है।

सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उत्पादों का विपणन

7562. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री पी०एम० सईद } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान 2300 करोड़ रुपए मूल्य के कृषि उत्पादों का सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण न किए जाने का विचार है;

(ख) क्या इन विस्तारित गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन एक आदर्श एजेंसी के रूप में कार्य करेगी ;

(ग) क्या कृषि मंत्रालय ने कृषक समुदाय को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर विद्यमान सहकारी विपणन ढांचे को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन को कोई निदेश दिए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने अन्य क्या निदेश जारी किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां। वर्ष 1982-83 में सहकारी तन्त्र के माध्यम से कृषि जिन्सों के विपणन हेतु 2300 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) देश में नाफेड सहकारी विपणन समितियों का शीर्ष राष्ट्रीय संघ है, जो सहकारी विपणन तंत्र द्वारा इन विस्तृत कार्यों को हाथ में लेने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए समन्वयक और केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

(ग) तथा (घ) सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिए हैं। तथापि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परिकल्पित लक्ष्यों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहकारी विपणन और संसाधन के तंत्र को आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा; क्योंकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के विधान में सहकारी विपणन, संसाधन और भण्डारण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की व्यवस्था है। सरकार इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आवश्यक बजटगत और अन्य वित्तीय सहायता भी दे रही है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी जा रही है कि वे वर्ष 1982-83 के

लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी जा रही सहायता का पूर्ण उपयोग करें ।

दिल्ली की विकसित न की जाने वाली भूमि पर आवासीय और वाणिज्यिक ढांचों का निर्माण

7563. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की ऐसी 612 अनधिकृत कालोनियों में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं जिनका आवासीय और वाणिज्यिक ढांचों सहित विकसित न की जाने वाली भूमि पर निर्माण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनधिकृत कालोनियों की संख्या लगभग सभी राज्यों में बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों में स्थापित की जा रही अनधिकृत कालोनियों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए कोई कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में 612 अनधिकृत कालोनियों में लगभग 10 लाख व्यक्तियों के रहने का अनुमान है ।

(ख) अनधिकृत आवास वृद्धि की बढ़ती हुई घटना द्रुत नगरीयकरण, विकसित भूमि की कमी तथा बढ़ते हुए मूल्यों/किरायों के कारण हैं ।

(ग) तथा (घ) नगरीय विकास राज्य का विषय है । अनधिकृत कालोनियों की वृद्धि को रोकने के लिए किसी विधान के बनाने पर विचार करना राज्य सरकारों का कार्य है ।

एशिया में खाद्य पदार्थों के आरक्षित भण्डारों का बनाया जाना

7564. **श्री बी०वी० देसाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 22 मार्च, 1982 को एशिया और प्रशान्त सम्बन्धी आर्थिक और सामाजिक परिषद (इ० एस० सी० ए० पी०) की एक बैठक बैंकाक में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या एशिया में खाद्य पदार्थों के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय आरक्षित भण्डारों को बनाने का कोई प्रस्ताव कुछ ऐसे देशों ने रखा था, जिन्हें बार-बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप वहां खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था; और

(घ) सम्मेलन में किन-किन प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी और क्या अन्तिम निर्णय लिए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां । बैंकाक में 23 मार्च से 3 अप्रैल, 1982 तक बैठक हुई थी ।

(ख) एस्काप सचिवालय द्वारा शुरू किये गये विशेष अध्ययन में यह भी एक प्रस्ताव था। यह किसी देश विशेष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) भारत का यह दृष्टिकोण था कि खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य परिषद् आदि जैसे अन्य संगत अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से प्रस्तावों की व्यवहार्यता और सक्षमता के बारे में सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें भाग लेने वाले देशों ने इसे स्वीकार कर लिया था।

चीनी नीति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

7565. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की गन्ने सम्बन्धी नीति में उद्योग ने परिवर्तन की मांग की है हालांकि कृषि मूल्य आयोग ने वर्ष 1982-83 के मौसम के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है;

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग ने आगामी मौसम के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी नीति के बारे में उद्योग और राज्य सरकारों से अपने-अपने विचार भेजने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उद्योग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी): (क), (ख) और (ग) कृषि मूल्य आयोग ने प्रश्नावली जारी कर 1982-83 मौसम के लिए गन्ने की मूल्य नीति के बारे में दिसम्बर, 1981 में कार्य शुरू किया था और जनवरी-फरवरी, 1982 के दौरान चीनी उद्योग सहित राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पार्टियों के साथ विचार-विमर्श किया था। आयोग को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। केन्द्रीय सरकार का फिलहाल गन्ने की नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

भू-राजस्व समाप्त किया जाना

7566. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं; जहां भू-राजस्व समाप्त कर दिया गया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के लागू होने के फलस्वरूप भूमि सम्बन्धी रिकार्डों में संशोधन करके उन्हें अद्यतन बना दिया है;

(ग) क्या ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने भू-राजस्व की वसूली का कार्य पंचायतों को सौंप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के पहले से स्थायी रूप से बन्दोबस्त किये

गये क्षेत्रों और उत्तरी-पूर्वी राज्यों के पहाड़ी इलाकों जहां भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व है, को छोड़कर सभी राज्यों में भूमि सम्बन्धी अभिलेख पर्याप्त रूप से अद्यतन हैं।

(ग) व (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार, गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पंचायतें भू-राजस्व का कुछ भाग वसूल करती हैं। अन्य राज्यों में इसे राजस्व विभागों द्वारा एकत्र किया जाता है।

विवरण

	भूमि की किस्म पर निर्भर करते हुए भू-राजस्व से छूट दी गई भूमि की जोतों की सीमा
1. आन्ध्र प्रदेश	2.5 एकड़ (नमी वाली भूमि) 5 एकड़ (शुष्क भूमि) भू-राजस्व के रूप में 10 रुपये तक भुगतान किया जाता है)
2. असम	31/3 एकड़ (10 बीघा)
3. बिहार	5 से 7.5 एकड़
4. गुजरात	3.5 से 8.25 एकड़
5. हरियाणा	6.25 एकड़
6. हिमाचल प्रदेश	2.5 एकड़ (शुष्क भूमि)
7. जम्मू तथा काश्मीर	9.00 एकड़ के भू-राजस्व हेतु क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया है।
8. कर्नाटक	10 एकड़ (शुष्क भूमि)
9. केरल	कोई छूट नहीं है।
10. मध्य प्रदेश	5 एकड़
11. महाराष्ट्र	7.5 एकड़ (10.00 रुपये तक भू-राजस्व का भुगतान किया जाता है)
12. मणिपुर	कोई छूट नहीं है।
13. मेघालय	कोई भू-राजस्व नहीं लगाया गया है। (समुदायिक स्वामित्व
14 नागालैंड	कोई भू-राजस्व नहीं लगाया गया है। (सामुदायिक स्वामित्व)
15. उड़ीसा	समस्त कृषि भूमि
16. पंजाब	5 मानक एकड़
17. राजस्थान	6.178 एकड़ से लेकर 22.653 एकड़
18. तमिलनाडु	सामान्य रूप से सभी शुष्कभूमि के लिए छूट दी गई है।
19. त्रिपुरा	3 मानक एकड़
20 उत्तर प्रदेश	3.125 एकड़ (5 बीघा)
21. पश्चिम बंगाल	6 एकड़ (असिंचित भूमि)

कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना

7567. **श्री सुधीर कुमार गिरी**
श्री हन्नान मोल्लाह } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी सरकार की राज्य-वार योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सेवा में भर्ती किस ढंग से की जाती है तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी अर्हता और अनुभव अपेक्षित है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धि क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार राज्य कृषि उद्योग निगमों और ग्रामीण सहकारी समितियों जैसी संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करना चाहती है। इस योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) चूंकि ये केन्द्र संस्थाओं द्वारा चलाए जाने हैं; अतः अलग अलग व्यक्तियों की भर्ती करने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) यह योजना अभी क्रियान्वित की जानी है।

मछली का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय बड़े गृह

7568. **श्री मोहन लाल पटेल**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली का व्यापार करने वाले बहुराष्ट्रीय बड़े गृहों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक कम्पनी के पास कितने मत्स्य पोत हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित किया है ताकि परम्परागत मछुओं को नुकसान न हो और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी कम्पनी ने नए लाइसेंस या मछली पकड़ने की अतिरिक्त मत्स्य पोत देने के लिए आवेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस देने की नीति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

कम्पनी का नाम	स्वामित्व वाले ट्रालरों की संख्या (20 मी० तथा इससे अधिक लम्बाई वाले)
1. यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि०	8
2. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि०	3
3. टाटा आयल मिल्स कम्पनी लि०	1

जारी.....

4. इंडिया तम्बाकू कम्पनी लि०	2
5. चौगले एंड कम्पनी प्राइवेट लि०	4
6. चौगले स्टीमशिप्स लि०	2
7. कोंकन फिशरीज प्रा० लि०	2

(ग) उपर्युक्त सब ट्रालरों का कार्यक्षेत्र परम्परागत मछुओं के कार्यक्षेत्र से काफी दूर है।

(घ) व (ङ) ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि०, टाटा आयल कम्पनी लि० और इंटरनेशनल फिशरीज लि० जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात से क्रमशः दो, पांच तथा दस जलयानों को किराए पर लेने के लिए आवेदन किया है।

(च) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, विदेशी जलयानों को मछली पकड़ने के लिए किराए पर लेने हेतु अन्य शर्तों के अतिरिक्त शुल्क भी देना होता है।

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य

7569. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना अवधि के लिए राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए खाद्यान्न-उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य के बारे में राज्य-वार आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना अवधि के लिए गुजरात ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा क्या तरीका अपनाय जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) 1984-85 में गुजरात राज्य के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 53.50 लाख मीटरी टन है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई जायेगी: –

(1) धान्यों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना;

(2) अधिकांश रूप से गांव की सहकारी समितियों के माध्यम से प्रमुख आदानों, अर्थात् बीज, उर्वरक और कृषि नाशी दवाओं की उपलब्धि को क्रमबद्ध बनाना;

(3) एरण्ड और कपास जैसी फसलों के साथ मिश्रित खेती करके दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना, सिंचित गेहूं की कटाई करने के पश्चात् ग्रीष्म में मूंग की अल्पकालीन किस्मों की खेती शुरू करना; और

(4) कृमियों से फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिये समेकित कृषि प्रबन्ध व्यवस्था क्रियान्वित की जायेगी जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी।

कृषि उत्पादन पर औद्योगिक संदूषण का प्रभाव

7570. **श्री चिन्तामणि जैना : कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न किये गये वातावरण संदूषण का कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा इस बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और सरकार का इस मामले में क्या उपचारात्मक अथवा निरोधक कदम उठाने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्। कृषि उत्पादकता पर औद्योगिक प्रदूषकों के प्रभावों का मूल्यांकन करने हेतु अनुसंधान किया गया है। लगभग प्रत्येक उद्योग गैस, छीजन और ठोस गन्दे पदार्थ, जोकि कारखाने की प्रकृति के अनुसार होते हैं, के रूप में अपशिष्ट सामग्री फेंकता है। इन बेकार पदार्थों में एक या अधिक फाइटो-टोक्सिक (पादप विष) और बायो टाक्सिक (जैव-विष) धातु और गैस धातु के तत्व होते हैं जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सामान्य पौधों पर प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव फिर कच्चे माल, तैयार उत्पाद की प्रकृति और प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। निरन्तर बढ़ते हुए परिष्कृत तीव्र उद्योगीकरण के कारण, औद्योगिक छीजन से होने वाले मिट्टी और पानी के प्रदूषण ने हाल ही के वर्षों में भयंकर स्थिति उत्पन्न की है। कागज पर आधारित कारखानों, भट्टियों, चीनी कारखानों, चमड़े के कारखानों, नाइट्रोजन उर्वरक के कारखानों, पैट्रोल शोधक कारखानों, विसकास रेयन उद्योगों, इस्पात संयन्त्रों, कोयला के धोवन, कोयले के चूल्हों, रंग करने वाले पदार्थों, कपड़े के कारखाने और रासायनिक उद्योगों से निकलने वाली छीजन इन के आस-पास वाली कृषि उपज पर गंभीर रूप से प्रभाव डालेगी। इसी प्रकार इस्पात कारखानों, पैट्रोल शोधक कारखानों, उर्वरक रासायनिक उद्योगों और ताप शक्ति संयत्रों से निकलने वाली स्टेक गैस वातावरण को प्रदूषित करेगी, जोकि बदले में, इन उद्योगों के पास उगने वाली खेती की फसलों पर बुरा प्रभाव डालेगी। विभिन्न उद्योगों से निकलने वाली छीजन के प्रदूषक तत्वों की आँशिक सूची नीचे दी जा रही है :

उद्योग	प्रदूषण की प्रकृति
1. मूल अलौह धातु की वस्तुएं तथा ढलाईखाना	अलम्यूनियम, चाँदी, संखिया, कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, सीसा, ऐंटिमोनी, जस्ता
2. मूल इस्पात की वस्तुएं तथा ढलाईखाना	संखिया, कैडमियम, क्रोमियम, ताँबा, लोहा, पारा, सीसा, कलई, ऐंटिमोनी, जस्ता आदि।
3. वस्त्र-कारखाना उत्पाद	क्रोमियम तथा जैव योगिक
4. चमड़ा तथा चर्मशोधन उद्योग	क्रोमियम. कलई. जैव योगिक

5. लुगदी तथा कागज पर आधारित उद्योग	क्रोमियम, ताँबा, पारा, सीसा, कलई, जस्ता
6. उर्वरक उद्योग	एमोनिया, अल्मूनियम, संखिया कैडमियम, ताँबा, क्रोमियम, पारा, फास्फोरस, सीसा, कलई, जस्ता, सल्फर
7. मोटर व्हीइकल एण्ड एयर क्राफ्ट प्लांटिंग इन्डस्ट्रीज	अल्मूनियम, चाँदी, कैडमियम, ताँबा, क्रोमियम, पारा, कलई आदि
8. अजैविक रसायन उद्योग	संखिया, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा, टीन, जस्ता आदि ।
9. जैविक-रसायनिक उद्योग	संखिया, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, टिन, स्ट्रोन्टियम
10. पेट्रोल साफ करने वाला उद्योग	संखिया, कैडमियम, क्रोमियम, ताँबा, सीसा, कलई, जिन्क, सल्फर
11. ग्लास एण्ड ग्लास प्रोडक्ट इन्डस्ट्रीज	क्रोमियम
12. पावर प्लान्ट	क्रोमियम, जस्ता आदि
13. कोयला तथा कोयले पर आधारित उद्योग ।	कैडमियम, सीसा, कलई सल्फर आदि

खेत की स्थितियों के अन्तर्गत, प्रदूषण के कारण जो नुकसान होता है वह मिश्रित किस्म का होता है और प्रदूषकों के अलग-अलग प्रभाव को पृथक करना मुश्किल होता है। सामान्य रूप में फसली पौधों पर प्रदूषक का प्रमुख प्रभाव ये है —पौधों पर घटिया प्रतिस्थापन, अवरुद्ध बढ़वार, जड़ों की कम बढ़वार तथा बाद में जड़ों का नष्ट होना, पत्तियों के किनारे क्लोरोएसिस तथा नियोरोसिस रोग का होना और कम पैदावार प्राप्त होना। अनेक मामलों में, फसल सूख भी सकती है। नियंत्रित स्थितियों के अन्तर्गत केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में किए गए परीक्षणों से 30 पी पी एम लीड, 3 पी पी एम कैडमियम, 4 पी पी एम निकल, 12 पी पी एम क्रोमियम, 30 पी पी एम अमोनियम और 100 पी पी एम सल्फेट के क्रांतिक संकेन्द्रण पर चावल की पैदावार में काफी कमी पायी गयी। करीब 10 पी पी एम निकल और 18 पी पी एम हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम स्तरों परफसल नष्ट हो गयी। यह फसल के उत्पादन पर विभिन्न प्रदूषकों के संभावित बुरे प्रभाव का सूचक होगा।

(ग) इसके बावजूद यह समस्या अत्यधिक गंभीर नहीं है, फिर भी यह आवश्यक है कि वे उद्योग जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, अपने छीजन के निपटाने के लिए नियन्त्रित किए जाने चाहिएं। प्रदूषकों के संघात को कम करने के लिए अनुसंधान का आयोजन किया जा रहा है।

अपर कोलाबा, इन्द्रावती और सुवर्णरेखा में भूमि संरक्षण के उपाय

7571. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं, अर्थात् अपर कोलाबा, इन्द्रावती और सुवर्णरेखा के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि संरक्षण के उपाय करने के लिए नवम्बर, 1980 में नई दिल्ली में कार्यकारी दल की चर्चा में लिए गए निर्णय को केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह निर्णय कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) उपरोक्त 3 अन्तर्राज्यीय नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता से भूमि संरक्षण का काम अनुमानत: किस तारीख तक शुरू कर दिया जाएगा।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कृषि संबंधी योजना आयोग के कार्यकारी दल, जिसने छठी पंचवर्षीय योजना तथा उड़ीसा राज्य के 1981-82 की वार्षिक योजना के संबंध में विचार किया था ने 18 नवम्बर, 1980 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि सुवर्णरेखा तथा इन्द्रावती स्रवण क्षेत्र को कृषि विभाग की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत सुवर्ण-रेखा तथा इन्द्रावती जैसे अतिरिक्त स्रवण क्षेत्रों को शामिल करना संभव नहीं है। उड़ीसा में हीराकुंड, मचकुन्ड तथा रेंगाली भंदिरा के स्रवण क्षेत्र पहले से ही इस योजना में शामिल किये गए हैं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं होता।

"कोर्स ग्रेन नीड बिग पुश" शीर्षक समाचार

7572. **श्री हरिनाथ मिश्र**
श्री पी०एम० सईद } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1982 के "इकानोमिक टाइम्स" में "कोर्स ग्रेन नीड बीग पुश, बोरलाग" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या डा० नारमन इ० बोरलाग के अनुसार—भारत में अनाज के उत्पादन में वृद्धि की कुंजी मोटे अनाज का वैज्ञानिक विकास तथा सिंचाई वाले क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि है;

(ग) क्या डा० बोरलाग के अनुसार काफी लम्बे अर्से से मोटे अनाज का उत्पादन 30 लाख टन हो रहा है और इस उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रमुख कृषि वैज्ञानिक के सुझाव क्या हैं और सरकार की इन प्रत्येक सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) डा० नार्मन इ० बोरलाग द्वारा "कोर्सग्रेन नीड बिग पुश" शीर्षक समाचार में दिए गए प्रमुख सुझावों में ये शामिल हैं —(1) गेहूं, चावल और तिलहनों के अलावा मोटे अनाज की फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता, (ii) किस्मों का न केवल विकास ही करना होगा, बल्कि इसमें वृद्धि भी करनी होगी और इन्हें किसानों को देना होगा; तथा (iii) सिंचाई की संभाव्यता का पूर्ण उपयोग ।

छठी योजनावधि में मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किया जा रहे हैं । वर्ष 1979-80 के 295 लाख मीटरी टन के आधार स्तरीय रुख के अनुमानों की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1984-86) के लिए मोटे अनाजों के उत्पादन हेतु 321 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई संकर किस्मों में तेजी से विस्तार करने के लिए मोटे अनाजों के मिनिकिट प्रदर्शन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं शुरू की गई हैं । इन योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को बीज निशुल्क दिए जाते हैं । किसानों की माँग को पूरा करने के लिए राज्य बीज निगम और राष्ट्रीय बीज निगम बीज की विकसित किस्मों/संकर किस्मों में वृद्धि कर रहे हैं ।

सिंचित क्षेत्र के पूर्ण उपयोग से संबंधित डा० बोरलाग के सुझाव पर कृषि विकास के लिए छठी योजना नीति के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है, जिसमें उर्वरकों के उपयोग, और संरक्षण उपायों और विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में उम्दा प्रबंध प्रणालियों की सहायता से अधिक उपज देने वाली किस्मों को अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है ।

विंग्ड-बींस की खेती

7573. **श्री राजेश पाइलट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विंग्ड-बींस के पोषक तत्वों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो कुपोषण समस्या का मुकाबला करने की इसकी क्षमता को देखते हुए इसका बड़े पैमाने पर भारत में उत्पादन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद "क्रम तथा अप्रयुक्त पौध अनुसंधान योजना" नामक योजना के तहत विंग्ड-बीन्स के सम्बन्ध में एक अनुसंधान परियोजना शुरू कर रहा है । इसके अलावा, कुछ राज्यों में कृषि/बागवानी विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से विकास खण्डों में बीज वितरित किया जा रहा है ।

विदेशों में ताजा तथा डिब्बाबंद फल सब्जियों की प्रत्याशित मांग

7574. **श्री राजेश पाइलट**
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व-बाजार और फसल प्रवृत्तियों के साथ समय रहते प्रत्याशित उत्पादन प्राक्कलन समन्वित करने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो समाजवादी, अफ्रीकी, लैटिन तथा मध्य पूर्व के देशों में ताजा और डिब्बाबंद फल, सब्जियां, चीनी और अनाज की अनुमानित मांगें क्या हैं; और

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना में निर्यात के लक्ष्य

(मूल्य करोड़ रुपये में)

	1982-83	1983-84	1984-85
1. फल तथा सब्जी उत्पाद	35.00	50.00	75.00
2. मांस तथा मांस उत्पाद	68.00	72.00	76.00
3. बिस्कुट तथा मिष्ठान आदि	4.50	6.00	7.50
4. खार गोंद, खार चूर्ण, स्टार्च और इसके व्युत्पादित पदार्थ	65.00	80.00	100.00
5. पेय पदार्थ—इन्सटेंट काफी, इन्सटेंट चाय, अलकोहलिक तथा गैर अलकोहलिक पेय पदार्थ	22.00	25.00	30.00
6. उत्पाद-अखरोट खुंबी	15.00	20.00	25.00
7. डेरी उत्पाद	5.50	7.50	10.00
8. विविध—पापड़ इन्सटेंट खाद्य पदार्थ, नाश्ते के पदार्थ प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ आदि	11.00	14.00	17.50
9. ताजे फल तथा सब्जियां जिसमें प्याज और आलू भी शामिल हैं	46.00	50.00	56.00
	272.00	324.50	397.00

(ग) बाजार पर नियन्त्रण करने और मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। सरकार, कृषि जिन्सों की निर्यात नीति तैयार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादन स्तर, आंतरिक खपत, अन्तर्राष्ट्रीय मंडी की स्थिति आदि को भी ध्यान में रखती है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के बकाया वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में अनुमानित मांग को दृष्टिगत रख कर कुछ महत्वपूर्ण ताजे और परिशोधित खाद्य-पदार्थों के निर्यात का लक्ष्य तैयार किया गया है जो संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ग) निर्यात संवर्धन के लिए नगद प्रतिपूरक सहायता, आयात सम्बन्धी पुनः पूर्ति और "ड्यूटी ड्राबैक्स" जैसे सम्बन्धी प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

खाद्यान्नों का भंडारण और कीटों से इनकी सुरक्षा

7575. **श्री राजेश पाइलट : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्थानीय कृषि अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों के कृषि विभागों के सहयोग से खाद्यान्नों के भण्डार का विकेन्द्रीकरण करने और कीटों से उन्हें बचाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो कार्मिकों और कीट नियंत्रण की तकनीक के उपलब्ध स्रोतों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के प्राथमिक कदम न उठाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, खाद्य विभाग की देश व्यापी अन्न सुरक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत राज्य कृषि विभागों के कार्मिकों को कीट नियंत्रण कार्यक्रमों और फार्म स्तर पर भण्डारण की विधियों में सुधार करने विषयक कार्यों से सम्बद्ध किया जाता है।

मेडिकल के आधार पर "डी" टाइप क्वार्टरों का आवंटन

7576. **श्री त्रिलोक चन्द : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल के आधार पर "डी" टाईट क्वाटर देने/पहले ही आवंटित क्वार्टर को बदलने के लिए सरकारी कर्मचारियों से अप्रैल, 1981 के पश्चात् कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदन निपटाए गए हैं;

(ग) कितने आवेदन विचाराधीन हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विचाराधीन आवेदनों को निपटाने में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 3

(ख) 3

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वन भूमि का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग करने की अनुमति हेतु आवेदन

7577. **श्री अरविंद नेताम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन भूमि का अन्य उपयोगी कार्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति के लिए वन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की, राज्यवार, संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार के आवेदन मध्य प्रदेश सरकार से भी मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ये आवेदन पत्र किस क्षेत्र के लिए मिले; और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अनुबंध-1 के रूप में एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3890/82]

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) अनुबंध-2 के रूप में एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-3890/82]

इन्चमपल्ली बांध

7578. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के इन्चमपल्ली बांध परियोजना का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये मध्य प्रदेश के बस्तर तथा महाराष्ट्र के चन्द्रपुर की कितनी श्रेष्ठ वन भूमि का अधिग्रहण किये जाने का विचार है;

(ग) इस अधिग्रहण के परिणामस्वरूप वहां के कितने आदिवासी परिवारों पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि कम से कम गांव तथा उनमें रह रहे आदिवासी लोग प्रभावित हों, क्या सरकार का विस्तार परियोजना की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आदिवासी परिवारों का निकटवर्ती क्षेत्रों में पुनर्वास करने का है; और

(च) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इन्चमपल्ली बांध परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तकनीकी जांच के लिए तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इन्चमपल्ली जलाशय के निर्माण

से मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में आप्लावित होने वाला कुल क्षेत्र, प्रभावित गांव तथा विस्थापित होने वाली जनसंख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य	आप्लावित होने वाला क्षेत्र	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित होने वाली जनसंख्या
1.	मध्य प्रदेश	20557 हैक्टेयर	44	10400 व्यक्ति
2.	महाराष्ट्र	39333 हैक्टेयर	61	27400 व्यक्ति

वनभूमि, गांवों के नामों, आदिवासी परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में और सूचना उपलब्ध नहीं है।

तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस परियोजना के अन्तर्गत जलमग्न होने वाले क्षेत्र के मानचित्र तैयार कर रहा है और सही स्थिति इन मानचित्रों के तैयार हो जाने, जिनके 1982 के दौरान प्राप्त हो जाने की आशा है, के बाद ही मालूम होगी। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि विस्थापितों का पुनर्वास, परियोजना के निर्माण के समय विद्यमान मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्तावित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यक्रम पर इंचमपल्ली अन्तर्राज्यिक नियन्त्रण बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय किया जाएगा, जिसका अभी गठन किया जाना है।

किसानों द्वारा किया जा रहा प्रति पशु व्यय

7579. **श्री चतुर्भुज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पशु संरक्षण तथा विकास समिति के 1955 के सर्वेक्षण के अनुसार किसान द्वारा बूढ़ी गाय अथवा पशु पालने पर कितना व्यय किया जाता था और उससे प्रतिवर्ष कितना गोबर मिलता था तथा उसका मूल्य क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : पशु संरक्षण तथा विकास समिति 1955 सर्वेक्षण नामक प्रकाशन उपलब्ध नहीं है। वयस्क पशु से प्राप्त गोबर की कुल मात्रा प्रति वर्ष लगभग 3.65 मीटरी टन होता है। गाय का गोबर एक मूल्यवान जैव खाद है और इसके नये आधार पर एन०पी०के० के तत्व औसतन क्रमशः 0.30% और 0.18% होते हैं।

इंधन लकड़ी की उपलब्धता

7580. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण वन-क्षेत्र से ईंधन की लकड़ी उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो उनसे कुल कितनी मात्रा में ईंधन की लकड़ी उपलब्ध हो सकती है; और

(ग) यदि नहीं, तो सम्पूर्ण वन क्षेत्र में ऐसे पेड़ लगाने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ ।

(ख) 1980-81 के दौरान वनों से प्राप्त ईंधन की कुल लकड़ी 14 लाख घन मीटर थी ।

(ग) समूचे वन क्षेत्र में वृक्ष लगाने की केन्द्रीय क्षेत्र की कोई योजना नहीं है । तथापि, ईंधन की लकड़ी के संकट को समाप्त करने के लिए "ग्रामीण ईंधन लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की गई है और यह योजना छठी योजनावधि से क्रियान्वित की जा रही है । योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

इस योजना में गांवों के निकट ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के पेड़ लगाने तथा किसानों को उनके खेतों के इर्द गिर्द रोपण करने के लिये तथा "प्रत्येक बच्चे के लिये एक पेड़" नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपण करने के लिये बच्चों को पौधों की निःशुल्क सप्लाई करने की व्यवस्था है । यह योजना विभिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों के उन 101 चुनींदा जिलों में क्रियान्वित की जानी है जहां ईंधन की लकड़ी की भारी कमी है । इस योजना में 50% केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है, जो कि अधिक से अधिक प्रति हैक्टेयर वृक्षारोपण के लिये 1000/- रु० तथा सप्लाई किये जाने वाले प्रति हजार पोधों के लिये 250/- रुपये होगी । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय अनुदान के रूप में इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत छठी योजनावधि के दौरान ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण के अन्तर्गत 2.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लिया जायेगा और लगभग 58 करोड़ पौधे निःशुल्क सप्लाई किये जायेंगे ।

पेय जल की सप्लाई

7581. **श्री एस० एम० कृष्ण**
श्रीमती मोहसिना किदवई } : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 45000 समस्या ग्रस्त गांवों को पेयजल की सप्लाई करने का भविष्य संकट में पड़ गया है क्योंकि इस वर्ष के बजट में पी०वी०सी० पाइपों और फिटिंग्स पर 8% उत्पाद शुल्क आदि लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सस्ते पाइपों और फिटिंग्स पर उत्पादन शुल्क और अन्य शुल्क लगाये जाने के संदर्भ में हमारे समस्या ग्रस्त गांवों को पेय जल की सप्लाई करने की विषम समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पी०वी०सी० पाइप विकास संगठन ने एक ज्ञापन के जरिये सरकार का ध्यान महत्वाकांक्षी पेयजल सप्लाई योजनाएं तैयार करने में आने वाली विसंगतियों और पी० वी० सी० पाइपों पर उत्पाद शुल्क लगाने की ओर दिलाया गया है; और

(घ) इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम में सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ कुओं और हैण्ड-पम्पों सहित कम लागत की पद्धतियों से पेय जल मुहैया कराने के प्रयास हैं। नलों द्वारा जलपूर्ति योजनायें केवल उन्हीं स्थानों पर आरम्भ की जाती है जहाँ अति आवश्यक हो।

(ग) और (घ) पी० वी० सी० पाईप डिवेल्पमेंट संगठन ने इस सम्बन्ध में इस मन्त्रालय को एक पत्र लिखा है। सभी सम्बन्धित विषयों को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्रालय को इस पहलू पर निर्णय लेना होगा। पी० वी० सी० पाईप डिवेल्पमेन्ट संगठन ने पहले ही यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है।

गोबर गैस संयंत्र

7582. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए 1975 में बनाई गई व्यापक योजना का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने गोबर गैस संयंत्र लगाए गए हैं, तथा बैंकों ने इसके लिए कितनी धनराशि अग्रिम तौर पर दी है; और

(ख) अब तक राज्यवार और केन्द्र शासित प्रदेश-वार कितने गोबर गैस संयंत्र लगाए गए हैं तथा इसके लिए प्रत्येक राज्य को ऋण के तौर पर दी गई धन राशि सहित उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण के तौर पर धन लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना (1974-75 से 1978-79) के दौरान गोबर गैस संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित कार्यक्रम, स्थानीय खाद सम्बन्धी संसाधनों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का अंग था। गोबर गैस संयंत्रों की पूंजीगत लागत पर लाभानुभोगियों को दी जाने वाली केन्द्रीय राज सहायता की पद्धति निम्नलिखित थी :—

वर्ष		राज सहायता की दर
1974-75 तथा 1975-76	—	25 प्रतिशत
1976-77	—	20 प्रतिशत
1977-78 तथा 1978-79	—	20 प्रतिशत सभी किसानों के लिए
	—	25 प्रतिशत छोटे एवं सीमान्त किसानों के 2 घन मीटर तथा 3 घन मीटर आकार के संयंत्रों के लिए;
	—	50 प्रतिशत पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में संयंत्रों की स्थापना करने के लिए।

केन्द्रीय क्षेत्र की उपरोक्त योजना के तहत लगभग 70,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए थे। 1-4-1979 से इस योजना को केन्द्रीय क्षेत्र से हस्तान्तरित कर दिया गया था। 1979-80 तथा 1980-81 में 31,000 अतिरिक्त गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए थे। इनको मिलाकर कुल एक लाख से अधिक संयंत्र हो गए।

राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

बैंक लाभानुभोगियों को ऋण देते हैं न कि राज्यों को। चूंकि अनेक लाभानुभोगियों ने सम्पूर्ण देश में फैले हुए अनेक बैंकों की विभिन्न शाखाओं से गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए ऋण लिया है, अतः बैंकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए ऋण की राशि के बारे में सूचना प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1974-75 से 1980-81 तक स्थापित किए गए बायोगैस यूनिटों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	27883
2.	महाराष्ट्र	11933
3.	हरियाणा	10277
4.	बिहार	9826
5.	गुजरात	9185
6.	कर्नाटक	7799
7.	तमिलनाडु	6565
8.	पंजाब	5612
9	मध्य प्रदेश	3652
10.	आन्ध्र प्रदेश	2854
11.	पश्चिम बंगाल	2413
12.	केरल	1587
13.	उड़ीसा	622
14.	राजस्थान	409
15.	असम	75
16.	दिल्ली	51
17.	अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (गोवा, दादरा एवं नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, चण्डीगढ़, मणिपुर, नागालैंड)	470
	योग	101213

दिल्ली के अनधिकृत नान-कनफर मिंग क्षेत्रों में चल रहे औद्योगिक एकक

7583. श्री एन० ई० होरो : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अनधिकृत क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक एकक लगातार चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के एककों को डी० डी० ए० द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन किया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके अवैध रूप से अनधिकृत क्षेत्रों में कार्य करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार असंगत क्षेत्रों में 3719 औद्योगिक एकक चलाए जा रहे थे इनमें से 2556 एककों को पहले ही संगत क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने असंगत क्षेत्रों में चलाए जा रहे 5403 एककों को औद्योगिक प्लाट आवंटित किए हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में कृषि के अन्तर्गत जमीन

7584. श्री एन० ई० होरो : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार राज्य सरकार से सरकार द्वारा खेती तथा खेती योग्य भूमि के अन्तर्गत लिए गए भूमि के एकड़ क्षेत्रफल के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बड़े भूमिपतियों के पास बेनामी जमीन है;

(ग) क्या सरकार ने उसका पता लगाने के कोई ठोस कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख), (ग) व (घ) बिहार सरकार भूमि की अधिकतम सीमा कानून से बचने पर रोक लगाने के लिए उचित कार्यवाही कर रही है और राज्य सरकार ने पूर्वव्याप्ति से बेनामी हस्तांतरणों की अवहेलना करने के उद्देश्य से इसमें संशोधन किया है।

विवरण

बिहार में कृषि के अन्तर्गत भूमि तथा काश्त करने योग्य भूमि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख हैक्टेयर में)

कृषि के अधीन क्षेत्र	काश्त करने योग्य कुल क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र
1	2	3	4	5
101.51	117.60	0.94	0.85	0.56

टिप्पणियां :—1. आंकड़े अनुमानित हैं ।

2. कालम 3 से 5 संशोधित अधिनियम सीमा कानून से सम्बन्धित है।

3. कालम 1 में बंजर भूमि भी शामिल है।

सिंचाई के लक्ष्य

7585. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 14 मिलियन हैक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा विशेष तन्त्र बनाया गया है तथा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सभी सम्बद्ध एजेंसियों को समन्वित करके समय पर पूरा करने के लिए किन चल रहीं सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) इस समय वर्ष 1982, 1983 और 1984 में पूरी की जाने वाली राज्य-वार कौन-कौन सी 65 योजनाओं पर निगरानी रखी जा रही है;

(घ) कुल सिंचित क्षेत्र कितना है और इसमें से 31-12-1981 को फसल के लिए कितनी भूमि का उपयोग किया गया है, उसके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ङ) देश में सभी जल संसाधनों की सम्पूर्ण क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूची एक में पक्षियों की नयी नस्लों का जोड़ा जाना

7586. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या कृषि मंत्री पक्षियों के शिकार पर रोक के बारे में 23 नवम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खतरे में पड़ी पक्षियों की नस्लों सम्बन्धी वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,

1972 की अनुसूची एक में पिछले 10 वर्षों के दौरान कभी कोई पुनरीक्षण और संशोधन किया गया है, यदि हाँ, तो कब और सूची में पक्षियों की कौन सी अतिरिक्त नस्लें जोड़ी गई हैं;

(ख) क्या अनेक नैचुरैलिस्टों, दी वर्ल्ड वाइल्स लाइफ फुड, दी नैचुरल हिस्टरी सोसाइटी और अनेक अन्य संस्थाओं ने सुझाव दिया है कि हाल ही में खतरे में पड़ गई दुर्लभ नस्लों में और पक्षी शामिल किए जायें, यदि हाँ, तो उपरोक्त संस्थाओं ने क्या-क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने वन्य जीवन अधिनियम 1972 द्वारा अपेक्षित नियम बनाए और पास किए हैं, यदि नहीं, तो किन राज्यों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जहां तक पक्षी प्रजातियों का सम्बन्ध है वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को अगस्त, 1977 और सितम्बर, 1980 में संशोधित किया गया है। अनुसूची 1 में जोड़े गए पक्षियों के प्रजातियों की सूची संग्लन विवरण में है।

(ख) हाल ही में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) असम, नागालैंड और जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत नियमों को तैयार कर लिया है तथा उन्हें अपना लिया है। नागालैंड सरकार ने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को सितम्बर, 1982 में अपनाया है और यह नियमों को अन्तिम रूप दे रही है। असम सरकार ने नियम तैयार कर लिए हैं लेकिन वह तिथि अधिसूचित नहीं की है जब से ये लागू किए जाएंगे। जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1978 के तहत नियमों को तैयार कर लिया है।

विवरण

1. अंदमान टील (अनास गिब्बरीफ्रोन्स अल्बोगुलेरिस)
2. असम बम्बू पार्टिज (बम्बूसिकोलाफिच्ची)
3. बंगाल फ्लोरिकन (यूपोडोटिस बंगालेसिस)
4. ब्लेक नेकेडक्रेन (ग्रस निग्रीओकोलिस)
5. ब्लड फीजेन्टस (इथाजिनिस कूंएटस टिवेटेनस, इथाजिनिस कुरंटस कुसेरी)
6. ब्राउन हैडट गल (लारस ब्रनीसिफेलस)
7. कूम्ब डक (सरकिडिओरनिस मेलानोटस)
8. फारेस्ट स्पाटेड आउलेट (एथीन ब्ले विट्टी)
9. हुबदार सारस (ग्रस मोनाका)
10. हार्नबिल्स (टिलोलेम्स टिक्केली आस्टेनी, एसीरोस निपेलसिस, रहाईटिसेरोस अनडुलंटस रिसेहरंटी)
11. हुडबरा बस्टर्ड (क्लेमिडोटिस अनडुलाटा)
12. ह्यूम्स बार बैक्ड फीजेंस (सिरमैटिकम ह्यूसी)

13. इंडियन पाइड हार्नबिल (रेन्थाकोसेरोस मेलाबिरिक्स)

14. बड़ी "विसलिंग" जलमुर्गी (अनाटिडे)

15. मोनल फेजेन्ट (लोफोफोरस इम्पेयानस लोफोफेरस स्कलेटेरी)

16. निकोबार कबूतर (केलोनस निकोवेरिका पेलेवेन्सिस)

17. मोर फेजेन्ट (पालोप्लेक्ट्रान नाइकेलकराटुम)

18. स्पुर फाउल (जीनस गेलापरडिक्स की सभी प्रजातियां)

19. तिब्बती स्नो-काक (टेट्रोगैलस टिबेटेनस)

20. सफेद स्पूनबिल (प्लेटेलिआ ल्यूकोरोडिया)

सितम्बर, 1980 में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में जोड़े गए पक्षियों की प्रजापतियों की सूची।

1. ईस्टर्न ह्वाइट स्टार्क (सिकोनिया सिकोनिया ब्वायसियाना)

2. बाज (ऐसिपिट्रडी)

3. ओस्प्रे अथवा फिश ईटिंग ईगल (पांडियन हेलियाटीअस)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपराध

7587. **डा० वन्सत कुमार पंडित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 में राज्यवार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अन्तर्गत कितने अपराध सूचित और रजिस्टर्ड किये गये और प्रत्येक मामले में क्या दण्ड दिया गया; और

(ख) संकट ग्रस्त पक्षियों की सुरक्षा और सभी पक्षी अभयारण्यों में कड़े प्रशासन हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही करने की योजना बनाई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत, अधिनियम की अनुसूची–1 में पक्षियों की खतरे में पड़ी प्रजातियां शामिल की गई हैं और इस प्रकार उन्हें शिकार, व्यापार और वाणिज्य से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। इन प्रजापतियों के निर्यात के लिए भी अनुमति नहीं दी जा रही है। इण्डियन वस्टार्डस की स्थिति के सम्बंध में विशेष सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं और पक्षियों की खतरे में पड़ी अन्य प्रजातियों के लिए भी इसी तरह के सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत पक्षी आश्रय-स्थलों को शामिल किया गया है और इन्हें राज्य सरकारें घोषित करती हैं और उनका प्रबंध करती हैं। संरक्षण संबंधी प्रयासों, विकासात्मक कार्यों तथा आश्रय-स्थलों का सुधार करने के निर्माण-कार्यों को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड

7588. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजगढ़, गुना, विदिशा, शाजापुर, उज्जैन और ग्वालियर जिलों में कितने विकास खंण्डों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है;

(ख) वर्ष 1978-79, 1979-80 के दौरान उक्त प्रखण्डों में कितने निर्धन व्यक्तियों को अपनी आय बढ़ाने का लाभ मिला;

(ग) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में इन प्रत्येक खण्डों पर कुल कितना व्यय किया गया;

(घ) वर्ष 1978-79, 1979-80, और 1980-81 के वर्षों में उक्त प्रत्येक खण्ड के लिये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना (टर्म क्रेडिट) सावधिक ऋण दिया गया; और

(ङ) क्या सरकार सावधिक ऋण की राशि मध्य प्रदेश के उन प्रखण्डों जो कि विशेषकर कम विकसित जिलों में हैं, के लिये बढ़ाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख), (ग) व (घ) वांछित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां उपदान पूंजी लागत पर सामान्य दरों अर्थात् छोटे किसानों को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों को 33⅓ प्रतिशत तथा जनजाति भागीदारों को 50 प्रतिशत पर उपलब्ध करती हैं। परियोजना की लागत का शेष भाग वित्तदायी संस्थाओं से ऋण के द्वारा पूरा किया जाता है। ऋण का खंडवार कोई आवंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

क्र०सं०	जिले का नाम	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए खण्डों की संख्या		
		1978-79	1979-80	1980-81
1.	गुना	3	4	9
2.	ग्वालियर	3	4	5
3.	राजगढ़	3	4	6
4.	शाजापुर	6	7	7
5.	उज्जैन	6	6	6
6.	विदिशा	5	6	7

संसद भवन के समीप निर्मित होटल

7589. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्राइवेट अलग-अलग फर्मों या कम्पनियों को संसद् भवन के समीप जनपथ, रायसीना और अशोक रोड पर व्यापारिक प्रयोजन के लिये होटल का निर्माण करने के लिये अनुमति दी गई है।

(ख) यदि हां, तो उन प्राइवेट पार्टियों, फर्मों के नाम क्या हैं और उन्हें किन शर्तों पर अनुमति दी गई तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कुछ और प्राइवेट व्यक्तियों को दिल्ली में संसद् भवन के समीप या आस-पास भूमि आवंटित की जानी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) भारत सरकार ने जनपथ पर दो होटल स्थल—एक जनपथ और अशोक रोड (विण्डसर प्लेस का उत्तर) के चौराहे पर और दूसरा रायसीना रोड और जनपथ के चौराहे पर क्रमशः भारतीय पर्यटन विकास निगम और नई दिल्ली नगरपालिका को आवंटित किये हैं न कि गैर सरकारी व्यक्तियों या फर्मों को।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका को आवंटित स्थल के बारे में, एशियाई खेल 1982 के लिए पांच तारा होटल की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उक्त स्थल पर एक पांच तारा होटल बनाने और उसे चालू करने के लिए मैसर्ज प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० के साथ एक लाइसेन्स करारनामा किया है। नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मैसर्ज प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० के साथ किए गए लाइसेन्स करारनामे की शर्तों के अन्तर्गत, मैसर्ज प्योर ड्रिंक्स को प्रत्येक 33 वर्षों के बाद शतप्रतिशत तक न्यूनतम गारंटी शुदा राशि में वृद्धि करने के साथ साथ 26.8 करोड़ रु० प्रतिवर्ष की न्यूनतम गारंटी शुदा राशि या होटल की कुल आय का 23 प्रतिशत, इनमें जो भी अधिक हो, नई दिल्ली नगरपालिका को अदा करना है।

(ग) संसद् भवन के समीप और इसके आस-पास गैर सरकारी व्यक्तियों को होटल स्थल आवंटन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में जन सुविधाओं के लिए आरक्षित स्थानों का दुरुपयोग

7590. **श्री चतुर्भुज**
श्री कृष्ण कुमार गोयल } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने जन सुविधाओं के लिये आरक्षित स्थानों पर अनधिकृत रूप से मकान बना लिये हैं जिन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्मल) को सराय रोहिल्ला विकास योजना के अन्तर्गत सड़कों, मकानों, पार्कों, स्कूलों आदि का निर्माण करना था और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और इस भूमि पर किन व्यक्तियों ने कब्जा किया है; और

(ख) इन अवैध कब्जों को बेदखल कराने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन जन सुविधाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) निदेशक (गन्दी बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ी) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सराय रोहिल्ला पुनर्विकास योजना में गन्दी बस्ती टेनामेन्टों तथा औद्योगिक/वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण के लिए कुछ खुली भूमि के सिवाय सराय रोहिल्ला में किसी भी क्षेत्र को अभी तक उन्मूलन क्षेत्र के रूप—में घोषित नहीं किया गया है इस क्षेत्र में काफी भूमि गैर सरकारी है और अभी तक अर्जित नहीं की गई है। इस प्रकार, गन्दी बस्ती विभाग ने बताया है कि सराय रोहिल्ला पुनर्विकास योजना के

अन्तर्गत सार्वजनिक सुविधाओं, सड़कों इत्यादि के लिए उदिष्ट भूमि के अनधिकृत कब्जे के संबंध में उसके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली की गन्दी वस्ती क्षेत्रों में कटरों तथा कालोनियों का सुधार

7591. **श्री चतुर्भुज** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा गन्दी बस्ती क्षेत्रों में 'कटरों' तथा कालोनियों के सुधार के लिये व्यय के प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रवार प्राक्कलनों की राशि क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा मई, जून में भेजे गये खर्चे के प्राक्कलनों पर मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली नगर निगम द्वारा इस वर्ष किये जाने वाले कार्य में से अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है; और

(ग) क्या नगर निगम ने मंजूरी दिये जाने से पूर्व कुछ कार्य कार्यान्वित करने के लिए अनुमति प्राप्त की थी और यदि नहीं, तो पिछले वर्ष पूर्वानुमति लेकर सुधार कार्य न करने के क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिलहन बोर्ड का निर्माण किया जाना

7592. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तिलहन उद्योग तथा व्यापार संगठन ने केन्द्रीय सरकार से एक स्वायत्तशासी तिलहन बोर्ड की स्थापना हेतु अनुरोध किया है जिसमें उत्पादकों उद्योग, के प्रतिनिधि तथा व्यापार तथा तकनीकी विद्हों तथा जो देश में तिलहन की कमी की समस्या को हल कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी, हां।

(ख) तिलहनों तथा वनस्पति तिलहनों के समेकित विकास तथा प्रबंध के लिये एक राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

सतर्कता शिकायतें

7593. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कितनी सतर्कता शिकायतें मिली हैं;

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से बिना परामर्श किए इस प्रकार के कितने मामलों में कार्यवाही बन्द कर दी गई; इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय जांच आयोग को परामर्श के लिए इस प्रकार के कितने मामले भेजे गए;

(घ) क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं कि इस प्रकार के मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श किए बिना बन्द नहीं किया जाना चाहिए;

(ङ) यदि हां, तो मामलों को बन्द करने से पूर्व किन्हीं मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) 43

(ख) कोई नहीं।

(ग) 11

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) चूंकि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, मामलों पर कार्यवाई करने में कोई अनियमितता नहीं हुई है, इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्लाटों का आवंटन

7594. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रोहिणी आवासीय योजना में प्लाटों के आवंटन के लिए दिल्ली से बाहर के निवासियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के व्यक्तियों की वर्ग-वार कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(ग) दिल्ली के उन निवासियों की जिन्होंने उक्त योजना में प्लाटों में आवंटन के लिए आवेदन किया है वर्ग-वार संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या आवेदन के मामले में दिल्ली वासियों को गैर-दिल्ली वासियों की अपेक्षा कोई प्राथमिकता दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) आवेदन पत्र जांचाधीन हैं और इस अवस्था में सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

सरकारी आवास हेतु आवंटन के लिए नया तदर्थ आधार पर टाइप 'डी' श्रेणी

7595. **श्री भीखा भाई :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 700-999 रुपये वेतनमान की सीमा के अन्दर आने वाले व्यक्तियों को 'सामान्य पूल' में आवंटन के लिए नए तदर्थ आधार पर टाइप 'डी' क्वार्टरों की सीमा बनाये जाने से उन सरकारी कर्मचारियों को पहले मिलने वाले आवास का आवंटन नहीं होगा जिनकी सेवावधि 24 वर्ष से अधिक की हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी के लिए 20 वर्ष से अधिक सेवावधि पूरी करने वाले कितने पात्र व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) क्या इस बात की प्रस्तावित पुनरीक्षा की गई है कि क्या टाइप 'सी' के बड़ी संख्या में क्वार्टर उपलब्ध हो गए हैं और 'द्रुत कार्यक्रम' के अन्तर्गत टाइप 'सी' के क्वार्टरों का निर्माण कार्य 550-999 रुपये वेतनमान के अन्दर आने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम सन्तोषजनक आधार पर था;

(घ) यदि पुनरीक्षा नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और इस श्रेणी के उन कर्मचारियों, जिनकी सेवावधि 20 वर्ष से अधिक की हो गई है, को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या इस श्रेणी में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटन करने के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। कुछ सीमा तक उनकी प्रतीक्षा अवधि में वृद्धि हुई है।

(ख) 3410

(ग) पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को तदर्थ टाइप 'डी' में स्पष्ट रिक्तियों का 5 प्र०श० आवंटित किया जा रहा है।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत आवासीय प्लाटों के आवंटन के लिए आवेदन

7596. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रोहिणी आवासीय योजना में आवासीय प्लाटों के लिए श्रेणीवार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदन-पत्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में कितने प्लाट उपलब्ध हैं और उनमें से कितने प्लाट प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित है;

(घ) अग्रिम राशि के रूप में डी० डी० ए० ने कितनी धनराशि एकत्र की है;

(ङ) क्या प्रत्येक श्रेणी के प्लाटों के आवंटन के लिए लाटरी 1982 तथा 1983 में निकाली जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्लाटों के आवंटन के लिए लाटरी किस वर्ष में निकाली जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवेदन पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है : —

वर्ग	संख्या
जनता/समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	18,390
निम्न आय वर्ग	38,105
मध्यम आय वर्ग	25,889
योग	82,384

(ख) आवेदन पत्र जांचाधीन हैं और इस अवस्था में अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(ग) प्लाटों की संख्या निम्न प्रकार है :—

जनता/समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	51,000
निम्न आर्य वर्ग	45,000
मध्यम आय वर्ग	16,150
उच्च आय वर्ग	3,966

कतिपय वर्गों के लिये आरक्षण की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25 प्र०श०
युद्ध में मारे गये रक्षा कार्मिकों की विधवायें	1 प्र०श०
भूतपूर्व रक्षा कर्मचारी	1 प्र०श०
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	1 प्र०श०

(घ) 21.15 करोड़ रुपये

(ङ) जी, हां ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता । जैसा कि विवरणिका में विनिर्दिष्ट है प्लाटों का आवंटन पांच वर्ष की अवधि के दौरान चरणों में किया जायेगा ।

पश्चिमी पटेल नगर , नई दिल्ली में आवासीय मकानों में शौचालयों का निर्माण

7597. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी पटेल नगर (दो मंजिले क्वाटरों में) के आवासीय मकानों के स्वामियों को अपने अहाते में शौचालयों का निर्माण करने के लिए दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली द्वारा अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कोने के मकान निर्माण मालिकों को अपने शौचालयों का निर्माण करने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बीच के मकानों में रहने वाले जिनमें यहां अपने शौचालय है; साझे शौचालयों का भी उपयोग करते हैं; और

(घ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर हां, में है तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या कोने के मकानों में रहने वालों को सामान्य शौचालयों को एकमात्र अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाये जाने के लिए उन्हें अपने अहाते में जोड़ लेने के लिए अनुमति दे दी है अथवा दी जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा-शर्तों के निर्धारण में हुई प्रगति

7598. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री सरकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन-मान/सेवा-शर्तों के बारे में 21 दिसम्बर,1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4869 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहकारी समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा-शर्तों के निर्धारण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल-पर रखी जायेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सम्बंध में सेवा के नियमों को दिल्ली प्रशासन द्वारा अधि-सूचित कर दिया गया है और उसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जा रही हैं। अन्य श्रेणियों की सहकारी समितियों से सम्बन्धित नियमों की प्रतियां दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार तथा अधिसूचित कर दिये जाने पर सभा पटल पर रख दी जाएंगी ।

सहकारी क्षेत्र में वनस्पति घी बनाने वाले कारखाने

7599 **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र में राज्यवार, वनस्पति घी बनाने वाले कितने कारखाने हैं और देश में वे कब से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने बदायूं में वनस्पति घी बनाने के लिये आवेदन-पत्र दिये थे, और यदि हाँ तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने बदायूं में वनस्पति घी बनाने के लिये दोबारा उचित आवेदन-पत्र दिया है; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस बीच अपेक्षित मंजूरी दी गई है, और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क)

राज्य	एककों की संख्या	कब से कार्य कर रहे हैं
गुजरात	1	1978
कर्नाटक	1	1981
महाराष्ट्र	1	1963
पंजाब	1	1971
योग :	4	

(ख) व (ग) जी हां।

(घ) इस पर उपयुक्त समय पर अन्य आवेदनों के साथ-साथ कार्रवाई की जायेगी।

भवन निर्माण, पेय जल और गन्दी बस्ती हटाने जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नई योजनायें बनाना

7600. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सरकार ने भवन निर्माण, पेय जल और गंदी बस्ती हटाने जैसी राष्ट्रीय योजनाओं का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन करने के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) आवास, जलपूर्ति की व्यवस्था करना और गन्दी बस्ती सुधार, राज्य क्षेत्र में है। और इस प्रयोजन के लिए राज्य प्लानों में निधियों की व्यवस्था की जाती है। तथापि, पता लगाए गए समस्याग्रस्त गावों में पीने का पानी मुहैया करने के लिए और 1971 की जनगणना के अनुसार एक लाख की जनसंख्या तक छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का विकास करने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दे रही है, अर्थात्:—

1. त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

2. छोटे और मध्य दर्जे के कस्बों की स्वीकृत विकास योजना।

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम जिसे 1977-78 में पुनः आरम्भ किया गया था, के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों में जलपूर्ति मुहैया करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देती है। छठी योजना 1980-85 के दौरान, इस योजना के लिए 600 करोड़

रुपये की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्यवार नियतन का एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-3891/82]

छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की स्वीकृत विकास योजना के अन्तर्गत, छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकासार्थ राज्य सरकारों/संघ राज्व क्षेत्रों को विकास की चुनिन्दा मदों के लिए समान आधार पर केन्दीय ऋण सहायता दी जाती है। 31-3-1982 को, देश में 200 कस्बों को लाभान्वित करने के लिए 2327.39 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है। स्वीकृत राज्यवार राशि का एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी०-3891/82]

मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क के विकास के लिए राजस्थान को वित्तीय सहायता

7601. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क के विकास और वन्य जीवों के बारे में अनुसंधान केन्द्र के लिये वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) क्या मरुस्थल में पाई गई वनस्पति और जन्तुओं के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाये गये हैं,

(ग) क्या सरकार को पता है कि मरुस्थल में वन्य जीवों की नस्लें काला हिरण, चिंकारा और गोंडावण बहुत तेजी से लुप्त हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके संरक्षण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, राजस्थान के/बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के भागों में मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क को पहले से ही सहायता दी जा रही है। वर्ष 1981-82 के दौरान 39.54 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई थी। इस कार्यक्रम का व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारों बराबर-बराबर शेयर किया जाता है।

(ख) वन्य प्राणि (रक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत सम्मिलित मरुस्थल की वनस्पति और वन्य-जीवों को इस कानून के अन्तर्गत संरक्षण मिल रहा है। मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क में पूरा संरक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) ये जातियां वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में दी हुई है, और इस प्रकार ये पूर्ण कानूनी रक्षण के अन्तर्गत है। यह सही नहीं है कि ये जातियां तेजी से समाप्त हो रही हैं। हाल के वर्षों में संरक्षण कार्यवाही के फलस्वरूप उनकी संख्या में वृद्धि प्रतीत होती है

बादली, दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण

7602. **श्री हरीश रावत :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बादली गांव के भूमिहीन हरिजन श्रमिकों को 1975-76 में कितनी भूमि आबंटित की गई थी;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली के भूमि अधिग्रहण आयुक्त द्वारा इस भूमि

का दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिये बिना किसी मुआवजे का भुगतान किये अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भूमि के इस अवैध अधिग्रहण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों में सामुदायिक विकास प्रखण्डों को मजबूत बनाया जाना

7603. **श्री हरीश रावत** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में सामुदायिक विकास प्रखण्डों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रखण्डों को मजबूत बनाने के लिये होने वाली लागत को पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार का कितनी राशि देने का विचार है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) अतिरिक्त कर्मचारी-वर्ग की लागत का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) 11 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए खण्ड प्रशासन को मजबूत बानाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं ।

खाद्यान्न वसूली के लक्ष्य

7604. **प्रो० नारायण चन्द पराशर**
श्री माधव राव सिंधिया
श्री टी० आर० शमन्ना } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के लिये वर्ष 1981-82 के दौरान फसलवार प्रत्येक मौसम के लिये खाद्यान्न की वसूली के क्या लक्ष्य थे;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं;

(ग) राज्य-वार कितनी कमियां रही हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भिन्न-भिन्न फसलों के लिये राज्यवार क्या-क्या वसूली मूल्य प्रस्तुत किये गये थे और ये मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये न्यूनतम मूल्यों की तुलना में कितने न्यूनाधिक थे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क), (ख) (ग) 1981-82 के दौरान केवल गेहूं के मामले में ही वसूली लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। गेहूं की वसूली के राज्यवार लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

(लाख मी० टन में)

राज्य	वसूली लक्ष्य	वास्तविक वसूली
बिहार	1·50	0 13
गुजरात	1·00	—
हरियाणा	17·00	11·21
मध्य प्रदेश	2·00	1·67
महाराष्ट्र	0·50	—
पंजाब	47·00	37·63
राजस्थान	1·00	0·10
उत्तर प्रदेश	25·00	14·96
अन्य	—	0·20
जोड़	95·00	65·90

व्यापारियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वसूली मूल्य से ऊंचे मूल्यों की पेशकश, व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा गेहूं का स्टाक रोकने और कुछेक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में कम उत्पादन होने जैसे प्रमुख कारणों से कमी हुई कही जा सकती है।

(घ) स्थिति इस प्रकार है:—

1981-82 विपणन मौसम के लिए खाद्यान्नों के वसूली मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

अनाज	कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित	भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए
धान		
मोटी	115	115
बढ़िया	119	119
बहुत बढ़िया	123	123
मोटे अनाज		
(ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी)	116	116
गेहूं	127	130

केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार, निम्नलिखित राज्यों ने निम्न सीमा तक विभिन्न खाद्यान्नों की वसूली के लिए अधिक दरों की पेशकश की थी:—

धान	(रु० प्रति क्विंटल)
1. आन्ध्र प्रदेश	रु० 10/— *
2. कर्नाटक	रु० 10/—

जारी.....

* 1.4.1982 से वापस ले ली गयी है।

3. केरल	रु० 10/—
4. मध्य प्रदेश	रु० 3/—से 7/—
5. महाराष्ट्र	रु० 7/—
ज्वार	
1. मध्य प्रदेश	रु० 5/—
2. महाराष्ट्र	रु० 6/—
मक्का	
1. मध्य प्रदेश	रु० 5/—
गेहूं	
1. मध्य प्रदेश	रु० 10/—

गोदाम बनाने के लिए केन्द्रीय भण्डागार निगम द्वारा ऋण

7605. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न के लिए गोदाम बनाने हेतु केन्द्रीय भण्डागार निगम ऋण देता है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में कितने स्थानों पर गोदाम बनाने के लिये ऋण दिया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन गोदामों/वेयरहाउसों का निर्माण करवाने के लिए प्राइवेट पार्टियों को ऋण नहीं देती है। तथापि, भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की शर्तों के अनुसार कारपोरेशन इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों और राज्य भाण्डागार निगमों को ऋण दे सकती है।

(ख) कारपोरेशन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार अथवा राज्य भाण्डागार निगम को कोई ऋण नहीं दिया है।

खाद्यान्न के गोदाम बनाने के लिए सहकारी तथा पंजीकृत समितियों को ऋण

7606. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार खाद्यान्न के गोदाम और किलू बनाने के लिये सहकारी तथा पंजीकृत समितियों को ऋण देती है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के उन किसानों को भी गैर सरकारी खाद्यान्न के गोदाम और किलू बनाने के लिये यह सुविधा उपलब्ध कराएगी जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को यह सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी क्षेत्र में गोदामों के विनिर्माण के लिए राज्य सरकारों/राज्य

सहकारी बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इन गोदामों का उपयोग मुख्यत: कृषि उत्पादों, जिसमें खाद्यान्न भी शामिल हैं, उर्वरकों की आपूर्ति और कृषि आदानों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के भण्डारण के लिए किया जाता है । एक अलग योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादकों भण्डारण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ग्रामीण गोदामों का एक राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता से सहकारी समितियों, विपणन समितियों और राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा ग्रामीण गोदाम स्थापित किए जा रहे हैं । इस योजना के तहत गोदामों के निर्माण की 50 प्रतिशत लागत (25 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा) राजसहायता के रूप में दी जाती है तथा शेष 50 प्रतिशत लागत बैंकों से ऋण लेकर पूरी की जाती है ।

(ख) व (ग) योजना में किसानों को सीधे ऋण देने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि किसानों की भाण्डारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोदामों के विनिर्माण हेतु ग्राम स्तर पर, किसानों की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा मण्डी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहकारी समितियों तथा विपणन समितियों/राज्य भाण्डागार निगमों को पहले से ही सहायता दी जा रही है ।

देश में गोबर गैस संयंत्र लगाना

7607. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1981 तक देश में कितने गोबर गैस संयंत्र लगाये गये थे;

(ख) उत्तर प्रदेश में कितने गोबर गैस संयंत्र हैं और क्या गोबर गैस संयंत्र लगाने के बारे में केंद्र और राज्य सरकार को कुछ अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) से (ग) 1974-75 से 1980-81 की अवधि के दौरान देश में 100,000 से अधिक गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश में लगाए गए संयंत्रों की संख्या करीब 28,000 है। उत्तर प्रदेश में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करने में की गई किसी अनियमितता की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकार से इस बारे में स्थिति की जानकारी मांगी जा रही है ।

देश में हुडको द्वारा मकानों का निर्माण

7608. **श्री के० प्रधानी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हुडको सारे देश में मकानों का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न, राज्यों के नगरों तथा गांवों में हुडको वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल कितने मकान बनाये गये हैं;

(ग) उड़ीसा के उन नगरों तथा गांवों के नाम क्या हैं जिनमें हुडको वित्त पोषित आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाये जा रहे हैं; और

(घ) उनकी राज्यवार संख्या कितनी है और उड़ीसा 1982-83 में हुडको के मकान बनाने के कार्यक्रम क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आवास तथा नगर विकास निगम प्रधानतः एक वित्त पोषित संस्थान है और यह सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्माण कार्य नहीं करता है। हुडको ने अपने प्रारम्भ काल से और 28-2-1982 की स्थिति के अनुसार 1760 योजनाओं की स्वीकृति दी है। पूर्ण होने पर, इन योजनाओं से 19 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 383 कस्बों और सैकड़ों ग्रामों में 10,71,508 (शहरी क्षेत्रों में 5,88,708 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,82,800) रिहायशी एककों और 70,550 रियायती प्लाटों की व्यवस्था होगी।

(ग) उड़ीसा राज्य में हुडको की वित्त पोषित योजनाओं के अधीन लाभान्वित शहरकटक राऊरकेला, पुरी, भुवनेश्वर, बैहरामपुर, बार्बिल, हीराकुंड, धनेकनाल, रायगढ़, मंजनगर और अथागढ़ हैं। इसके अतिरिक्त,-उड़ीसा के निम्नलिखित जिलों में अनेक गांवों को भी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है।

1. कटक
2. धनेकनाल
3. पुरी
4. कोरापुर
5. गंजन
6. कोलंगीर
7. फूलाबनी
8. कालाइण्डी

हुडको वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसके भीतर राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 1982-83 के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं। वर्ष 1982-83 की किसी योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात में कीटनाशक औषधियों के उत्पादन के लिए सहकारी समितियों को लाइसेंस

7609. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कीटनाशक औषधियों के उत्पादन के लिये कितनी सहकारी समितियों को लाइसेंस दिए गए हैं और इनकी उत्पादन क्षमता अनुमानतः क्या है;

(ख) राज्य में ऐसी कितनी गैर सरकारी फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) उन सहकारी तथा गैर सरकारी फर्मों की संख्या कितनी है जिन्हें 2 वर्ष पूर्व लाइसेंस दिये गये थे परन्तु उन्होंने उत्पादन नहीं किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार केवल ऐसी इकाइयों को लाइसेंस प्रदान करती है, जो उद्योग विकास और विनियम अधिनियम, 1951 के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। मैसर्स भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, कालोल को जुलाई, 1981 में गुजरात राज्य में मालाथियोन तकनीकी का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। इकाई की क्षमता प्रति वर्ष 500 मीटरी टन है।

(ख) अभी तक गुजरात राज्य में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 8 गैर सरकारी पार्टियों को लाइसेंस प्रदान किये गये हैं।

(ग) चार गैर-सरकारी पार्टियां।

गुजरात के गांवों में पेय जल की समस्यायें

7610. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिला वार ऐसे समस्याग्रस्त कितने गांव है जहां 31 दिसम्बर, 1981 को पेय जल उपलब्ध नहीं था;

(ख) इन "स्त्रोत हीन गांवों को शामिल करने के लिये क्या कार्यक्रम है और इस काम के लिये वित्त के वार्षिक आवंटन में कितनी व्यवस्था की गई है; और

(ग) शेष गांवों में पेय जल की सुविधाएं पूरे तौर से कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह):(क) जैसाकि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 31-12-81 को समस्याग्रस्त ग्रामों (राजस्व ग्रामों) की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गुजरात राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) में समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय-जल मुहैया कराने के लिए छठी योजना परिव्यय 65.00 करोड़ रुपये है। राज्य क्षेत्र के परिव्यय को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदानों द्वारा पूरा किया जाएगा। 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान गुजरात को क्रमश: 354 लाख रुपये तथा 396.25 लाख रुपये की राशि दी गई। छठी योजना के शेष वर्षों के दौरान राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के वार्षिक नियतन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) छठी योजना के दौरान, वर्षवार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने के कम से कम एक स्त्रोत सहित सभी चुने गये समयाग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा।

विवरण

जिला	31-12-81 से शेष रहे ग्रामों की कुल संख्या
अहमदाबाद	140
गांधीनगर	6
खेड़ा	238
पंचमहलस	401
बाडोदारा	351
भरूच	310
सूरत	251
बलसाद	344

जारी...

डंस	43
सोबरकण्ठा	272
बांसकण्ठा	273
महेशाण	154
भावनगर	210
अमरेली	153
सुरेन्द्र नगर	182
राजकोट	252
जामनगर	138
कच्छ	391
जूनागढ़	395
कुल योग :	4510

रावी ब्यास समझौता

7611. **श्री लहनासिंह तुर** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रावी ब्यास के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में हुए समझौते पर आम जनता में फैले असन्तोष की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार इस विषय पर लोगों की भावनाओं को देखते हुए स्थिति की पुनरीक्षा करेगी और इस बीच इस मनमाने पंचाट को रद्द करेगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के मुख्यमन्त्रियों ने, सम्बन्धित राज्यों की ओर से विभाजन-पूर्व के उपयोगों के अलावा रावी ब्यास नदियों के अधिशेष प्रवाहों के आवंटन तथा सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों के हितों तथा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए और रावी तथा ब्यास नदियों के जल का तीव्रगति से एवं इष्टतम उपयोग करने की इच्छा से और इन नदियों के जल के उपयोग से सम्बन्धित मतभेदों को शीघ्र हल करने की अनिवार्य आवश्यकता को भी देखते हुए 31-12-1981 को एक करार किया। इस करार से तीनों राज्यों को लाभ पहुंचता है। अतः किसी भी राज्य में असन्तोष की कोई आम भावना होनी चाहिए। चूंकि यह करार राज्यों द्वारा स्वयं किया गया है, इसलिए इस मामले को भारत संघ द्वारा फिर शुरू किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोको उत्पादकों को अलाभप्रद मूल्य

7612. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री के० ए० राजन } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश में कोको उत्पादकों को पर्याप्त मूल्य न मिलने के कारण वे संकट में पड़ गये हैं;

(ख) उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या केरल सरकार ने कोको उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) तथा (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोको उत्पादकों को प्राप्त होने वाले मूल्यों में 1977-79 के दौरान प्रचलित मूल्य स्तर की तुलना में हाल ही में गिरावट आई है। भारत सरकार ने अपनी नवीनतम आयात नीति में कोको की फलियों और चूर्ण के आयात पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद की गुणवत्ता और किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिये केरल राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत फार्म स्तर पर कोको के परिसंस्करण और विपणन का प्रबन्ध कर रही है और फालतू उत्पादन के निर्यात की भी व्यवस्था कर रही है। केरल राज्य सरकार द्वारा मध्यस्थ वस्तुओं तथा तैयार माल के रूप में कोको के परिसंस्करण हेतु कारखानों को स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) जी हां। केरल सरकार ने गीली फली या इसके बराबर बीजकोश के प्रति किलोग्राम पर एक रुपये की दर से उत्पादकों को देय राज सहायता के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। सरकार को आशा है कि ये उपाय कोको उत्पादकों के हितों की रक्षा करेंगे :

नेहरू नगर, दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों को स्वामित्व का अधिकार

7613. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० की एक स्लम कालोनी, नेहरू नगर में औद्योगिक श्रमिकों को कुछ भवन आवटित किये गये थे, जिनको अब स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया है जबकि उसी कालोनी में अन्य वास्तविक अलाटियों, जिनको बहुत पहले स्लम उन्मूलन योजना के अन्तर्गत मक ान आवंटित किये गये थे और जो स्वामित्व का अधिकार पाने के हकदार हैं; को यह अधिकार नहीं दिया गया है जिससे इस कालोनी में भेदभाव हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अन्य वास्तविक अलाटियों को स्वामित्व के अधिकार देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या नेहरू नगर में दुकान संख्या 34 और 35 आवंटित कर दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो गत आठ वर्षों में उनके मासिक किराये के रूप में इन दुकानों के आलटियों से कितना सरकारी राजस्व वसूल किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों को कोई स्वामित्वाधिकार नहीं दिए गए हैं। नेहरू नगर कालोनी में कुछ टेनामेन्टो को स्टाफ क्वार्टरों के रूप में औद्योगिक कर्मचारियों को आवंटन हेतु मैसर्स हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्टरी को बेचे गये थे तथा

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग ने फैक्टरी के किसी व्यक्तिगत कर्मचारी को कोई आवंटन नहीं किया।

(ख) भारत सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग द्वारा आवंटित टेनामेन्टों के बारे में स्थायी पट्टाधारक अधिकार अन्तरित करने का निर्णय लिया है तथा तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण वास्तविक आवंटियों को पट्टाधारक अधिकार अन्तरित करने की कार्यवाही कर रहा है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पहले आवन्टनों के निरस्तीकरण के बाद और कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, दुकान नं० 34, 1976 से विभागीय कार्यालय के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। दुकान नं० 35 जो 30-9-76 को सील की गई थी, अब उसे नेहरू नगर गन्दी बस्ती पुनर्वास कालोनी के निवासियों को आवश्यक जिन्स वितरण करने के लिए दिल्ली सिविल सप्लाई निगम को सौंपने का प्रस्ताव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पिछले 8 वर्षों के दौरान इन दोनों दुकानों के आवंटियों से राजस्व वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

नाफेड के चेयरमैन का कार्यकाल

7614. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाफेड के चेयरमैन को दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 के नियम 31 (3) के संदर्भ में चुनाव के सहकारी वर्ष सहित तीन सहकारी वर्षों से अनाधिक अवधि के लिये चुना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाफेड का वर्तमान चेयरमैन कब चुना गया था और नियमानुसार उसका कार्यालय कब खत्म होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क), (ख) तथा (ग) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 31 (3) इस प्रकार है:—

"समिति के चुने गये सदस्यों का कार्य-काल इस प्रकार होगा कि यह अवधि उनके चुनाव के सहकारी वर्ष सहित तीन सहकारी वर्षों से अधिक नहीं होगी, जैसा कि समिति के उप-नियमों में विनिर्दिष्ट हो, किन्तु चुने गये सदस्य तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि अधिनियम या नियमों या उप-नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत उनके उत्तराधिकारी चुने जाते हैं अथवा नामित किए जाते हैं।"

नाफेड के उप-नियमों के उप-नियम संख्या 24 के अनुसार बोर्ड के सदस्य तीन सहकारी वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दोबारा चुनाव के लिये योग्य होंगे बशर्ते कि यदि किसी अपरिहार्य कारणों से कार्य-काल की समाप्ति से पूर्व उपयुक्त समय पर आम बैठक न होने पाए तो वर्तमान निदेशक मण्डल नए बोर्ड के चुनाव होने तक कार्य करता रहेगा। उप-नियम 21 के अनुसार, निदेशक मण्डल के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और दो

उपाध्यक्षों का चुनाव करेंगे जिनका कार्यकाल उतने समय के लिए होगा जितने समय के लिए उस बोर्ड का चुनाव किया गया हो। उपनियम 22 की शर्तों के अनुसार, अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष एक बार चुने जाने पर बोर्ड के कार्य-काल तक तब तककार्य करते रहेंगे जब तक कि बोर्ड उचित नोटिस देने से दो-तिहाई मतों से उन्हें हटाने का संकल्प पारित नहीं कर देता। नाफेड के निदेशक मण्डल के सदस्य, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 1972 की धारा 31 (1) और (3) में निहित उपबन्धों के अनुसार जिन्हें संघ के उप-नियमों के साथ पढ़ा जाए, 21-6-80 को हुई महासभा की वार्षिक आम सभा में चुने गए थे। गठन हो जाने पर निदेशक मण्डल ने अपने में से वर्तमान अध्यक्ष को 21-6-80 को हुई बैठक में दूसरे कार्य-काल के लिए निर्वाचित किया। दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के उपबन्धों और नाफेड के उप-नियमों के अनुसार अध्यक्ष, बोर्ड के कार्य-काल तक बने रहेंगे, बशर्ते कि निदेशक मण्डल उचित नोटिस देने के साथ दो-तिहाई मतों से उन्हें हटाने का संकल्प पारित नहीं करें।

उड़ीसा में सफाई-घास के उपयोग के लिए कार्यवाही

7615. **श्री हरिहर सोरन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सफाई-घास उगाने वाले मुख्य राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में प्रतिवर्ष कितनी सफाई-घास उगती है;

(ग) उड़ीसा के मयूरभंज तथा अन्य जिलों में भारी मात्रा में सफाई-घास का उचित उपयोग करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गन्दी बस्तियां

7616. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऐसे कौन-कौन से नगर और कस्बे हैं, जहां स्लम्स (गन्दी बस्तियों) विद्यमान हैं;

(ख) इन गन्दी बस्तियों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां हैं तथा उनमें से प्रत्येक की जनसंख्या क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को गन्दी बस्तियों के वासियों के लिये सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कभी कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो कब और कितनी तथा इस धनराशि का कैसे उपयोग किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य सरकार द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में आवश्यक बजट प्रावधान करके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग के रूप में चलाई जा रही है। शहरी गन्दी बस्तियों में प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए योजना प्रावधान कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले शहरी क्षेत्रों का पता राज्य सरकारें लगाती हैं। जहां गन्दी बस्तियां हैं उन शहरी क्षेत्रों की सूचना केवल राज्य सरकारों

के पास उपलब्ध हैं । सुधार के प्रयोजनों के लिए सहरी गन्दी बस्तियों का पता लगाना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है । इसलिए मांगी गई सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान जब यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र में थी तब भारत सरकार ने 62,514 जनसंख्या के लाभार्थ जयपुर शहर में गन्दी बस्ती क्षेत्र के सुधार के लिए राजस्थान सरकार को 46,57,440 रुपए दिए थे ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना

7617. **श्री अनन्त रामुलु मुल्लु** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि लोगों के लिये पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी कार्य को 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने संबंधी आवश्यकता पर विचार करने के लिये इस सम्बन्ध में हाल में कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जहां पीने के पानी की अत्यधिक आवश्यकता है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य हेतु राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) समस्याग्रस्त ग्रामों की जल पूर्ति को नये 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस विषय पर अन्यों के साथ-साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ फरवरी, 1982 में सम्मेलनों का आयोजन किया गया ।

(ग) तथा (घ) 31-3-80 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों की राज्यवार वितरण की सूची संलग्न विवरण में है। समस्याग्रस्त ग्रामों के लिये पेयजल पूर्ति के लिये निधियां राज्य योजनाओं में मुहैया कराई जाती हैं । ये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता द्वारा बढ़ाई जायेगी । वर्ष 1982-83 के लिये केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 127.50 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है ।

विवरण

ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

31-3-80 की स्थिति के अनुसार जलपूर्ति दिये जाने वाले पहचान में आये शेष समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या ।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,206
2.	असम	15,743
3.	बिहार	15,194

जारी···

4.	गुजरात	5,318
5.	हरियाणा	3,440
6.	हिमाचल प्रदेश	7,815
7.	जम्मू और कश्मीर	4,698
8.	कर्नाटक	15,456
9.	केरल	1,158
10.	मध्य प्रदेश	24 944
11.	महाराष्ट्र	12,935
12.	मणिपुर	1,212
13.	मेघालय	2,927
14.	नागालैण्ड	649
15.	उड़ीसा	25,616
16.	पंजाब	1,767
17.	राजस्थान	19,803
18.	सिक्किम	296
19.	तमिलनाडु	6,649
20.	त्रिपुरा	2,800
21.	उत्तर प्रदेश	28,505
22.	पश्चिमी बंगाल	25,243
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	173
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,740
25.	चण्डीगढ़	शून्य
26.	दिल्ली	99
27.	दादर और नागर हवेली	—
28.	गोवा दमण और द्वीव	66
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	214
31.	पाण्डिचेरी	118
	योग	2,30,784

बिहार में चावल में आवंटन में वृद्धि

7618. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से राज्य में खाद्य पदार्थों की "गम्भीर स्थिति' को दृष्टि में रखते हुए चावल का आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या वर्ष 1980 के दौरान उस राज्य को सप्लाई किये गये कोटे में कमी की गई थी और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सूखे के कारण गत वर्ष उस राज्य में चावल का 25 लाख टन उत्पादन हुआ है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) :(क) बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से दिसम्बर, 1981 में हथिया वर्षा के असफल रहने को दृष्टि में रखते हुए उनके चावल के मासिक आवंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर विचार किया गया था और उनके चावल के मासिक आवंटन को दिसम्बर, 1981 के 40,000 मी० टन से बढ़ाकर जनवरी, 1982 में 50,000 मी० टन कर दिया गया था, जिसे अब भी बनाए रखा जा रहा है।

(ख) वर्ष, 1980 के दौरान बिहार के चावल के कोटे में कोई कमी नहीं की गई है। दूसरी ओर उनके मासिक कोटे को जनवरी 1980 के 30,0000 मी० टन से बढ़ाकर फरवरी, 1980 में 50,000 मी० टन, जून, 1980 में 65,000 मी, टन और अगस्त, 1980 से दिसम्बर, 1980 के दौरान प्रत्येक मास के लिए और बढ़ाकर 85,000 मी० टन कर दिया गया था।

(ग) राज्य सरकार ने 1981-82 के लिए चावल के अन्तिम पूर्वानुमानों के बारे में अभी सूचित नहीं किया है। तथापि, हथिया वर्षा की अनुपस्थिति में शरद की धान की फसल क्षतिग्रस्त हुई बतायी जाती है। फसल में कमी की मात्रा के बारे में अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

केरल में समुद्र द्वारा कटाव रोकने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में आवंटन

7619. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में केरल में समुद्र द्वारा कटाव को रोकने के कार्यों के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इसमें भारत सरकार तथा केरल सरकार दोनों का, शेयर कितना है;

(ग) इस कार्य के लिये केरल सरकार कितनी धनराशि खर्च कर चुकी है;

(घ) भारत सरकार ने अब तक कितनी सहायता प्रदान की है;

(ङ) केरल सरकार को और कितनी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है; और

(च) अब तक क्या कार्य हो चुके हैं और क्या कार्य करने हैं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्र कटावरोधी निर्माण-कार्यों के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत पर एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। योजना-अवधि के दौरान इन निर्माण-कार्यों के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध किए जाने की संभावना है, बशर्ते कि योजना आयोग द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाए।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1980-81 के दौरान 6.53 करोड़ रुपये तथा 1981-82 के दौरान जनवरी, 1982 के अन्त तक 5.80 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने 1980-8के दौरान 3.50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान

की है तथा इतनी ही राशि 1981-82 के दौरान रिलीज की गई है।

(ङ) राज्य सरकार ने 1981-82 के दौरान 2.85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(च) 320 किलोमीटर असुरक्षित समुद्र तट में से, मार्च, 81 तक 253 कि०मी० समुद्र तट को अब तक सुरक्षित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने 1981-82 के दौरान 18 कि० मी० नई समुद्री दोवार बनाने तथा 10 कि० मी० वर्तमान समुद्री दीवार को सुधारने का कार्यक्रम बनाया था।

अरब सागर और हिन्द महासागर में मछली पकड़ने के लिए अन्य देशों के साथ मछली पकड़ने के करार

7620. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) अरब सागर और हिन्द महासागर में मछली पकड़ने के संबंध में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ मछली पकड़ने के यदि कोई करार किए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उन करारों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) भारत ने अरब सागर तथा हिन्द महासागर में मछली पकड़ने के संबंध में किसी देश के साथ कोई मत्स्यन करार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

डी० डी० ए० द्वारा हुडको योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

7621. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करग कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि डी० डी० ए० ने दिवाली के अवसर पर हुडको योजना के अन्तर्गत कुछ फ्लैटों का आवंटन करने की घोषणा की थी और कहा था कि इनका आवंटन उचित समय में किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या डी० डी० ए० ने पात्र पंजीकृत व्यक्तियों को अब फ्लैटों का आवंटन कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या "उचित समय में" स्पष्ट शब्दों में परिमाणित किया जायेगा ताकि डी०डी०ए० यदा अपनी घोषणा में अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल न करें तथा फ्लैटों का आवंटन कब तक किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 31-3-82 को ड्रा हुआ था तथा इस प्रकार आवंटन की प्रक्रिया आरम्भ हुई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

7622. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिये नवीनतम विकास टेक्नालाजी से लाभ प्राप्त करने के लिये देश में और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के केंद्रों की स्थापना किये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस समय देश में 31 कृषि विज्ञान केन्द्र (फार्म विज्ञान केन्द्र) काम कर रहे हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) किसानों, खेतों में काम करने वाली औरतों तथा युवा किसानों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में करीब 50 और फार्म विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"साइन्स मीट बैक्स चिपको" शीर्षक समाचार

7623. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित साइन्स मीट बैक्स चिपको शीर्षक समाचार के लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोकने के लिये पेड़ों के संरक्षक के बारे में वाराणसी में जनवरी में हुई 68वें साइन्स कांग्रेस की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथ):(क) व (ख) जी, हां।

(ग) सिफारिश की गई 25 वर्षीय रोक व्यवहार्य नहीं है। वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार वनों की कटाई की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी कटाई की जाती है उसकी प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक तरीके से पुनर्रोपण करके समुचित रूप से क्षतिपूर्ति की जाती हैं। उन क्षेत्रों में जहां भूस्खलन और मृदा कटाव की संभावना होती है, कटाई नहीं की जाती।

जीव मंडल आरक्षण स्थलों के सृजन से संबन्धित प्रश्न की जांच की जा रही है।

प्रो० के० एन० कौल की अध्यक्षता में गठित एक समिति उत्तर प्रदेश में हिमालय के क्षेत्रों में वनों की कटाई, वृक्ष संरक्षण और परिस्थितिकी संतुलन तथा उनके सुधार के समूचे प्रश्न की जांच कर रही है।

दिल्ली में ऊंची दर पर वनस्पति की बिक्री

7624. **श्री नवीन रवाणी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि दिल्ली में वनस्पति की सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किस दर पर और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनता को नियंत्रित मूल्य पर इसकी बिक्री करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, अधिक मूल्य लेने का कोई दृष्टान्त उन्हें सूचित नहीं किया गया है।

(ख) व (ग) वनस्पति उद्योग स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण बरतता रहा है, जिसके तहत वनस्पति घी का 16.5 किलोग्राम का टीन उत्पादन शुल्क सहित 217/-रु० के अधिकतम कारखाना मूल्य पर बेचा जाना है। छोटे पैकों के मूल्य 16.5 किलोग्राम के टीन के मूल्य के अनुरूप नियत किये जाते हैं। उद्योग से कहा गया है कि वे इस मूल्य व्यवस्था को सभी स्तरों-उत्पादक, थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता-पर लागू रखें। कुल मिलाकर, स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण बनाये रखा जा रहा है।

डी० डी० ए० द्वारा विवेकाधीन कोटे से आवासीय भूखण्डों का आवंटन

7625. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने विवेकाधीन के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों को आवंटन करने का अधिकार है, यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विवेकाधीन शक्तियों के अन्तर्गत कितने भूखण्डों का आवंटन किया गया तथा लाभ पाने वालों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे भूखण्डों के आवंटन पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विवेकाधिकार वार ऐसा कोई कोटा नहीं है। तथापि, निम्नलिखित तीन मामलों में तदर्थ आधार पर प्लाट आवटित किये गये थे :—

1. श्रीमती एस० वर्मा
2. श्रीमती अद्या झा
3. श्री डी० एस० विन्द्रा

(ख) और (ग) सरकार ने 15-2-1982 को दिल्ली के उपराज्यपाल जोकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, को बिना बारी के आवंटन के मामले में निम्नलिखित मार्ग निर्देशन जारी किये हैं :—

(i) प्लाटों/फ्लैटों का बिना बारी के आवंटन मंजूर करने का अधिकार केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को होगा।

(ii) ऐसे आवंटन केवल अत्यधिक अनुकम्पा और कठिनाई के आधार पर किये जायेंगे।

(iii) बिना बारी के आवंटन केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंजूर किये जायेंगे जो प्राधिकरण में इसकी किसी भी योजना में पंजीकृत होंगे। तथापि, विधवाओं के मामले में इस शर्त में ढील दी जा सकती है।

(iv) किसी भी कैलेण्डर वर्ष में किये गये बिना बारी के आवंटनों की कुल संख्या उस वर्ष के दौरान आवंटित प्लाटों/फ्लैटों की कुल संख्या का 0 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(v) बिना बारी के आधार पर आवंटित प्लाट क्षेत्रफल में 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

7626. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा बड़े पैमाने पर और ऊंचे मूल्यों पर चीनी, गेहूं, चावल और मिट्टी के तेल की बिक्री की चोरबाजारी किये जाने के कारण सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली असफल कर दी गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन दुकानदारों को, अपने निर्वाह के लिए लाभ कमाने हेतु थोक-व्यापारियों और नागरिक पूर्ति विभाग के पूर्ति अधिकारियों को कुछ प्रतिशत अवैध राशि का भुगतान करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बड़े पैमाने पर व्याप्त इस भ्रष्टाचार को रोकने और वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों को सरकारी नियंत्रण में लाया जायेगा और वेतनभोगी दुकानदार नियुक्त किये जायेंगे ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) वर्तमान नीति के अन्तर्गत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की है, जिन्हें इस प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित करना होता है। यह कहना सही नहीं होगा कि यह प्रणाली असफल हो गई है अथवा इस प्रणाली में शामिल दुकानदार या अन्य व्यक्ति बड़े पैमाने पर अनियमिततायें बरत रहे हैं अथवा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यद्यपि इस किस्म के इतने बड़े कार्य में कुछ स्थानों में समय-समय पर बेईमानी होने से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही इस बारे में सजग हैं। इसके अलावा, चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करने की शक्तियां दी गई हैं, जिनकी गतिविधियां समाज को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने में बाधक समझी जाती हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की लगातार समीक्षा करती रहें और बिक्री केन्द्रों के उन लाइसेंसधारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें, जो भ्रष्टाचार के अपराधी पाये

जायें। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर की दुकानों के कार्य पर नजर रखने के लिये तालुका, जिला तथा राज्य स्तरों पर स्थानीय प्रतिनिधियों की उपभोक्ता समितियां गठित करें।

(ग) उचित दर की दुकानें पहले से ही सरकारी नियंत्रण तथा विनियमों के अधीन कार्य कर रही है। ऐसी दुकानों को चलाने के लिए वेतनभोगी दुकानदार नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यों को इस बारे में मार्गदर्शन सिद्धांत भी भेजे गये हैं कि सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक बड़ी भूमिका निभाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये, ताकि कुछ समय बीतने के बाद सभी खुदरा बिक्री केन्द्र उन्हीं के द्वारा चलाये जा सकें।

दिल्ली में भवन उप-नियमों का उल्लंघन

7627. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भवन उपनियमों का उल्लंघन करते हुए बड़ी तीव्र गति से अवैध निर्माण का काम चल रहा है;

(ख) क्या दिल्ली में अवैध निर्माण दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम की सांठ गांठ से किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी भूमि पर इतने अधिक अवैध निर्माण और कब्जे किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अवैध निर्माणों को निरुत्साहित करने के लिये इनकी रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम क्या उपाय कर रहा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यद्यपि अनधिकृत निर्माण के मामलों की रिपोर्ट की जा रही है। स्थानीय निकायों ने इन्कार किया है कि ऐसे निर्माण द्रुतगति से हो रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह पाया गया है कि वर्तमान कानून में कुछ अपर्याप्तता है। अनधिकृत निर्माणकर्ता भी न्यायालयों द्वारा जारी रोक आदेशों का लाभ उठाते हैं।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माणों को गिराने के अलावा, यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 332/461 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण-कर्ताओं पर मुकद्मा चलाता है तथा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 344 (3) के अन्तर्गत प्रमुख अनधिकृत निर्माण के स्थल पर तैनाती के लिए पुलिस गार्ड्स भी लेता है।

नलकूप सिंचाई सुविधाएं

7628. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी योजनावधि के दौरान सार्वजनिक नलकूपों द्वारा 12 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों को उपर्युक्त सार्वजनिक नलकूप सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त कार्यक्रम पर पहले ही कितनी राशि व्यय की जा चुकी है;

(घ) छठी योजनावधि की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा में उपर्युक्त कार्यक्रम पर कितनी अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी नलकूपों के माध्यम से निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित राज्यवार सिंचाई सुविधाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकारी नलकूप कार्यक्रम का वित्तपोषण योजना सेक्टर के परिव्ययों से तथा संस्थागत स्रोतों के माध्यम से किया जाता है। तथापि, सरकारी नलकूपों के लिए पहले ही व्यय की जा चुकी अलग-अलग राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। लघु सिंचाई कार्यक्रम पर, जिसमें भूतल तथा भूमिगत जल, दोनों प्रकार की स्कीमें शामिल हैं, छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान किया गया व्यय और 1982-83 के लिए अनुमोदित व्यय निम्न प्रकार है :—

	1980-81 (वास्तविक)	1981-82 (प्रत्याशित)	1982-83 (प्रत्याशित) (करोड़ रुपयों में)
योजना सेक्टर में परिव्यय	283.82	309.16	323.09 (अनुमोदित)
संस्थागत	265.00	275.00	295.00 (लक्ष्य)

(घ) और (ङ) छठी योजना (1980-85) के दौरान, उड़ीसा राज्य में 2000 सरकारी नलकूप निर्मित करने का प्रस्ताव है। 1980-81 के दौरान 522 नलकूप स्थापित किए जा चुके हैं तथा 1981-82 में 332 नलकूप निर्मित किए जाने की संभावना है। उपर्युक्त कार्यक्रम पर व्यय की जाने वाली राशि के संबंध में, सरकारी नलकूपों के बारे में कोई अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, छठी योजना के वास्ते लघु सिंचाई के लिए जिसमें भूतल तथा भूमिगत जल दोनों प्रकार की स्कीमें शामिल हैं, छठी योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय छठी योजना के प्रथम दो वर्षों में हुआ व्यय और 1982-83 के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	छठी योजना के दौरन	1980-81 के दौरान	1981-82 के दौरान (प्रत्याशित व्यय)	1982-83 के दौरान (अनुमोदित)
सरकारी क्षेत्र	85	17.14	16.70	16.65
संस्थागत निवेश	111	12.83	20.52	16.00

विवरण

यूनिट हजार हैक्टेयर

क्रम सं०	राज्य का नाम	छठी योजना के दौरान सृजित की जाने वाली सिचाई क्षमता का लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	60
2.	असम	28
3.	बिहार	168
4.	गुजरात	128
5.	हरियाणा	20
6.	हिमाचल प्रदेश	6
7.	जम्मू और कश्मीर	4
8.	कर्नाटक	—
9.	केरल	—
10.	मध्य प्रदेश	10
11.	महाराष्ट्र	—
12.	मणिपुर	4
13.	मेघालय	4
14.	नागालैंड	4
15.	उड़ीसा	160
16.	पंजाब	20
17.	राजस्थान	4
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	—
20.	त्रिपुरा	4
21.	उत्तर प्रदेश	464
22.	पश्चिम बंगाल	88
	जोड़—राज्य	1176
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	4.8
	जोड़—अखिल भारत	1180.8
	अर्थात्	1200 या 12 लाख हैक्टेयर

बम्बई के लिए दूध की ढुलाई

7629. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आप्रेशन फ्लड-I के अंतर्गत क्षेत्रीय दूध ग्रिडों की मूल अवधारणा के विपरीत दूध बम्बई न भेजकर सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से प्रतिदिन गुजरात से दिल्ली और कलकत्ता भेजा जा रहा है (श्वेत क्रांति-डेयरी कोआपरेटिव कान्फ्रेंस लखनऊ, 7 जनवरी, 1982);

(ख) क्या यह सच है कि विशेषकर सभी ओर ऊर्जा के संकट को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात से कि 4-5 दिन बाद दूध को जब बेचा जाता है तो वह बासी हो जाता है और इसे 3-4 बार पैस्चुराईज करने पर इसकी क्वालिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है मंत्रालय के ही अपने अधिकारी इस गलत स्थिति पर चिन्तित हैं;

(ग) क्या 4 बड़ी डेरियों को दुग्ध शैड में दुग्ध उत्पादन कम होने के कारण लम्बी दूरी से दूध को भेजा जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की गहराई से जांच करने तथा उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाने हेतु आदेश देगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) :(क) आपरेशन फ्लड-I के अन्तर्गत क्षेत्रीय दुग्ध ग्रिड की धारणा के अनुसार अधिशेष क्षेत्रों से दूध को क्षेत्र के अन्तर्गत बड़े बाजारों/कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाना था, और इस प्रकार दूध के क्षेत्रीय और मौसमी असतुलन के अन्तर को पूरा करना है । आपरेशन फ्लड-II के अन्तर्गत राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड में क्षेत्रीय दुग्ध ग्रिड के समूहीकरण के विचार के अनुसार दूध गुजरात से दिल्ली और कलकत्ता को भेजा जा रहा है । तथापि, दूध गुजरात से बम्बई को भी भेजा जा रहा है ।

(ख) दूध को 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अन्दरूनी तापमान, जो कि दूध को 47 घंटों से अधिक के लिये अच्छी दशा में रखने के लिये काफी है, के साथ ऊष्मारोधी आदानों में पास्तुरीकरण के बाद रेल के दुग्ध टैंकरों के जरिये भेजा जाता है । वस्तुतः आनन्द से कलकत्ता तक दुग्ध का परिवहन समय लगभग 44 घंटे है । टैंकर इस प्रकार से बनाये जाते हैं कि 18 घंटों में तापमान में वृद्धि केवल 2 डिग्री हो । अतः दुध बासी नहीं होता ।

(ग) लम्बी दूरियों से दुध महानगरीय डेरियों तक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की धारणा के भाग के रूप में लाया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय आवश्यकता के संतुलन और वचनबद्ध बाजारों की मांग पूरी करने के लिए दूध के लाने ले जाने की योजना बनाई जाती है । यह महानगरीय डेरियों के पश्च प्रदेशों में दूध के कम उत्पादन की वजह से नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

आपरेशन फ्लड-I परियोजना के अन्तर्गत आवंटन और वितरण

7630. **श्री रशीद मसूद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल के समाचारों तथा 7-8 जनवरी, 1982 को लखनऊ में श्वेत-क्रांति नामक वास्तविकता अथवा मृगतृष्णा नाम से डेयरी सहकारी सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए सार-संग्रह की ओर दिलाया गया है, जिसमें संकेत किया गया है कि मूल आवंटन के विपरीत वास्तव में उतनी धनराशि दी गई थी जिससे एक राज्य को लगभग 20 प्रतिशत का प्रमुख हिस्सा प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या सरकार आपरेशन फ्लड-I परियोजना के अन्तर्गत राज्यवार मूल आवंटन और वर्ष-वार वास्तविक वितरण का विवरण देगी;

(ग) क्या आवंटन में परिवर्तन सरकार के अग्रिम अनुमोदन से हुआ था और अन्य राज्यों की उपेक्षा करने के कारण क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इन असन्तुलनों को दूर करने और प्रथम कार्यवाही के रूप में डेयरी बोर्ड का पुनर्गठन करने और डेयरी डिवीजन का पुनर्गठन करने और इसे पुन: सक्रिय बनाने तथा व्यावसायिक कर्मचारियों को आक्षेपों से बचाने जैसा पहले हुआ था, के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) और (ग) आपरेशन फ्लड-I के अंतर्गत धनराशि का आवंटन, प्रत्येक महानगरीय डेरियों से संबंधित दुग्ध क्षेत्रों को उनके अंतर्गत लाने, इन दुग्ध क्षेत्रों में दुग्ध की संभावित अधिप्राप्ति करने, संबंधित दुग्ध क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता और महानगरों में परिसंस्करण तथा विपणन की अतिरिक्त सुविधाओं पर आधारित था। राज्यवार आवंटन और उनके उपयोग सहित दुग्ध क्षेत्रों की संख्या नीचे दी गई :—

राज्य	भारतीय डेरी निगम द्वारा आवंटित (करोड़ रुपए)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपए)	दुग्ध क्षेत्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	7·22	4·92	1
बिहार	1·85	3·20	1
गुजरात	25·32	21·70	6
हरियाणा	5·07	3·70	2
महाराष्ट्र	25·76	17·88	2
पंजाब	5·45	5·12	3
राजस्थान	4·97	3·98	1
तमिलनाडु	18·58	14.17	6
उत्तर प्रदेश	7·96	5·65	2
पश्चिम बंगाल	20·64	14·73	3

भारतीय डेरी निगम के निदेशक मंडल की स्वीकृति से धनराशि का नियतन किया गया था तथा इसे निर्मुक्त किया गया था। कुछ राज्यों द्वारा परियोजनाओं के पूरा होने की गति के आधार पर अधिक धनराशि उपयोग की गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि मूल्य आयोग को समाप्त किया जान

7631. **श्री रशीद मसूद**
श्री त्रिलोक चन्द } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय भारतीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में सरकार से अनुरोध किया था कि कृषि मूल्य आयोग को समाप्त किया जाए और कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के लिए भिन्न तंत्र स्थापित किया जाए जिससे कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित अलाभप्रद मूल्यों के बारे में किसानों में व्याप्त असंतोष दूर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि तृतीय भारतीय कृषि कांग्रेस के एक प्रस्ताव में यह अनुरोध किया गया था कि भारत सरकार को कृषि मूल्य आयोग को समाप्त कर देना चाहिए और कृषि सम्बन्धी मूल्यों का निर्धारण करने के लिए एक बिल्कुल अलग तंत्र की स्थापना करनी चाहिए।

(ख) सरकार का दृष्टिकोण यह है कि कृषि मूल्य आयोग को समाप्त करना और एक वैकल्पिक तंत्र की स्थापना करना आवश्यक नहीं है। किसानों की वास्तविक मांग यह है कि सरकार को कृषि जिन्सों के मूल्य लाभकर स्तरों पर निर्धारित करने चाहिए। सरकार इस मांग के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और विभिन्न जिन्सों के सम्बन्ध में मूल्य नीति का निरूपण करते समय इस आवश्यकता को निरन्तर ध्यान में रखा जाता है।

सिंचाई मंत्रालय में गुम हुई फाइलें

7632. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि यह सच है कि उनके मन्त्रालय और केन्द्रीय जल आयोग से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें गुम हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय जल आयोग से कितने ऐसे दस्तावेज और फाइलें गुम हुई पाई गई हैं; और

(ग) दस्तावेजों के गुम होने के सम्बन्ध में की गई जांच, यदि कोई हो, तो क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) 1980 में इस मन्त्रालय की तीन फाइलें गुम हो गई थीं। इन फाइलों को पहले ही फिर से तैयार कर लिया गया है। केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालयों को आर० के० पुरम काम्पलैक्स में वेस्ट ब्लाक से सेवा भवन में, हाल में बदलते समय आयोग के एक अनुभाग की फाइलों का एक बंडल भी गुम हो गया था। इसका पता लगाने के प्रयत्न अभी किए जा रहे हैं और इसलिए औपचारिक जांच अभी प्रारम्भ नहीं की गई है।

खाद्यान्नों का भण्डारण, वसूली और उपभोग

7633. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सरकारी गोदामों में धान, चावल, गेहूं, मक्का जवार और बाजरे का रक्षित भण्डार के रूप में, खाद्यान्न-वार, कितना भण्डारण किया गया है;

(ख) वर्ष 1981-82 के खरीफ के मौसम के दौरान इन खाद्यान्नों की कितनी वसूली की गई और उनके लिये निर्धारित वसूली मूल्य क्या था;

(ग) मार्च, 1983 के अन्त तक घरेलू उपभोग के लिये इन खाद्यान्नों की कितनी मात्रा की जरूरत होगी; और

(घ) देश में गत 2 वर्षों के दौरान इन खाद्यान्नों की कितनी मात्रा की खपत हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) सरकारी एजेंसियों के पास 1-3-1982 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक इस प्रकार था:—

	(लाख मीटरी टन में)
चावल	
(चावल के हिसाब से धान समेत)	65.91
गेहूं	46.04
मोटे अनाज (मक्का, ज्वार, बाजरा आदि)	1.40
कुल खाद्यान्न	113.35 *
	(*) अनन्तिम

(ख) 1981-82 के रबी और खरीफ दोनों विपणन मौसमों के दौरान खाद्यान्नों की खरीदी गई मात्रा इस प्रकार है:—

	(लाख मीटरी टन में)
(I) खरीफ अनाज :	(7-4-1982 को)
चावल:	
(चावल के हिसाब से धान समेत):	63.89
मोटे अनाज	1.73
(मक्का, ज्वार, बाजरा आदि)	
(II) रबी अनाज,	
गेहूं	65.90

समर्थन/वसूली मूल्यों के बारे में सूचना संलग्न विवरण-I में दी जाती है जबकि विभिन्न राज्यों में तेजी चावल के दाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपेक्षित खाद्यान्नों की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा क्योंकि यह कई तत्वों पर निर्भर करता है जैसे कि फसल सम्भावनाएं, घरेलू वसूली खुले बाजार में उपलब्धता और अन्य सम्बन्धित मामले।

(घ) सरकारी एजेंसियों के माध्यम से 1980 और 1981 के दौरान खाद्यान्नों की कुल वितरित की गई मात्रा क्रमश: 149.9 लाख मीटरी टन और 131.1 लाख मीटरी टन थी।

विवरण I

विपणन मौसम 1981-82 के लिए गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी के समर्थन वसूली मूल्य-विवरण

	(रुपये प्रति क्विंटल)
गेहूं	
(सभी किस्में)	130.00
धान	
साधारण	115.00
बढ़िया	119.00
बहुत बढ़िया	123.00
मोटे अनाज	116.00
(ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी)	

विवरण II

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	साधारण	बढ़िया	बहुत बढ़िया	सुगंधित
पंजाब	193.80	206.20	214.30	
हरियाणा	194.70	207.15	215.35	
उत्तर प्रदेश	182.80	188.75	199.05	202.10
मध्य प्रदेश	187.30	193.45	199·65	
आन्ध्र प्रदेश	190.50	196.80	203.10	
पश्चिमी बंगाल	185.30	193.40	199.55	
उड़ीसा	191.25	197.60	203.90	
असम	183.25	192.35	198.65	
राजस्थान	187.60	196.20	204.50	
गुजरात	176.00	182.50	188.50	
चंडीगढ़	191.25	203.45	211.50	
पांडिचेरी	176.90	182.80	—	
दिल्ली	183.85	195.60	203.30	

इस मूल्य में बोरी और लदान प्रभार शामिल है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण में गिरावट

7634. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमालय, पश्चिमी घाट, सह्यादरी, सतपुड़ा, विन्ध्याचल तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में बढ़ते भू-कटाव, भू-स्खलनों, निर्बनीकरण और पर्यावरण में गिरावट का पता है;

(ख) क्या सरकार का विचार वनों के विनाश को रोकने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिये कार्यक्रम बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

1. वन (संरक्षण) अधिनियम 25.10.1980 से लागू हो गया है । अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत कोई भी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकता, जिसमें यह निदेश हो—

(1) कि कोई आरक्षित वन अथवा इसका कोई भाग आरक्षित नहीं रहेगा ।

(2) कि कोई वन भूमि अथवा इसके किसी हिस्से का प्रयोग गैर वानिकी प्रयोजन के लिए किया जाए ।

2. देश में पहाड़ी क्षेत्रों में वानिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित वानिकी एवं मृदा संरक्षण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:—

	छठी पंचवर्षीय योजना परिव्यय (करोड़ रुपयों में अनुमानित)
1 नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	80.00
2. सिंध-गंगा बेसिन की वाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबंध	68.00
3. हिमालय क्षेत्र में मृदा जल और वृक्ष संरक्षण (भारत सरकार का भाग)	15.00
4. ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौद रोपण सहित सामाजिक वानिकी (भारत सरकार का भाग)	50.00
5. राज्य सामाजिक वानिकी योजनाएं	301.88
6. राज्य मृदा संरक्षण योजनाएं	343.57
जोड़	858.45

3. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय भी शुरू किए गए हैं:—

(क) दून घाटी और गंगा और यमुना के साथ लगने वाले जल विभाजक क्षेत्रों के लिए बोर्ड

यह बोर्ड दून घाटी में और अधिक पारिस्थितिकी अपकर्षण को रोकने के लिए क्षेत्र कार्यक्रम को शुरू करने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग द्वारा अगस्त, 1981 में स्थापित किया गया था।

(ख) पारिस्थितिकी विकास शिविर

शिक्षा मन्त्रालय के सहयोग से सारे देश में चुने हुए क्षेत्रों में पौध रोपण के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में हर वर्ष विद्यार्थी शिविर लगाएं जा रहे हैं।

(ग) योजना आयोग ने 2 कृतक बल स्थापित किए हैं

1. हिमालय क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में कार्योन्मुख अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कृतक बल।

2. पश्चिमी घाटों में सम्बन्धित क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को शामिल करके कार्योन्मुख अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कृतक बल।

(घ) राष्ट्रीय पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

देश में नाजुक क्षेत्रों में संरक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए पर्यावरण विभाग में एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का सृजन किया गया है।

चीनी के कोटे के वितरण और आवंटन के संबंध में नीति

7635. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने चीनी के आवंटन और इसके वितरण के संबंधी नीति में हाल ही में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी मूल्य में भी कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पहली मार्च, 1981 को जनसंख्या के संदर्भ में 435 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 1982 से लेवी चीनी का कुल मासिक आवंटन 2.71 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 2.94 लाख मीटरी टन करने को छोड़कर, लेवी चीनी के कोटे के आवंटन और वितरण के बारे में नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) लेवी चीनी के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना अवधि के दौरान छोटे तथा मध्यम कस्बों का विकास

7636. **श्री हरिहर सोरन**
श्री के० प्रधानी } : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान देश के छोटे तथा मध्यम कस्बों के विकास के लिये उनके मन्त्रालय को ऋण सहायता के रूप में कुल कितनी राशि उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी परियोजना (राज्यवार) शुरू किये जाने का विचार है; और

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केंद्रीय क्षेत्र में योजना के लिये 968.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) कस्बों का राज्य-वार नियतन नीचे दिया गया है:—

विवरण

राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम	231 कस्बों में से नियतन किये गये कस्बों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	18
असम	5
बिहार	15

जारी···

गुजरात	17
हिमाचल प्रदेश	1
हरियाणा	6
केरल	8
कर्नाटक	16
मध्य प्रदेश	16
मणिपुर	1
महाराष्ट्र	22
उड़ीसा	5
पंजाब	8
राजस्थान	11
सिक्किम	1
त्रिपुरा	1
तमिलनाडु	28
उत्तर प्रदेश	23
पश्चिम बंगाल	20
जम्मू और कश्मीर	1
मेघालय	1
नागालैंड	1
संघ राज्य क्षेत्र	
गोआ- दमण और द्वीप	1
पांडीचेरी	1
अण्डमान और निकोबार	1
दादरा नगर हवेली	1
मिजोरम	1
योग	231 शहर

(ग) केन्द्रीय सहायता से योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले कार्यों में रिहायशी योजनाएं, यातायात तथा परिवहन, मंडियों/मार्किटों का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों और संसाधन सुविधायें आदि शामिल हैं । विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चुने गये कस्बों में अनुमोदित कार्य निष्पादन के विभिन्न सोपानों में हैं ।

"लैण्ड लूट इन दिल्ली" शीर्षक समाचार

7637. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 1982 के हिंदुस्तान टाइम्स में "लैंड लूट इन दिल्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से 50 पैसे अथवा 2 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अधिग्रहित की गई भूमि को बाद में 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बेचा गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या किसानों को, जिससे यह भूमि ली गई थी, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के विक्रय मूल्य के कम से कम 50 प्र० श० मूल्य का भुगतान किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी

डा० अम्बेदकर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल, 1982 को सभा की बैठक का रद्द किया जाना

श्री राम विलास पासवान: (हाजीपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। डा० अम्बेदकर करोड़ों शोषितों के मसीहा थे। हमेशा से यह परिपाटी रही है कि 14 तारीख को उनके जन्म-दिन पर सदन की बैठक नहीं होती। लेकिन हमें उस दिन का लिस्ट आफ विजिनेस दे दिया गया है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, पहले भी जब आपने और सदन ने ऐसी इच्छा प्रकट की, तो सरकार ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की और हम उससे सहमत हुए। अगर सदन की और आपकी यह इच्छा है, तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

कई माननीय सदस्य : यह सदन की इच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : परसों हाउस की छुट्टी होगी।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मेरा आग्रह है कि सरकारी काम-काज में कोई रुकावट नहीं पड़नी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा अनुमति देती है ?
कई माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृत।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर-पूर्व) मैंने हड़ताल कर रहे बम्बई के ढ़ाई लाख कपड़ा मिल मजदूरों के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। महोदय उसका क्या हुआ ? इस मामले पर अभी तक चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह और किसी ढंग से भी आ सकता है। स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता। कृपया शान्त रहिये (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : (सैदपुर) अध्यक्ष महोदय, हमने न्यु आयल कंपनी, सिंगापुर, के बारे में एक एडजार्नमेंट माशन दिया है। 5 लाख 12 हजार 155.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करूंगा।

श्री आर० एन० राकेश : (चैल) आई ओ सी की एडवाइस के खिलाफ..... (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुमति नहीं है। मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। माननीय सदस्यों को नियमों का पालन करना होगा। (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। एक भी शब्द कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : केवल पत्र ही सभा पटल पर रखे जायेंगे और कुछ नहीं होगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें।

कृषि तथा ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मन्त्री राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल ० टी० 3864/82]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1980-81 के लेखा परीक्षित लेखे तथा इनको सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री(श्री बालेश्वर राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, के वर्ष 1980-81 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०] 3865/82

** कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद् (नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया) नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कु० कमला कुमारी) : मैं राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद् (नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया) नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3866/82]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा० का० नि० 291 (अ); जो 1 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या 95/81—के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, जिससे कि 150 के० वी० ए० और उससे अधिक रेटिंग के ट्रांसफार्मरों को उस अधिसूचना के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क से मिलने वाली आंशिक छूट की अवधि को 31 मार्च, 1983 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जा सके।

(दो) सा० का० नि० 292 (अ), जो 1 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या 96/81 —के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, जिससे कि 5 किलोवाट और उससे अधिक की बिजली की मोटरों पर उत्पाद-शुल्क से मिलने वाली आंशिक छूट की अवधि को 31 मार्च, 1983 तक, जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जा सके ।

(तीन) सा० का० नि० 293 (अ), 1 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 13 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या 53/80 के० उ० शु०- 54/80—के० उ० शु०, में कतिपय संशोधन किया गया है जिससे कि उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित इस्पात के डलों और लौह अथवा इस्पात उत्पादों पर, उसके अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क में मिलने वाली रियायत की अवधि को 31 मार्च, 1983 तक, जिसमें वह दिन भी शामिल है, उस स्थिति में बढ़ाया जा सके जबकि स्वदेशी स्पंज लौह से अथवा पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट अन्य माल मिलाकर बिजली की भट्ठी की मदद से इसका निर्माण किया गया हो ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 386/82]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1982 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 272 (अ), जो 29 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या 76—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, जिससे कि उस अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई छूट की अवधि को एक और वर्ष के लिये, अर्थात् 30 अप्रैल, 1983 तक बढ़ाया जा सके ।

(दो) सा० का० नि० 273 (अ); जो 29 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 150-सी० शु० में संशोधन किया गया है, जिससे कि 2 अगस्त, 1976 तक बढ़ाया जा सके ।

(तीन) सा० का० नि० 275 (अ) जो 30 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 19 जनवरी, 1980 की अधिसूचना संख्या 4—सी० शु० में संशोधन किया गया है, जिसके कि 19 जनवरी, 1980 की अधिसूचना संख्या 4 —सी० शु० की वैधता की अवधि को 30 अप्रैल, 1983 तक बढ़ाया जा सके ।

(चार) सा० का० नि० 279 (अ) जो 30 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 200—सी० शु० की में संशोधन किया गया है, जिससे कि 28 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 200-सी० शु० की वैधता की अवधि को 31 मार्च, 1983 तक बढ़ाया जा सके ।

(पांच) सा०का०नि० 277 (अ), जो 30 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 69/82—सी०शु० में संशोधन किया गया है; जिससे कि 28 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 69/82 — सी० शु० की वैधता की अवधि को 31मार्च, 1983 तक बढ़ाया जा सके ।

(छः) सा० का० नि० 278 (अ), जो 30 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 14 अक्तूबर, 1978 की अधिसूचना संख्या 197-सी० शु० में संशोधन किया गया है, जिससे कि 14 अक्तूबर, 1978 की अधिसूचना संख्या 197-सी० शु० की वैधता की अवधि को 31 मार्च, 1983 तक बढ़ाया जा सके ।

(सात) सा० का० नि० 279 (अ), जो 30 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 22 अगस्त, 1979 की

अधिसूचना संख्या 179-सी० शु० में संशोधन किया गया है जिससे कि 22 अगस्त, 1979 की अधिसूचना संख्या 179-सी० शु० की वैधता की अवधि को 31 मार्च, 1983 तक बढ़ाया जा सके ।

(आठ) सा० का० नि० 280 (अ); जो 30 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 2—सी० शु० में संशोधन किया गया है जिससे कि 1 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 2-सी० शु० की वैधता की अवधि को 31 मार्च, 1983 तक बढ़ाया जा सके ।

(नौ) सा० का० नि० 298 (अ); जो 1 अप्रैल 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा बिजली के लैम्पों के विनिर्माण के लिए कांच के शैलों को मूल सीमा-शुल्क से 6 महीने की और अवधि के लिये अर्थात, 30 सितम्बर, 1982 तक छूट दी गई है ।

(दस) सा० का० नि० 299 (अ); जो 1 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा कांच के शैलों को सहायक शुल्क से छूट देने के लिए 28 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 60-सी० शु० में संशोधन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए । संख्या एल० टी० 3868/82]

श्री हरीश कुमार गंगवार : (पीलीभीत) हिन्दुस्तान टाइम्स का प्रतिनिधि, यू एन आई का प्रतिनिधि.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही ढंग नहीं है । नहीं । नहीं ऐसे होगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है । (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) महोदय, मुझे आपकी ओर से कोई सूचना नहीं मिली है । (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए । (व्यवधान) **

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मुझे अभी तक आपकी ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। मैंने मध्य प्रदेश में मजदूरों को 'केसरी' दाल के लिए भुगतान के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन की सूचना भेजी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप आ करके बात कीजिए ।

श्री हरिकेश बहादुर : इसमें आकर क्या बात करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाने की अनुमति दी है । (व्यवधान) हर एक सब्जेक्ट जिसमें कुछ करने वाला होता है, करते हैं । लेकिन इस तरह से करने का

** कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

कोई फायदा नहीं है। इस सभा में कुछ आश्वासन नहीं दे सकता हूं। यहां पर इन सब बातों पर इस प्रकार चर्चा नहीं की जाती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे न फायदा आपको होता है और न किसी और को।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में, नकली वस्त्र के समानान्तर वस्त्र व्यापार का समाचार

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोजाबाद) अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वाणिज्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में नकली वस्त्र के समान्तर वस्त्र व्यापार के समाचार और इसके बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही" (व्यवधान)

(सर्वश्री राजनाथ सोनकर शास्त्री व आर० एन० राकेश सदन से बाहर चले गए।)

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : वस्त्र क्रेताओं को धोखा देने और एक सामानान्तर उद्योग द्वारा बाजारों में नकली वस्त्रों की भरमार किये जाने के बारे में हाल ही में समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं।

2. मंत्रालय तथा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में नकली वस्त्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री की प्रामाणिक रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं, हालांकि समय-समय पर इनी-गिनी शिकायतें हो रही हैं। कन्ट्रोल के कपड़े के अलावा वस्त्रों के वितरण तथा बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं है।

3. नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रशासित व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पण्यों पर मिथ्या व्यापार चिन्ह अथवा भ्रामक विवरण की मोहर लगाने से संबंधित अपराधों को रोकने तथा दण्डित करने के उपबन्ध शामिल हैं। अधिनियम के अन्तर्गत सिविल तथा आपराधिक दोनों उपचारों की व्यवस्था है। व्यथित पार्टियां सदैव अधिनियम के उपबन्धों का लाभ उठा सकती हैं और न्यायालय में सिविल अथवा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मंत्रालय तथा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में नकली वस्त्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन बिक्री की प्रामाणिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े पैमाने पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है लेकिन छोटे पैमाने पर प्राप्त हो गई है। बहरहाल, "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो आया था उसमें कुछ व्यापारियों, क्लाथ मर्चेन्टस वगैरह के नाम भी दिए गए हैं और कुछ बाजारों के नाम भी दिए गए हैं लेकिन आपने उनके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया है। साथ-साथ इसमें एक बात और भी कही गई है; अखबार की रिपोर्ट में, एक साहब जो सम्भवतः जगजीत काटन मिल्स के एग्जिक्यूटिव हैं, उन्होंने शिकायत की लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही

नहीं की गई। माननीय मन्त्री जी ने समाचार पत्र देख लिया लेकिन उस पर कोई जानकारी हासिल करने का प्रयत्न नहीं किया।

मैं इसकी बुनियादी बातों की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में स्पूरियस ड्रग्ज तो बन ही रही थीं अब नकली वस्त्र भी बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जानते हैं रोजाना की जरूरत की चीजों में भोजन, कपड़ा और मकान आते हैं। सारी आर्थिक व्यवस्थायें इन तीनों चीजों के बीच में घूमती हैं। भोजन के बाद कपड़े की आवश्यकता है लेकिन इस देश में नागरिकों को कपड़ा कितना उपलब्ध है? क्यों यह नकली वस्त्र बनते हैं और क्यों लोग खरीदते हैं, यह बुनियादी प्रश्न है, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि देश में जो कपड़े का उत्पादन है, वह बड़ी दयनीय स्थिति में है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यदि कपड़े का उत्पादन सही मायने में अच्छे स्टैंडर्ड का होगा, तो स्वाभाविक है लोग उस कपड़े को सस्ते दामों पर खरीदना चाहेंगे और नकली वस्त्रों पर अपने आप पाबन्दी लग जाएगी। 1964 में प्रति व्यक्ति औसतन कपड़े की उपलब्धता 16.85 मीटर थी, 1976 में 11.36 मीटर रह गई और 1978-79 में 13 87 मीटर रह गई और पंचवर्षीय योजना में 14.71 मीटर और छठी पंचवर्षीय योजना में 15 मीटर की इन्होंने गुंजाइश की है। इस पन्द्रह मीटर में आप अन्दाज लगाइए एक धोती या साड़ी कह लीजिए और ब्लाउज-तथा कुर्ता इससे अधिक हिन्दुस्तान के लोगों को कपड़ा उपलब्ध नहीं होगा। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कह रहा हूं। सरकार की सस्ते कपड़े की योजना चली। टेरीलीन, पोलिस्टर और अप्राकृतिक रेशम के कपड़े बनवा कर गरीब लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जायेंगे। टैक्सटाइस कारपोरेशन के पास 104 मिलें रुग्ण अवस्था में चल रही हैं। इनसे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सस्ते कपड़े के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि 1973 से लेकर 1977 तक इन पांचो वर्षों में कपड़े की घरेलू खपत 8 अरब 28 करोड़ मीटर से बढ़कर 8 अरब 29 करोड़ हो गई, लेकिन मूल्यों में 37 अरब 46 करोड़ रु० जो मूल्य था वह बढ़कर 63 अरब 32 करोड़ हो गया। इस प्रकार 70 फीसदी मूल्यों में वृद्धि हुई है। जब मूल्यों में यह वृद्धि होती है, तो आम आदमी यह नहीं जानता है कि ग्वालियर रेयान में कितनी वृद्धि हुई है या बिन्नी में कितनी वृद्धि हुई है। जब आदमी बाजार में जाता है तो उसे ग्वालियर की जगह गालियर लिखा मिलता है और फगवाड़ा की जगह पगवाड़ा लिखा मिलता है। वह यह सोचता है कि यह 15 रु० है और वहां 13 रु० है, तो क्यों न ले लिया जाए। सस्ते कपड़े के बारे में सरकार की नीति रही है और सरकार उन्हें सब्सिडी दे देती है, उनको राशि की सहायता दे देती है और एक बड़ा मुनाफा भी। पावर लूम्स में भी बड़ा मुनाफा है। रुई के भाव किसानों को नहीं मिले। पंजाब और गुजरात के किसानों ने रुई को औने पौने भावों पर बेचा और कपड़े के भाव बढ़ते रहे। हम भी यह चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े और देश का उत्पादन बढ़े और लोगों को सस्ते दामों पर कपड़ा उपलब्ध हो। पावर लूम्स के बारे में अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें ऐसा उल्लेख है कि पावर लूम्स मद्रास, तमिलनाडु में कुछ काम कर रहे हैं, यहां के कुछ व्यापारी मिलकर नकली मोहर उस पर लगाकर, उनका मोनोग्राम लगाकर बेचते हैं। इसलिए इस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कानून में खामी है। एक्ट की धारा-75 में कहा गया है—

"केन्द्र सरकार उस माल के (इस अध्याय में ऐसे माल से कपड़ा-अभिप्रेत है) वर्ग विहित कर सकेगी जिसके व्यापार चिन्ह के संबंध में इस अध्याय के उपबन्ध लागू होंगे और इस उपबन्ध

के होते हुए भी इस अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसे व्यापार चिन्हों पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार ये अन्य श्रेणियों के माल के संबंध में प्रयुक्त व्यापार चिन्हों पर लागू होते हैं

यह सारा अधिकार सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है। क्या वजह है कि छोटे-छोटे प्लास्टिक के खिलौनों पर ट्रेड मार्का लगा रहता है, जो कि छोटी-छोटी कंपनियां लगाती हैं और काफी बड़े पैमाने पर यह उद्योग चल रहा है। पावर लूम्स का विस्तार होने लगा है। हथररघा की हालत तो आप को पता ही है जो कल्पना हथकरघा की गई थी, उसकी हालत बड़ी खस्ता हो गई है। आप एक्ट का एक और प्रोवीजन देखिए—

"जो कोई व्यक्ति,—

(क) किसी व्यापार चिन्ह को मिथ्याकृत करता है, या

(ख) किसी व्यापार चिन्ह को वस्तुओं पर मिथ्यारूपेण लगाता है, या

(ग) किसी व्यापार चिन्ह को मिथ्याकृत करने के या मिथ्याकृत किये जाने के लिये उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन के लिये कोई ठप्पा, ब्लाक, यन्त्र, पट्टी या अन्य उपकरण बनाता है, व्ययित करता है या अपने कब्जे में रखता है, या ———

दंडनीय हो———"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह इसमें प्रावधान है। अब इस को आप पनिशमेंट समझ लें। खुले आम दिल्ली के बाजारों में मुहरें बिक रही हैं और इस दिल्ली में खुले आम मुहरें और डाई बनाने वाले कारखाने चल रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उसने आज तक इन के खिलाफ कोई कार्यवाही की है और कितनी गिरफ्तारियां आज तक की हैं। सरकार कब ऐसे लोगों को पकड़ कर बन्द कराने का प्रयास करेगी ?

कानून के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। यह जो एक्ट है, इस में पनिशमेंट के प्राविजन को आप देखें। इस में यह लिखा हुआ है;

> "जब तक यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि उसकी कार्यवाही धोखे की भावना से नहीं की गई थी, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।"

इस में कोई कठोर कारावास की बात नहीं है। फाइन के बारे में राशि निर्धारित नहीं है कि इतना मिनीमम फाइन होगा। माननीय मंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में कानून की खामियों की तरफ संकेत किया है जिन के कारण लोग छूट जाते हैं और सब तरह की सुविधाएं अपने लिये उपलब्ध कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या मंत्री जी इस पर कोई विचार करने जा जा रहे हैं कि कानून में संशोधन किया जाए, जिससे जो इस तरह की ट्रेड चल रही है, उस पर कोई प्रतिबंध लग सके और साथ ही साथ उस की परिधि भी बढ़ाई जाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि ट्रेड मार्क फीस में कोई कमी कर दी जाए, जिस से पावरलूम सैक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए पावरलूम फैक्ट्रीज में भी ट्रेड मार्क या मौनाग्राम की बात लागू हो सके। ये बहुत बुनियादी बातें हैं जोकि की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो जैसे स्पूरियस ड्रग्स चल रही हैं, वैसे टैक्सटाइल में भी चलेगा। मान्यवर, कहीं कहीं तो अब नकली लोग भी चल रहे हैं। ये सारी

खामियां हैं, जिन की तरफ में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि इसमें रिगरस इम्प्रिजिनमेंट की बात भी नहीं है। व्यापारी जानते हैं कि लाखों रुपये का कारोबार कर लो और अगर पकड़े भी गये तो सिम्पिल इम्प्रिजिनमेंट होगा। लाखों रुपयों का धंधा कर लेंगे और दो-चार महीने जेल में काट आएंगे। तो यह जो प्रावधान कानून में हैं इनमें तब्दीली आनी चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन पर विचार करेंगे और ऐसे लोगों को बन्द करने के लिए उचित कदम उठाएंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमान् यह जो प्रश्न उठाया गया है, इनके भाषण के अन्त में जो प्रश्न उठाया गया है, उसी का उत्तर देना आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूं। बाकी जो प्रश्न उठाये गये हैं, उन के ऊपर आज ही इस सदन में ही टैक्सटाइल डिपार्टमेंट और काटन के बारे में विचार हो रहा है, उस समय वे इन प्रश्नों को उठायेंगे, तो मैं उत्तर दे सकता हूं क्योंकि इन का इस से खास संबंध नहीं है। सम्मान्य सदस्य ने जिस एक्ट का उल्लेख किया, वह एक्ट सप्लाई मिनिस्ट्री से इम्पलीमेंट होता है। उन के तहत वह आता है और उस में क्या सुधार होना चाहिए कितनी सजा के अन्दर बढ़ोतरी करनी चाहिए और किस प्रकार का बदल होना चाहिए, इसके बारे में वे ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हम ने यह बताया था कि यह जो एक्ट है, इस को हम इम्पलीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे तहत यह नहीं आता है। इसके बावजूद भी हम को कहा गया कि जवाब दो, तो मैं जवाब दे रहा हूं। माडीफिकेशन्स के बारे में इस मिनिस्ट्री से कुछ बोलने के हक में मैं नहीं हूं मगर एक बात बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आज का जो कानून है, उस के अन्दर कुछ प्राविजन ऐसे हैं, जिन का उपयोग किया जा सकता है। एक प्रोविजन ऐसा है कि अगर कोई आदमी दूसरे का ट्रेड मार्क ले कर उस का उपयोग कर रहा है, तो उस आदमी को कोर्ट में जाने का अधिकार है और वहां जाकर, जिस आदमी ने इस प्रकार का काम किया है, उस के खिलाफ वह केस दाखिल कर सकता है और वहां से उस को सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। सिविल केस भी दाखिल किया जा सकता है और इस का प्रोविजन इस के अन्दर है ही मगर यह कागनीजेबिल आफेंस नहीं है। यह नान-कागनीजेबिल आफेंस के स्वरूप में आता है और जिस आदमी के खिलाफ यह चीज हुई है, उस के लिए यह जरूरी होता है कि वह कोर्ट में जाए और अगर वह कोर्ट में नहीं जाता है, तो पुलिस अपनी ओर से कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। इसके अन्दर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जिस के खिलाफ यह गलत काम हुआ है, वह कोर्ट में इस मामले को ले जा सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, नकली वस्त्र और समानान्तर नकली वस्त्र के व्यापार के सिलसिले में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। मंत्री जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इस में कोई दो राय नहीं हो सकती। इन का वक्तव्य भी बहुत छोटा है लेकिन इससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। यह समाचार अखबारों में मुख्य रूप से छापा गया है और 4 अप्रैल के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है, उस को मैं आप के सामने पढ़ना चाहता हूं।

"दिल्ली में समानान्तर कपड़ा व्यापार"

इसी से इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध है। मेरा ख्याल है और उपाध्यक्ष जी, आप भी सहमत होंगे कि केवल नकली कपड़े की बात ही यहां पर नहीं है, दवाएं भी नकली, दूसरे सामान भी नकली, खाद्यान्न भी नकली।

एक माननीय सदस्य : सरकार भी नकली

श्री रामावतार शास्त्री : हर तरफ चीजों में मिलावट है। इससे स्वतंत्रता सेनानी भी नकली हो गये हैं जब लाखों लोगों ने आपको दरख्वास्त दी है और यह अखबारों में निकाला है। डाक्टर भी नकली। विधायक भी नकली बन कर अपना काम बना लेते हैं, मंत्री भी नकली बन जाते हैं। यह नकलीपन का साम्राज्य हमें खाये जा रहा है। इससे मेरा अन्दाजा होता जा रहा है कि यह सरकार भी नकली है। अगर नकली नहीं होती तो क्या इन चीजों को बर्दाश्त करती ?

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : कम्युनिस्ट भी नकली हैं। दो ग्रुप हो गये हैं। अब असली कौन है, नकली कौन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : रामावतार शास्त्री को छोड़ कर सब कुछ नकली है।

श्री रामावतार शास्त्री : अब देश में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस मुल्क में ये लोग कोई अच्छी चीज बनने देंगे या नहीं ? यह सवाल लोगों के दिमाग में उठने लगे हैं। इन सवालों को मद्देनजर रखते हुए, मैं कुछ बातें जानना चाहता हूं।

पहले तो आप यह बता दें, यह जो हिन्दुस्तान टाइम्स में निकला है, इसका थोड़ा-सा हमारे राजेश जी ने पढ़ा है, में एक पैरा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं--

"जगजीत काटन टैक्सटाइल मिल्स के विक्रय अधिकारी श्री एस. एम. हेडा के अनुसार उनकी कम्पनी ने व्यापारियों से नकली कपड़े के नमूने क्रय करने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यद्यपि नकली माल बेचकर जनता को धोखा देना पुलिस द्वारा कार्यवाहीजन्य अपराध है, परन्तु उसने शिकायत की कि पुलिस ने न तो इस बेजोड़ घोटाले में लगे व्यवसायियों के घरों पर छापे मारे हैं, और न ही कोई उचित ढंग से जांच पड़ताल की है।"

मेहरबानी करके यह बताइये कि जब यह रिपोर्ट निकली तो क्या इसके बारे में कोई छानबीन की गई ? अगर की गयी तो आप किस नतीजे पर पहुंचे ? आप जिस नतीजे पर पहुंचे उसकी कोई जानकारी आपने नहीं दी। क्या इस से यह समझा जाए कि नकली कपड़े बनाने वाले लोगों की आपके अधिकारियों से मिली-भगत है ? आपको इसका जवाब तो देना चाहिए था कि जब आपके पास लिखित कम्पलैंटस आयीं तो आपने उन पर क्या कार्यवाही की ? इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहता हूं कि इसका राज क्या है ?

फिर आपने लिखा है कि—

"मंत्रालय तथा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में नकली वस्त्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री की प्रामाणिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं, हालांकि समय-समय पर इनी-गिनी शिकायतें हो रही हैं"

इस प्रामाणिक रिपोर्ट का क्या अर्थ है ? प्रामाणिक रिपोर्ट आपको कौन देंगे ? क्या इसके लिए आपने किसी को बहाल किया है ? अगर किया है तो वे लोग कौन हैं और उन्होंने इसके बारे में कोई पूछताछ की या नहीं। खाली कह देने से काम नहीं चलेगा।

अखबारों में अप्रामाणिक चीजें भी निकलती हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यह मान लेता हूं कि यह प्रामाणिक नहीं है। लेकिन आपके पास प्रामाणिक लोग कौन हैं, ऐसी कौन-सी ऐजेन्सी है ? अगर है तो क्या उसने इसके बाद कोई कार्यवाही की है या नहीं ? क्या उन्होंने आपको कोई

रिपोर्ट दी है या नहीं ? हमें यह बात बतानी चाहिए ।

तीसरी बात आपने बताई है, मैं पढ़ देता हूं—

"नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रशासित व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत पण्यों पर मिथ्या व्यापार चिह्न अथवा भ्रामक विवरण की मोहर लगाने से संबंधित अपराधों को रोकने तथा दण्डित करने के उपबंध शामिल हैं। अधिनियम के अन्तर्गत सिविल तथा आपराधिक दोनों उपचारों की व्यवस्था है ।"

आपने व्यवस्था की बात तो बता दी, लेकिन इन व्यवस्थाओं को कहीं लागू किया गया । नकलचियों को पकड़ने के लिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने के लिए, उनको रोकने के लिए, ताकि वे गलत ट्रेड-मार्क इस्तेमाल न करें, "लिमिटेड" की जगह "इमिटेड" न लिखें, इसके लिए आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं ?आपने कानून तो पढ़कर सुना दिया, लेकिन क्या यह कानून पन्नों की शोभा बढ़ाने के लिए ही रह गया है या कार्यवाही करने के लिए भी है—मैं यह जानना चाहता हूं ।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नकली कपड़े क्यों बन रहे हैं ? इसका कोई न कोई कारण होगा । ये कपड़े इसलिए बन रहे हैं, क्योंकि सरकार आवश्यकता के मुताबिक कपड़े नहीं बना रही है । बम्बई में महीनों से मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, उनका समाधान आप नहीं निकाल रहे हैं, इसीलिए उत्पादन कम हो रहा है । कपड़ा कम है और प्रामाणिक उद्योग जो कपड़ा बना रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसका नतीजा है कि नकलची लोग इससे फायदा उठाकर जनता को, आपको और तमाम देश को धोखा दे रहे हैं । तो इनको रोकने के लिए क्या उपाय है ? यही उपाय मेरी समझ से है कि कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, गरीबों के लिए सस्ता कपड़ा दीजिए, स्टेंडर्ड कपड़ा भी बंद कर दिया है, इसकी पूरी व्यवस्था कीजिए, तभी आप नकली लोगों को रोक सकते हैं । इसके बाद उनकी हिम्मत ही नहीं होगी,उनके कपड़े का कोई खरीदार ही नहीं होगा ।

मेरे इन तमाम प्वाइंटेड सवालों का जवाब आप दीजिए, तभी हम समझेंगे कि मंत्री जी तो अच्छे हैं, इनका जवाब भी अच्छा है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमान जी, शास्त्री जी ने प्वाइंटेड प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मुझे वे प्वाइंटेड नहीं लग रहे हैं तो जवाब कैसा आएगा, उनको पसंद होगा या नहीं होगा, यह मुझे पता नहीं है ।

माननीय शास्त्री जी ने कहा है कि औषधियों में भी मिलावट होती है, अन्न में भी मिलावट होती है, इसी प्रकार से कपड़े में भी मिलावट होती है, लेकिन हमको इसमें अन्तर करना होगा ।

औषधियों को हम शरीर में लेते हैं और अन्न को भी शरीर में लेते हैं और इसकी वजह से हमारी जान को खतरा पैदा हो सकता है । तो कानून ऐसे बनाए गए हैं कि जो कोई ऐसी औषधियां बनाता है या जो कोई ऐसा अन्न रखता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, कुछ अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं और जहां भी उनको यह चीज नजर आती है, वे उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं । शास्त्री जी के लिए मैं बतला रहा हूं । जहां भी ऐसी कोई चीज नजर में आती है, दवाइयों या अन्न में मिलावट हो रही है तो वे शरीर के लिए हानिकारक हैं और उससे जान को भी खतरा हो सकता है, यह ध्यान में रखकर कानून

ऐसे बनाए गए हैं कि जिनके पास भी दवाइयां हैं या जो बनाते हैं या इस प्रकार का अन्न रखते हैं या मिलावट करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। कुछ अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं। वे उनके खिलाफ कार्रवाही कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे समाज में, देश में जिन को अनाज से थोड़ा सा अलग माना गया है। उदाहरण स्वरूप आई. पी. सी. के नीचे अगर किसी ने किसी की जान लेने की कोशिश की तो एक प्रकार का आफेंस होता है और किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो दूसरे प्रकार का होता है। जान लेने की कोशिश की तो पुलिस अपने आप कार्रवाई शुरू कर सकती है लेकिन थप्पड़ मारा तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती है। ऐसे लोग पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे थप्पड़ मारा है, उसके ऊपर कार्रवाई करो तो पुलिस नहीं कर सकती है, वह नान··· काग्निजेबल आफेंस होता है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए कानून कहता है कि कोर्ट में जाए। वह नाराज हो कर पुलिस थाने से वापिस लौट आता है और शिकायत करता है कि थप्पड़ भी मारा लेकिन फिर भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। उसी प्रकार की कुछ कुछ यहां भी व्यवस्था है। ट्रेड मार्क का मर्केंडाइज एक्ट के नीचे कोई आफेंस होता है तो कार्रवाई करने के लिए जिस के खिलाफ वह हुआ हो, जिस के ऊपर उसका दुष्परिणाम पड़ा हो, उस को आगे आ कर कार्रवाई करनी होती है। अगर वह किसी अधिकारी के पास जा कर कहेगा कि यह हुआ है आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, तो अगर अधिकारी के पास अधिकार न हो तो वह कार्रवाई नहीं कर सकता है। यहां भी ऐसी ही चीज है। ट्रेड मार्क का जो कानून है या जो ट्रेड एंड मरकेंडाइज मार्किंग एक्ट 1958 है है उसके अन्दर यह बताया गया है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के केसिस किए जा सकते हैं और जिस के ऊपर परिणाम हुआ हो उस आदमी को ही आगे आना पड़ेगा, उस आदमी को ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसको वह पुलिस या दूसरे अधिकारियों के सामने नहीं ले जा सकता है। कपड़ा, अन्न या औषधि जैसा नहीं है। यह फर्क जब आपके ध्यान में आ जाएगा तो कितना किस का असर हुआ है, उस पर आप विचार कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं।

भारत में जगह जगह कपड़ा बनता है, देहातों में, हैंडलूम्ज पर, पावरलूम्ज पर मिलों में कपड़ा बनता है, उसका निरीक्षण, उसकी देख रेख करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए जितनी मशीनरी का निर्माण करना जरूरी होता है और जिस प्रकार की मशीनरी की जरूरत होती है, वह सारी बनाई नहीं जा सकती है। यह अड़चन सरकार के सामने है। इसलिए कानून को लागू करने के लिए, इसको इम्प्लेमेंट करने के लिए जो जिम्मेदारी है, जिस के खिलाफ वह चीज जाती है, उसकी है।वही कोर्ट में जाएगा। यह सारा कुछ वह कर सकता है।

मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे मंत्रालय के अखत्यार की बात नहीं है। यह देखना कि किसी ने स्टैम्प गलत लगाई है या सही। यह देखने का काम हमारे मंत्रालय को नहीं दिया गया है। दूसरे मंत्रालयों को दिया गया है। जो कपड़ा बना है उस में पोलिएस्टर कितना है, काटन कितना है, ब्लैंडिंग प्रापर है या नहीं यह देखने का काम हमको दिया दिया गया है। उसका इंटरप्रेटेशन करके उसको लम्बा करके उसके अन्दर इसको आप लाना चाहें तो ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं यह और बात है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जहां तक मार्क का सवाल है, नाम का सवाल है, सिक्के का सवाल है इसको देखना दूसरे मंत्रालय का काम है। गवर्नमेंट का एक हिस्सा होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी यह नहीं है, यह मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन बारीकी

से आप देखें तो हमारे क्षेत्र में यह चीज नहीं आती है, दूसरे मंत्रालय की तरफ जाती है। जब हम को कहा गया कि आपको जवाब देना चाहिये तो हम जवाब दे रहे हैं यहां पर।

जहां तक ज्यादा कपड़ा बनाने की बात है, कपड़ा पर्याप्त मात्रा में यहां बन रहा है। सब लोगों को मिलता है या नहीं यह दूसरी बात है। लेकिन कपड़ा पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है। यह नहीं कहा जा सकता है यह बात दूसरी है कि कपड़ा बनाकर ज्यादा कीमत लेने की कोशिश की जाती है, ऊंचा दाम लिया जाता है। यह बात ठीक हो सकती है। लेकिन कपड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ।

श्री रामविलास पासवान : मंत्री महोदय ने अन्त में जो कहा है उससे सारा मामला ही खटाई में उन्होंने डाल दिया है। हम लोगों ने जो दिया था नोटिस उस में हम ने दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में नकली वस्त्र के समानान्तर वस्त्र व्यापार के समाचार और इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में जानना चाहा था। मंत्री महोदय कहते हैं कि कार्रवाई करने का मुझ को अधिकार ही नहीं है। तब तो सारा मामला ज्यों का त्यों रह गया। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं, जो काल अटेंशन है वह है की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में और कार्यवाही करने को मंत्री जी कहते हैं कि इस मंत्रालय को अधिकार नहीं है। तो फिर जिस मंत्रालय को है। उसको रैफर कीजिये, उसी मंत्री से जवाब दिलाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर मिलेगा। आप मुझसे प्रश्न मत पूछिए, आप मंत्री महोदय से प्रश्न पूछिए !

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : जी नहीं ! मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे उत्तर चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : मुझे आप का विनिर्णय चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को कैसा विनिर्णय चाहिए ? आप इसे मन्त्री महोदय को सम्बोधित कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : नहीं, मैं अभी मंत्री महोदय को सम्बोधित नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे सम्बोधित नहीं कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। इसका सम्बन्ध मन्त्री महोदय से है, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैं तो आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मन्त्रालय से सम्बद्ध एक अन्य सूचना दे सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैं अन्य सूचना कैसे दे सकता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है.....

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं आप को अनुमति नहीं दे रहा हूं। उन्हें प्रश्न पूछने दो।

श्री रामविलास पासवान : मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं केवल यही जानना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा है कि अभी वह लाचार हैं जवाब देने से। ऐक्शन टेकिन जो है यह दूसरे मंत्रालय से संबंधित है। और मेरे कहने का मतलब है होम मिनिस्ट्री से। आपने दिया है कामर्स मिनिस्ट्री को। वह ऐक्शन ले नहीं सकते हैं, जब कि सवाल संबंधित है ऐक्शन लेने से। तो यह मंत्री जी कैसे जवाब देंगे। इसको होम मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कीजिये वह जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। वह उत्तर देंगे। उसका संबंध प्रश्न से है।

श्री रामविलास पासवान : यह केवल स्पष्टीकरण है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसे स्पष्ट कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अभी गलती हो रही है, जब आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री को भेज दिया जाय। मैंने कहा कि दो प्रकार के आफेंसेज होते हैं—एक काग्नीजेबिल और दूसरा नान-काग्नीजेबिल। काग्नीजेनिल आफिस होता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। नान-काग्नीजेबिल आफेंस जो होते हैं उसके लिए कोर्ट में जा कर इजाजत ले कर फिर कार्यवाही की जा सकती है। और जो नान-काग्नीजेबिल आफेंस हैं सिविल नेचर के होते हुए क्रिमिनल ऐलीमेंट कमा होता है। जो आपने यहां पर बताया हैं उसके अन्दर जो कार्यवाही है वह सिविल नेचर की ज्यादा है और क्रिमिनल ऐलीमेंट कम होने की वजह से, ऐसा मुझे बताया गया है, यह नान-कग्नी जेविल आफेंस है और जिसके खिलाफ हुआ है उसको कोर्ट में जा कर करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट के ऊपर क्रिमिनल केस डालने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह सिविल केस भी कर सकता है।

दूसरी बात आपने यह कही कि कितने केसेज इस कानून के नीचे किये हैं, कितनों को पकड़ा है ? इसकी सूचना सप्लाई मिनिस्ट्री को होगी। अब यह सवाल पैदा हो जाता है कि आपने हम को ऐड्रेस किया है, हमारे पास आया है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने बताया यह सिर्फ ए और बी का सवाल नहीं है, उसके अन्दर काग्नीजेबिल और नान-काग्नीजेबिल और सिविल और क्रिमिनल नेचर का सवाल भी आ जाता है। यह समझने के बजाय.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह प्रश्न पूछ रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि उत्तर देने का काम पूर्ति मंत्री का हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का उल्लेख किया है।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ही गम्भीर मामला है, भले ही इसकी नेचर दूसरी हो। लेकिन इंटेंशन तो वही है, जिसको मुनाफा कमाने की इंटेंशन है तो जो आदमी जाली वस्त्र बना सकता है, वह जाली दवाई भी बनायेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मंत्रालय कोई भी हो लेकिन सरकार तो एक है। तो दूसरे-मंत्रालय से, सप्लाई मिनिस्ट्री से सूचना ले सकते थे।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें भी गड़बड़ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। एक आदमी ने लिखा—डियर आई जी, योर्स पी एम। जनरली लोग मीनिंग लगाते हैं आई जी का इंस्पैक्टर जनरल और पी एम का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब पत्र पढ़ा गया तो उसमें लिखा था-आई जी का इंदिरा गांधी और पी एम का पीलू मोदी।

मैं यह कह रहा हूं कि इस पेपर में इस प्रकार के बहुत मामले आये हैं। इन्होंने इसमें फगवाड़ा के सम्बन्ध में लिखा है, ग्वालियर के सम्बन्ध में लिखा है। 'Gwalior' के सम्बन्ध में बदमाशी करता है और लिखता है 'Gwallor' यानी आई के बदले में एल। और 'Phagwara'

की जगह में 'Paagwara'। अभी हम देख रहे थे, एक लड़का लिफ्ट में जा रहा था उसके कालर पर लिखा था यू एस ए। इस यू एस ए का मतलब है यूनाइटेड सिन्धी ऐसोसियेशन। लेकिन उसमें अन्तर क्या था-मेड इन नहीं था बल्कि मेड बाई था। इसी तरह से बी एस सी के मायने बाटा शू कंपनी भी है और भारत शू कंपनी भी है नीचे छोटा सा स्माल में लिखा रहता है। इस तरह का सारा मामला चल रहा है। यह आपके नालेज में भी है, हमारे भी है और आपके मंत्रालय के तमाम अफसरों के नालेज में भी है। आप इस बारे में अपनी लाचारी बतला रहे हैं।

यह पूरे का पूरा मामला किसी पेपर में नहीं निकला है। सिर्फ हिन्दुस्तान टाइम्स में निकला है हमने रैफरेंस सैक्शन से भी इस बारे में जानकारी मंगाई है उन्होंने भी यही कहा है कि सिर्फ हिन्दुस्तान टाइम्स में ही निकला है। तो निश्चित रूप से कालिक आर्टिशन केस हुआ हिंदुस्तान टाइम्स की जानकारी पर, तो हिन्दुस्तान टाइम्स में जो एलीगेशन्ज लगाये गये थे, कम से कम उनको तो मंत्री जी को वैरीफाई कराना चाहिये था, उसके बारे में तो निश्चित जानकारी सदन को देनी चाहिये थी। उसके सम्बन्ध में जिस प्रकार एलीगेशन्ज लगाये, जिसका नाम हमारे साथी ने लिया श्री एस०एन० हेड़ा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जिन्होंने एलीगेन्शज लगाये और रिपोर्ट की उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। वह कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट की लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई।

यह दो चीजें हैं। इसलिये मंत्री जी जब जवाब दें तो यह बतलावें कि सेल्स मैनेजर ने जो लिखित सूचना दर्ज की, तो उसको दर्ज किया गया या नहीं, आपने उसका पता लगाया या नहीं ? यदि उसने दर्ज की है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, किन-किन लोगों पर मुकदमा चला है, किन-किन की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों के खिलाफ प्रासीक्यूशन का मामला चला है ?

उसमें सीधा-सा एलीगेशन है कि जो सरकारी अधिकारी हैं, और जो गलत काम करते हैं, इनकी दोनों की सांठ-गांठ है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी हासिल की है ? यदि नहीं की है तो क्या भविष्य में सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी कि जो एलीगेशन लगाये गये हैं, वह सही हैं या गलत हैं ?

जो आपने एक्ट का हवाला दिया, मेरे पास एक्ट है। इसमें आपका न एक्ट है, न टैक्ट है और न फैक्ट है। इस तरह के एक्ट को या तो आप जलाकर फैंक दीजिये या इसमें कुछ करना है तो क्या आप इसमें कोई संशोधन करने जा रहे हैं जिससे यह कारगर बन सके ? क्या इसमें कोई नई धारा जोड़कर आप कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री वी० शिवराज पाटिल : इसमें थोड़ी सी गलती समझने में हो रही है। यह सब झगड़ा यह बता रहा है कि हमारे देश में जो कारोबार चलता है, वह कानूनी तरीके से चलता है। उस कानून का क्या स्वरूप होता है, वह ध्यान में रख लेने के बाद इन चीजों के बारे में पूरी तरह स्पष्टता हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि दो प्रकार के आफैन्सेज हैं-एक नान-काग्नीजेबिल और दूसरा काग्नीजेबिल। नान-काग्नीजेबिल होने से आफिसर्स को या दूसरों को कार्यवाही करने में एक प्रकार की मर्यादा हासिल है

उपाध्यक्ष महोदय : लोकतन्त्र स्वयं में एक कानून भी है।

श्री रामविलास पासवान : वह कहता है कि उसने दर्ज कराया है। सवाल यह है कि उसने दर्ज कराया है या नहीं कराया है। अगर कराया है, तो क्या कार्यवाही की गई है ? उसने टेक्स्टाइल मिल का नाम दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। और उसके बाद स्पष्टीकरण मांगिये। मैं अनुमति दूंगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ध्यान रखूंगा.....

श्री रामविलास पासवान : ध्यानाकर्षण का क्या लाभ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री महोदय से न्याय करना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : आपको मेरे साथ न्याय करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबके साथ न्याय करता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। वे आपको उत्तर दे रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, सिर्फ समझ की गलती से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। मैं गवर्नमेंट का एक भाग, हिस्सा, हूं, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि कितने केसिज दाखिल किए गए, जब तक सारे कागजात मेरे सामने नहीं आयेंगे, तब तक में इस बारे में मालूमात नहीं दे सकूंगा। जो गलतफहमी हो गई है, पहले मैं उसको दूर करना चाहता हूं। जो कुछ हम कर सकते हैं, बाद में मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर माननीय सदस्य पहले से यह समझ कर चलेंगे कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, तो वह नहीं हो सकता। यहां पर कानून का राज्य चलता है। श्री पासवान या हम जो दिल में चाहते हैं, वह नहीं हो सकता।

श्री रामविलास पासवान : मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य के मन में जो चिन्ता नजर आती है, वह इस प्रकार है कि अगर कोई इस तरह से गलत तरीके से कपड़ा तैयार करता है, तो क्या गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही कर सकती है या नहीं, या अगर झूठ या गलत मार्क लगाया जाता है, तो गवर्नमेंट कोई कार्यवाही कर सकती है या नहीं। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा मैं नहीं कहने जा रहा हूं। लेकिन इस बारे में काम करने का जो बंटवारा हुआ है, उसके मुताबिक हम कार्यवाही करेंगे। इस कालिंग एटेन्शन नोटिस के द्वारा माननीय सदस्यों ने जो कम्प्लेंट की है, जहां उसको पहुंचाना चाहिए, वहां हम उसको जरूर पहुंचाएंगे। माननीय सदस्यों की भावना को भी हम वहां पहुंचाएंगे। लेकिन अगर माननीय सदस्य मेरी मिनिस्ट्री से कुछ करने के लिए कहेंगे, तो कानून के अनुसार जो कुछ हो सकता है, हम वही करेंगे, उसके अतिरिक्त हम नहीं कर सकते। माननीय सदस्य को एक दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन वह दूसरी दिशा में चले गए हैं। जो कुछ वह चाहते हैं, वह इससे उन्हें नहीं मिलेगा। उसके लिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा।

मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसमें कोई गलती है। गवर्नमेंट में होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। जिस हद तक वह जिम्मेदारी है, उस हद तक हम करने की कोशिश करेंगे। यह एशोरेंस नहीं है, लेकिन जो कुछ हम कर सकते हैं, वह जरूर करेंगे।

लेकिन इसके कानूनी पहलू को ध्यान में रखना जरूरी है। इस सदन में आकर माननीय सदस्य कहने लगें कि हम यह करें, वह करें, और अगर हम करेंगे, तो कल वे ही पूछेंगे कि आपने क्यों किया। जो हो सकता है, वह किया जाएगा। जो नहीं हो सकता, उसमें मजबूरी है। जो दुरुस्ती करने की बात है, वह हम उनको पहुंचा देंगे और अगर वह करना चाहेंगे, तो करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : मैंने एक प्रश्न पूछा था। इस अधिनियम के संशोधन का क्या हुआ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आप कृपया इस बात को समझिए कि इस अधिनियम के कार्यान्वियन का उत्तरदायित्व वाणिज्य मंत्रालय का नहीं है। मैं इस अधिनियम का संशोधन नहीं रख सकता। मैं वाणिज्य मंत्री के रूप में इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह पूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया इसे समझिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० ए० राजन। वह उपस्थित नहीं हैं। हम अब नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा मानचेस्वर में रेल वर्कशाप में टूट फूट की मरम्मत करने का अनुभाग खोलने की आवश्यकता

***श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर)** : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं;

मानचेस्वर रेलवे वर्कशाप, उड़ीसा में मरम्मत का काम वर्कशाप के उद्घाटन के दिन कुछ घन्टे काम होने के बाद अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है। मानचेस्वर रेलवे वर्कशाप के इस खण्ड का उद्घाटन भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा 12 नवम्बर, 1981 को किया गया था। यह आशा की गई थी चूंकि इस क्षेत्र में यात्री डिब्बों की मरम्मत का काम बहुत ज्यादा है इसलिए कोरोशन मरम्मत का काम बड़े जोर-शोर से आरम्भ होगा।

भारत सरकार ने मानचेस्वर रेलवे वर्कशाप उड़ीसा में इसलिए खोली थी जिससे खड़गपुर और नागपुर वर्कशाप के कार्यभार को कम किया जा सके। परन्तु यह खेद की बात है कि रेलवे वर्कशाप के कोरोशन विभाग ने उद्घाटन के दूसरे दिन काम करना बन्द कर दिया। खड़गपुर से मरम्मत के लिए लाए गए 7 डिब्बों को भी वापस ले जाना पड़ा।

यद्यपि मानचेस्वर रेलवे वर्कशाप में रिक्तियों को भरने के लिए लगभग एक वर्ष पूर्व साक्षात्कार किए गए थे परन्तु अभी तक किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। मानचेस्वर रेलवे वर्कशाप के निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों में विलम्ब का एक कारण यह भी है। अतः मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन रिक्तियों को भरने के लिए अविलम्ब आवश्यक अनुदेश जारी करें। इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार मानचेस्वर रेलवे वर्कशाप में कोरोशन मरम्मत विभाग तत्काल आरम्भ करे।

*उड़िया में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(दो) लखनऊ और इलाहाबाद के बीच एक तीव्रगामी रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर-प्रदेश में इलाहाबाद का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अपना एक धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा शिक्षा में महत्त्व है। राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यालय इलाहाबाद में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है जो इलाहाबाद से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर है। किन्तु इलाहाबाद एवं लखनऊ के बीच कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जिससे हजारों लोगों को, जिन्हें अपने व्यक्तिगत अथवा राजकीय कार्यों से लखनऊ से इलाहाबाद या इलाहाबाद से लखनऊ जाना पड़ता है, 8 घंटा से 12 घटा ट्रेन से यात्रा में लगता है। एक त्रिवेणी एक्सप्रैस लखनऊ से इलाहाबाद होते हुए चुर्क जाती है तथा चुर्क से इलाहाबाद होते हुए लखनऊ जाती है, की स्पीड कम होने तथा स्टापेज ज्यादा होने से एक्सप्रेस न हो करके पैसेन्जर ट्रेन हो गई है। इसे देखते हुए इलाहाबाद से लखनऊ के लिए एक फास्ट ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए। यदि यह सम्भव न हो तो त्रिवेणी एक्सप्रैस में ही सुधार किया जाए।

(तीन) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पेड़ों के अंधा-धुंध काटे जाने को रोकने के उपाय

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वन राष्ट्रीय सम्पदा है। वन अधिनियम, 1980 के अनुसार वन हटाने के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। पर मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा, जहां राणा प्रताप सागर डैम है, बेरहमी से जंगल काटे जा रहे हैं। राजस्थान सरकार 22-9-80 को एक ठेकेदार को डैम में डूब की लकड़ी को निकालने का ठेका नियमों का उल्लघन करते हुए, 7 वर्ष के लिए दिया। वह ठेकेदार डूब की लकड़ो को न निकाल कर आस-पास के हरे-भरे जंगलों को फुर्ती से साफ कर रहा है। कोयले बनाकर प्रति दिन 8 या 10 टन बेच रहा है। इस व्यक्ति ने भैंसरोड़गढ़, पानरवा, जागीर (उदयपुर), बांसवाड़ा, डूंगरपुर (भीलवाड़ा) के जंगलों को साफ किया। इस प्रकार देश की करोड़ों रुपए की वन सम्पदा प्रति दिन नष्ट हो रही है। एक वर्ष में यह स्थिति है तो 7 वर्ष में कितना जंगल साफ होगा ? अत: मैं केन्द्रीय वन विभाग से आग्रह करूंगी कि अविलम्ब इसमें हस्तक्षेप करके इस अमानवीय, अप्राकृतिक कार्यवाही, जो उक्त ठेकेदार द्वारा की जा रही है, उसको रोके, वरना हरे-भरे सभी राजस्थान के जंगल साफ हो गए, जो बचे हुए हैं वह भी साफ हो जायेंगे। फिर भीषण अकाल और अकाल के अलावा वहां के निवासियों के पास क्या बचेगा ? केन्द्रीय सरकार इस समस्या को गम्भीर मानते हुए इस पर तुरन्त कार्यवाही करे।

(चार) तमिलनाडु में रामनाथपुरम में एक माइक्रोवेव केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता

श्री एम० एस० के० सत्येन्द्र (रामनाथपुरम) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला माननीय संचार मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।

1977 में रामनाथपुरम, तमिलनाडु में माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। अनियमितताओं के कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कानूनी अड़ंगेबाजी में फंस गई।

भूमि का मालिक मामले को न्यायालय में ले गया और डाक और तार विभाग ने न्यायालय के निर्णयानुसार भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयास किया। इसमें लगभग पांच वर्ष लग गए। इसी बीच डाक-तार विभाग ने विवादास्पद भूखण्ड पर चार दिवारी बना ली है जिससे कानूनी दिक्कतें बढ़ गई हैं।

साथ लगते परायाकुडी और रामेश्वरम् में माइक्रोवेव स्टेशनों की स्थापना का काम समाप्त हो गया है। परन्तु रामनाथपुरम में माइक्रो वेव स्टेशन के अभाव में ग्राहकों को बहुत कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है। चूंकि रामनाथपुरम समुद्री तूफानग्रस्त क्षेत्र है अत: यहां माइक्रोवेव स्टेशन बहुत आवश्यक है। डाक तार विभाग को इस ओर तत्काल ध्यान देने के लिए कहा जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

(पांच) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण फसलों को पहुंची क्षति और स्थिति का सामना करने के लिए राहत कार्य

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विशेष यवतमाल जिले में इस वर्ष भारी वर्षा के कारण फसलें पूर्णतया नष्ट हो गईं, जिसके परिणाम-स्वरूप अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज्वार और अन्य खरीफ की फसलें अत्यधिक प्रभावित हुई हैं। राज्य शासन के अनुमानानुसार उपज औसत उपज से बहुत ही कम अर्थात 10-15 प्रतिशत हुई है। ऐसी स्थिति में सहकारी और सरकारी ऋण स्थगित किया जाता है। वसूली में माफी भी दी जा सकती है। पर विदर्भ में न तो वसूली में माफी दी गई है और न स्थगिती ही दी गई है, न तो कोई सुविधा प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त किसानों की खेत में चालू इलैक्ट्रिक मोटर पंप, ओ. ई. इंजिन, बैल जोड़ी और अन्य उपकरण जब्त किए जा रहे हैं, जिनके कारण किसानों को तो परेशानी है और उन खेतों की गेहूं और रबी की अन्य फसलें भी प्रभावित हो रही हैं जिसकी वजह से किसानों का और राष्ट्रीय उत्पादन का भारी नुकसान हो रहा है और किसानों के अन्दर भयंकर असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है। अत: मेरा अनुरोध है कि केन्द्र शासन इस मामले में हस्तक्षेप करके महाराष्ट्र शासन को अनुदेश जारी करे और सख्ती की जा रही ऋण की वसूली को स्थगित करवा दे। किसानों की मोटर पंप, ओ. ई. इंजिन, बैलगाड़ी, जो कि जब्त की गई है, वापस दी जाए और अभावग्रस्त क्षेत्र में अन्य व्यवस्था भी की जाए।

(छ:) उत्तर प्रदेश में बरेली में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए मांग

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बरेली एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। मडलीय डी० आई० जी० व कमिश्नर के कार्यालय भी वहां पर हैं। पांच लाख से ऊपर की जनसंख्या होने व अन्य दृष्टियों से उपयुक्त होने के कारण बरेली को छ: मास पहले महानगर भी घोषित किया जा चुका है। नगर में 1000 के लगभग नागरिकों ने टेलिविजन सैट्स लगा रखे हैं। परन्तु वहां उनका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि टेलिविजन में चित्र आते ही नहीं और यदि थोड़ा बहुत आते भी हैं तो अत्यंत अस्पष्ट होते हैं। अत: नागरिक परेशान हैं।

यही नहीं पास पड़ौस के रोहिलखंड कमिश्नरी के अन्य जिलों बदायूं, शाहजहांपुर पीलीभीत

की भी यही स्थिति है, वहां भी टेलिविजन सेट में चित्र अत्यन्त ही धूमिल आते हैं और इस प्रकार इन सभी जिलों के नागरिक संचार की इस महत्वपूर्ण सुविधा के लाभों से वंचित रह रहे हैं तथा टेलिविजन सैट्स में उनके द्वारा किया गया व्यय तथा दी जाने वाली लाइसेंस फीस धूल में मिल गए हैं।

अत: संचार मंत्रालय एव सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि वह बरेली में एक टेलिविजन केन्द्र अविलम्ब खोलने की व्यवस्था करे और तब तक ऐसी व्यवस्था करे कि बरेली तथा पड़ौस के उपरोक्त नगरों में टेलिविजन सेट्स में चित्र स्पष्ट रूप से उभर सकें और उनका पूर्ण उपयोग हो सके।

(सात): 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सिंध से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : 1971 के भारत-पाक युद्ध के परिणामस्वरूप लगभग 60,000 शरणार्थी सिंध के अधिकृत क्षेत्र से भारत आये थे। इनमें से अधिकांश शरणार्थी कुछ समय बाद सरकार द्वारा स्थापित शरणार्थी शिविरों में चले गए। इनमें से कुछ शरणार्थी संबंधित सरकारों के प्राधिकारियों से पंजीकृत होने के बाद 1947 में भारत में आए अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी की यदि वे शरणार्थी शिविरों में न रहे तो उन्हें पुनर्वास सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

आजीविका की समस्या सामने आने पर उन्होंने कृषि मजदूरों रेहड़ी खींचने का तथा अन्य मजदूरी का काम आरम्भ कर दिया। कुछ ने व्यवसाय भी आरम्भ कर दिया। उनमें से अधिकांश पर्याप्त आजीविका कमा पाने में असमर्थ थे।

अपने पुनर्वास के लिए वे भारत सरकार के पास गए। उन्हें बताया गया कि शिवरों में रह रहे शरणार्थियों का पुनर्वास हो जाने बाद उनके मामले पर विचार किया जाएगा। महोदय, अपनी आजीविका के लिए जो स्वय प्रयत्न करना चाहते हैं वे शिविरों में सरकार के अनुदान पर निर्भर हैं।

सिन्धी शरणार्थी समस्या निवारण समिति, जयपुर के अध्यक्ष को संबोधित पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के (पुनर्वास विभाग) के पत्र के अनुसार जिन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई थी उन्हें पुनर्वास लाभ मिलने चाहिए।

राज्य और केन्द्रीय प्राधिकारियों से मिलने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि शिविरों से बाहर रह रहे लोगों को पुनर्वास लाभ नहीं मिल रहे हैं।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि युद्ध के एक वर्ष पश्चात् जो 101 परिवार सिंध से भारत आए वे किसी न किसी तरह से 1972 में स्थापित किए गए शिविरों में बस गए। जब उनके बारे में सही तथ्य सरकार के ध्यान में आए तो उन्हें शिविर से बाहर निकाल दिया गया पर उन्हें अब पुनर्वास लाभ दिए जा रहे हैं।

मैं पूर्ति और पुनर्वास मंत्री को इस संबंध में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

अनुदानों की मांगें, 1982-83-जारी

(1) वाणिज्य मंत्रालय-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान संबधी मांगों पर आगे विचार करेगी । श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा बोल रहे थे ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष माननीय वाणिज्य मंत्री ने जो एक वस्त्र नीति की घोषणा, संसद में ही, दोनों सदनों में की थी, उसके संबंध में क्या काम हुआ है अभी तक । एक वर्ष में क्या उसके बारे में प्रगति हुई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हालांकि इसके पहले उप मंत्री महोदय ने इसके ऊपर भाषण किया है लेकिन उसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा । बहुत विस्तार में वह नीति है, उस सबके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन उसमें कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । घोषणा के मुख्य मुद्दों में से कुछ ये हैं । छोटे बुनकरों तथा इनसे संबंधित अन्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उसका विकास करना, कमजोर वर्गों के लिए सस्ते कपड़े का वितरण करना, मानव निर्मित रेशे तथा यार्न में वृद्धि करना, हथकरघा क्षेत्र में बेकार पड़े करघों को पुनः चालू करना, अधिक उत्पादन के लिए आधुनिकीकरण करना उचित दामों पर यार्न देना, हथकरघों द्वारा पालियेस्टर तथा गैर-सूती वस्त्रों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण पर कड़ा नियंत्रण रखना क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में बड़ा गोलमाल होता है और गरीब व्यक्तियों को वह मिल नहीं पाता । उचित कीमत पर रुई उपलब्ध कराना, आदि । ये सब कार्य क्या सरकार द्वारा हो रहे हैं । जो नीति घोषित हुई थी, क्या सरकार उस पर चल रही है ? स्पष्ट है कि इस नीति के अनुसार काम नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है ।

भारत में लगभग 35 लाख हथकरघे हैं । मेरे पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और मैं यह समझता हूं कि इसके लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है । हथकरघा चलाना बहुत कठिन काम है । रात-दिन यदि हथकरघे में पूरा परिवार भी लगा हुआ है, तब भी उसको खाने भर की मजदूरी नहीं मिल पाती है । इसलिए इसमें कुछ विकास करने की आवश्यकता है । जो इसका विकास नहीं हो रहा है, उसी कारण इसमें लोगों को लाभ भी नहीं मिल रहा है और इसलिए नई पीढ़ी के लोग इसमें आ नहीं रहे हैं और वह उद्योग ठप्प पड़ता चला जा रहा है । इन लोगों को जो सहायता दी जा रही है, अफसर और बिचौलिये करीब करीब वह सारा पैसा खा जाते हैं और इन लोगों तक पहुंचते-पहुंचते वह सारी सहायता समाप्त हो जाती है । इसलिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और वस्त्र उद्योग के लिए एक और स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है । जो लोग, प्राइवेट सैक्टर के लोग इस धंधे में लगे हुए हैं उन लोगों को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि विदेशों में अपना बाजार खोजो और खोज करके उसका विकास करो । उसके सारे काम, सप्लाई वगैरह सब तुम्हारे जिम्मे रहेंगे । नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन, हथकरघा तथा पावर लूम बोर्ड इन सब को जो देश में कपड़े की आवश्यकता है, उसके अनुसार काम करना चाहिए । गांवों में बसने वाले लोगों, भारत में रहने वाले लोगों की आवश्यकता को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस आधार पर कपड़े का बंटवारा हो सकेगा । मैं समझता हूं कि यह उचित काम होगा, अन्यथा नहीं होगा ।

अब मैं रेशम उद्योग की ओर आना चाहता हूं। प्राकृतिक रेशम की चार किस्में हैं—शहतूत, ऐरी, तस्सर और मूंगा। मूंगे के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है और तस्सर में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और शहतूत में पांचवां स्थान है।

भारत सरकार यदि चाहे तो इन उद्योगों को बहुत आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि अच्छे अनुसंधान की व्यवस्था हो। अभी अनुसंधान नहीं हो रहा है। उत्पादन थोड़ा जरूर बढ़ा है लेकिन जितना उत्पादन बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ रहा है। किस्म अच्छी नहीं निकल रही है। इसमें ज्यादा रेशम बर्बाद होता जा रहा है। उत्पादक तथा बुनकर को कम पैसे मिल रहे हैं। इसमें भी बिचौलिये और व्यापारी अधिक पैसा खाये जा रहे हैं। इस बात पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बिचौलिये और व्यापारी अधिक मुनाफा न खाएं और ज्यादा मुनाफा उनको मिलना चाहिए जो मेहनत करके इसको तैयार करते हैं।

इसका उत्पादन जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए वह नहीं हो रहा है। बोर्ड में अनेकों प्रकार के झगड़े हैं। अभी इसका एक्ट आया था। उसमें संशोधन भी हुआ है। माननीय सदस्यों ने इस पर काफी प्रकाश डाला था। बोर्ड में निश्चित रूप से झगड़े हैं और इन झगड़ों के चलते यह सारा व्यापार चौपट हो रहा है। इसमें सुधार बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसकी जांच भी की जानी चाहिए थी।

नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर ने एक रिपोर्ट ३१ जनवरी, १९७६ को दी थी। उसमें कहा गया है—

"केन्द्रीय रेशम बोर्ड कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन होना चाहिए और इसका गठन राज्यों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय कृषि औद्योगिक विकास, वाणिज्य मंत्रालयों, अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग आदि के प्रतिनिधियों से होना चाहिये।"

"केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सचिव के पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए और उसका औहदा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष होना चाहिए।"

ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा नहीं चल रहा है। रिपोर्ट आ गयी है लेकिन पड़ी हुई है। सरकार के दफ्तर में इसके अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। रेशम उद्योग निश्चित रूप से कृषि पर आधारित है। इसमें कुल 35 लाख लोग लगे हुए हैं जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक सहायता नहीं कर रहे हैं।

एक खबर है कि वाराणसी में बुनकरों को काम नहीं मिल रहा है। सरकार ने जो जवाब दिया है वह बड़ा आश्चर्यजनक है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको देखकर हम लोगों को लज्जा आती है। सरकार ने जबाब दिया है कि "जब 50 टन रेशम चीन से आयात होगा तब उन्हें दिया जाएगा।" यह सचमुच में बहुत आश्चर्यजनक बात है, इसके लिए शीघ्र प्रबंध किया जाए। वहां मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। वहां का रेशम कारोबार दुनियां भर में विख्यात है, सारे लोगों को मालूम है, लेकिन इस ओर कुछ नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्य भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हो रहा है और मेरे अन्य मित्र इन पर प्रकाश डालेंगे। मैं यही चाहता हूं कि इस पर तेजी से कार्यवाही होनी

चाहिए और जो यह रिपोर्ट है, उसके अनुसार काम होना चाहिए ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री श्री पाटिल साहब की तारीफ करता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से, बहादुरी से और साहस के साथ एक साहसिक कदम निर्यात-आयात नीति के संबंध में इस देश की आर्थिक नीति को अधिक मजबूत, सुदृढ़ और उदार बनाने के लिए उठाया है । नई आयात-नीति की घोषणा के अंतर्गत बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं और वे इस दृष्टि से दी गई हैं कि हमारे देश के अदर उत्पादन क्षमता बढ़े और उत्पादन बढ़ने से हमारी आर्थिक स्थिति में मजबूती आए ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि विश्व की 15 प्रतिशत जनता या 15 प्रतिशत आबादी, विश्व की 75 प्रतिशत दौलत का अपने तरीके से इस्तेमाल करती है या उस पर अपना आधिपत्य रखती है और विश्व के 75 प्रतिशत नेचुरल रिसोर्सेस का दोहन करके उसको इडस्ट्रियल या दूसरे तरीके से तैयार करके विश्व की 15 प्रतिशत आबादी उसका लाभ उठाती है और उसका सीधा लाभ उन्हीं को जाता है और यही कारण है कि आज विश्व की 15 प्रतिशत आबादी अलग संपन्नता लिए हुए है और वह एक विश्व का अलग वर्ग बनी हुई है ।

इस परिप्रेक्ष्य में विश्व ट्रेड को और इसके साथ-साथ अपने देश के ट्रेड को, चाहे वह इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, देखें तो हमको प्रतीत होगा कि नार्थ यूरोपियन कंट्रीज, यू० एस० ए०, जापान, ये ऐसे मुल्क हैं जो आज भी डेवलपिंग कंट्रीज के दो-तिहाई प्राइमरी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और वही आज भी हमारे मार्केट हैं और यही कारण है कि उनकी मर्जी पर या उनके द्वारा तय किए गए मूल्यों को स्वीकार करना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जरूरी हो जाता है, आब्लीगेटरी हो जाता है ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है, यह एक बड़ा गंभीर विषय है । वाणिज्य मंत्रालय देश की आर्थिक नीति से बहुत गहरा संबंध रखता है, इतना संबंध किसी दूसरे मत्रालय का नहीं है और वास्तव में यह मंत्रालय अपने आप तक या देश के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो वर्ल्ड ट्रेड हैं, उसके साथ भी इसका अपने आप में संबंध है ।

सारा विश्व इस बात को जानता है कि वर्ष 1981 वर्ल्ड ट्रेड के लिए स्टेगनेंसी का साल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड में कोई तरक्की नहीं हुई है, जबकि वर्ष 1980 में एक प्रतिशत वृद्धि वर्ल्ड ट्रेड में हुई थी और सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि इस वर्ष 1981 में डवलपिंग कंट्रीज का 13 प्रतिशत प्राइमरी प्रोडक्ट्स डेवलप्ड कंट्रीज को कम निर्यात किया गया है । हिन्दुस्तान डवलपिंग कंट्रीज में आता है । वह भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को भेजता है । मुझे प्रसन्नता है कि इन विकासशील देशों ने सबसे पहला एक साहसिक कदम यह उठाया है निर्यात के सम्बन्ध में कि इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चर्ड गुड्ज का भी निर्यात किया है । डवलपिंग कंट्रीज की मैनुफक्चर्ड गुड्ज की एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ती जा रही है, उनकी वहां खपत बढ़ती जा रही है ।

1981 के वर्ष से एक और भी संकेत मिलता है । इसके लिए में मंत्रालय को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकता हूं । वर्ल्ड में एग्रिकलचरल प्रोड्यूस के महत्त्व को उसने स्वीकार किया है । वर्ल्ड में एग्रिकलचरल प्रोड्यूस के लिए सबसे अच्छा मार्किट है । अब आप देखें कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स

मे एग्रिलचरल प्रोड्यूस का ग्रोथ रेट पांच प्रतिशत बढ़ा है जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का केवल तीन प्रतिशत बढ़ा है। इससे सिद्ध होता है कि आपके पास एवेन्यूज हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के। आपके एग्रिकलचरल सैक्टर हैं, एग्रिकलचरल कमोडिटीज हैं, और आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस क्षेत्र के इस ऐवन्यू को स्वीकार किया है। मुझे खुशी है कि आपने उस पर और ज्यादा कंसंट्रेट करने की बात कही है, उसको और ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही है। मैं समझता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो निर्यात के मामले में आपको और भी ज्यादा सफलता मिलेगी।

वर्ल्ड ट्रेड के जो हालात हैं और जो प्रतिकूलताएं हैं उनमें भारत को बहुत बड़ी कोशिश अपने निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में करनी पड़ी है। उसमें कुछ नीतिगत बातें भी हैं जिनका बजट में भी जिक्र किया गया है और मंत्रालय की रिपोर्ट में भी किया गया है। सबसे बड़ी नीति की बात इकॉनोमिक कोओप्रेशन की है। यह डिवेलेप्ड कंट्रीज से नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी हिड्रेंस वाली बात पालिसी आफ प्रोटेक्शनिज्म की है जिसकी वजह से डवलप्ड कंट्रीज अपने आपको एलूफ फील करती हैं। हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटर नेशनल कान्फ्रेंसस में कहा है कि जब तक विश्व के अन्दर इकोनोमिक कोओपरेशन नहीं बढ़ेगा तब तक डिवेलेपिंग कंट्रीज कभी भी आगे नहीं आ सकेंगी और विकसित देशों के मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकेंगी। लेकिन हम विकसित देशों के मुखापेक्षी बने रहें यह भी ठीक नहीं है। वे हमें इकोनोमिक कोओपरेशन दें तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी इटरनेशनल ट्रेड तरक्की करे और उसी के ऊपर आधारित रह कर हम काम करें यह ठीक नहीं है।

मेरा निवेदन है कि कुछ आइटम्ज हैं जिनको हम ट्रेडीशनल एक्सपोर्ट आइटम्ज कहते हैं और मुझे दुख है कि आज इन आइटम्ज के बारे में भी जिन पर उसकी हजारों साल से मौनोपोली रही है, वह अपनी उस मौनोपोली को भी खोता जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड में टैक्सटाइलज, फैब्रिक्स, रॉ काटन वगैरह के मामले में उसका बहुत बड़ा भाग रहा है। रॉ काटन के मामले में हमारी एक्सपोर्ट 71 परसेंट कम हो गई है। स्टील आयरन में 15 प्रतिशत कम हो गई है। काफी में शायद 45 परसेंट कम हो गई है। काफी के मामले में तो इंटरनेशनल मार्किट में आपके कहीं पैर ही नहीं जम रहे हैं। इन मामलों में आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। बजट में काफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कार्डिमम, रबड़ आदि के ऊपर आपने वैल्थ टैक्स को भी समाप्त कर दिया जाता है उसके बावजूद कोई संकेत नहीं दिया है कि वर्ल्ड ट्रेड में काफी, चाय, टैक्सटाइल, टैक्सटाइल फैब्रिक्स, रॉ काटन, आयरन और स्टील के मामले में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड मार्किट को किस तरह से कैप्चर आप कर सकेंगे। इसका कोई इडिकेशन 8-9 महीने की रिपोर्ट में नहीं है, अप्रैल से दिसम्बर तक की जो प्रगति की रिपोर्ट आपने दी है, उसमें कोई संकेत नहीं है। केवल इतना संकेत दिया है कि पिछले वर्ष जो एक्सपोर्ट ग्रोथ 26 परसेंट कम रहा, इस वर्ष नौ महीने के अन्दर वह 11.9 प्रतिशत ही कम रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर 37-38 परसेंट ग्रोथ रेट कम रहा है। इस तरीके से आप एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट को किस तरह से आगे कर सकेंगे ? आप काबू नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी देश के अन्दर एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाते हैं और इम्पोर्ट को कम नहीं करते हैं तब तक इकोनामी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। इन दोनों के अन्दर बैलेंस को कायम नहीं रख सकते हैं। पिछले दो साल से बराबर ट्रेड गैप बढ़ रहा है। 1980-81 मे ट्रेड गैप 5,790 करोड़ रु० का था और इस समय पिछले 8 महीने में 3,523 करोड़ रु० का है। इसको किस तरह से पूरा करेंगे, कौन से क्षेत्र को आप लेंगे ऐसी कोई इंटेन्शन आपकी रिपोर्ट या काम से नहीं मिलती है। यह बात

सही है कि जब तक आप मार्केट को ऐक्सप्लोर नहीं करेंगे और आप नहीं देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिनकी देश के अन्दर खपत होते हुए भी बाहर भेज सकते हैं, जो कि जरूरी है, क्योंकि फौरन एक्सचेंज लाना है और अपने ट्रेड बैलेंस को बनाये रखना है, तब तक काम नहीं चलेगा। कई बार कहा गया ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में एक सिस्टेमैटिक तरीके से नीति बनाइये। ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। हमारा कृषि प्रधान देश है जिसमें 80 प्रतिशत लोग खेती पर रहते हैं, उस देश के अन्दर भी मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि आपने 1980-81 में 58.05 करोड़ का गेहूं मंगाया है। 1.84 करोड़ का राइस मंगाया है, 28.9 करोड़ के अदर सीरियल्स और 20.1 करोड़ के सीरियल प्रीपरेशन्स मंगाये हैं और मिल्क और क्रीम भी 52.97 करोड़ का इम्पोर्ट किया है। जब हम चावल और गेहूं के बारे में कहते हैं कि सेल्फसफीशियेंट हैं और मिल्क के बारे में कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है मंगाने की फिर इनके इम्पोर्ट पर इतना करोड़ों रु० क्यों खर्च किया जा रहा है ? आपको गेहूं मंगाने की आवश्यकता नहीं थी, जो वेजिटेबिल्स और फ्रूट्स हैं, आपने कैजूनट्स का इम्पोर्ट किया है, हीरे जवाहरात का इम्पोर्ट किया है। ऐसे आइटम्स को जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो लग्जरी गुड्स हैं उनको आपको इम्पोर्ट नहीं करना चाहिये। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके इम्पोर्ट को आप कम नहीं कर सकते हैं, जैसे पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जितना इम्पोर्ट पर खर्च कर रहे हैं उसका 45 परसेंट केवल आयल पर खर्च होता है। लेकिन और जो दूसरे आइटम्स हैं जिनके बगैर भी काम चल सकता है उनको इम्पोर्ट नहीं करना चाहिये। आप कपड़ा भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इनफीरियर क्वालिटी का कपड़ा पहनते हैं तो देश को नुकसान नही होगा। लेकिन अगर यही आपकी पौलिसी रही तो इम्पोर्ट कम नहीं होगा। इम्पोर्ट कम करने के लिये देश के लोगों को कुछ त्याग करना पड़ेगा जो कि बहुत जरूरी है। ब्लेड के कारखानों के लिये बाहर से कोलोबरेशन करने की क्या जरूरत है। आपने कहा दिल्ली में एशियड गेम्स के समय पेड़ों पर पानी छिड़कने के लिये इटली से फव्वारे मंगाये जायेंगे। इसकी क्या जरूरत है ? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बैलेंस रखने की आपकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है।

तो किसी घर मेंएक घरवाला बाहर से खरीदता ही रहे और अपनी कुछ चीज बनाकर बाहर भेजेगा ही नहीं तो जरूरी बात है कंगाल होगा, उसकी पावर्टी बढ़ेगी। इसके लिये जरूरी है कि हम इम्पोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ावें। तभी आप पावर्टी को कम करने में सफल कदम उठा सकेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में जो आपने नीति बनाई हुई है, इससे आपको कुछ नुकसान भी हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान यह है कि काफी में जहां 45 परसेंट का आपका मायनस है, मसाले में भी 29 परसेंट मायनस है। इसी तरह काटन में 71 परसेंट, आयरन एंड स्टील में 15 परसेंट, काटन फैब्रिक्स में 8 परसेंट, जूट मैन्युफैक्चरिंग में 13 परसेंट, मैटल मैन्युफैक्चरिंग में एक्सक्लूडिंग आयरन एंड स्टील, 15 परसेंट मायनस है। तो जो आपकी मेजर आइटम्स हैं, जिनको मेन-स्टे कामोडिटीज कहते हैं, एक्सपोर्ट के नुक्तेनजर से उनका एक्सपोर्ट आपका गिर रहा है और लगातार उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसको आपको गंभीरता से लेना है और आपको सोचना है कि कौन-से मार्केट मिल सकते हैं, मिडल ईस्ट के या दुसरे कट्रीज के अच्छे मार्केट मिल सकते हैं। इनको हमें देखना और तलाश करना होगा। इसे देखने और तलाश करने के लिये आपके मंत्रालय की रिपोर्ट में

इसके लिये कोई काई प्रवाधान नही किया गया है । जो कि बहुत जरूरी है । सबसे अधिक पैसा आपको इस पर खच करना है, इसकी रिसर्च करनी है और इसे डैवलप करना है ।

इम्पोर्ट के बारे में जैसा मैंने कहा है कि पो० एल० ओ० पर 5586.87 करोड़ रुपया आपने खर्चा किया है और नान-पी० एल० ओ० पर 6847.71 करोड़ का खर्चा किया है ।

मुझे इस बात को कहते हुए दुःख होता है कि जो फर्टिलाइजर पिछले साल इम्पोर्ट किया गया उसमें से कितना आपने खर्च किया ?

मैंने कल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा है कि जो फर्टिलाइजर आपने मंगाया, उसका ज्यादा हिस्सा स्टाक में पड़ा है । उसको किसान ने उठाया नहीं, उसके रेट हाई थे और दूसरे कारण भी थे । जब तक आप अपनी खुद की डिमाड को स्टडी नहीं करेंगे, रिक्विजीशन किन-किन डिपार्टमेंट्स ने दी है, इंडैंट दिया है; अगर फर्टिलाइजर आपके यहाँ पड़ा रहता है, कोई इस्तेमाल नहीं होता है तो जो फारेन एक्सचेंज आपने उसमें इन्वैस्ट कर दिया, उससे कोई लाभ नहीं होता है, सिवाय नुक्सान के कुछ नहीं होगा । मेरा निवेदन है कि फर्टिलाइजर पर जितना एमाऊन्ट इन्वैस्ट किया है, यह ठीक है कि फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढाने के लिये बहुत जरूरी है, लेकिन पिछले साल आपका फर्टिलाईजर सरप्लस हुआ और मुल्क में उसकी कंजम्पशन गिरी है । यह भी ठीक है कि अब की बार फर्टिलाइजर की कुछ मदों पर वित्त मंत्री ने 100 परसेंट एग्जम्पशन दिया है ड्यूटी का वह एक सराहनीय कदम है इसके साथ-साथ आपको यह भी देखना होगा कि कौन-सी मदों पर आप इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं ।

इसके अलावा वैजीटेबल आयल को मंगवाने पर आपने 567.78 करोड़ रुपये लगाये हैं आयरन एंड स्टील पर आपने 779.20 करोड़ रुपये लगाये हैं । मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट पर 1572.74 करोड़ रुपये 1980-81 में खर्च किया है। इस तरह से जितनी भी इम्पोर्ट की मदें हैं उन पर आपका खर्चा बढ़ा है, किसी में कम नहीं हुआ । यह मैं मानता हूं कि यह ऐसी मदें है, जैसे मशीनरी का इम्पोर्ट आपने टेक्नोलाजी को डैवलप करने के लिये किया है । 100 परसैंट जो गुडज तैयार करके बाहर भेजते हैं, जो एक्पोर्ट ओरिएन्टेड गुडज हैं उनके लिये आप टैक्नोलाजी इम्पोर्ट करते हैं, मशीनरी इम्पोर्ट करते हैं, उसमें तो हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो ऐसी मशीनरी है जो यहां से मिल सकती है, लेकिन आप यह कहें कि एफीशियेन्ट तरीके की होगी, उसके आपको चैक करना होगा, स्पेशल सेल कायम करने होंगे । ओपन तरीके से सभी को इजाजत देते चले जायेंगे तो आप इम्पोर्ट को किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकेंगे । आपकी थ्रटस इस बात पर होनी चाहिए कि इम्पोट कैसे कम करें ।

इन 8, 9 महीने में इम्पोर्ट 11. 9 परसैंट कम हो गया है, इस तरह के इंडीकेशन्स आपने दिये हैं कि पिछले साल से यह कम हुआ है । लेकिन पिछले साल भी यह आपका ऊपर रहा था, 26 परसैंट का आपका खुद का रिकार्ड है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिये आपको कुछ नीतियां निर्धारित करनी जरूरी हैं । उसमें सबसे पहली आवश्यकता यह है कि मंत्री महोदय को अपनी टैक्सटाइल पालिसी पर दोबारा सोचना पड़ेगा । हिन्दुस्तान अपने निर्यात के लिए काटन और टैक्सटाइल फेब्रिक्स पर डिपेंड करता है । इस नीति को मजबूती के साथ स्वीकार करना है और इसके प्राडक्शन को बढ़ाना है ।

हैंडीक्राफ्टस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। राजस्थान, उड़ीसा, तामिलनाडु, गुजरात और नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैंडीक्राफ्टस की बाहर के मार्केट में बहुत बड़ी मांग है। उन्हें जितना अधिक बढ़ावा दिया जायेगा और जितने अधिक इनसेन्टिव्ज दिए जाएंगे, उतना ज्यादा फारेन एक्सचेंज हम ले सकते हैं। यह एक ऐसा फील्ड है, जो हमें अधिक से अधिक फारेन एक्सचेंज दे सकता है। इसका मार्केट भी आसानी से मिल सकता है। लेकिन एनुअल रिपोर्ट से इस बारे में कोई विशेष प्रयत्न जाहिर नहीं होता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान देंगे।

जहां तक कृषि-उत्पादन-बेजीटेबल्ज और फ्रूट-का सम्बन्ध है, सरकार की ओर से कहा जाता है कि डामेस्टिक कनजम्प्शन को देख कर उनका निर्यात किया जाता है। अगर डामेस्टिक कनजम्प्शन को कम करना जरूरी हो, अगर सब्स्टीटयूट को इस्तेमाल किया जा सके-जैसे, सब्जी को दालों से सब्स्टीटयूस किया जाए,-तो वह करना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कामोडिटी का निर्यात करने से फारेन एक्सचेंज मिल सकता है, तो उसका निर्यात जरूर करना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए यह नीति कारगार नहीं हो सकती कि अगर हमारे पास कोई सरप्लस कामोडिटी होगी, तभी उसे एक्सपोर्ट करेंगे। सरकार को अपने पर और नेशन पर कुछ न कुछ रेस्ट्रेंट लगाना होगा और किसानों को कुछ इनसेन्टिव्ज भी देने होंगे। किसान सेब, बेनाना या आम पैदा करता है, अगर वह ज्यादा पैदा हो जाता है, तो उसके भाव गिर जाते हैं। सरकार उन्हें बाहर नहीं भेजती है। सरकार को उनके लिए बाहर की मार्केट तलाश करनी चाहिए, ताकि देश को फारेन एक्सचेंज मिले।

लेदर, फुटवियर और लेदर मैनुफेक्चर का एक्सपोर्ट भी गिरा है। इस साल सरकार ने थोड़ा बढ़ावा दिया है, लेकिन दो साल से उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। इसमें हमारा देश ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज कमा सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

हमारे यहां बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस पैदा होता है जो मुल्क उसे खरीदना चाहते हैं, हम उन्हें वह चावल एक्सपोर्ट करें और फारेन एक्सचेंज प्राप्त करें। हम अपने देश में आर्डिनरी क्वालिटी या लोअर क्वालिटी का चावल कनज्यूम करें और अपनी इकानोमी को मजबूत करने के लिए अच्छी क्वालिटी के चावल को एक्सपोर्ट करके फारेन एक्सचेंज हासिल करें, इसमें गुरेज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको डेवलप करना चाहिए।

आप बहुत योग्य राज्य मंत्री हैं। आपकी योग्यता में किसी को शको-शुबहा नहीं है। आप बहुत मेहनती भी हैं। लेकिन आपका महकमा एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आपको सारे वर्ल्ड से कम्पीट करना है। जब तक आप रात के 12 बजे तक वर्ल्ड मार्केट के ट्रेंडज को स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप मंत्रालय को सही गाइडेंस नहीं दे सकते। इस बारे में अधिक से अधिक मेहनत और काम की जरूरत है। हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है, उसे कम करने की जरूरत है।

इन सुझावों के साथ में इस मंत्रालय की डिमांडज का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में भारत सरकार की ओर से एक नई आयात नीति की घोषणा की गई है। यह नीति बिना किसी उद्देश्य के नहीं लाई गई है। यह एक विशिष्ट स्थिति की पृष्ठ भूमि में लाई गई है और इसका मूल्यांकन उसी पृष्ठ भूमि मे किया जाना चाहिए। मुझे तो यह कहना चाहिये कि यह पृष्ठ भूमि विदेशी व्यापार घाटे के लड़-खड़ाते आयामों की पृष्ट भूमि है जो वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इस रिपोर्ट पुस्तक के

अनुसार 1980-81 में यह घाटा 5790 30 करोड़ का था। मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निर्यात में वृद्धि हो रही है परन्तु जहां निर्यात में 4% वृद्धि हो रही है वहीं मंत्रालय स्वीकार करता है कि आयात में 39% की वृद्धि हो रही है ।

अत: असन्तुलन का परिमाण बहुत ही स्पष्ट है और इसको स्वीकार किया जा चुका है।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : इसका पिछले समय से सम्बन्ध क्या है, यह वर्तमान समय के लिए नहीं है। यह 39% आयात 1981 का है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (बसीरहाट): हां यह भी कहा गया गया है। और मैं मंत्री को जानता हूं क्योंकि पुस्तिका में भी यह दिया गया है कि मंत्री यह कहने जा रहे हैं कि हम नये चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें निर्यात में भारी वृद्धि होने जा रही है । परन्तु इस किताब में यह भी कहा गया है कि कुछ मूल कारण हैं जो अस्थायी तथा अस्थिर नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए कि दीर्घावधि के मूल कारण हैं जो हमारे निर्यात की वृद्धि में अवरोध का काम कर रहे हैं तथा हमारे निर्यात में बाधा डाल रहे हैं। अत: यदि उत्तर देते समय उनका यही तर्क रहा कि हमारे निर्यात में वृद्धि होने जा रही है तो उनको हमें विश्व में प्रचलित प्रवृत्ति के अध्ययन से यह भी बताना पड़ेगा कि जिन कारणों को उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे निर्यातों के बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं—केवल हमारे ही निर्यातों में नहीं बल्कि लगभग सभी विकासशील देशों के—उनका मुकाबला किस प्रकार से किया जायेगा। दुनिया में चल रहे उत्तर-दक्षिण संघर्ष का यह हो हल्ला क्या है तथा एक नयी आर्थिक व्यवस्था के लिए यह सारा संघर्ष, जिसके लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक दक्षिण-दक्षिण सम्मेलन का आयोजन किया था, क्या है। अगर यह इस विषय में नहीं है तो फिर किस बारे में है ?

किसी वर्ष विशेष में सीमान्त वृद्धि हो सकती है परन्तु मूल रूप से यदि इस असन्तुलन को ठीक करना है, तो क्या केवल हमारी ही नहीं बल्कि उन विकसित देशों की भी जिनके साथ हम व्यापार करने जा रहे हैं मूल नीतियों में परिवर्तन किये बिना निर्यातों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है ?

इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि वे देश जिनके साथ व्यापार सन्तुलन हमारे प्रतिकूल नहीं है बल्कि हमारे अनुकूल में वे केवल वही देश हैं जो समाजवादी देश सोवियत रूस, तथा कुछ हद तक अफ्रीका है। इसमें यह स्वीकार किया गया है। परन्तु अन्य देशों में विशेष रूप से पाश्चात्य विकसित देशों में मन्दी की स्थिति है। और वहां पर आप अपनी वस्तुओं का निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

साथ ही अस्थिर विनिमय दरें हैं। यह यहां स्वीकार किया जा चुका है। इस सब के अलावा एक बात यह है कि वे देश जान बूझ कर तथा योजना बद्ध तरीके से अपने बाजारों में विकासशील देशों से निर्यातित वस्तुओं पर आर्थिक तथा अन्य सभी प्रकार के संरक्षण के तरीके को अपना रहे हैं। इसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में ही किया गया है। इस प्रकार से क्या आप इन सब चीजों को बदलने की स्थिति में है ?

आप किसी वर्ष विशेष में निर्यात में दो या चार प्रतिशत वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं । यह एक भिन्न मामला है। यह विभिन्न परिस्थितियों के समायोजन से हो सकता है । परन्तु मेरा

तात्पर्य यह है कि हमें इस पृष्ठभूमि में पिछले दिन घोषित आयात नीति पर निर्णय करना है और फिर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं इसके बारे में कहना है।

मेरे मतानुसार इस नई नीति में आयात स्थानापन्न अर्थात आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन्न जो हमारे नियोजकों ने बहुत पहले निर्धारित किया था, उस पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये था। इसकी बजाय नई नीति आयात उदारीकरण की नीति है जो कि इसके ठीक विपरीत है। और यह आयात उदारीकरण क्या है ? इस नीति के अन्तर्गत कच्चे माल तथा पुर्जों की 100 मदें मशीनरी की 85 मदों को ओपन जनरल लाईसैंस के अन्तर्गत रखा गया है तथा जिन इकाइयों को 100% निर्यात इकाई माना गया है उनके लिए सारा का सारा उत्पादन बाहर भेजना होता है तथा उनको जो कुछ वे आयात करना चाहें तथा जितनी मात्रा में करना चाहें के लिए 100% छूट होती है। साथ ही महोदय एक बहुत अजीब बात हुई है अब तक की आयात नीति में कम से कम जो उपयोग नहीं करते थे उनको आयात लाइसैंस नहीं दिया जाता था केवल वास्तविक उपभोगकर्ता अर्थात जो व्यक्ति उन वस्तुओं का उत्पादन में वास्तव में उपयोग करता था उसी को लाइसैंस दिया जाता था। परन्तु नई नीति के अन्तर्गत जो उपयोग नहीं करते उनको भी लाईसैंस दिया जाता है। और फिर वे उसको बाजार में काले बाजार की दरों पर बेच सकते हैं। यह एक नई बात शुरू की गयी है।

साथ ही विदेशी प्रौद्योगिकी तथा जानकारी का अबाध रूप से आयात हो रहा है। पिछले इन वर्षों में इस सभा में हमें बार-बार यही आश्वासन दिया जाता रहा है कि केवल उसी विदेशी प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी को आयात करने की अनुमति दी जायेगी जो देश में उपलब्ध नहीं है तथा उसकी अविलम्ब आवश्यकता है तथा ऐसी विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात की बिल्कुल अनुमति नहीं ही जायेगी जो हमारी देशी तकनीकी का अतिक्रमण करती है तथा देशी तकनीकी के विकास पर रोक लगाती है। मुझे यह भी कहना चाहिये कि किसी भी विकासशील देश में और भारत इसका अपवाद नहीं है हमारे अपने बहुत से देशी उद्योग है जो कि मुझे कहना चाहिए शैशव अवस्था में हैं। उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ या पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं और ऐसे देशों में उनको कुछ संरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा उन देशों से जो सौगुने शक्तिशाली हैं तथा जिनके पास बहुत अधिक संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी है प्रतियोगिता कर सकते है। परन्तु अब इस नई आयात नीति में निहित विदेशी प्रौद्योगिकी तथा जानकारी के मुक्त आपात को, मुझे नहीं मालूम कि मंत्री इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, मूल रूप से एक दम नई बात शुरू की जा रही है। विदेशी पूंजी के लिए खुले दरवाजे की नीति के स्थान पर अब विदेशी माल तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए खुले दरवाजे की नीति लाई जा रही है मुझे मालूम है कि क्या उत्तर दिया जायेगा क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी चुप रहने वाले नहीं हैं। वे इसके बारे में बहुत ही स्वतन्त्र रूप से तथा जोर-शोर से बोलते आ रहे हैं और इस नीति का इस प्रकार से विज्ञापन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसे कि यह हमारे निर्यातों पर पूर्णरूप से कोई जादू कर देगी। हमें सभी प्रकार की आश्चर्यजनक प्रौद्योगिकी आदि प्राप्त हो जायेगी। इससे हमारे निर्यातों में बहुत अधिक वृद्धि होगी। वाणिज्य मंत्रालय के सचिव तथा दूसरे सज्जन द्वारा जिनका वक्तव्य हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है, ऐसी, ऐसी सुन्दर बातें फैलाई जा रही हैं। परन्तु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये विकसित विदेशी देश हमारे जैसे देश को मुश्किल से ही सर्वोत्कृष्ट तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी देंगे। यह अच्छी तरह से सभी को विदित है। जो कोई भी अर्थशास्त्र के विषय में कुछ जानता

है उसको यह मालूम है हमेशा निम्न स्तर की तथा घटीया किस्म की प्रौद्योगिकी ही गरीब देशों को दी जाती है। अतः कोई भी देश यह साबित नहीं कर सकता कि विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात करके पर्याप्त मात्रा में अपना निर्यात बढ़ाया हो। और भारत भी ऐसा नहीं कर सकेगा।

प्रो० एन० जी रंगा० (गुन्टूर) : यह दूसरे देशों में भी हुआ है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : हां उन्होंने तत्काल ही तकनीकी को खरीद लिया था। जापान में उन्होंने एक भिन्न प्रक्रिया अपनायी थी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अब मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बड़ी पूजा करना चाहते है। यहां पर हम प्रतिदिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दस्तावेजों से ही उदधृत करते रहे हैं और उन्होंने विस्तारित व्यवस्था के अन्तर्गत भी एक मुख्य शर्त लगाई है वह यह है कि हमें बड़े पैमाने पर आयात उदारीकरण की नीति अपनानी चाहिये। इस प्रकार के तथाकथित समायोजन किये जाने चाहिएं। उस समायोजन के बिना ऋण नहीं दिया जायेगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह शर्तनामा इतनी जल्दी तथा इतने बड़े स्तर पर होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ज्ञापन में जिसको इस सदन में कई बार पहले उदधृत किया गया है पक्की तरह से यह घोषणा की है कि भारत का व्यापार घाटा अब नहीं पर 1983-84 में सर्वाधिक होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि निर्यातों में थोड़ी बहुत वृद्धि होती भी है फिर भी आयात में और अधिक वृद्धि होगी क्योंकि आप इसी नीति को अपना रहे हैं जिसमें काफी मात्रा में अतिरिक्त ऋण लेने की आवश्यकता पड़ेगी जोकि वाणिज्यिक शर्तों पर लिया जायेगा।" अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसी की भविष्यवाणी की है और आप इसी रास्ते पर चल रहे हैं अर्थात जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ऋण की अवधि खत्म हो जायेगी तो उन्होंने खुद कहा है कि आपको बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक ऋण लेना पड़ेगा जिसका तात्पर्य आपको अच्छी तरह मालूम है कि किस ब्याज की दर पर लेना पड़ेगा। मैं मंत्री का ध्यान प्राक्कलन समिति की तेईसवीं रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहूंगा जो कि हाल ही में प्रस्तुत की गयी है। मुझे लगता है कि आजकल संसद द्वारा सभा की इन समितियों की रिपोर्टों को बहुत ही कम प्राथमिकता दी जाती है। हमने कभी भी एक रिपोर्ट पर भी चर्चा नहीं की। वे छपती हैं, प्रकाशित की जाती हैं और पुस्तकालयों में रख दी जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कितनी रिपोर्टों पर गम्भीरता से विचार किया जाता है परतु कम से कम उन पर कभी चर्चा तो नहीं की जाती है।

प्राक्कलन समिति की तेईसवीं रिपोर्ट में व्यापार घाटे के बारे में एक बहुत ही रुचिकर बात कही गयी है क्योंकि एक बात जो मेरे माननीय मित्र श्री शीवराज वी पाटिल हमेशा कहते हैं वह यह है कि आयातों के मूल्यों में ये जो लगातार वृद्धि हो रही है वह पूर्णरूप से पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की वजह से हो रही है। मैं इस बात को नहीं नकारता कि श्री ओ० एल० के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। यह विश्वव्यापी तथ्य है। परन्तु यह आभास कराया जा रहा है कि यह पेट्रोलियम की वजह से है और यदि हम पेट्रोलियम को आयात-निर्यात संतुलन पत्रक से हटा दे तो आप को पता चलेगा कि स्थिति उतनी खराब नहीं है तथा हमारे निर्यात की आयात की अपेक्षा अच्छी स्थिति है। यह वास्तविकता नहीं है।

प्राक्कलन समिति की तेईसवीं रिपोर्ट में यह साबित करने के लिए कि पेट्रोलियम से अतिरिक्त भी हमारे अन्य पेट्रोलियम से भिन्न आयात में निर्यातों की तुलना में प्रति वर्ष 300 करोड़ रु०

400 करोड़ रुपये या 500 रु० तक वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक ऐसी स्थिति चलती रहती है, अनावश्यक वस्तुओं के आयातों पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। परन्तु अब जो नई आयात नीति घोषित की गयी है उसके अन्तर्गत, मुझे लगता है कि बहुत सी अनावश्यक श्रेणी की वस्तुओं के आयातों की भी खुली अनुमति दी जायेगी।

प्राक्कलन समिति ने यह भी संकेत किया है कि जिन वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं उनका इकाई मूल्य अर्थात जो हम लेते हैं, कई बार अन्य विकासशील देशों द्वारा निर्यात की जाने वाली उसी प्रकार की वस्तुओं से कम होता है। वे हमसे ऊंचा मूल्य लेते हैं। और उन्होंने यह भी कहा है—ये मेरे निष्कर्ष नहीं हैं, कि यह विशेष रूप से हमारे देश में इस वजह से है कि हमारे देश में बीजक में कम मूल्य लिखकर विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा में चोरी की जाती है। हमारे देश में व्यापारियों द्वारा बीजक में कम मूल्य लिखकर भारी मात्रा में विदेशी मात्रा की चोरी के फलस्वरूप ही विदेशी मुद्रा की भारी क्षति हो रही है और हमारी निर्यात मदों का इकाई मूल्य बहुत कम हो गया।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह बड़े लम्बे समय से हो रहा है इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः जहां तक इस नई आयात नीति का सम्बन्ध है, हमारी भारी शंकायें ठीक ही निकल रही हैं और मुझे डर है कि इससे, वास्तव में, हमारे बहुत से देशी उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। भारतीय मशीन-निर्माता उद्योग आगे बढ़ने के लिये संघर्षरत है। उसे कुछ सफलता भी मिली है। मुझे यह कहना चाहिये कि भारतीय मशीन-निर्माता उद्योग आज हमारे अनेकों उद्योगों को उत्तम कोटि के उपकरण सप्लाई करने की स्थिति में हैं, चाहे वे वस्त्रोद्योग हो, इन्जीनियरी अथवा भारी विद्युत उपकरण इत्यादि ही क्यों न हों—किन्तु यदि आप मशीनरी सहित विदेशी उपकरण मंगाने की भरमार करते रहेंगे जैसा हमारे भारतीय व्यापारियों और भारतीय उद्योगपतियों, विशेषकर बड़े उद्योगगृहों के स्वामियों ने यह धारणा बना रखी है कि वे भारतीय मशीनरी का उपयोग करने के बजाय सदा विदेशी मशीनरी का आयात करेंगे—तो इसका घातक प्रभाव भारतीय मशीन-निर्माता उद्योग पर पड़ेगा जिसे किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है, जिसे उन शक्तिशाली विदेशी बहु-राष्ट्रिकों जिनका वे मुकाबला नहीं कर सकते, द्वारा कुचले जाने से बचाने के कुछ प्रेरणा और कुछ संरक्षण की आवश्यकता है।

इसलिये, मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि यह नीति एक नितांत राष्ट्र विरोधी नीति है, हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध और इस नीति का डट-कर विरोध किया जाना चाहिये। उस नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के इस समग्र उद्देश्य, और आयात के विकल्प तथा स्वतंत्र आर्थिक विकास का विरोधी हो, जिनका इन सभी वर्षों के दौरान समर्थन करते रहने की हमसे आशा की जाती रही है और जिसके बिना कोई उद्योग खड़ा नहीं रह सकता।

चूंकि मेरे भाषण का समय समाप्त हो रहा है, इसलिये समाप्त करने से पूर्व मैं एक-दो मुद्दे उठाना चाहूंगा। वे दोनों ही मुद्दे वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित हैं जिसके बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय पहले ही हवाला दे चुके हैं किन्तु मैं पहले पटसन वस्त्रोद्योग के बारे में कहूंगा। इसके बारे में यह

कहा जाता है कि निर्यात मांग घट जाने के कारण पटसन उद्योग को भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है और मंदी तथा अन्य ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। यह कुछ हद तक सच है। मैं इसे स्वीकार करता हूं क्योंकि यह उद्योग ही इस प्रकार से विकसित हुआ है कि यह विशेष रूप से विदेशी बाजारों पर आश्रित है। इसका विकास सदा ही इस प्रकार हुआ है कि इसका अन्य उपयोग, पटसन से तैयार वस्तुओं का विविध उपयोग नहीं किया जा सकता है अथवा इसके बारे में इन मिल मालिकों ने गम्भीरता से विचार नहीं किया है और वे पूर्णरूपेण निर्यात बाजार पर आश्रित रहे हैं जो कि पहले बोरी बनाने में काम में लिया जाता रहा है और इसके बाद में कालीनों के नीचे बिछाने के लिये। और यदि किसी कारणवश अमरीका अथवा समुद्र पार के अन्य बाजारों में मांग में गिरावट आती है, तो हमें तुरन्त बताया जाता है कि उद्योग में घोर संकट है।

इसके बावजूद, उनकी अपनी रिपोर्ट के अनुसार पटसन उद्योग से हमें भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मंदी की इन स्थितियों के बावजूद पटसन उद्योग ने 1979-80 में 333 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की जबकि 1980-81 में यह घटकर 326 करोड़ रु० हो गई थी। इसका मतलब है कि निर्यात में केवल 8 करोड़ ही गिरावट आई है। किन्तु हमारे प्रयोजन के लिये निश्चित रूप से यह एक मूल्यवान तथा अत्यधिक जोखिम का उद्योग है। इस वर्ष, जिसे उत्पादकता वर्ष घोषित किया है। यह एक शोचनीय तथ्य है कि इस समय पश्चिम बंगाल में लगभग 14 पटसन मिलें बंद पड़ी हैं इसलिये नहीं कि कर्मचारियों की हड़ताल है बल्कि इसलिये कि वे नियोक्ता द्वारा तालाबन्दी अथवा कुछ अन्य कार्य किये जाने के कारण बन्द हैं और इसलिये इतनी बड़ी उत्पादन क्षमता पूर्णत: निष्क्रय और बेकार है। मुझे यह मालूम नहीं है कि इन मिलों को दुबारा चालू कराने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

इसी प्रकार, गत सत्र में, जो हाल में ही गुजरा है, कच्चे पटसन की खेती के बारे में, रिपोर्ट यह भी स्वीकार किया गया है कि गत सत्र के दौरान उत्पादकताओं का जो कच्चे पटसन का मूल्य प्राप्त हुआ है वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित 1751-रु० प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी आमतौर पर कम था। तथापि कच्चा पटसन उत्पादनकर्त्ताओं को मूल्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी मिल बंद पड़े हैं। इस रिपोर्ट से हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिये। इसका क्या उपाय है और इस उद्योग से किस प्रकार से निपटा जाये।

यहां सरकार द्वारा पटसन उद्योग के लिये कार्यबल स्थापित किये जाने का उल्लेख किया गया है। मैं इसके कुछ सदस्यों को जानता हूं। इस कार्यबल ने बहुत पहले ही फरवरी, 1981 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें 8 या 9 बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। यथा कि इस उद्योग को किस प्रकार पुन: स्थापित किया जाय और इसे आत्मनिर्भर बनाया जाये। मुझे यह कहना चाहिये कि ये बहुत ही उपयोगी सिफारिशें हैं। समयाभाव के कारण मैं उन्हें नहीं पढ़ सका हूं किन्तु इन सिफारिशों में इस बात पर मुख्य रूप से बल दिया गया है कि इस उद्योग के बारे में नये सिरे से विचार किया जाना चाहिए। इसके लिये कुछ बाजारों की खोज की जानी चाहिए, पटसन से निर्मित वस्तुओं के वैकल्पित उपयोग की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। इसके साथ इसका भी प्रयत्न किया जाना चाहिये कि किसानों को भी रेशे का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। किन्तु इस रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कार्यबल रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ। केवल इतना बताया गया

कि उस रिपोर्ट को अधिकारियों अथवा अन्य किसी समिति को भेजा गया था। मामला यहीं रुका पड़ा है और किसी को इस बात का पता नहीं है कि इन सिफारिशों को हमेशा के लिये दफनाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। पटसन उद्योग ऐसी चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसके बारेमें गम्भीरतापूर्वक विचार करें। गत वर्ष, इस आशा से कि इस उद्योग को पुनर्जीवित करने में रुचि लेंगे, उन्होंने सामान्य रूप से अधिक मिल मालिकों को अनेकों लाभ और राहत प्रदान की, उन्होंने उनको कच्चा पटसन खरीदने के लिये 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके पास नकद राशि नहीं है। इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, किसी को नहीं पता कि 70 करोड़ रुपया कहां गया।

और निर्यात राज सहायता भी 1 सितम्बर, 1981 से बढ़ा दी गई थी। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिये या तो वर्तमान मालिकों के अधीन इस उद्योग की आमूल पुनः संरचना की जाये; और यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है तो इस उद्योग को अधिगृहण कर दिया जाये। यह हमारी विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये की आय होती है। बड़े पटसन मिल मालिकों के हाथों द्वारा इसको बर्बाद और नष्ट किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अन्तिम कुछ मुद्दे सूती वस्त्रोद्योग के बारे में हैं। वास्तव में, अन्य सदस्यों द्वारा भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इसके बारे में भी मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि, इस समय, इस उत्पादकता के वर्ष के समय में भी, वास्तविकता यह है बम्बई में समस्त वस्त्र उद्योग बन्द है। आप जिसे चाहें दोष दे सकते हैं। आप सरकार चला रहे हैं। बम्बई की 64 कपड़ा मिलें, उस राज्य की कपड़ा मिलें, जहां से माननीय मन्त्री जी निर्वाचित हुए हैं, वे 64 कपड़ा मिलें जिसमें 2.5 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं, 18 जनवरी से बन्द हैं। मुझे नहीं मालूम कि इससे उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है किन्तु मैं इतना जानता हूं कि मान-मर्यादा के कारण वे अमुक-अमुक संघ से बात करेंगे, वे किसी अन्य से बात नहीं करेंगे और जिस संघ से वे बात करना चाहते हैं वे पूर्णरूपेण कर्मचारियों से अलग है तथा कर्मचारी उस संघ की बात नहीं मानते हैं। वे हड़ताल पर हैं। वे सभी चाहते हैं कि हड़ताल से निपटने के लिये उनके भी कुछ प्रतिनिधियों को बात-चीत के लिये बुलाया जाये किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है और हड़ताल जारी है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए) : यह सबसे लम्बी हड़ताल है जो बम्बई में पहले कभी नहीं हुई। यह सरकार के लिये कोई अच्छी बात नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश के दूसरे छोर पर, मेरे अपने राज्य में, सबसे बड़ी मिल, सूती कपड़ा मिल, पूर्वी भारत की मिश्रित मिल अर्थात कलकत्ता की बिरला केशोराम कपड़ा मिल, जिसमें 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, में 6 दिसम्बर से प्रबंध समिति द्वारा ताला-बंदी कर दी गई है और अब अप्रैल का महीना चल रहा है; इस बिरला केशोराम कपड़ा मिल में प्रतिदिन 2.80 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन होता है। हानि का जरा अन्दाजा लगाइये। और इस प्रकार केशोराम कपड़ा मिल को कुल कितना मुनाफा होता है। क्या इसको घाटा हो रहा था जो इसमें तालाबंदी कर दी है। 1978-79 में इसे 3,046 करोड़ रुपये का लाभ हुआ, 1979-80 में उसे 5.10 करोड़ रुपए का लाभ हुआ और 1980-81 में इसे 5.66 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। बिरला को जिस कम्पनी से इतना अधिक लाभ हो रहा है, वह सबसे

बड़ी कम्पनी जिसमें 10,000 कर्मचारी नियुक्त हैं 6 दिसम्बर से बंद कर दी गई है और आज 12 अप्रैल हो गई है किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मेरी शिकायत यह है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे ये नियोक्ता मिल पुनः चालू करें। यदि और कहीं कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो यह कहा जाता है कि वे समाज-विरोधी कार्य कर रहे हैं और इन कर्मचारियों को गैर-जिम्मेदारी से सारा देश नष्ट हो जायगा, इत्यादि इत्यादि। किन्तु जबकि ये नियोक्ता, ये शक्तिशाली नियोक्ता अपनी इकाइयों का उत्पादन बंद करने में लगे हुए हैं तो हमारी सरकार के मंत्रियों को उनके बारे में कुछ भी कहने का साहस नहीं है। कारण चाहे जो भी हो मुझे नहीं मालूम, किन्तु दुर्भाग्यवश इस समय भी चूंकि चुनाव का मौसम है।

अन्तिम मुद्दा, जो मैं यहां उठा रहा हूं वह हमारी अपनी राष्ट्रीय कपड़ा निगम से सम्बन्धित हैं, जिसके बारे में मैं ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मुझे मालूम है कि देश का सम्पूर्ण राष्ट्रीय कपड़ा निगम कठिनाई में है और इसके परिणाम बहुत निराशाजनक हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। और इसका मुख्य कारण है जिसके बारे में कोई संदेह नहीं है वह यह है कि गैर-सरकारी मिल मालिकों के दबाव में अगर इस बात की स्वीकृति दे दी है कि वे नियन्त्रित कपड़ा अथवा सस्ता कपड़ा, अपने देश के अधिकांश ग्रामवासियों के लिए जिसकी आवश्यकता है, को निर्माण करने की जिम्मेदारी और नहीं उठायेंगे। ये उत्तरदायित्व उनसे ले लिया गया है और सारा उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर थोप दिया गया है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सस्ते कपड़े, नियन्त्रित कपड़े से लाभ अर्जित नहीं किया जा सकता; लाभ अर्जित करने के लिए उसे बनाया भी नहीं जाता। लाभ प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के फाइन, सुफर-फाइन और हर प्रकार के कपड़ों का निर्माण गैर-सरकारी मिलों को दे दिया गया है राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों पर सस्ता और नियन्त्रित कपड़ा उत्पादित करने का समस्त भार डाला गया है। मेरे विचार से यही मूल कारण है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के संतुलन पत्रों में लाभ नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं तो इस समय विशेषतः राष्ट्रीय वस्त्र निगम में पूर्वी क्षेत्र के सहायक निकाय की बात कर रहे हैं जिसके अधीन पश्चिम बंगाल में भी 14 मिलें हैं। 1980-81 के गत वर्ष में ही इस सहायक निकाय को शुद्ध हानि 10.88 करोड़ रुपए की रही है जैसा कि सातवें वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लिखित उनके संतुलन पत्रों में छपा है। इस वार्षिक प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी है जिसमें एक स्थान पर लेखा परीक्षकों ने कहा है :—

"हमें बताया गया था कि निगम के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। हमारे विचार से उक्त प्रणाली इस निगम के आकार तथा किसी व्यापार के स्वरूप के अनुरूप नहीं है। इसे काफी विस्तृत करने की जरूरत है और हमें कार्यकलापों के विभिन्न-क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए।"

अब पूर्वी क्षेत्र के इस सहायक निकाय के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक श्री एस०के० बनर्जी था, जोकि वर्ष 1978-79 से इसका नियंत्रण संभाले हुए हैं। विभिन्न बेतुके तथा परस्पर विरोधी वक्तव्य देने का आरोप लगाया गया है। वह गत वर्ष तक संसदीय सदस्य के सम्मुख भी उपस्थित हुए थे, जिसके अध्यक्ष श्री आर० आर० मुरारका थे और जो विशेषतः राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मामलों और उक्त चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के बेतुके और विरोधाभाषी वक्तव्यों के बारे में अध्ययन करने के लिए कलकत्ता गई थीं तथा यदि कोई उन विरोधाभासों का स्पष्टीकरण करना चाहता है...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस समिति का नाम क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संसद की एक समिति

सभापति महोदय : कौन की समिति ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह लोक लेखा समिति अथवा सार्वजनिक उपयुक्त समिति की एक उपसमिति होगी। इसलिए ऐसा समझा जाता है कि माल को उदाहरण के लिए धागे के माल को, जो पूर्वी क्षेत्रों में इन मिलों द्वारा तैयार किया जा रहा है, को नहीं बेचा जाता है क्योंकि इसे सरकारी एजेन्सी द्वारा हथकरघा क्षेत्रों को तथा सरकारी सहकारी समितियों को तथा ऐसे ही अन्यों को बेचना होता है। किन्तु उसे प्राइवेट एजेन्सियों को बेचा जा रहा है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस पूर्वी क्षेत्र के एन० टी० सी० के सहायक उद्योग का एक मुकदमा है। 1980 का मुकदमा सं० 220 वह कोई और मामला है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस० के० राय चौधरी ने 17 फरवरी, 1981 को इस मुकदमे के फैसले की सुनवाई करते समय कुछ टिप्पणियां की थीं और मैं उनमें से एक दो टिप्पणियों का यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि वे सामान्य स्वरूप की टिप्पणियां हैं।

> "कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का पूरा लक्ष्य और उद्देश्य यह देखना है कि क्या व्यापार वाणिज्यिक मानदण्डों और ईमानदारी तथा नियंत्रित तरीके से चल रहा है। ऐसा कोई विवाद नहीं है कि उत्तरदायी कम्पनी—अर्थात् एन० टी० सी०—ने बीमार कपड़ा एककों को हाथ में ले लिया है ताकि उन्हें दक्ष और ईमानदार प्रबन्ध द्वारा नया रूप दिया जाये। लेकिन मैं इस तथ्य की न्यायिक सूचना ले सकता हूं कि यह ऐसा करने में पूर्णत: विफल हुआ है। दूसरी ओर उत्तरदायी कम्पनी के वर्तमान प्रबन्ध का दृष्टिकोण ऐसा है कि यह न्यायालय पर प्रभाव डालता है कि वे देश के कम्पनी अधिनिमय, 1956 के किसी उपबंध के अन्तर्गत नहीं आते हैं। वे जो कुछ कहते हैं, उसे यथार्थ और कानून दोनों में सैद्धान्तिक सत्य के रूप में स्वीकारना चाहिए। उत्तरदायी कम्पनी का ऊँचा और दृढ़ दृष्टिकोण वास्तव में रुग्ण है। मैं तो नहीं सोचता कि न्यायालय को किसी ऐसे तथ्य या कानून का कोई नोटिस नहीं लेना चाहिए, जिसका कोई आधार न हो और विशेषरूप से न्यायालय निपुणता पर विश्वास नहीं करेगा। तथापि, उत्तरदायी कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है और एक उच्च सशक्त प्रशासन वाली कम्पनी है जो बीमार एककों का प्रबन्ध देख रही है। क्या उन्होंने रुग्ण एककों को जीवित कर दिया है या नहीं—यह एक प्रश्न है, जिसकी जांच की जानी है।"
> वह उस विशेष मामले की परिधि में नहीं आता है।

मैं यह कह रहा हूं कि एन० टी० सी० को पूर्वी क्षेत्र के एकक में कुछ कार्य गंभीर रूप से गलत हो रहा है। उदाहरण के लिए, आय वार्षिक रिपोर्ट में देखेंगे कि उन्होंने काफी धनराशि खर्च की है, मशीनरी के आधुनिकीकरण पर लगभग 35.91 करोड़ रुपए का व्यय किया है। लेकिन मशीनरी के आधुनिकीकरण के साथ यह पता चलता है कि मशीनों का उपयोग हर समय गिरता जा रहा है। किसी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यह कैसे हो गया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : वह प्रक्रिया अभी चल रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरी जानकारी यह है कि आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया में, तकनीकी निदेशक और कुछ अन्य तकनीकी विशेषज्ञों को, जो वहाँ हैं स्थापना को ध्यान में रखकर शामिल नहीं किया जा रहा है। वे क्या कहते हैं—यह उनकी रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को मिलाकर आधुनिकीकरण समिति में दिखाया गया है। वे वरिष्ठ हो सकते हैं या और कुछ हो सकते हैं, किन्तु इस विशेष मामले में तकनीकी निदेशक और तकनीकी विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जानी है अन्यथा यह बिल्कुल अनियमित हो जाएगा।

कुछ गंभीर आरोप भी हैं, जिन्हें मैं यहां नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि वे सही हैं या नहीं, किन्तु वे समाचारों में छपे हैं—इस मशीनरी के खरीदने के लिए बार्ता में कदाचार हुए हैं। इसकी जाँच की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। संभवत: मैं नहीं जानता कि वे जवाब देने की स्थिति में हैं या नहीं। मुझे बताया गया है कि पूर्वी क्षेत्र सब्सीडियरी के कार्य ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि वहाँ उनकी आन्तरिक जाँच और लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा—शायद उनके पूर्वाधिकारी द्वारा जाँच हुई थी। मैं नहीं जानता। इसे एक सज्जन द्वारा किया गया था, जो एन० टी० सी० कम्पनी का इन्चार्ज और शायद कपड़ा विभाग का सचिव है। मेरा विश्वास है कि उन्होंने आन्तरिक जांच की है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्या वह रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि कम-से-कम इस मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री बनर्जी को तत्काल हटाया जाना चाहिए, अगर इस सब्सीडियरी को किसी तरह से बचाना है। इस सज्जन को कार्यालय में रखने से ऐसा नहीं किया जा सकता है, जिसने इसका परिसमापन किया है। यदि ऐसी कोई रिपोर्ट और ऐसी सिफारिश हो, चाहे वह गोपनीय ही हो, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं...

सभापति महोदय : अब यह गोपनीय नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : न तो पूर्व मंत्री और न ही वर्तमान मंत्री इसे कार्यान्वित कर रहे हैं या इस पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं।

मैं एक दो मामलों की ओर ध्यान दिलाना चाहता था। इस मंत्रालय की गतिविधियों के अन्तर्गत कई बातें आती हैं क्या कोई बहुत सी बातों पर बोल सकता है।

सभापति महोदय : मेरा विचार है आपने उन्हें विचार करने और कार्यवाही करने के लिए काफी सामग्री दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विचार के लिए ? मेरा विचार है इसका मतलब पाचन से है। किन्तु यह पच नहीं सकता है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी बात सुनी है। किन्तु संभवत: मेरा मुख्य सवाल उनकी मूल नीति पर है, नई आयात नीति पर जिसके द्वारा, मैं समझता हूं, वे हमारे आर्थिक विकास में अवरुद्धता ला रहे हैं।

*** श्री ईरा मोहन (कोयम्बतूर) :** सभापति महोदय वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की माँगों पर मैं अपनी पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, की ओर से कुछ शब्द कह रहा हूं।

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

नई आयात-निर्यात नीति, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है, स्वागत योग्य है क्योंकि यह वर्ष 1982 में त्वरित उत्पादन के माने हुए लक्ष्य के समरूप है और सरकार ने 1982 की उत्पादकता वर्ष के रूप में घोषणा की है।

आयात और निर्यात की इस नई नीति में संयंत्र और मशीनरी के आयात के लिए कई रियायतें दी गई हैं जिससे बाद में उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। इस बात को दोहराना बेकार है कि आर्थिक विकास की तीव्र गति सुनिश्चित करने के लिए अपने निर्यातों में वृद्धि करके हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करना है।

वस्तुत: यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वर्ष 1982 के उत्पादकता वर्ष घोषित किए जाने के बाद, भारत सरकार ने ऋण लेने की नीति की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने व्यापारियों को ओवरड्राफ्ट तथा ऋण देने से इनकार करते हैं। निर्यात करने वाले व्यापारियों के लिए अपवाद रखना आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों को, निर्यात व्यापारियों को ऋण लेने की नीति में छूट देने और उन्हें राष्ट्रीय हित में सभी आवश्यक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने चाहिए। माननीय वाणिज्य मंत्री को इस संबंध में अपने अच्छे कार्यालयों को चलाना चाहिए ताकि हमारा निर्यात व्यापार वित्त के अभाव में पंगु न होने पाए।

मुझे यह ध्यान दिलाना है कि 1981 में इंग्लैण्ड का आयात हमारे द्वारा इंग्लैण्ड से निर्यात से 100% अधिक था। वास्तव में जहां इंग्लैंड के साथ हमारे व्यापार संबंधों का प्रश्न है, व्यापार में गहरा प्रतिकूल संतुलन रहा है। हमारे वाणिज्य मंत्री द्वारा तत्काल काट-छांट करनी पड़ी और इस अनुपयुक्त स्थिति को ठीक करने के लिए कदम उठाए जाने हैं। इससे एक चौंकाने वाली स्थिति बन जाएगी यदि रुपए में भुगतान करने वाले देशों का व्यापार बहुत अधिक होता है। गैर-रुपए में भुगतान करने वाले देशों जो 'हार्ड करेन्सी' देश जाने जाते हैं, के साथ हमारा व्यापार स्थिरता से गिर रहा है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ा है। 'रूबल' और रुपए का मूल्य का संबंध निम्न है जबकि 'डालर' और रुपए और, पाउन्ड' तथा रुपए का मूल्य का संबंध ऊंचा है। हमें इस असंतुलन को ठीक करने और 'हार्ड करेन्सी' देशों के साथ अपना व्यापार सुधारने के लिए प्रभावकारी ढंग से काम करना चाहिए।

इस समय चावल मुख्य विदेशी मुद्रा अर्जन कर रहा है। जब विदेशों में बासमती चावल की भारी मांग है तो हम आई०आर० 106, परिमल चावल का अधिक निर्यात कर रहे हैं। विदेशों में बासमती चावल का मूल्य 6000 रु० प्रति टन है जबकि परिमल चावल का लगभग 3400 रु० प्रति टन है। इस पर्याप्त मूल्य के अन्तर के बावजूद हम अधिक परिमल का निर्यात कर रहे हैं। हमारा प्रयास अधिक बासमती चावल निर्यात करने का होना चाहिए ताकि हम भारी विदेशी मुद्रा कमा सकें। परिमल चावल देश के अन्दर उपभोग के लिए रखा जाना चाहिए और सारा बासमती चावल निर्यात हेतु रक्षित किया जाना चाहिए।

हाल ही में हमने 1.75 लाख टन चावल की सप्लाई हेतु सोवियत संघ के साथ एक करार किया है। भारतीय खाद्य निगम को इस विशाल निर्यात प्रयास का कार्य सौंपा गया है। भारतीय खाद्य निगम में हो रही भारी चोरी जो कई लाख रुपयों में होती है की पृष्ठभूमि में, यह अवश्य ही कुप्रबन्ध का संकेत है। मुझे संदेह है कि भारतीय खाद्य निगम अपने दायित्वों को पूरा

कर सकेगा। भारतीय खाद्य निगम की निर्यात में कोई विशेषज्ञता भी वहीं है। मुझे दुःख है कि सोवियत संघ में भारत के नाम को कलंकित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र में निर्यातगृहों की सेवाएं लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ऐसे कार्यों को हल करने में अनुभवी अधिकारी होते हैं। हमें उनकी गतिविधियों पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि हम करार के अनुसार निर्धारित सप्लाई के अपने वचन का सम्मान करें। इस संबंध में वाणिज्य मन्त्री की व्यापक भूमिका है। हम इन गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्यात संगठनों को कुछ कुछ मात्रा में सप्लाई कर सकते हैं और शेष राज्य संगठन द्वारा निर्यात किया जा सकता है। मुझे यह कहने के लिए विवश होना पड़ा है क्योंकि नैफेड जैसे निर्यात संगठन जो सरकार की देखभाल में चल रहे हैं, असफल रहे हैं। 'नैफेड' को रयाज के निर्यात का काम सौंपा गया था। निर्यात करने संबंधी यह शीर्ष निकाय यह काम नहीं कर सका और प्याज का निर्यात गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों को करना पड़ा। मल्येशिया के मामले को छोड़ कर प्याज के निर्यात का काम गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा किया गया। मल्येशिया के मामले में भी 'नैफेड' केवल 35% भाग का निर्यात कर पाया और शेष 65% भाग का निर्यात गैर-सरकारी क्षेत्र के एक निर्यात-गृह द्वारा किया गया था। वर्तमान गड़बड़ स्थिति के कारण मल्येशिया के मामले में भी प्याज के निर्यात को सरकारी माध्यम से हटाने की मांग की जा रही है। प्याज के उत्पादकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। अन्य देशों में मुख्यतः विशेषज्ञ संगठनों द्वारा ही निर्यात का काम किया जाता है। इस समय अपने निर्यात कार्यक्रम का विस्तार कर हमारा ध्येय अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने का और उसके लिए हमें सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे से चिपटे नहीं रहना चाहिए। हमें सरकारी निर्यात एजेन्सियों के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्यात संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

देश में हथकरघा वस्त्र के कुल निर्यात में तमिलनाडु का एक प्रमुख स्थान है। तमिलनाडु में लाखों लोग अपनी जीविका के लिए हथकरघा उद्योग पर निर्भर हैं। तमिलनाडु का हथकरघे का कपड़ा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन आज अरबों रुपये मूल्य का हथकरघा-कपड़ा तमिलनाडु में रुका पड़ा है। हथकरघे के कपड़े की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए हर हफ्ते नुमाइश लगाई जाती है। फिर भी विदेशी बाजार में हथकरघे के कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के मामले में भारत सरकार ने कोई विशेष रुचि नहीं दर्शायी है। विदेशों को हथकरघे के कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो तमिलनाडु के लाखों हथकरघा बुनकरों के भूख से मरने तक की नौबत आ जाएगी। इस प्रयोजन के लिए जो उपाय आवश्यक हों, उन्हें अमल में लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए।

कुछ दिनों पहले तक हल्दी के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का एक प्रमुख स्थान था। भारत हल्दी संबंधी विश्व की आवश्यकता के 85% भाग की पूर्ति करता था। इसमें से 65% भाग तमिलनाडु से प्राप्त होता था। हमारी लापरवाही के कारण चीन ने हल्दी के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को हड़प लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे टिके न रहने का कारण यह हो सकता है कि चीन की हल्दी के मूल्य कम हों। मैं यह मांग करता हूं कि हल्दी के निर्यात के

सम्बन्ध में शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए और हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर पुनः प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए ।

अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए कांडला में, बम्बई में सान्ताक्रुज और अन्य कई स्थानों पर हमारे मुक्त-व्यापार जोन हैं। सान्ता-क्रुज में इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों संबंधी मुक्त-व्यापार-जोन को अपार सफलता मिली है, गत दो वर्षों के दौरान जब भी मुझे इस विषय पर बोलनें का मौका मिला है, मैं बार-बार यही कहता रहा हूं कि इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के लिए मद्रास में मीनाबक्कम-एयरपोर्ट-जोन में, एक मुक्त-व्यापार-जोन की स्थापना की जानी चाहिए । तमिलनाडु में हमारे पास इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में कुशल आदमी हैं और इस प्रयोजन हेतु धन लगाने के लिए वहां उद्यमी भी मौजूद हैं । अब तक तमिलनाडु में एक भी मुक्त-व्यापार-जोन नहीं है । मीनाबक्कम में ऐसे जोन की स्थापना करने से ही तमिलनाडु के साथ उचित न्याय हो सकेगा । इसी प्रकार कोयम्बतूर को, जहां 105 कपड़ा मिलें हैं और हजारों इस्पात फाउन्ड्रियां हैं, भारत का मानचेस्टर कहा जाता है । वहां हथकरघे के कपड़े का भी काफी उत्पादन होता है । कोयम्बतूर के साथ ही तिरुप्पर है जो अपनी हौजिरी के कारण पूरे संसार में विख्यात है कोयम्बतूर के बाहरी क्षेत्र नीलगिरि और अनामलाई से चाय का निर्यात किया जाता है । यदि कोपम्बतूर में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना कर ली जाए, तो कोयम्बतूर संसार के नक्शे पर होगा । इससे कोयम्बतूर से किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा मिलेगा । इससे कोयम्बतूर में और आस-पास के क्षेत्रों में आवश्यक औद्योगिक ढांचा तैयार हो जाएगा, जो निर्यात बाजार के लिए उपयुक्त रहेगा, मैं यह मांग करता हूं कि कांडला या सान्ताक्रुज की तरह के एक मुक्त-व्यापार क्षेत्र की स्थापना कोयम्बतूर में की जाये ।

भारत सही अर्थों में एक प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके तीन ओर लम्बा समुद्री-तट है । तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र-प्रदेश के समुद्री-तट क्षेत्र संसार के कई देशों के समुद्री-तट क्षेत्रों से भी बड़े हैं । केवल हमारे अपने ही आर्थिक-जोन में ऐसी इतनी विपुल समुद्री-सम्पत्ति मौजूद है, जिसका अभी तक पूरी तरह से पता भी नहीं लगाया गया है । छोटे-छोटे देश भी भारत की तुलना में अधिक समुद्री-तट सम्पत्ति का निर्यात कर रहे हैं । हमारे मछुए सदियों पुराने तरीके प्रयोजन में ला रहे हैं । उनके पास ऐसी मशीनीकृत-नौकाएं नहीं हैं, जो और अधिक समुद्री-भोजन पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में जा सकने में समर्थ हों । यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि हमने अभी तक समुद्री-सम्पत्ति के निर्यात पर बल नहीं दिया है । केवल समुद्री-सम्पत्ति का निर्यात करने से ही हम अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं । अभी तक देश की इस भारी संभावना वाले क्षेत्र की हमने उपेक्षा की है । वाणिज्य मंत्री जी को इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल समुद्री-सम्पत्ति के निर्यात से ही हमारे विदेशी-मुद्रा-रिजर्व तैयार होते हैं ।

मुझे चन्दन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण समझ नहीं आए हैं । गत दो वर्षों से मैं सदन में इस बात का जिक्र कर रहा हूं । लगभग पन्द्रह दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में मुझे यह बताया गया था कि तमिल-नाडु अपना चन्दन कर्नाटक को भेज सकता है, जैसे कि कर्नाटक को चन्दन बेचने से तमिलनाडु को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाएगी । मैं इस उत्तर की तार्किकता नहीं समझ सका हूं । जब कीड़ों द्वारा खाया गया करोड़ों रुपये मूल्य का चन्दन तमिलनाडु में पड़ा हुआ है, जब काला-बाजारिए चन्दन के टुकड़े तस्करी द्वारा बाहर भेज देते हैं, तो तमिलनाडु से चन्दन का निर्यात किए जाने पर प्रतिबन्ध क्यों लगा हुआ है ? मेरी यह मांग है कि चन्दन के निर्यात पर

लगे प्रतिबन्ध को शीघ्र समाप्त कर दिया जाये। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसी हालत में जब हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, हमें चन्दन का निर्यात करना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस मन्त्रालय के कार्यकरण की एक घिनौनी हरकत के बारे में आपको बताता हूं। जब मेरी पार्टी डी० एम० के० सत्ता में थी, उस समय तमिलनाडु कपड़ा निगम द्वारा कोयम्बतूर में 13 रुग्ण कपड़ा-मिलों का अधिग्रहण किया गया था। उनमें पुनः जीवन फूंकने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए गए थे। अचानक ही इन 13 रुग्ण कपड़ा-मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने अधिकार में ले लिया, जो वाणिज्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में काम कर रहा है। इन 13 रुग्ण कपड़ा-मिलों के अतिरिक्त पांडिचेरी की एक रुग्ण कपड़ा मिल का भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अधिग्रहण किया था। जब ये मिलें गैर-सरकारी हाथों में थीं, उस समय सेवा-निवृत्त श्रमिकों, सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों ने अपनी बचतों का धन इन मिलों में सावधिक जमा के रूप में लगा रखा था। उस समय ऐसे लोगों की 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की जमा धनराशियां इन मिलों के जमा खोरों ने जमा की थीं। अब मैं समझता हूं कि हांलाकि इनकी अवधि पूरी हो चुकी है, फिर भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन छोटे-छोटे पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों की पूंजी का पुनर्भुगतान नहीं कर रहा है। कुछ विधवाएं अपनी कुल जमा-पूंजी के बारे में रोती-बिलखती मेरे पास शिकायत करने आईं। यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम सम्पन्न लोगों की जमा-राशियां नहीं लौटाता, तो मैं उसकी कोई शिकातत नहीं करता। लेकिन यह तो वास्तव में क्रूरता है कि सेवा निवृत श्रमिकों, विधवाओं, सेवा-निवृति सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों की जमा धनराशियों को नहीं लौटाया जा रहा है। भारत सरकार को राष्ट्रीय कपड़ा निगम को यह निदेश दे देना चाहिए कि वह शीघ्र ही इन लोगों की जमा-धनराशियों का पुनर्भुगतान करे।

मुझे पक्का विश्वास है कि नई आयात-निर्यात नीति के ढांचे के अन्तर्गत हम व्यापार और हमारे पास जमा महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा में उपयुक्त सन्तुलन बनाए रखने में समर्थ होंगे

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : सभापति महोदय, नई आयात-निर्यात नीति में उत्पादन बढ़ाने तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आयात लाइसैंस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किये गये हैं। मन्त्री जी ने नई आयात नीति की घोषणा करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि नई नीति के फलस्वरूप तकनीकी प्रगति के साथ-साथ देश की आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। विदेशों में बसे भारतीयों से पूंजी आकर्षित करने की दिशा में कदम उठाए गये हैं। साइंस और टैक्नोलाजी के सामान का उत्पादन करने के लिए भारत में जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें भी काफी रियायतें एवं सहूलियतें दी जाएंगी। लघु एवं कुटीर उद्योग की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार की जो ये सारी नीतियां हैं, उनका मैं स्वागत करती हूं। ये रचनात्मक नीतियां हैं और मैं वाणिज्य मंत्रालय की माँगों का समर्थन करती हूं और साथ ही साथ मंत्री महोदय का ध्यान अभ्रक उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आप भी जानते हैं और यह सारा सदन जानता है कि सारे देश में जितना अभ्रक का उत्पादन होता है, उसका 70 प्रतिशत बिहार में उत्पादन होता है। यह अभ्रक झुमरी तलैया और कोडरमा के इलाके में होता है। कुछ वर्षों से अभ्रक उद्योग में अभूतपूर्व मंदी आ गई है और छोटे और मध्यम श्रेणी के अभ्रक के उद्योग धंधे में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को काफी परेशानी

का सामना करना पड़ रहा है जबकि आज के वैज्ञानिक युग में अभ्रक उद्योग की ओर विदेश के लोगों की आखें लगी हुई हैं, हम उनकी ओर से उदासीन हो कर बैठे हैं ।

सभापति महोदय : और हम लोगों ने आंखें मूंद ली हैं ।

श्रीमती कृष्णा साही : जी, हां । मेरा कहना यह है कि इस उद्योग की क्रय नीति, उत्पादन और विकास की नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है और उस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । सन् 1978 में बिहार सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा था और उस में उन्होंने ऐसी अनुशंसा की थी कि जिस प्रकार से चाय और काफी के बोर्ड हैं, उसी प्रकार से एक अभ्रक बोर्ड की स्थापना भी की जाए क्योंकि भारत में खानों से निकाले गये अभ्रक का 90 प्रतिशत भाग कच्चे पदार्थ के रूप में निर्यात किया जाता है । इसलिए अभ्रक उद्योग का यदि आधुनिकीकरण नहीं किया गया और उस का विकास नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ी, अपार राष्ट्रीय क्षति होने की संभावना है, बल्कि हो भी रही है । अभ्रक का निर्यात पूर्णतया भारत सरकार के प्रतिष्ठान अभ्रक व्यापार निगम द्वारा ही किया जाता है और यह भारत सरकार का व्यापार निगम है, यह बड़े-बड़े व्यवसायियों से, व्यापारियों से अभ्रक खरीदता है जबकि जो छोटे व्यापारी हैं या जो मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं उन से भी उस को यह खरीद करनी चाहिए थी ताकि उन का शोषण न हो सके लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ।

इसके साथ ही साथ सब से खेद की बात तो यह है कि अभ्रक की खानों की गहराई बहुत नीची चली गई है, जिससे निजी व्यापारी अपनी धनराशि लगा कर उसे दुरुस्त नहीं कर सकते हैं । इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि वैसे छोटे व्यापारियों को ऋण दिया जाए, उनको ऋण देने की व्यवस्था की जाए ताकि अच्छे अभ्रक खाने बरबाद होने से बचाए जा सकें और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है । जहां एक ओर हम पैट्रोलियम पदार्थों और अनेक ऐसी चीजों पर विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं, वहां हम ऐसे उद्योगों की ओर भी ध्यान दें तो हमारी विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी और हमारा आर्थिक क्षेत्र भी प्रगति करेगा ।

बिहार के सिंहभूमि में लौह अयस्क होता है । उसके उत्पादन में निरन्तर ह्रास हो रहा है । यह सही है कि सिंहभूमि में जो लौह अयस्क पैदा होता है उसमें गुणात्मकता की कमी है । उसमें उतनी क्षमता नहीं है जितनी कि होनी चाहिए । फिर भी जो हमारी एम०एम०टी०सी० जैसे संस्थान हैं वे इस लौह अयस्क को ब्लेंड कर देश के अन्दर इसकी खपत को बढ़ा सकते हैं और इसे अच्छे ग्रेड के साथ मिला कर इसका निर्यात भी कर सकते हैं । आज बिहार में ये खानें बन्द होने के कगार पर हैं । अगर ये बन्द हो गयीं तो लाखों श्रमिकों को अपनी रोजी-रोटी से वंचित होना पड़ेगा और साथ ही साथ कानून और व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी ।

सभापति जी, आप जानते हैं कि बिहार में भागलपुर में तसर और मूंगा सिल्क का उत्पादन होता है । विश्व भर में उसका नाम है । हम जब विदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां के बाजारों में इसकी बड़ी मांग है । इस प्रकार हम इसके निर्यात को बढ़ा कर भी लाखों-लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं । इस वैज्ञानिक युग में जहां गुणात्मकता की होड़ लगी हुई है उसमें हम अपनी पुरानी टैकनोलॉजी के सहारे कब तक प्रतिद्वन्द्विता में ठहर पाएंगे । हमें चाहिए कि हम वैज्ञानिक ढंग से इसकी गुणात्मकता को बढ़ाएं और इस उद्योग की प्रगति करें । जहां हमारे संसाधन इतने अधिक हैं, वहाँ हम इस उद्योग की प्रगति चतुर्दिक विकास कर के भी अपने संसाधन बढ़ा सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो सकते हैं ।

मैं वस्त्र निर्यात के बारे में कहना चाहती हूं कि वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में भारत की गणना संसार के सर्वाधिक वस्त्र निर्यात करने वाले देशों में होती है। केवल परिणाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि श्रेष्ठता की दृष्टि से भी भारत बहुत बड़े पैमाने पर वस्त्रों का निर्यात करता है। भारत के वस्त्र निर्माता अत्यधिक विकसित टेकनोलॉजी का प्रयोग करते हैं। हमारी यह एक बुनियादी और पुरातन इंडस्ट्री है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस उद्योग पर बहुत निर्भर करती है। बोम्बे जैसे प्रांतों की तो यह इंडस्ट्री बेकबोन है।

लेकिन आज इस उद्योग में क्या हो रहा है ? 1981 के सितम्बर तक इस उद्योग में 22 काटन मिल बन्द थीं। फिर जनवरी से बम्बई में ही 60 काटन मिल बन्द हुए जिसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव अन्य उद्योगों पर भी पड़ रहा है। जैसे केमिकल्स डाई, हार्डवेअर पिगमेंट आदि उद्योग तो प्राय: समाप्त हो रहे हैं। हजारों लीटर दूध जो इन फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता था वह भी बर्बाद हो रहा है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और अनुशासन भंग करने वालों को कड़ी सजा दी जाए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि 1968 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना हुई थी। 1972-73 में इसने 103 बीमार मिलों को अधिगृहीत किया। 1981-82 में 112 मिलें इसके अधीन थीं। यह निगम 1974-75 से घाटे का सामना कर रहा है। दिनों दिन यह अस्वस्थ होता जा रहा है।

सभापति महोदय : इलाज भी हो रहा है या नहीं ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, यह तो इतना अधिक अस्वस्थ हो गया कि खाट पकड़ ली है। अब तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि यह बिल्कुल ला इलाज हो रहा है। हमने इसके बारे में देखा है कि 1978-79 में इसमें सवा दो अरब का घाटा था तो 1981-82 में ढाई अरब का घाटा हुआ। इस संबंध में उपमन्त्री का वक्तव्य भी देखा। 1980-81 में निगम के अधिकारियों ने यह दावा किया था कि इसमें 6 करोड़ रुपये का लाभ होगा और अब हम घाटे की घाटी से निकल चुके हैं। जो निगम 6 करोड़ का नफा देने वाला था वह कहाँ तक यह दे सका इस को हम सब जानते हैं। आज के युग में गुणात्मक प्रतिद्वन्द्विता की होड़ लगी हुई है। इसलिए इसको आधार मानकर निगम ने कहा कि इसका आधुनिकीकरण होना चाहिए लेकिन आधुनिकीकरण तो नहीं हुआ। आधुनिकीकरण के लिए ढाई अरब रुपए की योजना बनाई गई, लेकिन मशीनों को रीप्लेस करने के बजाए उन्हीं पुरानी मशीनों को रंग-रोगन करके नया रूप दे दिया गया और वे काम नहीं कर रही हैं। 50 करोड़ की मशीनें विदेशों से भी आईं, लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार की नीति है और सिद्धांत है कि गरीबों के लिए कंट्रोल का कपड़ा उपलब्ध कराया जाए और इसलिए कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन बढ़ाया गया। इसीलिए 1981 में यह बात सामने आई कि इसका उत्पादन 45 करोड़ वर्ग मीटर से बढ़ाकर 65 करोड़ वर्ग मीटर किया जाएगा और नई वस्त्र नीति के अनुसार हथकरघा उद्योग को भी प्रोत्साहन देंगे, लेकिन क्या हुआ ? आज हमारा बुनकर मुसीबत में है। सूत और रसायन महंगे हो गए हैं, इससे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी समय रहते यदि इसपर नियंत्रण नहीं हो सकेगा तो लोग बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे और अर्थ-व्यवस्था जो नष्ट हो ही रही है, साथ ही साथ रोजी-रोटी का प्रश्न भी लोगों के सामने उठेगा।

इसी संदर्भ में मैं मुकामा और गया स्पिनिंग मिल के बारे में कहना चाहती हूं जो बिहार में हैं। मुकामा में तीन वर्ष पहले स्पिनिंग मिल में एक मशीन 50 लाख की लेकर रखी हुई है और तब से वह वैसी ही पड़ी हुई है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय : केन्द्रीय सरकार की है या राज्य सरकार की ?

श्रीमती कृष्णा साही : केन्द्र सरकार की है, तभी तो कह रही हूं। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा टेकओवर किया गया था।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : वह भी बीमार थी ?

श्रीमती कृष्णा साही : वह मिल बीमार नहीं थी, यदि मंत्री महोदय जाकर देखेंगे तो उनकी तबियत खुश हो जाएगी कि 6 साल तक जब मिल बन्द थी और मैं वहां विधान सभा की सदस्य थी, उस समय उस मिल को 6 साल बाद खुलवाया गया...।

सभापति महोदय : मैं देख चुका हूं।

श्रीमती कृष्णा साही : आपने तो देखा ही है। मजदूरों ने कितनी मेहनत से हिफाजत की और उसका एक पुर्जा भी खराब नहीं होने दिया। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि देखें कि 50 लाख की मशीन आयी तो उसका एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है।

हम लोगों ने तय किया कि गरीबों को कपड़ा उपलब्ध होना चाहिये, लेकिन क्या हो रहा है, गरीबों के लिए कपड़ा बनाया जाता है, उनके लिए पूरा तामझाम किया जाता है, लेकिन उनको 15 प्रतिशत भी कपड़ा उपलब्ध नहीं होता है और निगम के कंट्रोल का कपड़ा वस्त्र उत्पादकों को दे दिया जाता है और वह शहरी क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी दुकानों में बेचा जाता है और यह सब की आंखों के सामने है। 50 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं और गांवों में रहते हैं, उन्हें कपड़ा उपलब्ध नहीं होगा इसके बारे में पहले भी लोग कह चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने जिन घाटे वाली कपड़ा मिलों को अधिग्रहीत किया है, उनको वह क्या चलाएगा जो स्वयं बीमार है, वह दूसरे को क्या संजीवनी दे सकता है। उसका क्या इलाज कर सकते हैं ? इसलिए प्राथमिक जवाबदेही है, उसकी पूर्ण करने में यह सक्षम नहीं है।

मैं कहना चाहती हूं कि जो अवेलेबिलिटी आफ फेब्रिक्स है वह बहुत नीचे चला गया है और एक्सपोर्ट आफ काटन यार्नफेब्रिक्स 31 करोड़ से घट कर 21.39 करोड़ रह गया है और 16.8 मीटर 1964-65 में पर केपिटा एविलेबिलिटी आफ फेब्रिक्स था जो 80-81 में 15.0 मीटर हो गया। कहते हैं कि आबादी बढ़ी है, लेकिन यह अजीब बात है कि एक तरफ तो कपड़े की शार्टेज आ रही है और दूसरी तरफ इनके भण्डार में इतना कपड़ा हो गया है कि लोगों के लिए सिरदर्द हो गया है कि उसकी खपत कहां की जाए। विरोधाभास की तरह यह लगता है। अभी हमारे देश की स्थिति को आप देखें। कपड़े के एक्सपोर्ट की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। उस तरफ से व्यापारी ध्यान हटा रहे हैं। अच्छे ढंग का और आधुनिक ढंग का पकड़ा बना तो रहे हैं, हमारी मिलें बना तो रही हैं लेकिन उसको वे अपने देश में ही बेचना चाहते हैं, विदेशों में भेजना नहीं चाहते हैं। नतीजा यह है कि हमारे देश में छोटे छोटे व्यापारी जो कपड़ा बनाने के काम में लगे हुए हैं वे इनके कम्पीटीशन में टिक नहीं पा रहे हैं। बड़े उद्योग वाले अगर बाहर कपड़ा भेजें तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और विदेशी मुद्रा की बचत ही नहीं होती बल्कि उस

में बढ़ोतरी भी हो सकती है और साथ ही साथ छोटे उद्योग धंधे भी चालू रह सकते हैं। यही मुख्य बिन्दु थे जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी।

अन्त में एक बात मैं कहना चाहती हूं। मेरा क्षेत्र आधा मौकामा में पड़ता है जहां स्पिनिंग मिल है। आप देखें कि वहां क्या विकास हो सकता है। यह बिहार प्रान्त की ही बात नहीं है बल्कि सारे देश की बात है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अशफाक हुसैन : (महाराजगंज) कामर्स मिनिस्ट्री या वजारते तजारत दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक का नाम है डिपार्टमैंट आफ कामर्स और दूसरे का नाम है डिपार्टमैंट आफ टैक्सटाइल्ज। वक्त की कमी को देखते हुए मैं अपनी बात ज्यादातर डिपार्टमैंट आफ टैक्सटाइल के बारे में ही कहूंगा। कामर्स के बारे में थोड़ा सा इशारा जरूर करूंगा, आपकी मार्फत।

जो बजट मांगें रखी गई हैं उसमें खास तौर से हैंडलूम का जो मुकदमा है उसकी अव्वाम के नुमाइंदों की सबसे बड़ी अदालत में मैं रखना चाहता हूं। मेरी समझ के मुताबिक हैंडलूम के साथ नाइंसाफी बरती गई है बावजूद इसके कि बार-बार यह कहा जाता है कामर्स मिनिस्ट्री की तरफ या सरकार की तरफ से कि उसका खास ध्येय, खास ताल्लुक हैंडलूम की तरक्की करने का है। मौजूदा हकूमत बराबर यह दावा करती रही है कि हैंडलूम और दस्तकारी को बढ़ावा देना उसका खास मकसद रहा है। जो बीस नुक्काती प्रोग्राम, बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था उसमें भी हैंडलूम और घरेलू दस्तकारियों की तरक्की के काम का जिक्र किया गया था और जो नया बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है उसमें भी कहा गया कि हैंडलूम का एक खास मुकाम होगा। लेकिन हुआ क्या है ? नए बीस सूत्री कार्यक्रम के मुकाबले में कम अहमियत दी गई है। पहले बीस सूत्री कार्यक्रम में हैंडलूम के बारे में दो प्वाइंट खास तौर से थे लेकिन अब नए बीस सूत्री कार्यक्रम में आखिर में एक प्वाइंट को रस्मन, एक नुक्ते को रस्मन हिस्सा बना दिया गया है। रस्मन मैं इसलिए कहता हूं कि इसका सबूत इस साल का वजारते तजारत का बजट है। गुजरता साल के मुकाबले में इस साल बजट एस्टीमेट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से नम्बर 2 पर बजट एस्टीमेट्स में साफ तौर से कहा गया है:

> "वर्ष 1981-82 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 1982-83 के बजट अनुमानों में 80.12 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है।"

यानी इस साल हैंडलूम की मद में 80 करोड़ 12 लाख 39 हजार रु० रिवाइज्ड एस्टीमेट्स से कम कर दिया गया। तो आप खुद देखेंगे मेरी बात सही है या गलत है। हर मद की तफसील में तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन इतने रु० नये 20 सूत्री कार्यक्रम के लाने के बाद ही यह पहला बजट है जिसमें हकूमत ने हैंडलूम और दस्तकारों के साथ अपनी हमदर्दी का सबूत दिया है इस 80 करोड़ रु० को कम कर के। जब यह इब्तदा है तो इंतहा क्या होगी आप खुद अंदाजा लगा लें और वह भी नए 20 सूत्री कार्यक्रम के ऐलान के बाद।

प्रो० एन० जी० रंगा : (गुंटूर) हथकरघा-वस्त्रों का निर्यात बढ़ रहा है।

श्री अशफाक हुसैन : हैंडलूम की सनत की सूत और केमिकल के मुनासिब दाम पर फराहमी के लिये 1980 में ऐलान किया गया था नेशनल हैंडलूम डेवलपमैंट कारपोरेशन बनाया जाएगा। बजट में भी पैसा रखा गया, लेकिन 1980 के बाद 1981-82 और 1982-83 में अभी भी नेशनल

हैंडलूम डवलपमैंट कारपोरेशन किस स्टेज पर है यह पता नहीं है। और उसकी तरक्की इस तरह से हो रही है कि इस साल की बजट मांगों में इस मद में पहले रखे गये 2 करोड़ रु० की जगह इस साल उसे घटा कर 75 लाख 70 हजार रु० कर दिया गया। तो कथनी और करने में कितना फर्क है यह इससे साफ जाहिर होता है क्या 1 करोड़ 24 लाख 30 हजार रु० की रकम कम करने का मतलब यह लगाया जाय कि हुकूमत इस कारपोरेशन को वजूद में लाने में तेजी दिखा रही है या इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल रही है ? हैंडलूम की फरोख्त के लिये सूती मिलों पर जिम्मेदारी डाली गयी कि बाजार में फरोख्त करने के लिये 50 फीसद सूत हैंडलूम के लिये तैयार करें और इस 50 फीसद सूत में से 85 फीसद सूत 40 नम्बर और उससे नीचे के नम्बरों में तैयार होगा। लेकिन पोजीशन क्या है। 10 लाख 67 हजार किलोग्राम सूती धागे में से सिर्फ 2 लाख 60 हजार किलोग्राम हैंडलूम के लिये तैयार किया गया 1981-82 में। ऐसी पाबन्दी लगाने से क्या फायदा जिस पर अमल की जिम्मेदारी लेने के बाद भी अमल न होता हो ? यही वजह है कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमैंट कारपोरेशन अभी तक वजूद में नहीं आया और इस साल उसके लिये रुपये भी कम कर दिया गया। हैंडलूम के मुनासिब दाम की फराहमी के लिये जरूरी है कि 50 फीसद और 85 फीसद की जो कानूनी पाबन्दी 1978 में लगाई गई है उस पर सख्ती से अमल किया जाय। अगर आप अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं तो मिलों पर पाबन्दी लगानी होगी कि मुकर्रर मिकदार में सूत हैंडलूम के लिये तैयार करें। और मेरा सुझाव है कि जब हम चीनी और सीमेंट की दोहरी नीति अपना सकते हैं तो हैंडलूम के धागे की फराहमी के लिये भी क्या दोहरी नीति नहीं अपना सकते हैं ? इस पर मंत्री जी विचार करें और साफ जवाब दें।

हैंडलूम के लिये दूसरी अहम जरूरत इसके लिये किए दायरे पर सख्ती से अमल करना जरूरी है। क्षेत्र बना दिये गये कि हैंडलूम, पावरलूम और मिलों पर यह कपड़ा बनेगा। लेकिन क्या उस पर अमल होता है। हो यह रहा है कि जो कपड़ा हैंडलूम पर बनना चाहिये वह खुले आम पावर लूम पर बन कर बाजार में आ रहा है, और पावर लूम पर बनने वाला कपड़ा मिलों के द्वारा बनाकर बेचा जा रहा है। किसी भी पाबन्दी पर कोई अमल नहीं हो रहा है। कागज पर हो तो हो। इन दोनों की दखलन्दाजी से महफूज रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसमें कोताही और ढिलाई हुकूमत बरत रही है। मौजूदा टैक्सटाइल पालिसी में यह ढिंढोरा पीटा गया है कि हैंडलूम को इज्जत का मुकाम दिया गया है। नायब वजीर साहब, डिप्टी मिनिस्टर साहब का जो भाषण हुआ है, मैं तो तीन साल से भाषण सुनता आ रहा हूं कि हैंडलूम को इज्जत का मुकाम दिया गया है, लेकिन वह देखने में नहीं आ रहा है।

यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की कपड़े की सारी जरूरत हैंडलूम से पूरी की जायेगी। लेकिन कंट्रोल्ड कपड़े में, जनता साड़ी में, हेंडलूम सब्सीडी १ रुपये ५० पैसे फी स्क्वेयर मीटर दी जाती है जब कि एन टी सी मिलों को इस तरह की साड़ी के लिये 2 रुपये साड़ी दी जाती है। हैंडलूम का जो कपड़ा तैयार होता है, वह गरीब तैयार करते हैं और गरीबों के लिये तैयार करते हैं लेकिन उनको बढ़ावा देने के लिये सब्सीडी सिर्फ डेढ़ रुपया दी जाती है और एन टी सी जब वही कपड़ा तैयार करता है तो धोती-साड़ी के लिये उसको 2 रुपये की सब्सीडी दी जाती है यह फर्क क्यों है, मुझे मालूम नहीं, मंत्री जी को इस बारे में बताना चाहिये।

यह इसलिये भी हो सकता है कि एन टी सी मिलें सरकार की हैं और उनका घाटा नफा देखने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और गरीब बनुकर जो देहात में रहता है, जिसका ताल्लुक

कमजोर तबके से है, गरीब तबके से है, इसलिये उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। हैंडलूम के बुनकरों को अमली सबूत देना है तो आपको पहला काम यह करना चाहिये कि जो सब्सीडी हैंडलूम को देते हैं वह एन टी सी से बढ़ाकर दें। अगर एन टी सी को 2 रुपये देते हैं तो हैंडलूम को ढाई रुपये दें। पिछले साल के मुकाबले हैंडलूम और एन टी सी को दी जाने वाली सब्सीडी की रकम कम कर दी गई है। सब्सीडी कम करने का मतलब यह है कि हैंडलूम का कपड़ा भी कम तैयार होगा। जो कपड़ा जनता कपड़े के नाम से कहा जाता है, सबसे ज्यादा रकम इस मद में इस साल आपने कम कर दी है। आप तो लायक हैं, होनहार और नौजवान हैं और आपसे बहुत सी उमींदें बावस्ता हैं, इसलिये आपको खासतौर से समझना चाहिये कि इस साल जो आपने रुपया सब्सीडी की मद में दिया है, वह करीब 57.50 करोड़ पिछले साल के मुकाबले में कम कर दिया है। इस तरीके से करीबन 58 करोड़ रुपया कम करने से क्या हैंडलूम की बढ़ावा मिलेगा, इस तरह से हैंडलूम की हमदर्दी का यही अमली काम है ?

1980-81 और 1981-82 के बजट में हैंडीक्राफ्ट के मद में 5 करोड़ 5 लाख रुपये कालीन ट्रेनिंग सैंटर के नाम पर रखे गये जो कि इस साल बिल्कुल खत्म कर दिये गये। पता नहीं कहां इसको मर्ज कर दिया गया है ? हैंड निट कार्पेट, जो देहात के गरीब बुनकर तैयार करते हैं, उनके ऊपर से सरकार की नजर कुछ फिर गई है, क्योंकि पहले ट्रेनिंग के नाम पर जो रुपया मिलता था, उससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता था और इस हैंड निट कार्पेट से हम सीधे-सीधे एक तरफ विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे और दूसरी तरफ देहात के बुनकरों को फायदा होता था।

हमारा मुल्क अपनी दस्तकारियों के लिये बहुत मशूहर है, चाहे उत्तरप्रदेश में मुरादाबाद के वर्तन हों, अलीगढ़ के ताले हों, सहारनपुर का लकड़ी का काम हो या काश्मीर का आइवरी का काम हो या ईस्ट में बांस का काम किया जाता है। इस साल के बजट में इन दस्तकारियों में जो आपने 10 करोड़ 49 लाख रुपया रखा है, यह इस बात का सबूत नहीं देता है कि आप दस्तकारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिये जरूरी है कि दस्तकारों और हैंडलूम के साथ जो अब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसमें आप कमी करें, उसे खत्म करें। उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए। चूंकि वे कमजोर और पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें और प्रोत्साहन और प्रोटेक्शन देनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करें।

श्री अशफाक हुसैन : मैं मांग करूंगा कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की एक अलग से वजारत कायम की जाए।

जो नई ऐक्सपोर्ट पालिसी घोषित की गई है, बहुत से साथियों ने उस पर कहा है और आपने भी कहा है कि वक्त कम है, इसलिए मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की तकरीर को पूरी तरह से रिपोर्ट करते हुए उसमें और कुछ जोड़ना नहीं चाहता।

गारमेंट्स के एक्सरिपोर्ट के सिलसिले में एक नया ऐलान अखबारों में देखने को मिला है, जिसमें गारमेंट्स और फेब्रिक्स के सभी तरह के कोटे को खल्तमल्त कर दिया गया है, एक में मिक्स कर दिया गया है। इससे हैंडलूम और फेब्रिक्स का खसूसी कोटा खत्म हो गया है। इससे हैंडलूम और दस्तकारियों को नुकसान पहुंचेगा।

ऐपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल के घपलों की तरफ इशारा करते हुए और उसके ओहदेदारों की बद-दियानती की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए मैं कहूंगा कि उसके बारे में खसूसी तवज्जुह दी जाए।

जहां तक जूट का ताल्लुक है, यह आपकी रियासत से ताल्लुक रखता है।

सभापति महोदय : बंगाल और कुछ हद तक बिहार।

श्री अशफाक हुसैन : वहां पर दो जूट मिल हैं। कटिहार जूट मिल को बदइन्तजामी की वजह से सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और उम्मीद है कि अब वह सही रास्ते पर चलेगी। लेकिन जो दूसरी मिल वहां पर है, उसको कलकत्ता के कोई सेठ चमरिया चलाते हैं। वह इस जूट मिल पर कम ध्यान देते हैं और कलकत्ता में अपने चमड़ा उद्योग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मजदूरों की कई महीने की तन्ख्वाह और ग्रैच्युटी फंसी हुई है। उनका बोनस भी रुका हुआ है। डेढ़ करोड़ रुपए की रकम उन पर बाकी है। इस मिल को नेशनलाइज किया जाए, ताकि मजदूरों को मजदूरी मिले और जूट उद्योग की भी तरक्की हो।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा (जामनगर) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। ऐसा करते समय मैं अपनी टिप्पणियां हल्के फुल्के तौर पर व्यापार और कुछ चुने हुए पदार्थों तक सीमित रखूंगा।

यह सुखद बात है कि गत कुछ वर्षों से भारत में यह अनुभव किया जा रहा है कि विकासशील भारत लातीनीअमेरिकी देशों के आर्थिक सम्बधों को सुधारने की काफी सम्भावनाएंहैं।

ये प्रयास पांचवीं दशाब्दि के आरम्भ में उस समय शुरू हो गए थे, जब भारत सरकार ने ब्युनस आयर्स, अर्जेन्टीना में व्यापार-आयुक्त का कार्यालय खोला था। पिछले इन प्रयासों के बावजूद लातीनी अमेरिकी देशों के साथ हमारे आर्थिक सम्पर्क उस समय तक वास्तव में शुरू नहीं हुए थे; जब वर्ष 1968 में हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा की थी। उसके बाद से ही यू०एन०सी०टी०ए०डी०, टी०सी०डी०सी० आदि जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समुदायों में भारत द्वारा अधिक से अधिक भाग लिए जाने से लातीनी अमेरिकी देशों को भारत की आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति को देखने और उसकी प्रशंसा करने के अवसर प्राप्त हुए।

विश्व मुद्रा पद्धति के सम्भावी समाप्ति और निरन्तर मंदी ने भारत को अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धों को विस्तृत करने के लिए बाध्य कर दिया। विकासशील देशों की हाल में नई दिल्ली मेंहुई मंत्रणा-सभा का उद्घाटन करते समय हमारी प्रधान मन्त्री से विकासशील देशों के बीच, एक व्यापक आन्दोलन के रूप में, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर उचित ही बल दिया था।

इन सब प्रयासों के बावजूद मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि भारत-लातीनी, अमेरिकी देशों के व्यापार संबंधों में कोई ठोस उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी है।

कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए मैं समझता हूं कि इन बातों में वर्तमान स्थिति का जायजा मिल जाएगा।

भारत और लेटिन अमरीका के बीच व्यापार बढ़ाने में सीधी नौवहन सेवा का अभाव रहा है। जबकि दक्षिणी अमरीका तक के माल को प्राप्त करने हेतु भारतीय जहाजरानी निगम की

वर्तमान नौवहन व्यवस्था सिंगापुर में माल उतारने की सुविधा के साथ असन्तोषजनक सिद्ध हुई है, किन्तु जहाजरानी निगम का दक्षिण अमरीका के साथ गठबंधन करने का प्रस्ताव तथा कोलोम्बिया द्वारा भारत के साथ सीधी नौवहन सेवा शुरू किए जाने की घोषणा सही दिशा में सफल प्रयास है। मुझे भारत के लेटिन अमरीका को परम्परागत तथा गैर-परम्परागत निर्यात की अच्छी सम्भावनाओं को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेटिन अमरिका के नए अनेक व्यापारिक शिष्ट मण्डलों ने व्यापार के क्षेत्रों में सम्भावनाओं का पता लगाया है।

इसी प्रकार, लेटिन अमरीका भी भारत की आयात संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, जिनमें से पेट्रोलियम, अलौह धातु तथा कच्चे हीरे महत्त्वपूर्ण हैं। भारत ने कच्चे पेट्रोलियम के लिए मैक्सिको तथा वेनेजुला के साथ करार किए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये करार भारत और लेटिन अमरीका के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान की शुरूआत होंगे।

छठे दशक के मध्य में जब मैक्सिको से मत्स्य पोतों का आयात किया था, तब उचित कदम उठाया गया था। किंतु उसके बाद में, इन देशों के साथ सुदृढ़ सम्पर्क स्थापित नहीं किए गए। लेटिन अमरीका के पास काफी विकसित मत्स्य उद्योग हैं।

पेरू मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। लेटिन अमरीका में टुना, झींगा तथा सभी प्रकार की मछलियों का उत्पादन होता है। फिर भी हम मछली उद्योग के क्षेत्र में लेटिन अमरीकी देशों के साथ एक भी संयुक्त क्षेत्र में करार करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, भारत के लिए यह काफी लाभदायक बात होगी कि वह ब्राजील द्वारा ईंधन मोटर गाड़ियों से लिए सीरे पर आधारित अल्कोहल के उपभोग के प्रयोगों की सम्भावनाओं का पता लगाए। भारत में भी इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान है, जबकि प्रयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ब्राजील द्वारा अपनी ईंधन आवश्यकताओं का 20% ईंधन सीरे से उत्पादन अल्कोहल से पूरा कर रहा है।

लेटिन अमरीकी देशों द्वारा पश्चिम में खरीदी जाने वाली प्रौद्योगिकियां पूंजीगत हैं। वे इस क्षेत्र के अनेक देशों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भारत अनेक लेटिन अमरीकी देशों के लिए कटि-बंध श्रमोन्मुख प्रौद्योगिकी की सप्लाई करके इन देशों के बीच निश्चित रूप से प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है।

हमारे दूतावासों में वैज्ञानिक अटैचियों को तैनात करके प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मूलभूत स्तर पर आदान-प्रदान के कार्यक्रम तथा विशेषज्ञता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के बीच इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है।

यदि विभिन्न व्यापारिक तथा वाणिज्यिक अधिकारियों को विशेष महत्त्व दिया जाए तो उचित होगा। मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कुछ अमेजोनियन देशों ने भारतीय भैंसों की मांग की है। किन्तु मुझे बताया गया है कि विचारों के आदान-प्रदान में विलम्ब के कारण कोई परिणाम नहीं निकले हैं। पशु पालन तथा कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सहयोग की अच्छी सम्भावना है।

यह मानना भ्रांति होगी कि जब तक हम लेटिन अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने हेतु समय निकालेंगे तब तक लेटिन अमरीका प्रतीक्षा कर पायेगा। जापान और कोरिया ने कनाडा का अनुसरण किया है।

लेटिन अमरीका में हमारे लिए एक और लाभ विद्यमान है। उनमें हमारे इतिहास और संस्कृति में सामान्य सहानुभूति तथा अनुशंसा विद्यमान है। हमारे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। इसके विपरीत, भारत का स्वागत किया जाएगा क्योंकि भारत किसी गुटबन्दी वाले देश से सम्बन्ध नहीं रखता।

हमें लेटिन अमरीका को अपने व्यापारिक तथा सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल अवश्य भेजते रहना चाहिए। इस क्षेत्र के साथ हमारे सम्बन्धों में अवश्य सुधार होना चाहिए।

सरकार को लेटिन अमरीका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीयों द्वारा व्यापार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। इस कार्य के लिए प्रोत्साहन सम्बन्धी एक योजना तैयार की जानी चाहिए। यदि प्रोत्साहन दिए गए तो भारतीय व्यापारी अवश्य ही इन सम्भावनाओं का लाभ उठाएंगे।

संक्षेप में में इस बात को पुन: दोहराऊंगा कि भारत और लेटिन अमरीका के बीच द्विमुखी व्यापार और आर्थिक सहयोग पर और अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत और लेटिन अमरीका के बीच पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों की बड़ी सम्भावनाएं मौजूद हैं जो स्पष्ट हैं।

तथापि जिस बात पर जोर दिया जाना जरूरी है, वह यह है कि सरकारी, व्यापारिक और शैक्षणिक स्तरों पर और अधिकाधिक व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्कों के माध्यम से एक-दूसरे को भली प्रकार से समझने के लिए सचेष्ट प्रयासों के साथ नीति बनाये जाने का है।

हमारे देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनके बारे में भारत की आधुनिक तस्वीर पेश किए जाने की वास्तव में आवश्यकता है।

भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी में अनेक बार यह आश्वासन दिया है कि लेटिन अमरीका क्षेत्र के साथ व्यापार और आर्थिक सम्बंधों के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि भारत में व्यापार और उद्योगों को उपलब्ध अवसरों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुविधायें और सहयोग दिया जाएगा।

मुझे आशा है कि हमारी सरकार लेटिन अमरिका और कैटीबीघन देशों, जिनमें से अनेक देशों की भी यही आकांक्षा है, के साथ व्यापार और आर्थिक सम्बंधों के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगी।

अपने देश के बारे में पुन: बात करते हुए मैं माननीय मन्त्री का ध्यान खजूर के आयात और प्याज की निर्यात की नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। यह छोटे लोगों, तथा नौका-स्वामियों की सहायता के लिए आरक्षित मद थी। यह नौका-स्वामियों के लिए पारम्परिक व्यापार रहा है। किन्तु हाल ही में बड़ी जहाजरानी कम्पनियों को भी खजूर का आयात करने की अनुमति दे दी गई है। जबकि दुबई तथा अन्य स्थानों पर छोटी नौकाएं उपलब्ध हैं। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी इस नीति को स्पष्ट करें और हमें बतायें कि हमारी सरकार की इस नीति से क्या नौका-उद्योग को एक आम व्यक्ति और छोटे आदमी का उद्योग है, को बचाया जाएगा अथवा नहीं।

मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में बात करते हुए, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में अपने प्राधिकार क्षेत्र को अन्य तटों, यथा सौराष्ट्र का तट, और एक छोटा गांव वेदनार को पहले से ही तट दूर कांडला परियोजना

के एक अंश के रूप में विस्तार करके शामिल किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमें बताये कि क्या वे मुक्त व्यापार क्षेत्र के विस्तार को बढ़ने देगी, जिससे कि वेदर्नार क्षेत्र को भी मुक्त व्यापार क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल किया जा सके।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : (निजामाबाद) महोदय, मैं इस सदन के दो युवा व्यक्तियों को इस महत्वपूर्ण मंत्रालय का भार सौंपने के लिए माननीया श्रीमती गांधी को बधाई देता हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री जी को सुयोग्य सहायक उपलब्ध किए गए हैं, और सुयोग्य अधिकारियों, जो सम्पूर्ण विश्व का दौरा कर चुके हैं और जो संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर भी कार्य कर चुके हैं द्वारा मंत्री जी के आदेशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अपना भाषण शुरू करने से पूर्व, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की एक बात का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कलकत्ता की केशवराम टेक्सटाइल और जूट मिलों का उल्लेख किया है, जिसमें 10,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं, और वहां पर हड़ताल चल रही है। यह फैक्टरी 3 से 4 करोड़ रु० का मुनाफा कमा रही थी। इसी फैक्टरी के प्रबंध में यथा केशवराम मिल की मेरे राज्य में एक सीमेंट फैक्टरी भी है। उस फैक्टरी की क्षमता 15 से 20 वर्षों में ही 300% बढ़ गई है। यह फैक्टरी भी 2 करोड़ से 3 करोड़ रु० का मुनाफा कमा रही है और और इसका उत्पादन 12% से अधिक है। दो विभिन्न राज्यों में इनका एक ही प्रबंध-मंडल है। अन्तर किस बात का है ? मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और इसके नेताओं के साथ कुछ गड़बड़ी है। किन्तु, मेरे राज्य में मेरी सरकार श्रमिकों को सभी सहायता देती है और श्रमिकों को अधिक उत्पादन हेतु बहुत प्रोत्साहन मिल रहे हैं। वहां पर कोयले और बिजली की कमी भी है। इसके बावजूद उत्पादन 120% से भी अधिक हुआ है। वहां के प्रबंधकों के कारण ऐसा हो पाया है। केवल इसीलिए कि वह बिरला है, हमें उनकी आलोचना ही नहीं करते रहना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे कम्युनिस्ट सदस्यों की यह आदत बन गई है। उन्होंने बम्बई में हड़ताल का भी उल्लेख किया है। ऐसा मंत्री जी जानते हैं और भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं जो महाराष्ट्र राज्य जो हमारे देश में अव्वल दर्जे का राज्य है, के निर्माण में, दिन रात जुटे रहे हैं...

सभापति महोदय : मेरे विचार से वे अब सम्पूर्ण देश के बारे में योजना बना रहे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अब वे सम्पूर्ण देश के लिए योजना बना रहे हैं। किसी समय वे आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक सीमित थे। वे मेरे राज्य से हैं और मेरे विश्वविद्यालय के ही हैं। मैं जो कुछ समझता हूं, वह यह है कि चूंकि मैं भी महाराष्ट्र का लगातार दौरा करता रहा हूं। उन्होंने एक हिंसक स्थिति पैदा कर दी है। लोग काम पर जाने से घबराते हैं। अब मैं केन्द्र से और महाराष्ट्र सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करें और उन्हें उनकी सुरक्षा का वचन भी देना चाहिए। तब सभी मिलें तुरन्त उत्पादन शुरू कर सकेंगी।

एक अच्छी बात यह है कि भारत से अन्य देशों को अनेक वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। हमारे अधिकारी, राज्य व्यापार निगम और धातु तथा खनिज व्यापार निगम बाजारों का पता लगाते हैं, और अकस्मात किसी दिन किसी मद का निर्यात रोक दिया जाता है और बाजार का पता लगाने के हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि जब कभी वे किसी बाजार का पता लगाते हैं, हमें उसे पूरा करना चाहिए हमें वस्तुओं की सप्लाई अवश्य करनी

चाहिए। हमें विश्वसनीय सप्लायर होना चाहिए। जब हमारे विपुल मात्रा में माल है, हम अधिकाधिक निर्यात करेंगे।

चीनी का ही उदाहरण लीजिए। वास्तव में चीनी ने ही हमारे विदेशी मुद्रा के भण्डार का निर्माण किया है क्योंकि हमने इसका निर्यात किया है। एक बार, मैं स्वयं बसन्त दादा और वर्तमान सदस्य माननीय श्रीमती गांधी के पास गये और उनसे अनुरोध किया कि वे चीनी का निर्यात करें। उस समय हमने 460 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा तथा 150 करोड़ रुपये लाभ के रूप में कमाए। उस समय यही आधार था। बाद में, खाड़ी का आन्दोलन और अन्य परिस्थितियां सामने आईं और विदेशी मुद्रा का हमारा भण्डार 5000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दुर्भाग्य से जब जनता सरकार आई, उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। तब हमने एक करोड़ टन खाद्यान्न का भण्डार बनाया था। उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया और कमी की स्थिति पैदा कर दी।

सभापति महोदय : (श्री हरीनाथ सिंह) राशि मैं समझता हूं कि यह राशि 2 करोड़ थी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं हमारे गोदामों में बचे शेष भण्डारों की बात कर रहा हूं। दो करोड़ का बढ़ाया था मगर एक करोड़ गोदाम में था।

शुगर को ले लीजिए। जब मैडम गांधी पावर में आई 1980 में, तो शुगर का प्रोडक्शन हमारे देश में 36 लाख टन था लेकिन मैडम की पालिसी की वजह से यह 52 लाख टन हो गया।

सभापति महोदय : गन्ने को जला दिया जाता था खेतों में।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उसकी वजह से प्रोडक्शन गिर गई, सभापति जी।

सभापति महोदय : में उसी पृष्ठभूमि में कह रहा हूं कि शुगर की कमी हो गई थी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इस साल 75 लाख टन शुगर पैदा होने वाली है। 75 लाख टन हमारा प्रोडक्शन होगा और मैक्सीमम कन्जम्पशन हमारे यहां 55 लाख टन होगा। बाकी जो सरप्लस प्रोडक्शन है, वह 20 लाख टन होगा। इन्टरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिहाज से करीब 7 लाख टन शुगर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मंत्री जी यह जो 13 लाख टन शुगर और बचेगी, इसका क्या होगा और आयन्दा भी इतनी ही शुगर पैदा होगी या इससे ज्यादा हो सकती है और इसमें महाराष्ट्र ने लीड ली है। हमारे मंत्री जी ने गांव-गांव में जाकर वहां पर काआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लगाईं और जहां पहले शुगर के मामले में यू० पी० नं० 1 पर था वहां अब महाराष्ट्र हो गया है।

एक बात और कहूंगा। राईस-ब्रान एक्सट्रेशन हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तक उसके एक्सपोर्ट कोटा का एनाउन्समेंट नहीं हुआ है। मुर्गियों के लिए जितनी आवश्यकता हो, उसको आप रख लीजिए लेकिन बाकी जो है, उसको तो एक्सपोर्ट कीजिए। पूरा एक्सपोर्ट बन्द कर दिया, यह कौन सा तरीका है, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आज तक जो मुर्गियों को खाने वाले हैं उनसे भी मुर्गियां को निकाल कर आप इनसे फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। अगर इनके अंडों को एक्सपोर्ट किया जाए तो इस तरह से एक-एक पैसा मिलाकर हम 40 करोड़ रुपये तक का फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। में मानता हूं कि हमारे मंत्री जी एक्सपोर्ट के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चालीस करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट को इससे निकाल दें तो हमारी कितनी फारेन अर्निंग्स कम हो जाती है।

जो आइटम्स हमारे यहां साल की साल पैदा होती हैं उन की एक्सपोर्ट्स की अर्निंग्स पर

हमें कमी नहीं करनी चाहिए। दिन-प्रतिदिन उन आइटम्स की एक्सपोर्ट बढ़ाते जाना चाहिए। हमारी जमीन से जो भी पैदा होता है वह तो हर साल पैदा होता रहेगा। हमारे यहां मुर्गे और मुर्गियाँ भी पैदा हो सकती हैं। इनका जितना चाहे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन चीजों के एक्सपोर्ट में हमें कोताही नहीं करनी चाहिए।

अब आयरन ओर तो हमारी धर्मनिधि है। इसको जल्दी-जल्दी खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसके एक्सपोर्ट में हम कमी ला सकते हैं। लेकिन चावल जो हमारे यहां काफी है, उसका एक्सपोर्ट आप क्यों बद कर देते हैं? हमारे यहां चावल की कमी नहीं है। हमारे आंध्र प्रदेश में तो यह मुसीबत हो रही है कि चावल बिक नहीं रहा है। महाराष्ट्र में उसे हम ले नहीं जा सकते। महाराष्ट्र का और मेरी कांस्टीच्युन्सी का बार्डर मिला हुआ है। चह्वाण साहब की कांस्टीच्युन्सी और मेरी कांस्टीच्युन्सी मिली हुई हैं। अब क्या करते हैं खाना बनाकर महाराष्ट्र में ले जाते हैं। बीच में नदी पड़ती है। उसके बीच में से पानी में से ले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह से इन सब चीजों का एक्सपोर्ट बढ़ाते रहना चाहिए।

मुझे बड़ी खुशी है कि मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक्सपोर्ट मार्किट मेहनत से पैदा की जाती हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा देश इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है। परसों ब्रिटिशर्स की एक मीटिंग में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कन्ट्री और वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हम अपने पांवों पर खड़े हैं। हम अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं।

हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। मैं 10-12 आइटम्स लिखकर लाया हूं जिनको में मंत्री जी को दे देता हूं। मंत्री जी इन एग्रीकल्चर प्रोड्युस को मेहरबानी करके एक्सपोर्ट करा दीजिए। फारेन मार्किट में हमारी जो सुप्रीमेसी है वह बाकायदा बनी रहे।

आपने बैंक गारन्टी एडवांस कर दी है और अब 5 हजार 9 सौ तक आप दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी चीज है। पहले 3 हजार 8 सौ तक भी नहीं थे। इस तरह से एक्सपोर्टर्स के रास्ते में जो कई चीजें बाधा थीं वह भी आप निकाल दीजिए। मैं जानता हूं कि आप क्रिटिसिज्म से नहीं डरते हैं। आप स्प्रिट वाले आदमी हैं। आप किसी चीज में कितनी सच्चाई है, इसको देखते हैं। मैं जानता हूं कि आपके नीचे हमारी पालिसी बिना दबाव के अच्छी बनती जाएगी।

मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे दो नौजवान मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं वाणिज्य विभाग की अनुदानों का समर्थन करते हुए बहुत ही सीमित क्षेत्र में अपनी बातें कहूंगा।

श्रीमन्, हमारे उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से, हमारे जिले मिर्जापुर और भदोही में कालीन उद्योग बहुत पुराना है। इस उद्योग में इस इलाके में लगभग पांच लाख आदमी काम करते हैं।

यह सारा काम देहातों में होता है। गांवों की झोपड़ियों में बुनाई, रंगाई, ढुलाई का सारा काम होता है और यह विशुद्ध काटेज इन्डस्ट्री है। इस देश में इसकी खपत कम है, इसका निर्यात होता है।

श्रीमन्, यह हमारे क्षेत्र का इतना महत्वपूर्ण उद्योग है कि यह वहां की जनता के जीवन-मरण का सवाल है, किन्तु दुर्भाग्य से पिछले वर्ष से यह उद्योग संकट में है। इस बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से भी भूतपूर्व मंत्री जी से निवेदन कर चुका हूं कि इस बारे में कदम उठाए जाएं।

यहां पर जो कालीन बनाया जाता है उसका मार्केट जर्मनी में है। वहां पर मुझे पता चला है कि जर्मनी में करेंसी का डीवेल्युएशन हो गया है, जिससे कालीनों की खरीदारी बन्द हो गई है और बहुत सा माल जर्मनी में पड़ा हुआ है, उसका पैसा आना बन्द हो गया है। इससे वहां की जनता को बड़ा धक्का लगा है। इसके बारे में प्रधानमन्त्री जी से और तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री जी से इस समस्या के बारे में निवेदन किया था। 4-5 लाख लोगों के जीवन का सवाल है और साथ-साथ करोड़ों-अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा खतरे में है, इसलिए इस उद्योग को जिन्दा करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। मुझे बहुत संतोष है कि इस संबंध में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया है और अब कुछ ऐसा लगा है कि कालीन उद्योग संकट से उबर रहा है। मैं इस बारे में बहुत विस्तार से भाषण न देकर इतना ही कहना चाहता हूं कि यह इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, लेवर ओरिएंटेड है और इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। लाखों लोग इसमें काम करते हैं, हमारे क्षेत्र की तो यह जान है। एक समय तो हमने यह कहा था कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई और उद्योग नहीं चलाना है तो हमारे जो पुराने उद्योग हैं, कालीन उद्योग हैं, हैण्मलूम उद्योग हैं, सिल्क उद्योग हैं, साड़ी उद्योग हैं, इनको गांवों तक फैला दीजिए, इनको बढ़ावा दीजिए। इससे वहां के लोग रोजी कमा सकते हैं, अपना जीवन-स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। इसके लिए आप सहायता दीजिए। उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की थी, अब यहां लोकसभा में कालीन उद्योग के संबंध में कुछ सुझाव, निवेदन और मांगें मैं उल्लिखित करना चाहता हूं।

इस समय कालीन उद्योग में बड़ा भारी संकट बना गया है। जो सुविधाएं ऋण की बैंक से मिला करती थीं, उसमें बड़ी बाधा पड़ रही है एक बड़ा कालीन बनने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है और बैंक से ऋण 80-90 दिन के लिए मिलता है। इतने समय में कालीन तैयार नहीं होता, इसलिए ऋण की सुविधा इस बात को ध्यान में रखकर दी जाए और समय की लिमिट को बढ़ाया जाए।

इस समय जर्मनी में माल पड़ा हुआ है। वहां से खरीदार आते हैं, और अच्छे किस्म के आर्डर देकर चले जाते हैं। माल जब जाता है तो पैसा नहीं देते हैं। कहते हैं कि माल खराब है इसलिए 20-25 प्रतिशत छूट दी जाए। एक्सपोर्टर बुनकरों से कहता है और अंततः इसका असर बुनकरों पर पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बैंक से जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वे सुविधाएं इनको दी जानी चाहिए।

एक बात और बताना और चाहता हूं। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने हमारे देश के मुकाबले एक चौथाई कालीन निर्यात किया था और आज पाकिस्तान भारत के मुकाबले ड्योढ़ा निर्यात कर रहा है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने इस उद्योग को काटेज इंडस्ट्री माना है। आप भी कालीन उद्योग को कुटीर उद्योग घोषित कीजिए और इसको प्रियारिटी सेक्टर में रखिये। इसको अधिकतम सुविधायें दी जाएं ताकि इस उद्योग को बढ़ावा मिले। कालीन उद्योग पिछड़ गया है। चीन हमारे से पीछे था वह भी आगे बढ़ गया है। अमरीका आदि के नए बाजारों

की तलाश की जानी चाहिये। साथ ही कालीन उद्योग को आप प्रोयोरिटी सैक्टर में लाएं। इसको शुद्ध कुटीर उद्योग, स्माल स्केल काटेज इन्डस्ट्री घोषित करें। स्माल स्केल इन्डस्ट्री की लिस्ट में इस उद्योग को रखा जाए और स्माल स्केल इन्डस्ट्री को जो सुविधायें बैंक द्वारा दी जाती हैं, वे इस उद्योग को भी दी जाएं।

प्रधानमंत्री जी की कृपा से एक वूलन यार्न मिल हमारे यहां खोली गई है। बीच में उसका उत्पादन बन्द हो गया था। पिछले साल से फिर से शुरू हो गया है। इस मिल से वहां की मांग पूरी नहीं होती है। मेरी मांग है कि मिर्जापुर औद्योगिक क्षेत्र में दो वूलन यार्न मिलें और स्थापित की जाएं। साथ ही साथ काटन यार्न की भी इस उद्योग में आवश्यकता पड़ती है। इस वास्ते कम से कम दो कटान यार्न मिलें भी उस इलाके में स्थापित की जाएं। काटन यार्न का जो इस उद्योग के लिए आयात होता है वह भी इससे बन्द होगा और साथ-साथ वहां कुछ लोगों को काम भी मिल सकेगा।

कालीन एसोसिएशन जो वहां की है उनकी तरफ से और हम लोगों की तरफ से भी यह मांग आई थी कि कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल बघोही मिर्जापुर में खोली जाए। इसकी घोषणा लोकसभा में राज्य मंत्री जी ने की भी थी और कहा था कि इसका गठन किया जायेगा और इसका हैडक्वार्टर बघोही में रखा जायेगा। लेकिन आज तक वह मामला खटाई में पड़ा हुआ है। वाणिज्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि काउंसिल शीघ्रातिशीघ्र स्थापित की जाये और इसका हैडक्वार्टर बघोही में रखा जाये।

बघोही मिर्जापुर के लोग लगभग दो अरब के कालीन बनाते हैं और उनका निर्यात करते हैं। वे ईरानी, चीनी, परशियन, रोमानियम माडल्ज का अनुसरण करते हैं, उनकी नक्ल करते हैं। क्यों न वहां एक इन्डस्टीट्यूट ऐसी बना दी जाए ताकि ओरिजनल स्टाइल के कारपेट वहां वे बना सकें और विदेशी व्यापारियों का एट्रैक्शन बढ़े और कालीनों की खपत विदेशों में अधिक से अधिक हो सके, उनका निर्यात अधिक से अधिक हो सके और भी ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाई जा सके।

आल इंडिया हैंडीक्राफट्स एंड हैंडलूम कारपोरेशन की एक शाखा बघोही में है। दुर्भाग्य से उससे कालीन उद्योग को लाभ होने के बजाय हानि ही अधिक हो रही है। जो लोग उसमें काम करते हैं वे इस उद्योग को बढ़ावा देने के बजाय निजी लाभ को बढ़ावा दे रहे हैं। विदेशी बायर जब आते हैं तो वे उन से मिल कर लोकल जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट हैं उन्हीं का माल खरीदवा देते हैं और उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करते करते वे बाद में खुद भी एक्सपोर्टर हो गए हैं। जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं, 10, 8 या 5 या 3 या 1 लाख का एक्सपोर्ट—करने वाले हैं उनको बढ़ावा नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि इस शाखा में बहुत तेजी से सुधार की आवश्यकता है, नए सिरे से इसका गठन किया जाना चाहिए, बुनकरों के प्रतिनिधि, छोटे छोटे एक्सपोर्टर्ज के प्रतिनिधि, स्थानीय जनता के प्रतिनिधि उस में लिए जाने चाहिए। यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि जो एक दो या पांच सात लाख का एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनके माल को ही खरीदा जाए, उन्हीं का माल बाहर भेजा जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन बड़े बड़े मगरमच्छों से सांठगांठ करके वे रुपया न कमा पाएं। इससे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्ज को बढ़ावा नहीं मिल सका, और बुनकरों को बढ़ावा नहीं मिल सका। इस दिशा में इस कारपोरेशन में वहां सुधार लाया जाना चाहिये। वहां बहुत ज्यादा धांधली है। इसको आप देखें।

बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर हैं, वे बुनकरों को धोखा देते हैं। जो माल वहां गया और माल का पैसा यदि उनको देना हुआ तो कह दिया कि जर्मनी में हमारा ग्राहक 25 परसेंट का दे रहा है इस आधार पर मजदूरों की मजदूरी को लेते हैं। इस लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि इस उद्योग में काम करने वालों का शोषण न हो।

जहां तक सम्भव हो, कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये जो भी आवश्यक कदम सरकार उठा सकती है वह मैंने बताये, साथ ही एक बात और कहनी है कि 20 परसेंट इंसेंटिव जो मिलता है मैंने सुना है कुछ उसमें अन्तर कर दिया गया है। मेरा सुझाव है कि इंसेंटिव जो दिया जाता है उसका अधिकतम लाभ बुनकरों को मिलना चाहिए। होता यह है कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग कारपेट खरीद लेते हैं और फिर उसको ऐक्सपोर्ट करते हैं, तो इसेंटिव उनको एक्सपोर्ट पर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि ऐक्सपोर्ट पर आप इंसेंटिव, अलग से दें, मगर एक आइटम ऐसा भी रखें कि कुछ इंसेंटिव मैनूफैक्चरर को भी मिले जोकि कालीन बनाता है। यह बहुत बड़ी हस्तकला है जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है और कई लाख लोगों को काम मिलता है। इसलिये इंसेंटिव का लाभ बुनकरों को मिले और छोटे छोटे ऐक्सपोर्टर्स को मिले।

इन शब्दों के साथ आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कालीन उद्योग हमारे देश का प्रमुख उद्योग है और पिछले साल 175 करोड़ का निर्यात हुआ और इस वर्ष शायद 125 करोड़ का निर्यात हुआ, तो इस विदेशी मुद्रा देने वाले धंधे को बढ़ावा देने के लिये मेरी अपील है कि सरकार ऐसे कदम उठाये जिससे अधिक लाभ गरीब बुनकरों को मिले ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो और साथ ही अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा देश को मिले।

डा० श्री शिव कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं कि जो हमारे देश का बहुत सा पैसा पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर खर्च होता है जो ऐडिबिल आयल विदेशों से लेना पड़ता है, फारेन इम्पोर्ट द्वारा पैसा खर्च होता है और न्यूजप्रिन्ज और सीमेंट का आयात करने में हमारे देश को काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नेपा नगर में हमारे देश का बहुत बड़ा न्यूजप्रिन्ट का कारखाना है और जो 4 लाख 10 हजार टन की न्यूजप्रिन्ट की मांग है उसकी 15 प्रतिशत मांग इस कारखाने से पूरी होती है, इसलिये इस कारखाने को प्रोत्साहन देना चाहिये। उस मिल को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी बिजली का संकट, कभी उत्पादन को मार्केट में बेचने का सवाल आ जाता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों एस० टी० सी० ने बहुत सा न्यूजप्रिन्ट बाहर से मंगा लिया था और नेपा नगर मिल का कागज स्थानीय मार्केट में नहीं निकला जिसकी वजह से इस मिल को 1 और 2 शिफ्ट्स में ही चलाना पड़ा, बजाय 3 शिफ्ट्स के। जिसके कारण उस कारखाने की औद्योगिक क्षमता का पूरा लाभ हम नहीं उठा पा रहे हैं। इसी तरह ऐडिबिल आयल में 700 करोड़ रु० विदेशों को देना पड़ता है। पिछले दिनों मुझे नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष डा० कुरियन से मिलने का मौका मिला था, लगभग दो वर्ष पहले, और उन्होंने दावा किया था कि वह दो साल में देश का 700 करोड़ रु० जो विदेशों में जाता है उसको बचा सकते हैं। देश में एक समय था जब हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। हिन्दुस्तान का किसान इतना मजबूत है कि अपने ही देश में तिलहन की फसल को उत्पादित कर के अपने पैसे नहीं ले सके हैं, यह उनका दावा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांग की बारीकी से जांच करवाकर उसे अमल में लाएं।

मुझे खुशी है कि हमारा सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सप्लोरेशन पर हमारा शासन और हमारी प्राइम मिनिस्टर काफी ध्यान दे रही हैं और इससे हमारे देश में नये-नये तेल के स्रोत हम को प्राप्त हो रहे हैं जिससे हमारी बहुत सारी फारेन एक्सचेंज, जो विदेशों को चली जाती है, उसे हम बचा सकते हैं ।

मिनी सीमेंट के प्लान्ट हमारे देश में उस जगह पर लगाये जायें जहां रा-मैटीरियल प्राप्त होता है, इससे भी काफी पैसा हम देश को बचा सकते हैं ।

मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां कि 17 हजार पावरलूम हैं । 31:12-79 तक वहां पर जो अन-अथौराइज्ड पावरलूम थे, उनको अथौराइज करने के लिये लोगों से प्रार्थना-पत्र मंगाये गये थे, लेकिन अभी तक 1,000 लोग ऐसे हैं जिनको एल-4 के लाइसेंस नहीं मिले हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी एल-4 के लाइसेंस देकर उनके पावरलूम को अथौराइज करने की कृपा करें ।

यह देखने में आता है कि चाहे हैंडलूम सैक्टर के लोग हों या पावरलूम सैक्टर के लोग हों, जो गरीबी आज से 20, 25 साल पहले थी, वही हालत आज भी उनकी है । उन्होंने कितने करोड़ मीटर कपड़ा बना दिया, लेकिन अपनी जमीन से वह उठ नहीं पा रहे हैं । सबसे बड़ा कारण जो मेरी समझ में आता है वह मास्टर वीवर है । मास्टर वीवर ने अपने पैसे के बल पर मजदूर के रूप में उनकी हालत बना रखी है, वह अपने आप में उठ नहीं पा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हम, चाहे पावरलूम से उत्पादित कपड़ा हो या हैंडलूम से उत्पादित कपड़ा हो, उसको वेअर हाउसिंग और मार्केटिंग की फैसिलिटी नहीं देंगे तब तक बिचौलिये उसको अपना लाभ प्राप्त करने के लिये कम कीमत पर खरीद लेंगे और उनको उसको पूरा लाभ नहीं पहुंचेगा और वह लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते ।

हमको कोशिश करनी चाहिये कि जगह-जगह पर उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनें, उनको मजबूत करें और आर्थिक मदद दें और उनके माल को ठीक समय पर खरीदकर स्टोर करें और उनसे जो बीच के लोग प्राफिट कमाते हैं, उससे उनको छुटकारा दिलाकर हमारे देश में जो पावरलूम फैडरेशन बनी है, उसमें बुरहानपुर को दिया जाना जरूरी है । हमारे मध्यप्रदेश में बुरहानपुर पावरलूम का एक ऐसा बड़ा सैंटर है जहां पर 17 हजार पावरलूम चलते हैं जहां से काफी कपड़ा एक्सपोर्ट होता है ।

इसलिये जो नेशनल फैडरेशन आफ पावरलूम है, उसमें आवश्यक है कि हमारे मध्यप्रदेश के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

आज एक बड़ी समस्या हमारे देश के किसानों के सामने उपस्थित हो गई है । हमारे यहां से जो काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया कपास खरीदता था, पिछले दिनों से उसने या तो बिल्कुल नहीं खरीदा है या एकदम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने लगा है । इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और काफी बड़ा संकट उनके सामने आ गया है । आज से 1 महीने पहले कपास के दाम 460 रुपये क्विंटल थे अब वह एकदम गिरकर 350 रुपये क्विंटल पर आ गये हैं । इस तरह से व्यापारियों की मनमानी हिन्दुस्तान की कपास की मंडियों में चल रही है और किसानों को उनकी उपज का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

एक ओर किसान का फार्टिलाइजर महंगा हो गया है और दूसरी ओर उसके उत्पादन की

कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है । अगर ऐसे समय में उसको ज्यादा पैसा नहीं दिया तो वह लड़खड़ा जायेगा और रुक नहीं पायेगा । उससे न केवल किसान प्रभावित होंगे बल्कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी बड़ा असर पड़ेगा । जैसे एक बार अगर हम शुगर-केन का अच्छा पैसा नहीं देते हैं तो दूसरे साल शक्कर की कमी पैदा हो जाती है, कहीं ऐसा न हो जाये कि हमारे देश के इन किसानों को कपास का पैसा न मिलने से कपास की तकलीफ हमारे देश में हो जाये ।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात को विशेषकर नोट कर लें और आज से एक महीने पहले कपास की खरीदी जो काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया करता था, उसी ढंग से सारे हिन्दुस्तान की मंडियों में उसी दर से वह कपास की खरीदी करे ।

जिस तरह देश के उद्योगपतियों को एक्सपोर्ट के लिए बहुत सी सुविधायें दी जा रही हैं, यह खुशी की बात है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि नई शुगर फैक्टरीज केवल कोआपरेटिव सैक्टर में होंगी । यह निर्णय प्रशंसा के योग्य है । इससे देश के किसानों में एक नई आशा जगी है और वे अपने कोआपरेटिव बना कर नई-नई शुगर फैक्टरीज स्थापित कर रहे हैं । मैं भी अपने क्षेत्र में वहां के किसानों के सहयोग के एक शुगर फैक्टरीज प्रारंभ कर रहा हूं । लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अड़चनें हैं । नई पालिसी के कारण कंस्ट्रक्शन के लिए पहले सीमेंट का जो कोटा मिलता था, वह नहीं मिल रहा है । स्टील भी नहीं मिल रहा है । सरकार पैसे वालों और बड़े उद्योगपतियों को तरह-तरह की रियायतें और इन्सेन्टिव देती है । किसानों के कोआपरेटिव्ज हमारे शुगर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा जरिया हैं । यदि उनकी नींव मजबूत नहीं बनाई जाएगी, तो हम उस पर एक बुलंद और मजबूत इमारत भी नहीं बना सकेंगे ।

मध्य प्रदेश में मेरे क्षेत्र में कुल्लू गूंद होती है, जिसे गम कराया भी कहा जाता है । हमारे देश से उसका सात-आठ लाख रुपये रोज का एक्पोर्ट होता है । लेकिन वह रा मैटीरियल के रूप में हमारे देश से बाहर जाता है । हमारे देश के उद्योगपति अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि इससे क्या चीज बनाई जाती है और इसका क्या उपयोग किया जाता है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में जांच कराएं और इसकी टेक्नालाजी की जानकारी प्राप्त करके इसकी इंडस्ट्री को हमारे देश में ही लगाया जाए । इससे हमारे जो करोड़ों रुपये रा मैटीरियल के रूप में बाहर चले जाते हैं, उनसे हमारे देश के लोगों को फायदा होगा । दूसरे, इससे हमारे वनवासी लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा पैसा मिलेगा ।

मंत्री महोदय ने 1982-83 की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पालिसी घोषित की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । उससे हमारे देश के उद्योगपतियों में काफी हर्ष है । उसमें जहां निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से काफी उदारता दिखाई गई है, वहीं प्रक्रिया को भी काफी सरल बनाया गया है । उद्योगों को अनेक मामलों में बिना लाइसेंस के भी अपनी जरूरत का कच्चा माल और सामान आयात करने की सुविधा दी गई है । इस तरह मंत्री महोदय ने उद्योगपतियों को अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर दिया है ।

1981-82 में हमारा व्यापार का घाटा 5500 करोड़ रुपये का था । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें काफी पैनी और तीखी निगाह रखनी चाहिए । सरकार ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पालिसी में जो नरम रूख अपनाया है, कहीं ऐसा न हो कि उद्योगपति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उससे गलत फायदा उठा लें । मंत्री महोदय का यह प्रयत्न होना चाहिए

कि उससे देश को लाभ हो, हमारी एक्सपोर्ट अधिक हो, ट्रेड डेफिसिट कम हो, डामेस्टिक कन्जम्प्शन और लोकल डिमांड अच्छी हो और हमारे माल की क्वालिटी भी सुधरे। नई पालिसी के अन्तर्गत हमने टैकनिकल नो-हाऊ को भी देश में लाने के लिए काफी सुविधा दी है, कई रा मैटीरियल और काम्पोनेंट्स को ओ जी एल के अन्तर्गत अपने देश में लाने की अनुमति दी है और 85 औद्योगिक मशीनरी के आयात की भी सुविधा दी है। इससे हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की काफी ज्यादा सम्भावना हो गई है। इस पालिसी के कारण हमारे देश के एक्चुअल यूजर्ज और दूसरे लोगों को विदेशी औद्योगिक मशीनें और रा मैटीरियल वगैरह सुगमता से मिलने लगेंगे।

पिछले दिनों कामर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें एक बहुत गम्भीर बात की ओर ध्यान दिलाया गया है। हमारे देश के पब्लिक सेक्टर के उद्योग दूसरे देशों में जो कंट्रैक्ट लेते हैं, उनमें हमारे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। वे काफी कम कीमत पर वहां काम कर रहे हैं और साथ ही वे बाहर के देशों से काफी ऊंचे दर पर लोन ले कर बहुत नुकसान उठा रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों की राय है कि हिन्दुस्तान के पब्लिक सैक्टर और प्राईवेट सैक्टर के लोगों के द्वारा एक कनसर्शियम बनाया जाए। एक कंसार्टियम बनाया जाए जिससे कि सभी में कोआर्डिनेशन हो सके और सभी मिलकर, बाहर के देशों के जो भी कांट्रेक्ट्स हों, उनसे अच्छा पैसा कमा सकें—यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पिछड़े जिलों की एक लिस्ट आई थी लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे देश में कुछ पाकेट्स ऐसे बन गए हैं कि जहां पर पहले कुछ उद्योग थे और आपकी औद्योगिक नीति के कारण दूसरे उद्योग वहां पर नहीं आ सके और अब वह पिछड़े होते जा रहे हैं। दूसरी ओर कुछ क्षेत्र जो किसी जमाने में पिछड़े थे लेकिन अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि आगे बढ़े हुए क्षेत्रों को भी उनसे ईर्ष्या हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि एक पिछड़ा हुआ जिला जिसको आपने घोषित किया है उसकी एक तहसील काफी मजबूत रही हो। मैं समझता हूं सरकार की ओर से इसका अध्ययन किया जाए तथा पिछड़े हुए जिले घोषित करने के बजाए पिछड़ी हुई तहसीलें घोषित की जायें ताकि देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों का एक समन्वित विकास किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में कोसा काफी अधिक मात्रा में होता है। रायगढ़, बिलासपुर आदि जिलों में कोसा काफी होने के बावजूद बुनकरों को कोई इन्सेन्टिव या बैंक से कोई वित्तीय मदद नहीं मिलती है। यदि सरकार इससे फारेन एक्सचेंज कमाना चाहती है तो बुनकरों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक कोसा का उत्पादन कराने के लिए किसानों को इसेन्टिव दिया जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में किसानों ने रेशम के उत्पादन में बड़ी प्रगति की है। नागौर में कपास की खेती को रेशम की खेती ने रिप्लेस कर दिया है। सरकार इस बात का अध्ययन करके सारे देश में सिल्क की पैदावार को बढ़ाने का प्रयास करे। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा असम के साथ-साथ सारे देश में किसानों को सरकार प्रोत्साहन देकर अधिक से अधिक सिल्क की पैदवार को बढ़ाए ताकि देश को विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सके।

इसी प्रकार से खादी के कपड़े का बुनकरों को सीधा लाभ पहुंचता है। इसलिए खादी का उत्पादन गांव-गांव में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के माध्यम से अधिक से अधिक मात्रा में कराया जाना चाहिए।

आयुर्वेदिक दवाएं और जड़ी-बूटियां, जिनका उपयोग देश में तो कम है लेकिन विदेशों में इसके प्रति रुचि बढ़ रही है, इसलिए इस सम्बन्ध में अध्ययन करके एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की जाए तो ग्रामीण अंचलों में रहने वालों को भी अच्छा पैसा मिल सकता है और विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने नौजवान लायक मिनिस्टर, श्री शिवराज पाटिल का बहुत आभार मानता हूं क्योंकि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तथा मैं उनके द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में श्रीमती इन्दिरा सेठ जो हैं उनके मुनीम साहब ने जो आपके सामने यह मांग रखी है इसको जरा आप सोच लें कि सदन इसको क्यों मंजूर करे ? दुनिया में चाहे अमरीका के रीगन सेठ हों या इंग्लैण्ड की थैचर सेठ हों या चाहे ब्रेझनेव साहब हों...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : थैचर सेठानी।

श्री मनीराम बागड़ी : सेठानी कोई नहीं, सभी सेठ हैं टाटा या बिड़ला। तो विदेशों के जो सेठ हैं उनकी मुनीमों से कम हैसियत है। हमारी कोई साख किसी मण्डी में नहीं है। भारत की किसी भी चीज में साख नहीं है। हमारे यहां की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके मुकाबले में अमरीका या यूरोप की चीजें न आ सकें। हमारी एच०एम०टी० की घड़ी देश में जरूर अच्छी है लेकिन विदेशों में नहीं। यह जरूर है कि लोगों के तन से कपड़ा उतार कर बेच दिया या पैर से जूती छीन कर बेच दी। इसलिए आप बड़ उद्योगों को घटाओ। टाटा, बाटा और बिरला के शरीर को घटाओ तथा गांधी जी की आत्मा को जीवित रखने के लिए खादी और ग्राम में हाथ से बनने वाले जूते और लोहार के काम को आप बढ़ावा दो, तो यह देश बनेगा।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। नियम-377 के अधीन मैं दो दफा आपका ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और मुझे आपसे शिकायत है कि किस तरीके से स्टेनलैस स्टील के अन्दर जो चादर काली करके आए उसको भी आप पार कर दो और अगर मोड़ कर आए, उस पर ड्यूटी हो। इस प्रकार देश के जो कारखाने हैं, वे गिर रहे हैं और कम से कम हिसार के जो स्टेनलैस स्टील के कारखाने हैं, जो छोटे उद्योग थे, वे भी सख्त तंगी में हैं।

गुड़ पर बाहर जाने से आपने पाबन्दी हटाई और बाहर जाने नहीं दिया, भेजा नहीं, जिससे किसानों को भाव नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का गेहूं दो रु० किलो और डेढ़ रुपए बिके और डालमियां के कारखाने में जाने के बाद 80 रु० किलो में बिस्कुट बने। कपास किसान के खेत में 350 रु० क्विंटल और जब कल-कारखानों में जाए तो 1350 हजार रु० क्विंटल और 2350 और 3350 हजार रुपए क्विंटल हो जाए। इस अन्तर को आपको मिटाना होगा।

आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(श्री इन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, लगभग 16

सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। ठीक है । माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण आक्रामक नहीं थे लेकिन उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट और रचनात्मक रूप में अपनी बातें कहीं ।

कुछ सदस्यों ने वाणिज्य मन्त्रालय की पीठ थपथपाई और उसकी प्रशंसा में अच्छे शब्दों का प्रयोग किया । वाणिज्य मंत्रालय में ऊपर से नीचे तक सभी लोग माननीय सदस्यों द्वारा उसके लिए कहे गए अच्छे शब्दों की केन्द्र करते हैं । परिणाम हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन किया जाए और आलोचना की जाए। यदि कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उसकी सराहना करना और उसे प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने वाणिज्य मंत्रालय के कार्यकरण और इसके द्वारा बनायी गई नीतियों की आलोचना की । वाणिज्य मंत्रालय में कार्य कर रहे लोगों द्वारा इन सदस्यों द्वारा की गई आलोचना को हल्के-पुलके रूप में नहीं लिया जाएगा। वे वाणिज्य मंत्रालय के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने का प्रयास करते समय इन सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को निश्चित ही अहमियत प्रदान करेंगे । हम आलोचना को भी महत्त्व प्रदान करते हैं। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो आलोचना में उन्हें ठीक करने का अवसर मिलता है । इससे उक्त गलत जानकारियों को भी दूर करने का अवसर मिलता है जो माननीय सदस्यों के पास हमारी नीतियों के बारे में हैं और इसलिए इन दोनों दृष्टिकोणों से उनके द्वारा की गई आलोचना का हम स्वागत करते हैं ।

महोदय, मंत्रालय द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन दिया गया है और इसमें मंत्रालय की उपलब्धियों को बताया गया है । यह कुछ खामियों की ओर भी इंगित करता है और कारणों के बारे में बताता है जिनकी वजह से लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका । मुझे आशा है कि इस प्रतिवेदन से माननीय सदस्यों को उस दिशा को समझने में सहायता मिलेगी जिसमें मन्त्रालय कार्य करना चाहता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों में माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी दलीलों का उत्तर देना इस समय मेरे लिए संभव नहीं है । कुछ मद्दों का उत्तर तो निश्चित ही उस भाषण में मिल जाएगा जो मैं यहां दूंगा लेकिन जिन मुद्दों का उत्तर मेरे भाषण से नहीं मिलेगा उनका लिखित रूप में उत्तर दिया जाएगा और उत्तर माननीय सदस्यों को भेज दिए जाएंगे ।

महोदय, माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए । उन सभी का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है लेकिन मैं उन्हें इस बात का आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा और जिस सीमा तक हमारे लिए यह सुझावों को कार्यान्वित करना संभव होगा हम उन्हें कार्यान्वित करेंगे । यदि उन्होंने किसी अन्य प्रकार के मुद्दे उठाए हैं तो हम उन मुद्दों का भी लिखित उत्तर भेजने की कोशिश करेंगे ।

महोदय, मैं सर्वप्रथम उन मुद्दों पर विचार करूंगा जो वस्त्र विभाग से संबंधित हैं और उसके बाद मैं उन मुद्दों पर विचार करना चाहता हूं जो हमारे मन्त्रालय के विदेश व्यापार विभाग से सम्बन्धित हैं । पहला मुद्दा जिस पर अनेक माननीय सदस्यों ने जोर दिया, पटसन के बारे में है । उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं । दूसरा मुद्दा उद्योग से सम्बन्धित है ।

महोदय, यह सच है कि पटसन के मूल्यों में काफी उतार चढ़ाव आया है उससे किसानों को उद्योग को और साथ ही सरकार के हम सभी व्यक्तियों को काफी चिंता है । अब यह देखना

आवश्यक है कि पटसन के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोका जाए । इन मूल्यों में इस उतार-चढ़ाव को देखने के लिए भारतीय पटसन निगम स्थापित किया गया था और भारतीय पटसन निगम स्थापित किया गया था और भारतीय पटसन निगम भी खरीदता रहा है । इस भारतीय पटसन निगम ने पिछले वर्ष की 10.62 लाख गाँठों की तुलना में इस वर्ष 17.59 लाख गांठें खरीदीं । इससे यह स्पष्ट होगा कि भारतीय पटसन निगम उस क्षेत्र में जूट उत्पादकों की सहायता करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है । लेकिन जब तक उस राज्य की सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जाता तब तक केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठा सकती । मैं यह नहीं कहूंगा कि यह जिम्मेदारी को दूसरे पर सौंपने की बात है लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए तंत्र का गठन आवश्यक है और जब तक यह तंत्र उपलब्ध नहीं होता तब तक इतनी दूर बैठकर उस समस्या पर सदैव के लिए नियंत्रण कर पाना कठिन होगा । जहां तक कपास का सम्बन्ध है, कुछ राज्यों में सहकारी समितियां कपास खरीद कर रही हैं और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी सहकारी समितियां कपास को खरीद कर रही हैं और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी सहकारी समितियों को पटसन की खरीद करनी चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पश्चिम बंगाल में जूट की कोई सहकारी समिति नहीं है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि वहां कोई सहकारी समितियां नहीं हैं तो सरकार को इस प्रयोजन के लिए सहकारी समितियों अथवा अन्य किसी तंत्र का गठन करना चाहिए । मैं जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि ऐसी कोई समस्याएं हैं तो केन्द्रीय सरकार को तथा राज्य सरकार को अन्य संबंध निकायों को इनका समाधान करना चाहिए । दूसरे, मैं उन विभिन्न कदमों के बारे में बताना चाहता हूं जो पटसन उद्योग की सहायता के लिए उठाए गए हैं । ये कदम भारत सरकार द्वारा पटसन उद्योग तथा पटसन उद्योग में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए उठाए गए हैं ।

(एक) 1 सितम्बर, 1981 से पटसन की वस्तुओं के निर्यात के लिए नकद सहायता 31, मार्च के बाद इसे जारी रखे जाने पर विचार किया जा रहा है ।

(दो) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत डी०जी० एस०एण्ड डी० के माध्यम से एक बार में बी० वी० बिल वैग्स की एक लाख गाँठों की आपात खरीद और पटसन के बोरों के खरीद की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकारों से क्रयादेशों को फिर दोहराया जाना ।

(तीन) इस समय 90% सीमेंट भरने के लिए नई बोरियों का उपयोग और 1.10.82 से शत प्रतिशत नई बोरियों का अनिवार्य प्रयोग ।

(चार) अन्य प्रयोक्ता विभागों को उर्वरकों, चीनी तथा खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए सिंथेटिक्स के बोरों का प्रयोग करने के बजाय पटसन की बोरियों का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए समझना ।

(पांच) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे पटसन मिलों को अधिक ऋण दें ताकि ने 14 सप्ताह तक कच्चा पटसन खरीद सकें जिसमें नवम्बर 1981 से जनवरी 1982 तक के दौरान भारतीय पटसन निगम से 4 सप्ताह की खपत और दो अतिरिक्त सप्ताह की खपत शामिल है। यह

उपाय कच्चे पटसन के मूल्य समर्थन कार्य के रूप में किया गया है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे नवम्बर और दिसम्बर के दौरान की जानेवाली कच्चे जूट की खरीद के लिए 10% तक और जनवरी 1982 में की जाने वाली खरीद के लिए 15% तक मार्जिन कम करने पर विचार करे।

(छः) मांग तथा पूर्ति के कारकों, प्रौद्योगिकीय सुधार की दीर्घावधि समस्याओं, विपणन संवर्द्धन और निर्यात रणनीति के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए कच्चे पटसन वस्त्रों के सम्बन्ध में कृत्य दल की सिफारिशों पर सचिवों की एक समिति ने विचार किया है। सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(सात) 'एस्केप', 'अंकटाड', 'एफ०ओ०'के तत्वावधान में पटसन उत्पादक देशों और जिन देशों में पटसन की खरीद होती है उनके बीच क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श भी समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि मूल्यों को स्थिर करने और पटसन उत्पादक देशों की निर्यात आय के लिए संयुक्त कार्यवाही कार्यक्रम बनाया जा सके।

(आठ) पूर्ति तथा मांग महानिदेशालय के माध्यम से अप्रैल, जून 1982 के लिए बी. टी. बिल बैग्स की 1.98 लाख गाँठों की खरीद। यह खरीद भारतीय पटसन निगम से कच्चे पटसन की 8 लाख गांठों की खरीद के साथ इसे समृद्ध किए जाने के पश्चात् लागत आधार पर की जाएगी। यह खरीद नवम्बर, दिसम्बर, 1981 के दौरान बी० टी० बिल बैग्स की एक लाख गाँठों की आयात खरीद के अलावा होगी।

इस उद्योग की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार ने ये ठोस कदम उठाए हैं। मुझे आशा है कि इन उपायों से निश्चय ही इस उद्योग को सहायता मिलेगी। अब यह इस उद्योग पर निर्भर करता है कि वह उसे दी गई इन सुविधाओं का उपयोग करे और उद्योग आरंभ करें और इस बात की निगरानी रखे कि वहां श्रमिकों को परेशानी न हो। लेकिन, मैं यहां कहना चाहूंगा कि मजदूरों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे ऐसा रुख अपनाएं जो उद्योग के लिए सहायक हो। यदि श्रमिकों और उद्योग तथा पटसन उत्पादकों के बीच कोई सामंजस्य नहीं है तो यह अत्यन्त ही कठिन समस्या होगी। श्रमिकों के हितों तथा उद्योग और पटसन उत्पादकों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने के पश्चात ही यह उद्योग पनप सकता है। यदि यह संतुलन बिगड़ जाता है तो उससे श्रमिकों को हानि होगी, इस उद्योग को हानि होगी और पटसन उत्पादकों को भी हानि होगी।

एक खामी है, जिससे उद्योग को हानि हो रही है, उद्योग का आधुनिकीकरण न किया जाना और पुराने तरीकों का प्रयोग। जब तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जाता तब तक कुछ नहीं होगा। हमें यह देखना है कि क्या किया जा सकता है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, उसने इस उद्योग के आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इस प्रयोजन के लिए कुछ अनुसंधान कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। ये सब उपाय किए जाने के पश्चात् हमें आशा है कि यह उद्योग अपनी कठिनाइयों से छुटकारा पा जाएगा और कुछ समय पश्चात, कम से कम, पटसन उत्पादकों तथा उद्योग के श्रमिकों की सहायता के साथ-साथ इस देश के निर्यात में सहायता करना शुरू कर देगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय. उन्होंने प्रतिवेदन में भी कुछ बातों के बारे में बताया है। लेकिन में कहूंगा कि कृत्यदल की सिफारिशें, जो जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया सचिवों की किसी समिति द्वारा तैयार की गई थीं, कुल मिलाकर स्वीकार कर ली गई हैं ? सिफारिशों का क्या हुआ ? वे स्वीकार कर ली गई हैं ? मुख्यरूप से उन सिफारिशों के स्वीकार करने के पश्चात ही उनके कार्यान्वयन का प्रश्न उठेगा। स्थिति क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : सही समय पर, हम स्थिति से आपको अवगत करा देंगे। लेकिन हमारी मंशा यह देखने की है कि हम किस प्रकार उद्योग की सहायता कर सकते हैं और उनमें कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है और जिन पर कार्यवाही की जा सकती है। उनमें कुछ सुझाव ऐसे हैं जिन्हें स्वीकार कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन हम बहुत शीघ्र ही आपको बता देंगे कि हम क्या कर रहे हैं।

महोदय, कपास के मूल्यों से सबद्ध एक अन्य मुद्दा है जो पन्द्रहवें वक्ता ने उठाया था। हमें बताया गया है कि इस वर्ष कपास की 80.00 लाख गांठों का उत्पादन किया जाएगा। महाराष्ट्र में जो कपास उत्पादित की जाती है वह एकाधिकार योजना के अन्तर्गत उत्पादित की जाती है। मुझे बताया गया है कि गत वर्ष रुई की 12.50 लाख गांठों की वसूली की गई थी और इस वर्ष 13 लाख गांठों की वसुली कर ली गई है।

सभापति महोदय : क्या यह 17 लाख गांठों में से था ? महाराष्ट्र में कपास का कुल उत्पादन कितना था ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। उन्होंने सम्पूर्ण देश में के उत्पादन के आंकड़े दिए हैं;

अब मैं इसकी बाजार में की आवक के बारे में बताता हू। 1980-81 में उस खास समय में बाजार में 63.98 लाख गांठों की बाजार में आवक हुई थी। 13.3.82 तक बाजार में 62.48 लाख गांठों की आवक हुई। इस वर्ष भारतीय रुई निगम ने 7.42 लाख गांठों की खरीद की है। इस प्रकार भारतीय रुई निगम ने बाजार में आए कपास में से 21 प्रतिशत कपास की खरीद की है। यह पाया गया है कि इसके मूल्य बहुत चढ़ रहे थे। गत वर्ष की तुलना में मूल्य अधिक थे। सितम्बर 198 के महीने में कपास की यूनिट कीमत 240.3 थी जबकि 1980 में 170 थी। अक्टूबर में यह कीमत 232.2 थी और गत वर्ष उस समय यह कीमत 171 थी। नवम्बर, 1981 में यह यूनिट कीमत 225.2 थी और इससे पिछले वर्ष में यह कीमत 178 थी। दिसम्बर 1981 में यह कीमत 227.7 थी और इसके पिछले वर्ष में यह कीमत 198.2 थी। जनवरी 1982 में यह कीमत 225.1 थी। यह अस्थायी थी। गत वर्ष जनवरी में यह कीमत 205.3 थी। फरवरी, 1982 में यह 213.5 थी और गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 206 थी। इसलिए रुई की यूनिट कीमत पिछले वर्ष की तुलना में सदैव अधिक रही है। मार्च, 1982 के महीने में यह कीमत नीचे आ गयी है और हमने भारतीय रुई निगम से अनुरोध किया है कि वह कपास की खरीद बढ़ा दे और मूल्य समर्थन मूल्य से सदैव ही अधिक रहे हैं। अब समर्थन मूल्य क्या था।

देशी कपास का समर्थन मूल्य 250/- रु० है इस वर्ष इसे 465/- रु० पर बेचा गया और पिछले वर्ष 415 रु० पर बेचा गया था। जे 34 किस्म का समर्थन मूल्य 304 रु० था। इस वर्ष 31

मार्च 1982 को इसे 423 रु० पर बेचा गया और पिछले वर्ष इसे अधिक कीमत पर बेचा गया था। ए० 519 के लिये समर्थन मूल्य 347/- रु० था और इसे 454 रु० पर बेचा गया था। 1971 किस्म का समर्थन मूल्य 312 रु० था और इसे 397 रु० पर बेचा गया था। एच 4 किस्म का समर्थन मूल्य 436 रु० था और इसे 487 रु० पर बेचा गया था। एम०सी०यू० 5 किस्म का समर्थन मूल्य 453 रु० था और इसे 473 रु० पर बेचा गया था। पर लक्ष्मी किस्म का समर्थन मूल्य 470 रु० था और इसे 487 रु० पर बेचा गया था। एस-4 किस्म का समर्थन मूल्य 453 रु० था और इसे 471 रु० पर बेचा गया था।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि मूल्य समर्थन मूल्य से बहुत अधिक थे।

भारतीय रुई निगम को दोहरा कर्तव्य निभाहना पड़ता है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था। भारतीय रुई निगम को समर्थन मूल्य की अदायगी तो करनी ही पड़ती है, अथवा समर्थन मूल्य से अधिक भी अदा करना पड़ता है, एक प्रकार का लाभप्रद मूल्य। इसे मैं सीधे रूप से लाभप्रद मूल्य नहीं कहूंगा। इसके साथ ही भारतीय रूई निगम का यह भी कर्तव्य है कि देखे कि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो और कीमत उपभोक्ताओं तथा उद्योग के लिये कपास का उपयोग करना और कपड़े का उत्पादन करना अलाभप्रद हो जाये। इनमें एक सन्तुलन बनाए रखना होता है। उपभोक्ताओं, कपड़े के निर्माताओं तथा रुई के उत्पादकों के बीच एक सन्तुलन बनाए रखना जरूरी होता है। यदि यह सन्तुलन नहीं रखा जाये तो उद्योग को चलाए रखना, कपास के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देना और यह देखना कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कपड़ा मिले, संभव नहीं होगा। इसके लिये हम अपना सारा प्रयास करते हैं और मुझे विश्वास है कि हम रुई के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का सामना कर सकेंगे। हमने अब तक जो कुछ किया है यदि उससे अधिक करने की आवश्यकता हुई तो हम वह भी करेंगे और अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटेंगे।

जहां तक बम्बई में कपड़ा हड़ताल का संबंध है श्रम मंत्री ने अपने मंत्रालय की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते समय महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्र सरकार की स्थिति बताई थी। अतः महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के बारे में विस्तार से बताना मेरे लिये जरूरी नहीं है।

तथापि मैं यह कहना चाहूंगा कि हड़ताल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन्होंने इस हड़ताल के लिये उकसाया उनके दिल में मजदूरों का हित नहीं है। वे इस हड़ताल के लिये उत्तरदायी हैं और सभी सदस्यों ने इस हड़ताल के लिये उत्तरदायी लोगों की निंदा की है। फिर भी वे मजदूरों से इस बात के लिये अपील नहीं कर रहे कि वे काम पर वापस आएं। हम श्रमिकों से अपील करते हैं कि वे काम पर वापस आएं, वे उन लोगों के कुचक्रों में न फंसें, जो राजनैतिक आकांक्षाएं लेकर चल रहे हैं अथवा जो उस क्षेत्र में श्रमिकों का उपयोग करना चाहते हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे स्थिति को समझें कि उन लोगों का व्यवहार इस प्रकार का क्यों है और काम पर वापस आएं। यह सरकार श्रमिकों की वास्तविक मांगों अथवा वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन नहीं है और भविष्य में भी हम ऐसा नहीं करेंगे। परन्तु यदि कोई हेराफेरी कर रहा है और कोई श्रमिकों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये कर रहा है तो उनको इसका शिकार नहीं बनना चाहिये। किसी ने भी यह नहीं कहा है कि जो लोग इस हड़ताल के लिये उत्तरदायी हैं उन्होंने

बुद्धिमानी का काम किया है। इस समय में इस ओर से अथवा विपक्ष की ओर से किसी ने भी यह नहीं कहा है। और मेरा विचार है कि देशभक्त श्रमिक इस बात को समझेंगे कि इस सदन में पैदा हुई सर्वसम्मति को समझेंगे। अब, जब हम कहते हैं कि हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिये और कोई कहता है कि हमें उत्पादन नहीं करना चाहिये परन्तु हड़ताल करनी चाहिये तो यह बात देश भक्ति की नहीं हो सकती, यह बात श्रमिकों के लाभ की नहीं हो सकती। यह किसी के भी लाभ की बात नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में यह ठीक है वहां पर एकाधिकार वसूली योजना है। वहां पर कपास की खरीद की जा सकती है। यदि यह बात न हो तो कपास के उत्पादकों की स्थिति क्या हो ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यदि यह मान भी लिया जाये कि 2.5 लाख श्रमिकों ने किसी के बहकावे में आकर हड़ताल कर दी है तो क्या आप यह समझते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक बिना किसी न्यायोचित शिकायत के 80 दिन से अधिक की अवधि के लिये लगातार हड़ताल पर रह सकते हैं ? अतः क्या आप आश्वासन देंगे कि न्यायोचित शिकायतों पर विचार किया जायेगा और इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 2.5 लाख श्रमिक, यदि आप उनके परिवारों को देखें तो कपड़ा मजदूरों के लगभग 10 लाख पारिवारिक सदस्य 80 दिन के लिये भूखों रहने को किस कारण तैयार हैं। इसके पीछे कोई बात तो होगी। इसी बात के लिये वे इस विशिष्ट नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्तियों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये और औद्योगिक शांति एव श्रमिकों के न्याय की दृष्टि से इसे निपटाने का प्रयास करना चाहिये।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यहां पर सब इस बात से सहमत हैं कि जिन्होंने इस हड़ताल के लिये उकसाया उन्होंने बुद्धिमत्ता का काम नहीं किया। सब इस बात से सहमत हैं कि श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है और फिर भी वे काम पर नहीं लौट रहे। और क्यों ? उनको कारखानों में लौटने से रोकने के लिये जो ढंग अपनाये जाते हैं वे आप को तथा हमें एवं किसी को भी स्वीकार्य नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वे क्या हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आतंकवादी तरीके।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं। वे विवाद के कारण पीछे हट गये हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : पुलिस रिपोर्टों पर विश्वास न करें। मजदूरों की रिपोर्टों पर विश्वास न करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है। यह एक मनोवृत्ति की बात है जो वहां पर बना दी गई है और उसी का सामना करने की आवश्यकता है।

श्रमिक काम बन्द कर देते हैं क्योंकि वे यह समझते हैं कि ऐसा कोई है जो उनको कुछ दिलवा सकता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति बाद में कहीं भी फैल सकती है। इसी कारण, जब हम यह कह रहे हैं कि हम श्रमिकों की कठिनाइयों के प्रति उदासीन नहीं हैं उनको वापस आ जाना

चाहिये । मेरा विचार है कि उनको वापस आ जाना चाहिये । सरकार के साथ यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है इस बारे में हमें प्रतिष्ठा पर नहीं अडे रहना चाहिये । हम यह कर रहे हैं कि इस प्रकार की मनोवृत्ति को जो वहां पर चल रही है, स्वीकार न करें । मुझे विश्वास है कि श्रमिक निश्चित रूप से यह समझेंगे और काम पर लौट आएंगे तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनको निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान किया जायेगा ।

माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बारे में कुछ बातें कही गईं । में यह नहीं कह रहा कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें लाभ कमा रही हैं और स्थिति ठीक है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम के संबंध में एक बात समझ लेनी चाहिये कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने उन मिलों को अपने अधिकार में लिया है जो बीमार थीं, जो काम नहीं कर रही थीं और जिन्हें तीन चार अथवा पांच वर्षों से बन्द रखा गया था । इस प्रकार की मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने अधिकार में लिया और उनको चलाया जा रहा है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिये लाभ कमाना संभव नहीं हो सका है । परंतु राष्ट्रीय कपड़ा निगम उनको लाभ के लिये चला रहा है और हड़ताल के संबंध में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है । जब कपड़ा उद्योग प्रभावित हो रहा है और कपड़ा मिलों को बन्द किया जा रहा है तो एक ओर हम उन मिलों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो बन्द हैं और उन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलों को बन्द कर रहे हैं अथवा मजदूरों को उकसा रहे हैं कि जो मिलें काम कर रहीं है उनको बन्द कर दिया जाये । राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने आधुनिकीकरण के लिये अपने अथक प्रयास किये हैं । कई बार यह कहा जाता है कि आप आधुनिकीकरण कर रहे हैं परंतु आप उत्पादन अधिक नहीं कर रहे अथवा आप उतना उत्पादन नहीं कर रहे जितना आपको भारी पूंजी निवेश के बाद करना चाहिये था । जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही हो जब एक मशीन को हटाया जाना हो और एक दूसरी मशीन को लगाया जाना हो और जब दोनों कामों के बीच समय का अन्तराल हो तो उस मिल से अपेक्षित मात्रा में कपड़े का उत्पादन संभव नहीं हो सकता । इस पहलू पर विचार किया जाना है । मैं यह नहीं कहूंगा कि हर जगह हर बात ठीक है मैं इस प्रकार की बात नहीं करूंगा । परंतु राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निष्पादन का निर्धारण करते समय इन बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

नियन्त्रित कपड़े की जहां तक बात है एक वक्तव्य दिया गया था । हमने 4910 मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन किया है और 1981 में 2870 लाख मीटर जनता कपड़े का उत्पादन किया । हम नियन्त्रित कपड़े पर 76.50 करोड़ रु० की राज सहायता दे रहे हैं और 44.86 करोड़ रु० की राज सहायता जनता कपड़े पर दी जा रही है । मेरा विचार है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नियन्त्रित एवं जनता कपड़ा है । उस कपड़े का वितरण राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किया जाता है । यह कपड़ा सहकारी समितियों को दिया जाता है, और उन लोगों को दिया जाता है जो गांव में रहते हैं और उनके द्वारा खरीदा जाता है ।

कपड़े की किस्म के बारे में शिकायतें हैं । क्योंकि नियंत्रित कपड़े और जनता कपड़े के बीच कीमत में बहुत अन्तर है और बाहर मिलने वाला कपड़ा कम है जिसका कारण हमारे द्वारा अपनाई गई नई नीति है । लोग यह समझते हैं कि यदि बाजार में मिलने वाला कपड़ा एक निश्चित मूल्य पर मिलता है जो मूल्य नियन्त्रित कपड़े अथवा जनता कपड़े के मूल्यों से अधिक है तो उस

कपड़े की किस्म भी अच्छी होगी। यह कठिनाई है। मैं समझता हूं कि हम कुछ समय बाद इस समस्या को भी हल कर लेंगे।

जहां तक हथकरघा वस्त्र का संबंध है माननीय सदस्य द्वारा एक बहुत ही स्पष्ट भाषण दिया गया। परंतु मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि 1981-82 में हथकरघा पर 20.79 करोड़ की राशि व्यय की गई। 1982-83 में हमारा विचार 23-42 करोड़ व्यय करने का है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कुल योजना परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र में 37.30 करोड़ रु० और राज्य क्षेत्र में 62.62 करोड़ रु० की थी और इस प्रकार कुल परिव्यय 99.92 करोड़ रु० का था। यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये था। छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा 120 करोड़ रु० का व्यय किया जायेगा और राज्य क्षेत्र द्वारा 190.23 करोड़ रु० का। कुल व्यय 310.93 करोड़ रु० होगा। हथकरघा पर हम यह व्यय करने वाले हैं। मेरा विचार है कि इस राशि को देखते हुए आप सरकार को यह दोष नहीं देंगे कि हथकरघा की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा और उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था नहीं की गई है।

1981-82 में जनता कपड़े पर 44.86 करोड़ रु० की राजसहायता प्रदान की गई और 1982-83 में यह राशि 53.75 करोड़ रु० होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने नियन्त्रित कपड़ा केवल राष्ट्रीय कपड़ा निगम को ही क्यों सौंपा है ? पहले निजी मिलों के लिये भी कोटा होता था। परंतु वे उसे बनाना नहीं चाहते थे। अतः, आपने उनको इस बाध्यता से मुक्त करके उन पर अहसान किया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : केन्द्र सरकार सामाजिक दायित्व अपने ऊपर ले रही है। यदि आप इस सामाजिक दायित्व को सरकार द्वारा अपने ऊपर लेने के लिये उसे दोष दे रहे हैं तो मैं नहीं जानता कि यह समस्या किस प्रकार से हल की जाये।

यदि कोई उत्पादन नहीं करना चाहता, यदि किसी ने उत्पादन नहीं किया है और यदि भारतीय वस्त्र निगम या विकेन्द्रित क्षेत्र अर्थात् हथकरघा क्षेत्र ने यदि उत्पादन किया है तो मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि हम भारतीय वस्त्र निगम को सरकार और लोगों, जो अधिक दामों पर कपड़ा नहीं खरीद सकते, के लिए कपड़ा तैयार करने को कह सकते हैं, हम भारतीय वस्त्र निगम को कह सकते हैं कि वह निर्यात के लिए कपड़ा तैयार करने वालों के अतिरिक्त भारतीय निगम भी निर्यात के लिए कपड़ा तैयार करे। इस प्रकार हम उन मिलों से लाभ उठा सकते हैं तथा उनकी उपलब्ध क्षमता का उपयोग कर सकते हैं जिनका हमने अधिग्रहण किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनसे यह आशा मत कीजिए की इस मामले में लाभ प्राप्त होगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहाँ तक लेटिन अमेरिका के देशों के साथ व्यापार का संबंध है मैंने अपने मित्र से बातचीत की है और हम समझते हैं कि हमें लेटिन अमेरिका के देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाना चाहिए। और इस कार्य के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। चावल की भूसी निकालने के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जहाँ तक चमड़ा कमाने संबंधी उद्योग का संबंध है मेरी माननीय सदस्य से बातचीत हुई है और इस संबंध में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं व्यापार में घाटे के बारे में कहना चाहता हूं ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : चीनी के बारे में आप क्या कर रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं आपसे बात करूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया उन्हें बातचीत के लिए अपने कमरे में बुला लें ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : ठीक है, मैं आपसे आपके कमरे में मिलूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : वे आपके कमरे में भी मिलने को तैयार हैं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : व्यापार में अन्तर के बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है । वास्तव में व्यापार में अन्तर बढ़ रहा है । यह पता लगाना है कि व्यापार में यह अन्तर क्यों बढ़ रहा है । श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि मंत्री महोदय खड़े होकर कहें कि अन्तर बढ़ रहा है, यह अन्तर पी. ओ. एल. के कारण बढ़ रहा है । मैं यह कहूंगा कि कोई अन्य विकल्प नहीं है । मुझे सदन में वक्तव्य देना पड़ेगा । मैं पी. ओ. एल. के आयात के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। अब पी. ओ. एल. के मूल्य बढ़ रहे हैं । 3 वर्ष की अल्पावधि में ये मूल्य 21/2 गुणा बढ़ गए है । वर्ष 1980-81 में पी. ओ. एल. के बिल के अतिरिक्त विदेशी व्यापार में 203 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । यदि आप कुल आयात बिल में से पी. ओ. एल. के आयात बिल को निकाल दें तो, यह घाटा केवल 203 करोड़ रुपये है । यदि आप इसका हिसाब लगाएं तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे । वर्ष 1981-82 में पी. ओ. एल. उर्वरक और स्वदेशी उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं 'नान-फेरस' मेटल और लोह तथा इस्पात का आयात कुल आयात का 60 प्रतिशत है । वह क्या है जो हम आयात करते हैं । हम पी. ओ. एल. ओ, उरर्वक 'नान-फेरस' मेटल लोह और इस्पात का आयात करते हैं और यह आवश्यक वस्तुएं हैं । हम इम्पाला कारें, फैंसी वस्तुएं, रेफ्रिजरेटर जैसी तथा अन्य एश्वर्य की वस्तुओं का आयात नहीं कर रहे हैं। इन सब वस्तुओं की हमारे उद्योग के लिए आवश्यकता है । इस्पात की हमारे उद्योग के लिए आवश्यकता है । उदाहरण के तौर पर आप उर्वरक को लें । क्या आप चाहते हैं कि उर्वरक की आवश्यकता होने पर भी हम इसका आयात न करें ? उर्वरक के बिना प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है । उर्वरक के बिना चावल, गेहूं, चीनी तथा अन्य वस्तुओं का अधिक उत्पादन संभव नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष उर्वरक के उत्पादन में 50 प्रतिशत वृद्धि होने के बावजूद भी स्वदेशी उत्पादन से हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई । उर्वरक का आयात हमारे लिए जरूरी है । यदि उर्वरक का आयात न करने के लिए कहा जाए तो बाहर से अनाज का आयात करना पड़ेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने कहा है कि आयातित उर्वरक अभी तक पड़ा हुआ है और इसे उठाया नहीं गया है । आवश्यकता तथा आयात के बीच उचित समन्वय नहीं है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह सही नहीं है । यदि सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य ऐसा कहता है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसे पूर्ण जानकारी है और वह सब कुछ बता सकता है । विपक्षी सदस्य भी गलती कर सकता है । सत्तारूढ़ दल के सदस्य को हो सकता है पूर्ण जानकारी न हो ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हम उक्त वस्तुओं का आयात करते हैं । और यदि इन वस्तुओं की आवश्यकता है तो यह जरूरी हो जाता है कि इनका आयात किया जाए और कृषि तथा उद्योग की सहायता की जाए । इस ओर से एक सदस्य ने कहा है कि हम हीरों आ आयात करते हैं । यह

सही है कि हम हीरों का आयात करते हैं। लेकिन हम हीरों का अपने देश में उपयोग नहीं करते। हम हीरों का आयात करते हैं, उन्हें काट कर आभूषण बनाते हैं और फिर इन आभूषणों का निर्यात करते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिसकी हमें जरूरत है। यदि हम हीरों के आयात की इस बात को नहीं समझते तो हम सरकार की नीति का गलत मूल्यांकन कर रहे हैं। यह सही है कि हम हीरों का आयात करते हैं परन्तु हम इनका उपयोग अपने लिए नहीं करते। हीरों का आयात उन्हें काट कर आभूषण बनाए जाते हैं और इन आभूषणों को विदेशों में भेजते हैं।

इस घाटे में कमी की जा सकती है। इस घाटे को कम करने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए ? हमारी नीति है कि अपनी घरेलू खपत के लिए उत्पादन बढ़ाया जाए और जब हम इतना उत्पादन करने लगेंगे कि जिससे अन्य देशों को भी निर्यात किया जा सके तो इस अन्तर में कमी हो जाएगी। हम अपने देश में भी पी० ए० ओ० के उत्पादन के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य के लिए आवश्यक सभी कदम उठाये जा रहे हैं। उर्वरक के उत्पादन के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर उर्वरक का उत्पादन करके, बड़ पैमाने पर पी० ओ० एल० का उत्पादन करके, उद्योग में काम आने वाले आवश्यक उत्पादों को बनाकर और निर्यात करके ही इस अन्तर को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्यात को बढ़ाकर हम इस अन्तर को पूरा करना चाहते हैं। फलों और फूलों सहित खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों, जिनकी विदेशों में काफी मांग है, का उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं और इसके साथ-साथ आवश्यक रिफ्रेजीरेशन और शीघ्र माल ढोने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जाएंगे। माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए। हम पहले निर्णय कर चुके हैं कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए और अवश्य ही ऐसा किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए हमने उनसे कहा है कि वे काफी मात्रा में उत्पादन करें ताकि फालतू उत्पादन का निर्यात किया जा सके और निर्यात निर्माण परियोजनाओं तथा वाणिज्यिक सेवाओं में अत्यधिक भाग लें जिसके लिए देश में काफी अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास देश में काफी श्रमशक्ति और कुशलता उपलब्ध है। इस श्रमशक्ति और कुशलता का अन्य देशों में उपयोग किया जाए। विदेशों में जाने वाले लोग और अपनी कुशलता से हम अपने देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे ताकि इंजीनियरिंग के सामान और बनाए जाने वाले अन्य उत्पादों, जिनमें इलैक्ट्रानिकी का सामान भी शामिल है, का उत्पादन बढ़ाया जा सके क्योंकि विश्व में इनकी मांग बढ़ रही है।

जहां तक कृषि उत्पादन और जोड़े गए मूल्य के कृषि उत्पादों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का प्रश्न है, एक माननीय सदस्य ने इस विषय पर बोलते हुए कहा है कि यद्यपि हमारे देश में किसी विशेष अनाज का अभाव है, यदि हमारे पास देश में पर्याप्त अनाज है तो हमें इसका निर्यात करना चाहिए। 1970 में बनाई गई नीति के अनुसार सरकार ने यह निर्णय किया था कि उत्पादन क्षमता बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह क्षमता निर्यात के लिए उत्पादन हेतु भी पर्याप्त रहेगी। और ऐसा करना संभव और व्यवहार्य हो तो हमें इसका निर्यात करना चाहिए चाहे हमारी घरेलू खपत के लिए बेशक पर्याप्त न हो। यह नीति हमने अपनाई है। परन्तु यह कार्य बहुत अकलमंदी से किया जा सकता है। इसे नीति के रूप में नहीं अपनाया जा सकता और इसको अपने लोगों की जरूरतों की अनदेखी करके क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। यदि हमारे पास पर्याप्त चीनी है तो इसका निर्यात किया जा सकता है परन्तु यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में

चावल या गेहूं नहीं हैं तो क्या हमें इनका निर्यात करना चाहिये ? यदि देश मे मांग अधिक नहीं है और हम थोड़ा बहुत समायोजन कर सकते तो हम निर्यात करेंगे ? लेकिन देश की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करने के उपरान्त इस प्रकार का निर्णय लिया जाना जरूरी है ।

निर्यात के लिए नई मंडियों और नए उत्पादों की खोज करना और इन प्रयासों में राज्य सरकारों का अधिक रुचि से भाग लेना आवश्यक है । निर्यात के मामले में हम राज्य-सरकारों को भी भागीदार बना रहे हैं । निर्यात पद्धति और लेख-निर्देशन को अधिक सरल और कारगर बनाने, वाणिज्यिक आसूचना सेवा और सूचना प्रणाली में सुधार करके निर्यातकों को मडियों की सूचना उपलब्ध कराने आदि जैसे कुछ उपाय हम कर रहे हैं और हम यह आशा करते हैं कि हम निर्यात को उस हद तक बढ़ा देंगे, जितना हम अपने देश से करना चाहते हैं।

हमारा विचार है कि हम विद्यमान व्यापार-अन्तर को कम करने में सफल हो सकेंगे। व्यापार-अन्तर को कम करने के लिए हमारे देश को जो सबसे जरूरी काम करना है, वह यह है कि वह तेल, उर्वरकों, इस्पात और मशीनों का अधिक उत्पादन करे। यदि हम तेल उर्वरकों और मशीनों का पर्याप्त उत्पादन करने में सफल हो जाते हैं, तो हमारे लिए अन्तर को कम करना सम्भव हो जाएगा। छोटी-छोटी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाकर अन्तर को कम करना सम्भव नहीं होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे विदेशी-मुद्रा खर्च का लगभग 70 प्रतिशत भाग तेल, उर्वरकों और मशीनों पर व्यय होता है। यदि हम वास्तव में अन्तर को कम करना चाहते हैं, तो हमें इसी क्षेत्र में काम करना होगा। यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, यदि हम इस क्षेत्र में अपने प्रयास करना बन्द कर देते हैं तथा कुछ और करने की कोशिश करते हैं या कुछ छोटी-छोटी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा कर सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो अन्तर को कम करना सम्भव नहीं होगा। अतः सरकार इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट धारणा रखती है कि उसे कहां बल देना चाहिए और कहां बल नहीं देना चाहिए । सरकार इस बारे में बिल्कुल निश्चित विचार रखती है और इस प्रयोजन के लिए जो कुछ किया जा सकता है, कर रही है ।

यदि व्यापार-अन्तर में वृद्धि होती है तो क्या हम सदैव दुःखी होंगे ? क्या व्यापार-अन्तर ही सब कुछ है ? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें व्यापार-अन्तर के आगे समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने में, हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ाने में आयात से किस प्रकार मदद मिली है। यदि वहां हम सफल रहे हैं, यदि वह सब कुछ करने में हम समर्थ रहे हैं, तो हमें व्यर्थ ही चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। कल मुझ से एक सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था : गत वर्ष आपने आयात को उदार बनाया था और आपका विचार था कि आप अन्तर को कम करने में समर्थ होंगे; क्या आप ऐसा कर पाए ? यह प्रश्न मुझ से पूछा गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग में 10.5 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है, हम ऐशो-आराम की वस्तुओं का आयात नहीं कर रहे हैं। हम आदानों का, कच्चे माल का, इस प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। कच्चे माल के बिना किसी भी चीज का उत्पादन नहीं किया जा सकता। आपके पास उद्योग हैं, क्षमता है। यदि क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है, तो क्षमता रखने का क्या लाभ है ? यदि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, तो उद्योग होने का क्या फायदा है, क्षमता रखने का क्या लाभ है ? हमारी मशा है, अब हमने क्षमता पैदा कर ली है, उत्पादन के लिए उद्योग को पोषित करने हेतु इस औद्योगिक क्षमता को आवश्यकता होगी। यदि

उद्योग को पोषित करने के लिए हमारे देश में कच्चा माल उपलब्ध है, तो उसे सप्लाई किया जाएगा। लेकिन यदि उस तरह का कच्चा माल देश में उपलब्ध नहीं है, तो अपने लोगों तथा दूसरे लोगों के लिए भी पर्याप्त उत्पादन करने हेतु उस उद्योग को पोषित करने के लिए दूसरे देशों से वांछित कच्चे माल का आयात करना आवश्यक होगा।

केवल व्यापार-अन्तर को ही ध्यान में नहीं रखना है। इस समय मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वाणिज्य मंत्री जी की यह ड्यूटी नहीं है कि वे व्यापार अन्तर को कम करें। हम व्यापार-अन्तर को कम करने में काफी हद तक सफल होंगे। लेकिन बात यह नहीं है। हमें सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर ध्यान देना है। पूरी अर्थ-व्यवस्था पर ध्यान देने के बाद ही हम यह कह सकेंगे कि सरकार द्वारा बनाई गई और कार्यान्वित की जा रही नीति ठीक बनाई गई है और उसका सही पालन किया जा रहा है, अथवा नहीं। यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे, तो नीति के सही होने अथवा सही न होने के बारे में हम अपने विचार प्रगट करने में गलती कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नई निर्यात नीति में लाइसेंस देने के बारे में परिवर्तन क्यों किया गया है ? पहले आयात लाइसेंस केवल वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को दिया जाता था। अब आप प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों को भी लाइसेंस उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं। मैंने आपका भाषण बड़े ध्यान से सुना था और तुम्हारे द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे को नोट कर लिया था। मैं उसी बात की ओर आ रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : टिप्पणी में लेने का कोई अर्थ नहीं है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं इसे स्पष्ट करूंगा। आपको कुछ इन्तजार करना पड़ेगा।

महोदय, आयात और निर्यात नीति के बारे मे, मेरा विचार है कि सरकार द्वारा घोषित की गई उस आयात और निर्यात नीति का, जो हमारे देश के लोगों के लिए घोषित की गई है, यहां बैठे बहुत से लोगों ने स्वागत किया है। यद्यपि कुछ आवाजें विरोध में भी उठी हैं और लोगों ने उसकी आलोचना भी की है, जैसे कि माननीय सदस्य, श्री गुप्त ने उसकी आलोचना की है।

इस आयात और निर्यात नीति का उद्देश्य क्या है ? नीति बनाने का उद्देश्य और लक्ष्य अधिक उत्पादन करना है और हम अधिक उत्पादन और निर्यात करना चाहते हैं। दूसरा उद्देश्य आधुनिकीकरण का है। महोदय, आधुनिकीकरण अत्याधिक आवश्यक है। यदि हम ऐसे माल का उत्पादन करते हैं, जिसे दुनिया के दूसरे देशों में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसे हमें यहीं खपाना होगा। उस माल से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती थी। विदेशी मंडियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। यदि आप ऐसे कपड़े का उत्पादन करते हैं, जो तुलनात्मक रूप से सस्ता और बढ़िया है, तो उसे खरीद लिया जाएगा। यदि तुलनात्मक दृष्टि से वह उपयुक्त नहीं है, तो उसे नहीं खरीदा जाएगा। उस मंडी में भी एक मंडी और हो सकती है और उसके पास काफी धन भी हो सकता है। वहां ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जो आपकी मदद करना चाहेंगे। लेकिन यदि आपके माल की किस्म तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर नहीं है, तो वे यही कहेंगे, 'ठीक है', हम आपके माल को कुछ बाद में देखेंगे। हम दूसरा माल खरीदना चाहते हैं। हमारा इरादा यह है कि बढ़िया किस्म के माल का उत्पादन करने के लिए हम अपने लोगों को अवसर प्रदान करें। इस प्रयोजन के लिए हम अपने कुछ उद्योगों को मशीनों का आयात करने की अनुमति दे रहे हैं।

श्री गुप्त ने एक संगत प्रश्न भी उठाया था। गुप्त जी यह जानना चाहते हैं कि वास्तविक प्रयोगकर्ताओं और दूसरे लोगों को भी वस्तुयें आयात करने की अनुमति क्यों दी जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वास्तविक प्रयोग-कर्ताओं की बात तो ठीक है। लेकिन मैं तो उनके बारे में पूछ रहा हूं, जो प्रयोगकर्ता नहीं हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : ठीक है, यह बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं। पहले यह हुआ करता था कि कुछ छोटे उद्योगपतियों को अपने उद्योगों के लिए किसी विशेष कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। वे हमसे लाइसेंस प्राप्त किया करते थे और यह उनके लिए सम्भव नहीं था कि वे दूसरे देशों से अपेक्षित वस्तुओं का आयात कर सकें। वे यह काम किया करते थे कि वे इन लाइसेंसों को इकट्ठा कर लेते थे और किसी विशेष व्यक्ति को दे दिया करते थे और उससे आयात करने को कह दिया करते थे। इस बीच निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती थी और वे अपने उद्योग के लिए अपेक्षित किस्म का और अपेक्षित माल में कच्चा माल प्राप्त नहीं कर पाते थे। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे हमारी मंशा यह है कि यदि लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योग-पतियों को आवश्यकता हो, तो उन्हें अपेक्षित वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दे दी जाएगी। इस नीति का उद्देश्य लघु क्षेत्र के उद्योगपतियों की मदद करना है। क्या आप लघु क्षेत्र के उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं, अथवा नहीं ? क्या आप यह चाहते हैं कि वे कच्चे माल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहें और उन्हें समय पर कच्चा माल प्राप्त न हो सके और इससे उनके उद्योग को नुकसान उठाना पड़े ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह नीति कुछ ऐसे गैर-सरकारी बिचौलियों को पैदा करने के लिए है—जो आयात करेंगे और फिर उस माल को छोटे लोगों को देंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह भी उन कारणों में से एक कारण है, जिसकी वजह से यह नीति बनाई गई है।

सभापति महोदय : एक बात जो वे जानना चाहते हैं, वह यह है कि ऐसे व्यक्तियों को, जो प्रयोगकर्ता नहीं हैं, लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगपतियों की मदद करने के लिए अब आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यही उसका प्रयोजन है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : कौन-कौन सी एजेन्सियां आयात करेंगी ? आप एस० टी०सी० को अनुमति देंगे... (व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : अब भी एस०टी०सी० और अन्य हमारे नियमों को कुछ वस्तुओं का आयात करने की अनुमति होगी। कई बार ऐसा होता है, जब वे ऐसी वस्तुओं का आयात करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ अवधि का अन्तर पड़ जाता है और आपको इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित तन्त्र पर भी ध्यान देना होगा हमारा देश एक विशाल देश है, यहां इस देश में जिला स्तर और तालुक स्तर पर हर जगह कहीं न कहीं छोटे-छोटे उद्योग विद्यमान हैं और आप चाहते हैं कि उन सबकी मांगों की एस०टी०सी० और हमारे अन्य निगम पूर्ति करें। यदि आप ऐसा ही तन्त्र बनाना चाहते हैं और उसे प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपेक्षित ऊपरी खर्चे बहुत अधिक होंगे। अतः हम संतुलन कायम रखने का

प्रयास कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वे कच्चे माल का आयात करें तथा इस कच्चे माल को लघु उद्योगों को उपलब्ध कराएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपभोक्ता मूल्य क्या होगा और सप्लाई की नियमितता की स्थिति क्या होगी ? क्या वे सप्लाई करेंगे अथवा नहीं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जिन्हें यह माल प्राप्त हो रहा है वे ही उसका उपयोग कर रहे हैं। यह बात कि इस सुविधा का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए था, लघु क्षेत्र के उद्योग-पतियों के हित के विरुद्ध जाएगी। हमें लघु क्षेत्र के उद्योगपतियों के हित का ध्यान भी रखना है और हमने उनकी मदद के लिए ही यह कदम उठाया है। मुझे आशा है कि लघु क्षेत्र के उद्योग-पति इसे सराहेंगे तथा मेरे इस स्पष्टीकरण के बाद माननीय सदस्य, श्री गुप्त भी इसे सराहेंगे। मैं जो कुछ कहना चाह रहा था, वह यही बात है। हम किसी फन्सी सामान का आयात नहीं कर रहे हैं। जिस वस्तु, का आयात किया जा रहा है अथवा आयात करने की अनुमति दी जाएगी, वह केवल आदान और कच्चा माल होगा। महोदय, हमें इस पहलू को समझना होगा। अब तो स्थिति यह है कि विकसित देश भी आदानों और कच्चे माल का अन्य देशों से आयात कर रहे हैं। हमारा देश एक विकासशील देश है और इसने अपनी औद्योगिक क्षमता तैयार कर ली है, इसलिये यह अपने उद्योगों को पोषित करने के लिए कच्चे माल का आयात कर रहा है। क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है ? मुझे तो इसमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप स्वयं ही आयात क्यों नहीं करते ? आप बिचौलियों के रूप में नई पार्टी क्यों तैयार कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : वे इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि ऊपरी खर्चे बहुत हो जाएंगे और सप्लाई की स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखना सम्भव न हो सकेगा। इससे आप सहमत हों अथवा न हों।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे कालाबाजारी होगी और शारिणी के अन्तर्गत काम होगा (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है। हमें देखने दीजिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, फिर प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। नई नीति ने प्रक्रिया को सरल कर दिया है और इसे लघु पैमाने के उद्योगों की सहायता के आशय से बनाया गया है। हमारी नीति, जिसे हमने लाल पैन्सल से चिन्हित किया है, वह यह है कि हमें लघु उद्योगों की सहायता करनी है ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें और उस उत्पादन का निर्यात भी कर सकें। इस उद्देश्य के साथ इस नीति को तैयार किया गया है।

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि कुछ माननीय सदस्य इस नीति की बाहर से आलोचना कर रहे हैं किन्तु अपने मन ही मन में वे इस नीति की प्रशंसा कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

कुछ सदस्यों ने मुझे बताया है कि मैं उदार नहीं हूं। ठीक है, हम उदार नहीं बने हैं। हम विलासिता के सामान का आयात उदारता से नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम यह देखने के लिये काफी उदार बने हैं कि हमारे उद्योग अधिक माल का उत्पादन करें। हमारे पास इस तरह की उदारता है। यह नीति पर न तो प्रतिबन्ध है और न ही इसको पूर्णतः उदार बनाया गया है। यह केवल सहायता करने वाली है। यह लघु उद्योगों की सहायता कर रही है। यह लाल

फीताशाही और उसमें अन्तर्ग्रस्त प्रक्रिया को समाप्त करने में सहायता कर रही है। यह निर्यात के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने में सहायता कर रही है। केवल इसी आशय से इस नीति को लागू किया गया है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये और कहने लगे कि इस नीति को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव के अन्तर्गत लागू किया गया है। ठीक है, मेरे विद्वान मित्र और साथी ने यहां छोटे किंतु बहुत सुन्दर भाषण में कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नाम जोड़ना और यह कहना कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव पर कार्य कर रही है एक नया फैशन हो गया है। (व्यवधान)

मैं नहीं समझता कि उद्योगों के लिए कच्चा माल आयात करते समय गलत क्या है। पेट्रोलियम उत्पादों और ऊर्जा के मूल्य में गिरावट लाने के लिए मशीनरी का आयात करने में गलत क्या है।

हम इसका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि विद्युत की लागत तथा उपभोग कम हुआ है, समय कम हुआ है, और गुणवत्ता सामान का उत्पादन हुआ है। इसी आशय से हम अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण करते हैं और यदि यहां प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होती है तो हम उसे बाहर से प्राप्त करते हैं। आप यों कह सकते हैं कि यह हमारे उद्योगों, हमारी प्रौद्योगिकी की लागत पर है और हम यह कर रहे हैं। हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने देशज उद्योगों से निकासी लेते हैं और उसके बाद ही उसका आयात करते हैं। यदि यह हमारा इरादा है तो इसमें गलत क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हमारे पास इस देश में दंतमंजन बनाने हेतु प्रौद्योगिकी नही है ? क्या हमारे पास बिस्कुट बनाने के लिए भी प्रौद्योगिकी नहीं है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमें समझना चाहिये। हम इस प्रयोजन हेतु प्रौद्योगिकी का आयात नहीं कर रहे हैं। यदि हम इस प्रयोजन हेतु प्रौद्योगिकी का आयात करते भी हैं, तो यह निर्यात के उद्देश्यों के लिये होगा न कि स्थानीय उपयोग के लिए। हमें यह समझने दीजिए। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो सिकुड़ रही है। दुनिया के प्रत्येक भाग में अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं और लोग नई-नई प्रौद्योगिकी तथा मशीनरी बना रहे हैं। क्या हमें उस उपलब्ध होने वाली नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये ? क्या हमें आरम्भ से अर्थात ठीक क, ख, ग से काम करना चाहिये ? क्या हमें पहले प्रौद्योगिकी और फिर मशीनरी का विकास करना चाहिए ? और क्या जब तक मशीनरी का विकास नहीं हो जाता, क्या तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए ? आज की दुनिया में, जहां हम नया आर्थिक स्वरूप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां इस प्रकार की नीति, इस प्रकार का दर्शन स्वीकार किया जा सकता है ? संभवतः हम अपने हित के विरुद्ध नहीं जायेंगे। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। माननीय सदस्यों को यह जानना चाहिये कि भारत एक विशाल और शक्तिशाली देश है और इसे कोई दबा नहीं सकता तथा कोई इस देश पर तानाशाही नहीं कर सकता। कोई भी इस कार्य को करने में योग्य नहीं है, कोई भी संगठन इसे नहीं कर सकता। कोई भी देश इसे इस कार्य को करने हेतु समर्थ नहीं है। कृपया भगवान के लिये अपना विश्वास न खोएं और हर समय यह कह कर सरकार पर अंकुश न लगाएं कि यह सरकार किसी के दबाव में काम कर रही है। यदि

किसी व्यक्ति से कोई अच्छा सुझाव आ रहा है, तो क्या हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये ? ऐसा सुझाव दक्षिण से आ सकता है, उत्तर से आ सकता है, पूर्व से आ सकता है और पश्चिम से आ सकता है। क्या हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये ? यदि आप कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में काम कर रहे हैं तो आप यह भी कह सकते हैं कि—मैं यह कहूंगा कि यह सब बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा इसका खण्डन किया गया था। वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा इसका खण्डन किया गया है और इसका प्रधान मंत्री द्वारा भी खण्डन किया गया है। मैं भी उस तरह के आरोप का खण्डन करता हूं।

मैं यह कहूंगा कि हमारी आयात नीति, आयात नीति की उदारता थोड़ी सी कम हुई है जिससे हमारे देश के उद्योग को सहायता मिलेगी। यह किसी के दबाव में नहीं है। कृपया भगवान के लिये यह मत सोचिये कि सरकार किसी व्यक्ति के दबाव में काम कर रही है। आखिर सरकार सारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। अपने-आप में विश्वास न खोएं और यह न सोचें कि आपके भाई दबाव में आएंगे...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इस विवादास्पद, मामले में भगवान को न लायें।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप कहते हैं, भगवान के लिए, तो श्री इन्द्रजीत गुप्त छूट जाएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे अपने घरेलू मशीनरी निर्माण-उद्योग का क्या होगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल . मैंने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने नहीं दिया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम अनुसंधान और विकास पर खर्च कर रहे हैं। हम अपने देश में मशीनरी के विकास पर खर्च कर रहे हैं। जो उद्योग मशीनरी बनाते हैं, उन्हें सभी संसाधन दिये जाएंगे, किन्तु उस प्रकार की मशीनरी हमारे देश में नहीं बनाई जा सके तो मेरा विश्वास है कि आप हम तब तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे जब तक अनुसंधान का विकास नहीं हो जाता और फार्मूले का पता नहीं लगाया जाता। मशीनरी का विकास किया जाता है और उत्पादन शुरू हो जाता है। वह हमारी आशा नहीं है। मैंने कहा है कि देशज उद्योगों से निकासी प्राप्त करने के बाद हम उसको करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। यह तभी संभव है जब देशज उद्योग कहे कि यह उत्पादन कर पाना संभव नहीं है, तब हम उसको करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे।

नार्थ-साउथ सम्मेलन, साउथ-साउथ सम्मेलन, मेलबार्न सम्मेलन और अन्य सभी में संदर्भ दिया गया था। मैं समझता हूं हम दुनिया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रत्येक के लिए सहायक है...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उन्हें मंजूर करता हूं। आपने मुझे गलत समझा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं आपका उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं इस बात का उत्तर दे रहा हूं कि किसी ने उस संबंध में...किसी ने पूछा कि हमने उन सम्मेलनों से क्या लिया। बात यह है।

एक माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह प्रश्न रखा। वे यह जानना चाहते हैं कि जब इस तरह की विश्व स्थिति है तो हम निर्यात में घाटे की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। मैंने पूछा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम इस समस्या को दूर करने में कैसे समर्थ होंगे। मैं

जानता हूं, विश्व की स्थिति खराब है, विश्व में मंदी का समय चल रहा है और संभवत: मुद्रा-स्फाति भी है और विश्व की स्थिति सहायक नहीं है। किंतु मुझे आशा है कि हम हमारा अपने लोगों पर, अपनी व्यवस्था पर और अपनी नीतियों पर विश्वास है।

(**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**) : और मेरा विश्वास है कि हम इसे करने में समर्थ होंगे। कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि निर्यात में विकास की दर केवल चार प्रतिशत है। चार प्रतिशत नहीं है, यह दर इससे काफी अधिक है। मैं समझता हूं यह 1981-82 में 15.2 प्रतिशत है माननीय सदस्य पिछले वर्ष की ओर संकेत कर रहे थे 1981-82 निकट का समय है। आयात की विकास दर भी 38 या 39 प्रतिशत से काफी नीचे गई है। यह स्थिति है जहां तक हम पहुंचे हैं। संभवत: काफी कुछ हासिल किया जा चुका है। और काफी कुछ अभी हासिल करना बाकी है। हम इसे हासिल करने में रुक नहीं रहे हैं। हम इस घाटे को कम करने के लिए प्रयास करेंगे।

मैं एक बार फिर उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जो अपने रास्ते पर काफी रचनात्मक बने रहे। उनके द्वारा की गई कुछ आलोचनाओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते, किन्तु मैं देखूंगा कि उनकी अपनी विचारधारा है, अपने अलग विचार हैं। इसलिए वे ऐसा कह देते हैं। मैं समझता हूं इस मंत्रालय के अधीन अनुदानों के लिए मांगों पर वाद-विवाद वास्तव में काफी रचनात्मक, सकारात्मक और निर्देशात्मक था। मैं पुन: सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि इन मांगों का समर्थन करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं स्टष्टीकरण मांग सकता हूं? मैं केवल यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह याद है कि उनके मंत्रालय के अधीन 'नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन' है...

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह एक नया प्रश्न है। यदि कोई समस्या है तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने उन्हें लिखा है, मैंने उनके पूर्वाधिकारी श्री प्रणव मुखर्जी को लिखा था। उन्हें पदोन्नत किया गया है किन्तु एन. जे. एम. सी. को अवनत किया गया है। राष्ट्रीय-करण के समय से, वह नुकसान उठा रहा है। प्रबन्ध में पूरी तरह गड़बड़ी है, वहां भाई-भतीजावाद है, और भ्रष्टाचार है। मैंने इस संबंध में जानकारी माननीय मंत्री जी को दे दी है, किन्तु मुझे यह कहने में दु:ख होता है कि उसकी पावती तक नहीं आई है। ऐसा लगता है—मैंने एक दूसरे पत्र में कहा, जिसे मैंने उन्हें भेजा है— कि एन० जे० एम० सी० के प्रबन्ध के अन्तर्गत अधिकारी व कर्मचारी प्रत्येक व्यक्ति से ऊपर हैं, वे जरा भी चिन्ता नहीं करते..

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह एक नया प्रश्न है जो वे पूछ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसे आपकी जानकारी में ला रहा हूं। आप अपनी नई उदार नीति पर इतने आसक्त हैं कि आप अन्य संगठनों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। वे जूट मिलें, जो अब एन० जे० एम० सी० के नियंत्रणाधीन हैं, पूरी तरह अशक्त हैं क्योंकि प्रबन्ध गलत चल रहा है...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पहले ही इसे उठाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने पूर्वी क्षेत्र के एन० टी० सी० सब्सिडियरी के बारे में यही बात कही थी जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: क्या हमें इस पर दुबारा वाद-विवाद करना चाहिए ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अध्यक्ष की अनुमति से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

महोदय, क्या आप विश्वास करेंगे कि यदि मैं कहूं कि इन राष्ट्रीयकृत जूट मिलों को निरन्तर इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन से जोड़ा जाए । अभी तक वे ऐसा ही करते रहे हैं ? यह स्थिति है ।

हाल ही में, यूरोपीय देशों के कुछ प्रतिनिधि खरीदने के लिए आए । वे यहां से जूट का उत्पाद खरीदना चाहते थे किन्तु उन्होंने एक औंस भी एन० जे० एम० सी० मिल से नहीं खरीदा क्योंकि किसी ने उन्हें कहा नहीं, उनसे मिले नहीं । केवल प्राइवेट मिल मालिक ही उनसे ठेका करने में समर्थ हुए हैं ।

ऐसा लगता है अब वे कुछ नहीं जानते हैं, वे पूर्णतः अनभिज्ञ हैं । अब वे अपनी उदार आयात नीति में व्यस्त हैं अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को देखें । मैंने उन्हें पेपर भेजे हैं । उन्हें सदन में यह आश्वासन देने दीजिए कि वे इसको स्वयं देखेंगे या उनके योग्य उप मंत्री देखेंगे—मैं श्री संगमा से बहुत प्रसन्न हूं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे मालूम नहीं कि मुझे उनका पत्र मिला है या नहीं । मुझे याद नहीं है । लेकिन साधारणतः मेरी नीति यह है कि जिस दिन भी मुझे पत्र मिलते हैं, मैं उसी दिन उनकी पावती भेजता हूं और उसकी जांच करने के बाद हम उसकी सूचना देते हैं । मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि पत्र वहां है और यदि पत्र वहां है तो मैं निश्चित रूप से उसका उत्तर दूंगा। यह एक नई बात है । उसके बाद भी, चाहे मैं सदन के पटल पर कोई आश्वासन नहीं देता हूं, मेरा विचार है कि यह मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि यदि वहां कुछ गलती हो तो मैं ऐसे मामलों को देखूं, मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वाणिज्य मंत्रालय के संबंध में अनुदान मांगों के बारे में जब तक कि कोई सदस्य यह नहीं चाहेगा कि उसके कटौती प्रस्तावों को पृथक से रखा जाए कटौती प्रस्तावों को मतदान हेतु पेश करूंगा ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा स्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान के मांगों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं :—

प्रश्न यह है कि:

"कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई वाणिज्य मन्त्रालय सम्बंधी मांग संख्या 11 से 13 के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अधिक राशियां भारत की संचित विधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें, 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	16 मार्च, 1982 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
11.	वाणिज्य मन्त्रालय	35,08,00	—	1,75,40,000	—
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	127,68,29,000	18,16,76,000	465,91,43,000	90,83,81,000
13.	सूतीवस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प	36,91,39,000	7,96,10,000	132,06,97,000	39,80,50,000

(2) कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित मांग सं० 1 से 9 तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बंधित मांग सं० 75 के बारे में चर्चा करेगा और मतदान करेगा, जिसके लिए 10 घंटे का समय रखा गया है।

सदन में उपस्थित ऐसे माननीय सदस्य, जिनके कटौती प्रस्तावों को परिचालित किया गया था, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहें, तो वे ऐसे कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल तक अपनी पर्ची भेज दें। ऐसे कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

ऐसे कटौती प्रस्तावों की, जिन्हें प्रस्तुत किया गया माना गया है, सूची शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को इस सूची में किसी त्रुटि का पता लगता है तो वे उसे बिना किसी विलम्ब के सभा पटल के अधिकारी की जानकारी में ले आएं।

अब मैं श्री भीम सिंह को बोलने के लिए बुलाता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब मंत्रालय की अनुदान की मांगों को लिया जा रहा है तो कम से कम वरिष्ठ मंत्री को तो उपस्थित होना चाहिए।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय वे आ रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आ रहे हैं क्या होता है ? मंत्री जी को यहां उपस्थित रहना चाहिए। संसद की इस तरह से उपेक्षा मत करो। हम इस पर चर्चा नहीं होने देंगे। यह सदन की अवमानना है। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या आप मुझे ऐसा कोई उदाहरण बतायेंगे ? वे सदन को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। चर्चा हेतु अनुदान की मांगें यहां हैं और मंत्री जी अनुपस्थित हैं। मैं मान सकता हूं कि अनुदान की मांगों को पेश करने के बाद मंत्री जी किसी जरूरी काम हेतु थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर हो सकते हैं किन्तु अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने के प्रारम्भ में ही मंत्री जी को

उपस्थित होना चाहिए। यह एक गम्भीर चूक है और हम ऐसा नहीं होने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं। मंत्री जी आ रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रश्न राज्य मंत्री के यहां होने का नहीं है। यह तो सदन की सुविख्यात परम्परा के नितान्त विपरीत है। ये सदन को पर्याप्त गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि मंत्री जी को अपनी अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यस्तता को छोड़कर सदन में उपस्थित होना चाहिए।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री आर०वी० स्वामीनाथन): महोदय, वे एक समिति की बैठक में व्यस्त हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि मंत्री लोगों ने जब कभी उनके मंत्रालय की अनुदान के मांगे चर्चा के लिये आई हैं; अपनी सबसे महत्त्वपूर्ण बैठकें, यहां तक कि विदेश यात्रायें तक रद्द कर दी हैं। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि वे विदेश में अपनी बैठकें तक रद्द कर देते हैं और वे सदन में उपस्थित रहे हैं और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि उन्हें अपनी मांगों की चर्चा के समय उपस्थित रहना चाहिए। मंत्री जी राजधानी में मौजूद हैं और वे कहते हैं कि वे एक बैठक में भाग ले रहे हैं। यह सदन के प्रति सबसे गैर-जिम्मेदाराना रवैया है और आपको हमसे सहमत नहीं होना चाहिए। आप कृपा करके मंत्री जी के आने तक सदन को स्थगित कर दीजिए। आप इस बात को इतने हल्केपन से क्यों ले रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह 'राज्य मंत्री' क्या होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्होंने क्या स्पष्ट कर दिया है ? हम ऐसा नहीं होने देंगे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। संसद की उपेक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं है वे आ रहे हैं। राज्य मंत्री यहां हैं, उप मंत्री यहां हैं। सभी यहां मौजूद हैं। कृषि मंत्री जी आ रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रारम्भ से ही मंत्री जी की अनुपस्थिति एक बहुत ही गम्भीर मामला है यह। बात अच्छी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बिलकुल अभी-अभी कहा है कि वे आ रहे हैं। श्री भीम सिंह। (व्यवधान) आपने अपनी राय जाहिर कर दी है। उन्होंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं जानता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी चुप्पी साधे रहते हैं। मैं जानता हूं कि उन्हें कठिनाई में डाला जाता है। कृषि मंत्री की ओर से यह गम्भीर चूक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके विकल्प के रूप में श्री स्वामीनाथन विरोध स्वरूप वाक आउट कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भीम सिंह। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है। मकसद पूरा हो गया है। श्री भीम सिंह को बोलने दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि आप सहमत नहीं होते तो मैं आपकी अनुमति से वाक आउट कर जाऊंगा।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) हम वाक आउट कर रहे हैं, आप अपनी कार्यवाही चलाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मेरी अनुमति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। श्री भीम सिंह।

17.13 (**तत्पश्चात श्री चन्द्रजीत यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए**)।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने पहले भी ऐसा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वो तो ठीक है। मैं श्री भीम सिंह को पहले ही बुला चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह ठीक है। आप कम से कम अपनी अप्रसन्नता तो जाहिर कर ही सकते हैं जिससे कि वे भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भीम सिंह, आपको चर्चा प्रारम्भ करनी है। आप अपनी बात शुरू कीजिए। (**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कौन सुनेगा ? माननीय मंत्री जी को यहां आने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भीम सिंह क्या आप बोलना शुरू कर रहे हैं अथवा नहीं ? यह अनुरोध आपसे प्राप्त हुआ है। इसलिए मैंने आपका नाम पुकारा है। आप बोल रहे हैं अथवा नहीं अन्यथा मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। यदि आप बोलने नहीं जा रहे तो मैं अगले सदस्य का नाम लूंगा।

श्री भीम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मेरा नम्र निवेदन यह है कि मंत्री महोदय आये नहीं हैं, मैं आपके द्वारा किसको अपनी बात सुनाऊँ ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जाइए। (**व्यवधान**)**

यह बात सदन के वाद-विवाद में शामिल नहीं की जाएगी। यदि आप नहीं बोलेंगे तो मैं अगले सदस्य को बुलाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने माननीय सदस्यों की भावनाओं को पहले ही नोट कर लिया है। आप प्रत्येक बात का राजनीतिकरण न करें।

श्री भीम सिंह खड़े हुए थे। उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया था। चूंकि श्री भीम सिंह ने विशेष अनुरोध किया है इसलिए मैंने उनका नाम लिया था। आप बोलने जा रहे हैं ?

श्री भीम सिंह : महोदय हां। (**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चिन्तित क्यों हैं ? आप बोल सकते हैं। इसे वाद-विवाद में शामिल किया जाएगा। आप जो कुछ भी बोलेंगे उसे दर्ज किया जाएगा।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : आप इस पर जोर क्यों दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। यदि आप चाहें तो अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। श्री भीम सिंह।

17.14 (तत्पश्चात प्रो० रूप चन्द पाल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए।)

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं, मैंने जो बातें कहनी हैं, वे किसको सुनाऊँ ? यह तो अरण्य-रोदनक के बराबर होगा। मैं आपके आदेश के अनुसार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बोलना अरण्य-रोदन के बराबर नहीं होगा, वह सरकार तक पहुंचेगा। मिनिस्टर साहब पधारे हैं। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : वह आ तो गए हैं। उनसे माफी मंगवाइए।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : ये जो चार महानुभाव बैठे हैं, क्या वे मेरे साथी नहीं हैं ? वे भी मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपको शारीरिक रूप से उपस्थित देखना चाहते थे।

श्री भीम सिंह : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सबसे मुख्य कार्य यह रहा है कि वह देश को ज्यादा से ज्यादा अन्न दे और सस्ते दामों पर दे। पिछले दो सालों के दौरान हर एक डीबेट में मंत्री महोदय यह फरमाते आ रहे हैं कि देश का प्राडक्शन बढ़ रहा है और प्राइसिज काफी काबू में हैं। मैं गवर्नमेंट आफ इण्डिया की मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट आफ फूड के आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सरकार ने 1978-79 का बैस्ट प्राडक्शन माना है। 1978-79 और 1980-81 के प्राडक्शन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	1978-79	1980-81	
चावल	53.77	53.23	मिलियन टन
गेहूं	35.51	36.46	
पल्सिज	12.18	11.17	
टोटल फूडग्रेन्ज	131.90	129.87	
चना	5.74	4.65	
आयल सीड्ज	9.35	8.34	
शूगरकेन	15.73	15.40	
काटन	7.96 बेल्ज	7.60	बेल्ज

जहां फूडग्रेन्ज का प्राडक्शन कम हुआ है, वहां चीजों के भाव आसमान को छूने लगे हैं। दिल्ली देश का कैपिटल है, उसके भावों को ले लीजिए गेहूं का भाव 1980 में 1.64 रुपए पर के० जी० था, जो 1981 में बढ़कर 1.99 रुपए पर-के०जी० हो गया और हाल में वह 2.00 रुपए से भी कहीं ऊपर चला गया है। मूंग का भाव 1980 में 4.85 रुपए था, जो 1981 में बढ़कर 5.46 रुपए

हो गया। चने का भाव 1980 में 4.31 रुपए था, जो 1981 में 5 36 रुपए हो गया। सरसों का भाव 15.00 रुपए पर-के०जी० से बढ़ कर 15.39 रुपये हो गया और तिल का भाव जुलाई, 1981 में 15.82 रुपए से बढ़ कर अगस्त में 16.23 रुपये तक पहुंच गया। प्राइसिज बढ़ रही हैं और प्राडक्शन घटता जा रहा है। इसके बावजूद सरकार कहती है कि हम प्रगति कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, इन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार मैं होलसेल प्राइस इन्डेक्स भी देना चाहूंगा। इसमें फूडग्रेन्स के लिए 1980 की फीगर्स दी गई हैं और पल्सेज के लिए 1981 की फीगर्स दी गई हैं, जनवरी से लेकर दिसम्बर तक की। फूडग्रेन्स में 1980 में 225.8 से बढ़कर 235.1 पर चली गई। इसी तरह से पल्सेज में 326 से बढ़कर इन्डेक्स 360 पर चला गया। इस तरह से सारे के सारे फूडग्रेन्स, एडिबल आयल्ज और पल्सेज के भाव ऊंचे जा रहे हैं आसमान को छू रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने पिछले साल दोनों डिबेट्स में प्रामिस किया था कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन आपकी फीगर्स के मुताबिक ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोडक्शन गिरा है और भाव ऊंचे जा रहे हैं।

अब इस बात को एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रोडक्शन दो चीजों पर निर्भर करता है एक तो यह कि आप काश्तकार को अच्छे किस्म का बीज मुहैया करें। साथ ही अच्छे किस्म का बीज आप टाइम पर दें। अगर टाइम निकल जाता है और इम्प्रूव्ड वेरायटी की लेट सोईंग होगी तो प्रोडक्शन डेटेरियोरेट होता जायेगा। मैंने निवेदन किया कि हम एन० एस० सी० के किसी स्टोर पर भी जाते हैं तो वहां पर वे वही पुराने घिसे-पिटे बीज लिए बैठे हैं जैसे गेहूं में कल्याण सोना है, आर आर 21 है या सोनालिका है—इसके बीज आपको मिलेंगे। आप रिसर्च पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आई सी ए आर और दूसरी एजेन्सीज के जरिए से, और आप कहते भी हैं कि नयी-नयी वेरायटीज आप ईजाद कर रहे हैं लेकिन अगर वह वेरायटीज लेबारेटरीज में ही रह जायें या स्टोर्स में ही पड़ी रहें और किसान तक न पहुंचें तो जितना भी खर्चा आपने रिसर्च पर किया है वह आप समझ लीजिए कि बेकार ही गया। इसलिये जितनी भी इम्प्रूव्ड वेरायटीज हों वह एन एस सी के जरिए से सोइंग टाइम पर जरूर एवेलेबल होनी चाहिये। आपको इस बात की निगरानी रखनी चाहिये कि वहां स्टाक्स पहुंचते हैं या नहीं।

इसके अलावा सोईंग टाइम पर फर्टिलाइजर की बहुत जरूरत होती है। फर्टिलाइजर के लिये पिछले साल आपने जो कोशिश की उसके लिये मैं आपको बधायी देना चाहूंगा क्योंकि आपने फर्टिलाइजर मुहैया करने का बहुत प्रयास किया लेकिन साथ ही साथ इसमें जो बाटलनेक्स हैं वह मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। कुछ फर्टिलाइजर फैक्टरीज की यह प्रैक्टिस है—मैं नाम लेकर बताना चाहूंगा—श्रीराम फर्टिलाइजर्स, कोटा अक्तूबर के महीने में फैक्टरी बन्द कर देते हैं और कहते हैं कि मेन्टिनेन्स के लिए बन्द की है। आप जानते हैं कि अक्तूबर-नवम्बर के महीने में ही सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। अगर मेन्टिनेन्स के लिये फैक्टरी बन्द ही करनी हो तो मई-जून के महीने में बन्द की जा सकती है जबकि फर्टिलाइजर की डिमाण्ड बहुत कम रह जाती है। अक्तूबर के महीने में फैक्टरी बन्द करने का नतीजा यह होता है कि फर्टिलाईजर ब्लैक में मिलता है। प्रोडक्शन के लिए यह जो इनपुट्स हैं इनके दाम कितने बढ़ गये हैं, यह मैं बताना चाहूंगा। ए पी सी ने तो दाम कम निश्चित किये लेकिन इनपुट्स की कीमतें बहुत बढ़ गईं। मिसाल के तौर पर यूरिया एक समय में 72 रुपये कट्टा बिकता था जो अब 125 रुपये

तक चला गया है। सुपर-फास्फेट का भाव 36 रुपये से बढ़कर 51 रुपये हो गया है। इसी प्रकार से पेस्टिसाइड्स में मुख्य रूप से वी एच सी के दाम कहां से कहां पहुंच गये हैं ?

जहाँ तक बिजली का सम्बन्ध है, राजस्थान में 6 घंटे के हिसाब से फ्लैट रेट कैलकुलेट किया गया था लेकिन उसके बजाये 4 घंटे ही आप बिजली दे रहे हैं। इस तरह से प्रति यूनिट प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई। काश्तकार से आपने जितना पैसा बिजली के लिये लिया उसके कम्पेरीजन में उसको कम पानी मिला जिससे उसकी प्रोडक्शन भी कम हो गई।

इसी तरह से पेस्टिसाइड्स की एवेलेबिलिटी ठीक रहे और उसकी नो-हाऊ किसान तक पहुंच जाये तो किसान अच्छी फसल उगा लेता है। अगर काश्तकार इन्सेक्टिसाइड्स और पैस्टिसाइड्स का प्रापर यूज करके इन्सेक्ट्स और दूसरी बीमारियों को कन्ट्रोल नहीं करता है तो भी वह प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकता है। पहले एन एस सी की तरफ से जो सीड मिलता था उसमें से एक पर्ची निकलती थी जिस पर सारा नो-हाऊ लिखा होता था कि कैसे उसको यूज किया जाए। लेकिन अब मैं समझता हूं एकोनामी मेजर ही होगा जिसकी वजह से किसी भी थैली में कोई भी लीफलेट नहीं निकल रहा है।

काश्तकार एक्सपीरियेंस्ड हैं, तो ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। रिसर्च स्कालर्स के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा—दे शुड गो लैंड टु लैंड —जमीन पर जायेंगे तभी तो बता पायेंगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है।

मैं एनिमल हैसबैन्ड्री के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था। आज आप व्हाइट रिवो ल्यूशन करने जा रहे हैं, दूध का उत्पादन करने जा रहे हैं। उसमें आपके कारपोरेशन्स जो काश्तकारों को पैसा देते हैं, वह भी फैट परसैंटेज के बेस पर देते हैं। आपकी जो इम्प्रूव्ड काउज की वैराइटीज हैं, जैसे होल्स्टिन है, प्रोडक्शन तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये और टोटल सोलिड अदर दैन फ्रैट बेस पर जैसे कि दूसरी कन्ट्रीज में पैसा दिया जाता है, यदि उस तरह से देंगे तो काश्तकारों को रिम्यूनरेटिव पैसा मिलेगा। अब तो फीड कास्ट भी बढ़ गई है। पहले के मुकाबले में फीडिंग कास्ट अब ज्यादा बढ़ गई है। फैट परसेन्टेज भी अब इतना नहीं मिल पाता है।

इसके अलावा मैं ए.आई. सैन्टर्स के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। इसमें आपने नए-नए लड़कों को भरती कर दिया है। इस प्रकार गायों को या तो बिगाड़ दिया जाता है या फिर वे फर्टिलाइज नहीं हो पाती है। बीमारी लग जाती है, इन्फैक्शन लग जाता है। इसमें कम से कम एक्सपीरियेंस्ड आदमी होना चाहिये। जैसे कि आप के एफ1 और एफ-2 जानवर हैं, जो कि बहुत ही कास्टली जानवर हैं, तीन-तीन चार-चार हजार के जानवर हैं। वे पहले या दूसरे लैवटेशन में जैनिटिकल प्रोडक्शन न दे सकें, तो कितना नुकसान होगा। आपका जो बूस्ट आया है, वह एफ-2 में जाकर रुकावट खा गया। इसका मूल कारण यह है कि आपकी जो ओरिजिनल इन्डिजिनस जो ब्रीड थी, वह एफ-1 और एफ-2 में क्रासिंग प्रोग्राम में चली गई और इन्डिजिनस ब्रीड पर जो तवज्जह जानी चाहिये थी, उसके डवेलपमेंट के लिये जो तवज्जह जानी चाहिये थी, उसमें कमी आ गई। जो गाय एक लोटा दूध देती है, उसके क्रास करने से रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आएगी या जो

कम से कम दस किलो दूध देती है, उसके क्रास करने से दूध ज्यादा आयेगा। साहिवाल एक ब्रीड थी, जो अब पाकिस्तान में चली गई, लेकिन साहिवाल के लग्गु-भग्गू की कमी नहीं है, लेकिन उनके लिये कोई काम नहीं हो रहा है। थोड़ा लिलितगो के टाइम में करनाल में उनके लिये काम हुआ था। अब इसके स्टाक को आपने सूरतगढ़ में भेज दिया और अब सूरतगढ़ में कोई वर्क नहीं हो रहा है। जो स्टाक है, वही स्टाक है। यदि स्मगलिंग होकर पाकिस्तान से कोई आते हैं अकाल पड़ता है, तो उस वक्त यह प्रोडक्शन हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्डिजिनस ब्रीड पर कन्सन्ट्रेट करें, उस पर कन्सन्ट्रेट करने से आपका व्हाइट रिवोल्यूशन सक्सैफुल होगा।

तीसरे मैं मिल्क आर्गेनिजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। मेरी इस संबंध में शिकायत भी है। आप शहर के आदमियों को दूध देकर खूब मोटा लम्बा चौड़ा तगड़ा बनाना चाहते हैं और देहात की हैल्थ दिन पर दिन गिरती जा रही है। फॉरन कन्ट्रीज की जो डेयरी कारपोरेशन्स हैं, वे खुद कैटिल स्टाक मैंटेन करती हैं और मिल्क इकट्ठा करती हैं। लेकिन आप सारा का सारा दूध देहातों से खींच करके दिल्ली को देना चाहते हैं, कलकत्ता को देना चाहते हैं और बम्बई को देना चाहते हैं और देहात के आदमी की हैल्थ क्या हो गई है। पहले यह इकानामी थी कि थोड़ा बहुत दूध हलवाई को बेच देते थे और बाकी छाछ बिलोते थे तथा बच्चों को सुबह छाछ से रोटी देते थे, दही देते थे। लेकिन अब चाय थोड़ी सफेद घोली करके दे देते हैं, उससे देहात के आदमियों की हैल्थ नहीं गिरेगी तो क्या होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रोडक्शन तो बढ़ायें लेकिन उस प्रोडक्शन का सर्टेन पोर्शन यहां लें और सर्टेन प्रोर्शन देहात के लिये दें, तो वहां भी दूध उपलब्ध हो सकेगा और बच्चे डेवलप हो सकेंगे।

तीसरी बात मैं रिचर्स इन्स्टीचूशन्स के बारे में कहना चाहता हूं। आई०सी०ए०आर०और दूसरे इन्स्टीचूशन्स, जिनके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था वहां प्रोमोशन्स को लेकर उनको पूरा पैट्रोनेज नहीं मिलता है। आपस में झगड़े चलते हैं, उनके वर्क के लिए रिकाग्निशन नहीं मिलता है और आपके साइंटिस्ट डिस-सैटिसफाइड हैं। जब तक इनके यहां प्रोमोशन्स के लिये या दूसरे झगड़ों के लिये ऐसे आदमी नहीं रखेंगे जो काम्पीटेंट हों, जो सिफारिश बगैर आये हों और जिनमें काबलियत हो, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे जो साइंटिस्ट हैं, उनको एन्कजमेंट मिलना चाहिये। तभी कुछ रिजल्ट आ सकेंगे।

आज आप की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है। आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वे झगड़े के अखाड़े बनी हुई हैं। वाइस चान्सलर को पीट डालते हैं और आपस में लड़कों में लड़ाई होती है एग्जामिनेशन्स को रोकने के लिए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज झगड़े के अखाड़े बना दी गई हैं। इनमें प्रोपर टाइम के वाइस चान्सलर्स को रखा जाए, जो पार्टी पालीटिक्स और स्टाफ की पालीटिक्स में न पड़ें और बच्चों को ठीक से पढ़ा सकें और इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को फीड करने के लिए एग्रीकल्चरल स्कूल्स की बहुत कमी है। अब मैं राजस्थान के बारे में आप से निवेदन कर सकता हूं। वहां एक अजमेर कालेज है वह उदयपुर यूनिवर्सिटी का पार्ट है क्योंकि उदयपुर यूनिवर्सिटी इज दि ओनली यूनिवर्सिटी। आज गंगानगर का जो एरिया है, उसके बारे में सोचना चाहिए। राजस्थान केनाल से वह एरिया इण्डिया की ग्रेनरी बनने जा रहा है और उस ग्रेनरी एरिया में कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं। उदयपुर के लिये तो मैं समझता हूं कि माइनिंग की यूनिवर्सिटी होती तो वह ज्यादा फिट करती लेकिन वह

उस जमाने में किसी कारण बन गई पर आज गंगा नगर जस्टिफाई करता है ऐसी यूनिवर्सिटी के लिये। दूसरी स्टेट्स में भी जहां ग्रेनरी एरिया है या केनाल एरिया है, वहां पर इस तरह की यूनिवर्सिटी कायम करें।

तीसरा मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा बिजली के बारे में। इसके लिए काफी कोशिश की जा रही है कि बिजली टाइम पर मिले। इस साल भी राजस्थान के अन्दर अगर बिजली के भरोसे रहते, तो सारा प्रोडक्शन ही खत्म हो जाता। यह तो भगवान की कृपा काश्तकार पर हुई कि तीन चार बार टाइम टू टाइम अच्छी बरसात हो गई और उससे अच्छा प्रोडक्शन हुआ, अच्छी फसल हो गई। अब आखिर में आकर कुछ ओले वगैरह पड़ गये, जिनसे कुछ नुकसान हुआ है। काश्तकार के सामने यह प्रश्नवाचक चिह्न बना रहता है कि इस साल तो काम चल गया, अगले साल क्या होगा। रावतभाटा में जो एटोमिक पावर प्लांट है, वह राजस्थान के लिए एक केन्सर बना हुआ है। उससे कभी बिजली मिलती है और कभी नहीं। उसके भरोसे राजस्थान का किसान जिन्दा नहीं रह सकता। इसलिये मेरा कहना यह है कि आप बिजली की व्यवस्था ठीक से करें और राजस्थान के काश्तकार को बिजली के लिये एश्योर करें कि टाइम पर उसे बिजली मिलेगी। अब आप यह उम्मीद मत कीजिये कि वहां का काश्तकार फिर से चरस पर स्विच आन कर लेगा। वह अब चरस नहीं चलाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर आज एक हाईली टेक्निकल इन्डस्ट्री हो गई है।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप के यहां पोटेंशियल है, उसको टेप कीजिये। अन्डरग्राऊन्ड वाटर सर्वे कराइये। मैंने पिछली डिबेट में भी इसके बारे में अर्ज किया था एण्ड यू वर काइंड एनफ टू गो टू जयपुर। आप जयपुर गये थे और वहां पर आप ने राजस्थान गवर्नमेंट को कहा था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी कहा था कि जहां पोटेंशियल है, वहां पर ट्यूबवैल्स बनें। वहां पर ट्यूबवैल्स कारपोरेशन हों। अगर यू०पी० में ट्यूबवैल्स कारपोरेशन हो सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं बन सकता ? राजस्थान में सीलिंग आने के बाद यूनिट इतने छोटे हो गये हैं कि वहां पर काश्तकार अपने खर्चे से किसी भी हालत में ट्यूबवैल नहीं लगा सकता। ट्यूबवैल की मोटर खराब हो जाती है या उसका पम्प जल जाता है, तो उसे बाहर जा कर ठीक कराना पड़ता है और हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। आप ट्यूबवैल कारपोरेशन बनाइए और जो पानी आप ट्यूबवैल बना कर दें, उस पानी का पैसा चार्ज कर लीजिये और ज्यादा से ज्यादा एरिया आप कवर कीजिए।

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के काश्तकार को उसके उत्पादन की पूरी रेमूनरेटिव प्राइस जब मिलेगी, तभी एक आदमी एग्रीकल्चरिस्ट के जाब में रहेगा। अगर उसको पूरा मार्जिन आफ प्रोफिट होगा, तभी वह इसको करेगा। एक लड़के ने बी०एस०सी० पास किया है और दूसरे ने बी० ए० पास किया और वह आई०ए०एस० या दूसरी सर्विस में जाता है, जहां उसको दो ढाई हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, तो जो ग्रेजुएट आप से एम्पलायमेंट सीक किये बगैर खुद के फार्म में सेल्फ-एम्पलायड है, तो उसके पास भी कम से कम इतना साधन होना चाहिए कि वह कम से कम दो-ढ़ाई हजार रुपया कमा सके। जब उसको ऐसा मौका मिलेगा, तभी जो इनटेलीजेंसिया है, जो यूथ है, वह देहात में बैठेगा और खेती के प्रोफेशन को अपनायेगा

और वहां जाने के बाद देहात को चमन कर देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जितने भीं इंटेलीजेंट लड़कें हैं, वे शहरों की तरफ भागेंगे और जो अनपढ़ हैं, नाकाबिल हैं, वे देहातों में रहेंगे।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एम० रामन्ना राय : (कोडरमा) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[विभिन्न औद्योगिक तथा कृषि जन्य वस्तुओं के लिये एक राष्ट्रीय मूल्य नीति बनाने के लिये एक राष्ट्रीय समिति का गठन करने की आवश्यकता। (3)]

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[चीनी मिलों द्वारा तैयार की गई चीनी का 75 प्रतिशत अधिग्रहण करके उचित मूल्यों की दुकानों से अधिक चीनी देने की आवश्यकता। (4)]

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[स्थित भारतीय खाद्य निगम के कुचपुरम गोदामों के श्रमिकों को भविष्य निधि की सुविधा देने की आवश्यकता। (5)]

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कासरगोड, बलियापटनम, बेयपोर, पोनानी, क्रामगैनौर जैसे छोटे पत्तनों को मछली पकड़ने के पत्तन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता। (37)]

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[मछुआरों के बच्चों को दोपहर का भोजन और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (38)]

प्रो० अजित कुमार मेहता : (समस्तीपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[दिल्ली में पशु-प्लेग के फैलने को, जिसके कारण भारी हानि हो रही है, रोकने की आवश्यकता। (57)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[मूल्यवान देशी नस्लों का कारगर ढंग से पंजीयन करने की आवश्यकता। (58)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[देश में विभिन्न नस्लों के पशुओं और भैंसों के लिए समर्थ सांडों और भैंसे का वीर्य-बैंक स्थापित करने की आवश्यकता। (59)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[महत्वपूर्ण डेरी नस्लों के समर्थ प्रजनकों को खोजने की आवश्यकता। (60)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[डेरी विकास बोर्ड की गतिविधियों में दिशाहीनता को रोकने की आवश्यकता। (61)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[श्वेत क्रांति 1 और 2 परियोजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को आवश्कता। (62)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[विदेशी सहायता पर तथा डेरी कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जिसकी सुविधाएं देश में उपलब्ध हैं, के लिए विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भरता से बचने की आवश्यकता। (63)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

भेंट के रूप में आयात होने वाले दुग्ध उत्पादों से देश के दुग्ध उत्पादन की रक्षा करने की आवश्यकता (64)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[आई० वी० आर० आई०, बंगलौर और बी० ए० आई० एफ, पुणे के सरकारी कारखानों में एफ० एम० डी० का निर्माण करने की आवश्यकता। (65)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[दिल्ली दुग्ध योजना में व्यवस्था पर होने वाले भारी ऊपरी खर्च को, जिसके कारण धन का उपयोग उत्पादन कार्यक्रमों न होकर अन्यत्र होता है, कम करने की आवश्यकता। (66)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत गांग में 100 रुपये कम किये जाए।"

[डेरी परियोजनाओं तथा एफ० एम० डी० जैसी वाणिज्यिक परियोजनाओं को उचित ढंग से चलाने की आवश्यकता। (67)]

"कि पशु-पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम को समुचित दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता। (68)]

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"

[भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और ए० एस० आर० ई० का कार्य प्रभावी ढंग से चलाने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए वैज्ञानिकों का समुचित उपयोग नहीं होता है। (69)]

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

[दालों और तिलहनों जैसी फसलों की नई किस्में विकसित करने में असफलता। (70)]

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की गतिविधियों को रचनात्मक रूप देने और वैज्ञानिक कार्य तथा गतिविधियों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में असफलता। (71)]

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड को ठोस आधार पर पुनर्गठित करने में असफलता। (72)]

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[उपकर निधि का उपयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में अनुसंधान कार्यों के लिए करने में असफलता। (73)]

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[आई० बी० आर० आई० में विभिन्न वैक्सीनों का उत्पादन बढ़ाने में असफलता (74)]

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायं।"

[डेरी विकास कार्य की गति तेज करने के लिए दुग्ध उत्पादन और परिष्करण अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने में असफलता। (75)]

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[बारानी भूमि पर खाद्य उत्पादन बढ़ाने में असफलता। (76)]

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[सी० एस० डब्ल्यू० आर० में बड़ी संख्या में भेड़ों के मरने की जांच करने में असफलता। (77)]

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, जिससे कि वे और अधिक क्षेत्र में तिलहनों और दालों की खेती कर सकें। (88)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[केसरी दाल की खेती पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता। (89)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को सुधरे किस्म के बीज की सप्लाई समय से किये जाने की आवश्यकता। (90)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[राज्य फार्म निगम में कदाचारों को रोकने की आवश्यकता । (91)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[फसलों की प्रति हैक्टेयर उपज में वृद्धि करने की आवश्यकता । (92)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[औद्योगिक उत्पादों के समान सब पहलुओं का अध्ययन करके कृषि उपज के मूल्य निर्धारित करने में कृषि मूल्य आयोग की असफलता । (93)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करने के लिए भूमि तथा जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता । (94)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[उर्वरकों, बीजों, कीटनाशी दवाइयों तथा कृषि उपकरणों के मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता । (95)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पशु-धन में वृद्धि करने की आवश्यकता । (96)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कृषि सुधार के लिए जिम्मेदार विभिन्न उपकरणों में समुचित समन्वय की आवश्यकता । (97)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता । (98)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कृषि में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों में कृषकों और कृषि श्रमिकों के पुत्रों के लिए स्थान आरक्षित करने की आवश्यकता । (99)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[किसानों के स्तर पर खाद्यान्नों के भण्डारण की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (100)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[किसानों के स्तर पर खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों के भण्डारण की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (101)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ."

[गन्ना, मूंगफली, चना, गेहूं, लाल मिर्च, ज्वार, सरसों, सोयाबीन, मूंग और उड़द के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता । (102)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[सब्जी तथा फलों जैसे खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था करने की आवश्यकता। (103)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सब्जी तथा फलों जैसे खराब होने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता। (104)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि मूल्य आयोग में कृषि विशेषज्ञों को शामिल करने की आवश्यकता। (105)]

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

श्री भीमसिंह (झुन्झूनू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[नाफेड में कदाचारी को रोकने की आवश्यकता। (78)]

'कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करके कृषि मूल्य निर्धारित करने में कृषि मूल्य आयोग की असफलता (79)]

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[खाद्यान्नों, तिलहनों और दालों के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता। (80)]

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[गन्ना, मूंगफली, चना, गेहूं, धनिया, मिर्च, ज्वार, सरसों, सोयाबीन, मूंग और उड़द के लाभप्रद भाव देने की आवश्यकता। (81)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा किसानों को उनकी सप्लाई समय पर करने तथा उन्हें उन्नत किस्म के बीज देने की आवश्यकता। (82)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

['हाइट कर्ब' की रोकथाम के लिए सस्ती तथा प्रभावी कीटनाशक दवाई तैयार करने की आवश्यकता। (83)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में दूध इकट्ठा करने की आवश्यकता। (84)]

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जाल बिछाकर नियंत्रित मूल्यों पर वितरण को सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों के थोक व्यापार का प्रबन्ध ग्रहण करने की आवश्यकता। (86)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

श्री टी आर रामन्ना : (बंगलौर दक्षिण) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दालों, सब्जियों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता। (110)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को गायें, भैंसें और पशु चारा खरीदने के लिए और सहायता देने की आवश्यकता। (111)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बिचौलियों को समाप्त करके किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाने की आवश्यकता। (112)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[किसानों को ग्रामीण बैंकों से घर पर ही वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (113)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[ईंधन तथा खाद की बचत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बायो-गैस को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता। (114)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[किसानों को कम कीमत पर रासायनिक खाद देने की आवश्यकता। (115)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पशु खाद तथा हरी खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। (116)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[किसानों को उत्तम किस्म के बीज सप्लाई करने की आवश्यकता। (117)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कीड़ों को मारने के लिए किसानों को कीट-नाशी दवाइयों की व्यवस्था करने और चूहों से होने वाली बर्बादी को रोकने के लिए उचित भण्डारण सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (118)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास करने की आवश्यकता। (119)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मिश्रित खेतों और दुग्ध उत्पादन, इत्यादि जैसे सहायक कार्य करने के लिए सहायता देने की आवश्यकता । (120)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये कम जाएं ।"

[फसल बीमा लागू करने की आवश्यकता । (121)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[किसानों को शुष्क खेती की तकनीक तथा फसलें बदलकर बुआई की जानकारी देने की आवश्यकता । (112)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता । (123)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[रेशम उत्पादनों के अपमिश्रण को रोकने की आवश्यकता ताकि किसानों को अधिक मूल्य मिल सके । (124)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पशु चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (125)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[वन्य पशुओं को, जो तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं, संरक्षण देने और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता ।(126)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[कृषकों को सूदखोरों के शिकंजे से मुक्त करने की आवश्कता । (127)]

"कि वन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[वर्तमान वनों को सुरक्षित रखने और व्यापक वन-रोपण कार्य शुरू करने की आवश्यकता । (128)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[एकीकृत ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने और उनके क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता । (18)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ श्रमिकों को नियमित रोजगार और मजदूरी देकर उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता । (19)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[गांवों में पेय-जल की सप्लाई के कार्यक्रम को अविलम्ब पूरा करने की आवश्यकता। (20)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[निर्धन ग्रामीणों के लिए विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सादे और टिकाऊ मकान बनाने की आवश्यकता। (21)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा सहायता देने की आवश्यकता।(22)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (23)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सभी गांवों विशेषकर भीतरी क्षेत्रों के गांवों में पहुंच सड़कें बनाने की आवश्यकता (24)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[देश के पिछड़े क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग शुरू करने की आवश्यकता। (25)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भूमि की अधिकतम सीमा सम्बंधी कानूनों को लागू करने और फालतू भूमि को गरीबों में वितरित करने की आवश्यकता। (26)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भूमि सुधारों के कारण जिन व्यक्तियों की जमीनें ली गई हैं उन्हें उपयुक्त मुआवजा देने की आवश्यकता (27)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के अंतर्गत छोटे भू-स्वामियों, विधवाओं और अविवाहित पुत्रियों की छूट देकर सहायता करने की आवश्यकता। (28)]

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने से रोकने की आवश्यकता। (29)]

श्री नगीना राय (गोपालगंज) : मान्यवर, सदन में जो कृषि मंत्रालय की मांगें पेश की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 के साल को उत्पादन का साल घोषित किया है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भी श्रीमती गांधी ने पहली, दूसरी एवं अन्य अधिकतम मदों को भी कृषि एवं कृषकों से सम्बन्धित कार्यों से जोड़कर रखा है। सिंचाई क्षमता में और वृद्धि तथा सूखी जमीन पर खेती से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी तथा उपकरण आदि तैयार करा कर किसानों तक पहुंचाने का निश्चय किया है तथा तिलहन, दलहन आदि का उत्पादन बढ़ाने का संकल्प लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी प्रधान मंत्री किसानों के उत्थान एवं उन्नति के लिए कितनी चिन्तित हैं।

किसान भी इंदिरा जी के ऐलान को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना कर उत्पादन कार्य में जी जान से जूझ पड़े हैं । कृषि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है । इसलिए किसान भाइयों के प्रति हम सबों की एक खास जिम्मेवारी है। उनके लिये आर्थिक विकास, रहन-सहन के स्तर में सुधार तथा कृषक परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। गांवों में कृषि विकास, उद्यान विकास, पशुपालन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, परिवार कल्याण, आधुनिक सुलभ शिक्षा, यातायात की सुविधा, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था आदि पर विशेष बल देना होगा । आज भी करीब 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं । खेती के योग्य जमीन लगभग 40 करोड़ एकड़ होगी और जनसंख्या 67 करोड़ हो गई । अतः प्रति व्यक्ति खेत दो बटा तीन एकड़ से कम ही पड़ेगा । राष्ट्रीय आय में कृषि से 40 प्रतिशत आती है तथा निर्यात में 60 प्रतिशत की आमदनी कृषि उत्पादन तथा कृषि पर आधारित उद्योग के जरिये होती है ।

वर्तमान में कृषि पदार्थों का मूल्यांकन एवं पणन की नीति गलत है तथा कृषि कार्य के लिये समयानुकूल नहीं है । यह नीति उस समय की है जब देश में खाद्यान्न बाहर से आता था तथा देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम था । उस समय खुले बाजार में खाद्यान के दाम अधिक थे और उपभोक्ताओं को संरक्षण की आवश्यकता थी । आज हमारे देश में उत्पादन बढ़ने से पैदावार खपत से ज्यादा होने लगी है । अतः वर्तमान समय में उत्पादकों को संरक्षण मिलना आवश्यक है । प्रधान मंत्री ने उत्पादकों के संरक्षण का वचन भी दिया है । वर्तमान कृषि नीति में देश में उपलब्ध कृषि विस्तार के लिये मौजूद साधनों का समन्वय नहीं किया गया है । इसमें बहुत तर्क की आवश्यकता नहीं है कि जिस समय खाद्यान्न की कमी थी तथा आज उत्पादन बढ़ा है इन दोनों हालातों में भिन्न भिन्न तरीका अपनाना होगा । वरना ज्यादा पैदावार के फलस्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे पणन, मार्किटिंग, स्टोरेज प्राइस सपोर्ट, प्रोसेसिंग आदि की समुचित व्यवस्था भी करनी होगी। अन्यथा जो उत्पादन की तीव्र गति आई है वह अवरुद्ध हो जायेगी और किसान उदासीन हो जायेंगे ।

गत वर्ष आलू का रेट 50 से 60 रुपये क्विंटल था और इस साल रेट घट कर 30 रुपये क्विंटल जब फर्रूखाबाद में हो गया तो सरकार को सहकारिता के माध्यम से बड़े पैमाने पर खरीद करना पड़ा जिससे किसानों को राहत मिली और फिर आलू का दाम 50 से 60 रु० क्विन्टल हुआ । इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है । ऐसी स्थायी व्यवस्था करनी होगी जिससे नई फसल आने के समय किसान को उचित दाम मिल सके अन्यथा ट्रेडर इसका लाभ उठायेंगे ।

यही दशा मिरचई, धनिया, प्याज, गुड़ आदि की भी हुई है और विगत साल से ये सामान आधे दाम पर इस साल बिक रहे हैं । किसानों को भारी धक्का लग रहा है ।

भारत में जमीन बहुत है, पानी है और सालों भर मिलने वाली सूर्य की रोशनी है । करीब करीब हमारी खेती वाली जमीन अमेरिका की खेती वाली जमीन के बराबर है । दुनिया में मेरा सिंचाई सिस्टम बहुत बड़ा है तथा हमारे देश में दुगुना पैदावार बढ़ाने की क्षमता मौजूद है । मेरे देश में सालों भर फसलें उगती हैं । हमारे वैज्ञानिक एवं तकनीशियनों की मांग विदेश में भी है । हमारे पास प्राकृतिक साधन भी हैं । मेरे नये बीज, ट्रैक्टर, पम्प, डीजल इन्जिन आदि बाहर भेजे जा रहे हैं ।हम भारत की एक मुख्य कृषि उत्पादन का देश बन सकते हैं और बड़ी मात्रा में खाद्यान्न निर्यात

कर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। तब हम किसानों को लाभप्रद मूल्य भी दे सकते हैं और उनकी हालत में सुधार कर इन्दिरा जी के संकल्प को अमलीजामा पहना कर, दिखा सकते हैं। पंजाब में हम प्रदर्शित कर के दिखा दिये हैं कि भारत के औसत पैदावार से तिगुना, चौगुना, पैदा हम किये हैं। भारत के खेती की जमीन का केवल तीस प्रतिशत पंजाब में है परंतु देश के पैदावार का 10 प्रतिशत पंजाब में उत्पादन होता है।

यह स्पष्ट है कि भारत में कृषि पर पहले बहुत जोर नहीं दिया गया। समाज में भी खेतिहरों की उतनी इज्जत के स्थान उन्हें पहले नहीं दिये गये तथा कृषि उत्पादन के मूल्यांकन में उनकी बातें कम सुनी गईं। बराबर शहरी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखा गया।

यह स्पष्ट है कि पूंजी की भूख से भारत की खेती बराबर तड़पती रही। यहां आधुनिक खेती के लिये 8 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर चाहिये। अभी केवल 10 प्रतिशत खेती ही आधुनिकतम हुई है, जिसे बाद करने पर (142-14) गुणा 8000 मिलियन =1024 मिलियन रुपया चाहिए।

भारत के किसानों की हालत उस मरीज के बराबर है जिसे खून बहने के कारण खून चढ़ाया जा रहा हो और जितना खून दिया जा रहा हो उस से ज्यादा खून शरीर से बाहर निकल रहा हो। जो खर्च कृषि पर हो रहा है उसमें ज्यादा नुकसान एवं लीकेज में चला जा रहा है और 50 प्रतिशत का ही लाभ किसानों तक पहुंच पा रहा है। भारत का साधारण किसान जब सीमित साधन के आधार पर सोचता है कि खेती के लिये आधा बोरा यूरिया खाद खरीदें या स्त्री की फटी चिथड़ी साड़ी के बदले एक नई साड़ी खरीदें, आधुनिक नया बीज खरीदें, या बच्चे की पढ़ाई का खर्च दें, तब वह फैसला लेता है कि साड़ी खरीदें और पढ़ाई के लिए रुपया दें। किसान अपने उत्पादित सामानों को बेच कर जो सामान उपभोक्तावाला खरीदता है उसमें उसे ज्यादा अनुपात में खर्च पड़ता है।

सरकार अपने बड़े मात्रा के बफर स्टाक पर 650 करोड़ रुपया खर्च कर लागत से कम दाम पर बेचती है तब साधारण किसान को जिसमें माल रखने की क्षमता, आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं है तथा स्टोरेज की सुविधा के अभाव में डीस्ट्रेस सेल कम दाम में करना पड़ता है। यातायात की असुविधा से अन्न को बाहर भेजना कठिन हो जाता है अत: आप देखते हैं कि गेहूं इसी देश में 135 रुपए से 225 रुपए क्विन्टल तक एक कोने से दूसरे कोने में बिकता है।

निर्यात-आयात की कुंजी भी दूसरों के हाथ में रहने के कारण जो फैसला होता है, उससे किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है। भारी रकम सरकार अन्न को सबसीडाइज रेट में उपभोक्ताओं को देने में लगाती है, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं होता है। प्रतिवर्ष 650 करोड़ सबसीडी दी जाती, है उसका लाभ मुख्यत: एफ० सी० आई० उठाता है। शार्टेज या बरबादी में एफ० सी० आई० उस सबसीडी का इस्तेमाल करती है।

अब देश में कृषि उत्पादन में तेजी आई है और भारत सरकार का ध्यान इस तरफ गया है तथा कृषि मद में आवंटन में वृद्धि की गई है। भारत में कृषि के मद में 82-83 में 1143 करोड़ रुपए का प्रावधान है जबकि 81-82 में 945 करोड़, 80-81 में 741 करोड़ था। देश के कई भागों में प्राकृतिक प्रकोपों के बावजूद भी देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न 134 मिलियन टन पैदा हुआ,

जबकि 80-81 में 129.9 मिलियन टन पैदावार था और 79-80 में 109.7 मिलियन टन था। अब 1982-83 में 141 मिलियन टन पैदावार की संभावना है। गन्ने की पैदावार भी 1981-82 में 170 से 180 मिलियन टन की संभावना है। जबकि 80-81 में 15.05 मिलियन टन था तथा 79-80 में 129 मिलियन टन था।

दलहन एवं तिलहन में भी काफी वृद्धि हुई है। पांचवीं योजना (74-79) के काल में जहां तिलहन पर 14 करोड़ की राशि का उपबंध था वहां छठी योजना में 65 करोड़ का उपबंध किया गया है। जहां दलहन पर पांचवीं योजना में 12 करोड़ की राशि थी, वहां छठी योजना में 17 करोड़ का उपबंध किया गया है।

तिलहन 81-82 में 112 लाख टन पैदा हुआ जहां 80-81 में 94 लाख टन था। 82-83 में 120 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। दलहन 1981-82 में 125 लाख टन पैदा हुआ जहां 80-81 में 112 लाख टन था और 82-83 में 135 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है।

उन्नत बीज पर भी जोर दिया गया है। छठी योजना में 40.86 करोड़ रुपए का उपबंध है, जबकि पांचवीं योजना में 14.6 करोड़ था। जहां 79-80 में 14 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड दिया गया वहां 81-82 में 30 लाख क्विंटल और 82-83 में 40 लाख क्विंटल का लक्ष्य है।

कृषि पर ऋण का स्रोत आर० वी० आई० है और कोआपरेटिव तथा कमर्शियल बैंक हैं। कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से जहां 60-61 में 214 करोड़ रुपए था वहीं 1980-81 से 1942 करोड़ हो गया।

सहकारिता के माध्यम से—

वर्ष	एस० टी०	टर्म लोन क्रेडिट	टोटल
1980-81	1456 करोड़	486 करोड़	1942 करोड़
1981-82	1703 करोड़	553 करोड़	2256 करोड़
1982-83	2082 करोड़	682 करोड़	2764 करोड़

कृषि के लिए सहकारी बैंक एवं कमर्शियल बैंकों को मिलाकर 1980-81 में 3377 करोड़ रुपए है और 1981-82 में 3800 करोड़ है।

खाद :

खाद का दाम बढ़ने के बावजूद भी किसानों ने 1981-82 में 61.3 लाख टन खाद का इस्तेमाल किया जो पिछले वर्ष से 11 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि 4.9 प्रतिशत की वृद्धि 1980-81 में थी और 2.7 प्रतिशत की वृद्धि 1979-80 में थी। देश में भी खाद के उत्पादन में वृद्धि हुई है। जहां 1980-81 में 30 लाख टन का उत्पादन हुआ। वहीं 1981-82 में 41 लाख टन का उत्पादन हुआ। इससे आयात में कमी हुई और विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

खाद की 49 प्रतिशत बिक्री सहकारिता के माध्यम से है।

कीटनाशक दवाएं :

प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम में जहां 1980-81 में 45000 टन दवा इस्तेमाल की गई वहीं 1980-82 में 50000 टन दवा का इस्तेमाल हुआ।

दुग्ध उत्पादन जहां 1951 में 17.4 मिलियन टन था वह अब 81-82 में 33 मिलियन टन पर पहुंच गया है।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि हमारी खेती अधिक उत्पादन के रास्ते में अग्रसर है। परंतु हमारे किसान भाइयों के इन्पुट्स के दाम ज्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण खेती लाभप्रद नहीं हो पा रही है।

इंडेक्स आफ प्राइसेस आफ एग्रीकल्चर इन्पुट्स में अगर गेहूं का मूल्य 1971 में 100 रुपए प्रति क्विंटल रखा जाए तो वह 1981-82 में 171.1 रुपए हो गया तथा उसी स्तर पर बिजली 1971 में 101.9 थी वह बढ़कर 246.4 हो गई। ट्रैक्टर्स 1971 में 109.6 था वह 1981 में 301.9 हो गया है।

उर्वरक जो 1971 में 100.3 था वह 1981 में बढ़कर 259.5 हो गया। कीट नाशक दवाएं जो 1971 में 102 थीं वे बढ़कर 341.6 हो गईं। लुबरिकेटिंग आयल जो 1971 में 98.5 था वह 1981 में बढ़कर 404.4 हो गए।

पिग आयरन जो 1971 में 100.8 था वह बढ़ कर 1981 में 303.8 हो गया। अतः इनपुट के दामों में बडी वृद्धि हुई है। वे दुगुने और तिगुने हो गए हैं। कृषि कार्य के लिए बैंक ऋण पर सूद की दर 14 प्रतिशत से 19 प्रतिशत तक हो गई है जबकि दुनिया में कृषि के लिए बैंक दर बहुत कम है। थाइलैंड में 1 प्रतिशत तथा जापान, कोरिया मलेशिया फिलिपींस आदि में 3 से 4 प्रतिशत सूद पर खेती के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध हो जाता है। अतः सूद की बैंक दर कम होनी चाहिये।

चीनी का उत्पादन 1980-81 में 51.5 लाख टन हुआ जबकि 1979-80 में 38.9 लाख टन हुआ था। 1981-82 में 70 लाख टन होने की सम्भावना है। 8.5 रिकवरी के आधार पर मिनिमम प्राइस 13 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है जो लेवी शुगर के मूल्यांकन का बेस रहा है। ए०पी०सी० ने 15.5 रुपये प्रति क्विंटल की मिनिमम प्राइस बेस रख कर लेवी शुगर का दाम निर्धारित करने के लिए अनुशंसा की है। क्षमता उपयोग में सुधार लाना छठी योजना की सफलता का आधार है। क्षमता उपयोग पर प्रत्येक पूर्व योजना में बल दिया गया था किन्तु उस पर अमल नहीं हो सका। ऐसे समय जब साधन बहुत सीमित हों तब यह मांग करना सार्थक होगा कि उपलब्ध वित्तीय और पदार्थ सम्बन्धी साधनों का उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाए ताकि उनसे अधिकतम प्राप्ति हो सके। बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी कि उपलब्ध साधनों से कृषि क्षेत्र में मौजूदा सम्पत्ति में वृद्धि हो। इसका अर्थ है कि चीनी उद्योग और उसके भावी विकास, इसके पुनर्संचालन, आधुनिकीकरण और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी मिलों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में किसान बड़ी संख्या में गन्ना उगाते हैं। गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जिस सहयोग की आवश्यकता होती है वह उन्हें मिल नहीं रहा है। और न मिला है। इस क्षेत्र में उगने वाले गन्ने की किस्म में लम्बे समय से कोई सुधार नहीं हुआ है। जल क्रान्ति और पानी के विकास की असुविधा के कारण गन्ने का उत्पादन कम है और परिणाम स्वरूप चीनी मिलों में क्षमता उपयोग भी कम है। 1965 में ही सेन चीनी जांच आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया था। इसका विचार था कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और बिहार के उत्तरी जिले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और इनमें खनिज भंडार नहीं हैं। दूसरे शब्दों में यहां महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर बड़े उद्योग लगाए जा सकें। संतुलित क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों को निर्धारित से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिये। कम माल पहुंचने के कारण ये मिलें क्षमता से कम माल तैयार करती हैं। यह न्याय संगत होगा कि उपलब्ध साधनों के अनुसार इन्हें कुछ अतिरिक्त सहायता दी जाए जिससे कि गन्ने का

उत्पादन बढ़े, उससे उपलब्धता और माल अच्छा निकले ताकि देश मैं सीमित साधनों का न्यूनतम उपयोग करने पर अनुकूल प्राप्ति हो सके। प्राथमिकताओं का उपयुक्त निर्धारण करके गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग को प्रोत्साहन, आधुनिकीकरण और पुनर्संचालन के लिए संयुक्त प्रयत्न करने होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा नई नई चीनी मिलों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव निराशाजनक है। छठी योजना के दौरान योजना आयोग ने चीनी उद्योग के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। 82 नई इकाइयां होंगी और 55 मिलों का विस्तार किया जाएगा। नई इकाई पर 656 करोड़ और विस्तार पर 220 करोड़ अर्थात् 876 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। विस्तार को प्राथमिकता मिलनी चाहिये क्योंकि यह कम खर्चीला है तथा शीघ्र लाभ देने वाला होता है। अगर छठी योजना में नई इकाइयों और विस्तार अनुपात को 25.75 कर दिया जाए तो लगभग 191 करोड़ की बचत होगी। साथ ही वही उद्देश्य वर्तमान फैक्टिरियों का विस्तार कर उन्हें जरूरत भर गन्ने की आपूर्ति करके और किसानों की हालत में सुधार करके पूरा किया जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को यह वरदान प्राप्त है कि यहां की मिट्टी में स्वाभाविक नमी मौजूद है और गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी विद्यमान है। भारत में ही सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी उद्योग की शुरुआत हुई। 1930-1940 के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के चीनी उत्पादन का 30.63 प्रतिशत और बिहार में 40 प्रतिशत अर्थात् पूरे देश का 70 प्रतिशत उत्पादन यहीं से होता था।

इस क्षेत्र में गन्ना एक मुख्य नकदी फसल है और यह ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का मेरुदण्ड है। यहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 250 रु० है जब कि देश की औसत आय 690 रु० है। पूरे भारत में 113 चीनी मिलें विस्तार के लायक हैं जिसमें 37 पूर्वी उत्तर प्रदेश की और 28 बिहार की हैं।

देश में चीनी उत्पादन की क्षमता 6 लाख टन है। कम उत्पादन के कारण 300 करोड़ रु० की हानि हर साल होती है और सरकार को 45 करोड़ रु० का घाटा उत्पादक शुल्क और दूसरे करों में होता है, अब महाराष्ट्र की 10 संयुक्त इकाइयों में भी घाटा आने लगा है और महाराष्ट्र में भी घाटे की सीमा 45 करोड़ रु० तक पहुंच गई। इस आलोक में क्षमता उपयोग की कमी को ध्यान में रख कर मौजूदा मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार को ही प्राथमिकता देनी चाहिये। नये मिलों को लाइसेन्स देना न्याय संगत नहीं होगा। बन्द मिलों को भी चलाया जाय।

ए० पी०सी० का वही सुझाव यहां लागू होता है जो उपभोक्ताओं को सूट करता है और उत्पादकों के लिये इनपुट्स का दाम कम करने का सुझाव जो ए०पी०सी० ने दिया है सरकार उस पर अमल नहीं करती है। लागत खर्च पर दाम की निश्चितता का रहस्य भी अजीब है। ए०पी०सी० ने खुद ही स्वीकार किया है कि दाम पूर्व वर्ष के खर्च के आधार पर तय होता है न कि वर्तमान वर्ष के खर्च की लागत पर। ए०पी०सी कभी भी खेती में जो रिस्क है उसका लेखा जोखा दाम तय करने में नहीं करता है, जब सभी जानते हैं कि बाढ़, सूखा, पत्थर कीड़ों के प्रकोप एवं बीमारियों के चलते फसलें बरबाद होती हैं और यह मानव के कंट्रोल व शक्ति के बूते से बाहर हैं।

बिहार में विस्कोमान के पास 40 करोड़ की खाद पड़ी है जिस पर सूद की बड़ी रकम देनी पड़ रही है, सरकार उस सूद में अनुदान दे कर इस सहकारी संस्था को घाटे से बचाये। मेरे सुझाव हैं कि :—

1. ए०पी०सी० में वास्तविक किसानों का बहुमत रहे जो खुद उत्पादन करते हों।

2. एस०टी०सी० की तरह एक अलग एग्रीकल्चरल कमोडिटी ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना की जाय जो केवल कृषि एवं कृषि पर आधारित सामानों का निर्यात करे तथा उस पर पूर्ण अधिकार रखे ।

3. पूरे देश को एक जोन ट्रीट किया जाय और देश के एक कोने से दूसरे कोने में माल जाने आने में किसी तरह की रोक टोक नहीं रहे ।

4. धान के लिये डीप वाटर रेसिस्टंग किस्म के धान का अनुसंधान हो जिससे लाखों एकड़ डूबी हुई जमीन में खेती हो सके ।

5. वैज्ञानिक ऐक्सटेंशन सेवा का विस्तार पंचायत लेबिल पर हो और वहीं खाद, बीज, कीटनाशक दवा, उन्नत कृषि औजार, ऋण आदि प्राप्त हो जाय ।

6. क्रौप इंश्योरेन्स स्कीम का विस्तार पूरे देश में किया जाय और खासकर उस क्षेत्र में जहां प्राकृतिक प्रकोप से फसलें बरबाद होती हैं ।

7. इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये ठोस कदम उठाये जायें ।

8. किसानों को उचित एकोनामिक एवं रेम्यूनरेटिव मूल्य मिले ।

9. स्टोरेज और मारकेटिंग की सुलभ व्यवस्था हो ।

10. कीट नाशक दवाइयों का फ्री स्प्रेइंग हो जब कभी कीड़े बड़े पैमाने पर किसी क्षेत्र में आक्रमण करें ।

11. बिहार के लिये एक अलग बैंक रेक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना की जाय जैसाकि मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है और ग्रामीण बैंक की 1482 शाखायें 20,000 की जनसंख्या पर खुली हैं उसे छोटा नागपुर एवं संथाल परगना आदिवासी क्षेत्र में 10,000 की जन संख्या के आधार पर खोला जाय ।

12. छठी योजना में 5.50 करोड़ की लागत से जो उत्तरी पूर्वी रीजन में आधुनिक कृषि, औजारों को बढ़ावा देने की स्कीम 1982-83 में चालू होने वाली है उसमें असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार को जोड़ा जाय ।

13. आर०बी०आई० एग्रीकल्चर सैक्टर में ज्यादा राशि आवंटित करे ।

14. लाखों की संख्या में तरुण एवं उपयोगी गोवंश जो काटा जा रहा है उस पर गम्भीरता से विचार हो क्योंकि ये ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के आधार स्तम्भ हैं ।

उपरोक्त सुझावों के साथ मैं प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृषि के लिये विशेष ध्यान रखा जाय क्योंकि किसानों की आंखें आपकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रही हैं ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो प्रगति की है, उसके लिये हमें, हमारी सरकार, हमारे किसानों और वैज्ञानिकों को, सभी को गर्व

है कि हम कृषि के उत्पादन में सैल्फ सफीशिएंट, आत्म-निर्भर हो चुके हैं। परन्तु आत्म-निर्भर होने से ही हमारा प्रयोजन सफल नहीं हो पाता, जब कि हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो हमारा प्रोडक्शन और बढ़ना चाहिये और यह स्थिति पैदा होनी चाहिये कि हमारे फूड स्टाक की स्थिति साउंड होनी चाहिये। पहले 2 करोड़ टन फूड हमारे रिजर्व स्टाक में था, किन्तु अब वह स्थिति नहीं है। इसलिये यह प्रयास किया जाना चाहिये कि रिजर्व में जितना भी फूड स्टाक रखा जायेगा, उतना ही हम कीमतों पर कंट्रोल कर सकेंगे और हमारी कृषि की इकोनामी व्यवस्थित हो सकेगी।

कुछ मुद्दों पर अपने विचार में रखना चाहता हूं, खासतौर से जो कि रेगिस्तान से सम्बंधित हैं। डेजर्ट डेवलपमैंट का प्रोग्राम 1977-78 में शुरू किया गया जो कि सैन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम थी। एग्रीकल्चर कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार वह कार्यक्रम शुरू किया गया और उसकी आवश्यकता भी थी।

इसमें जो राशि का प्रावीजन किया गया है उसके मुकाबले डेजर्ट का एरिया इतना बड़ा है जिसमें अभी आपने 21 डिस्ट्रिक्ट्स शामिल किये हैं। राजस्थान के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट्स उसमें सम्मिलित हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें ऐसे क्षेत्रों का विकास करना है जो कि हर तरह से सूखे से प्रभावित होते हैं। मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, यह रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसमें बाड़मेर और जैसलमेर हैं, जिनका मैं प्रतिनिधि हूं। आपने जो प्रावीजन कर रखा है, वह अधिक-से-अधिक 10 करोड़ रुपये सालाना का प्रावधान है। छठी पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ का प्रावधान है। मेरा ही क्षेत्र केरल प्रान्त से डबल है, हरियाणा से ड्यौढ़े से ज्यादा है, उसके बावजूद जोधपुर, जालौर डिस्ट्रिक्ट वगैरह 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन डेजर्टस को हम डेवलप करना चाहते हैं, इसमें हरियाणा का भी क्षेत्र लिया है, हिमाचल, गुजरात, जम्मू-काश्मीर का लद्दाख का एरिया भी इसमें लिया है।

जिस प्रकार से शिडयूल्ड ट्राइब्ज एरिया के बारे में सैन्ट्रल की स्पेशल एसिस्टेंस स्कीम हैं, उनका जो सब-प्लान बनाया गया है, इन एरियाज का भी सब-प्लान बना देना चाहिये। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे पाकिस्तान की सरहद हो, जम्मू-काश्मीर का लद्दाख का पोर्शन जो चीन-पाकिस्तान की सीमा पर है, उधर बाड़मेर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सीमावर्ती हैं, कहने का अर्थ यह है कि एक तो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं जिनका मोरल बूस्ट करना है, और दूसरी ओर डेजर्टस को विकसित करना है। जैसी शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की स्थिति है, वही इन एरियाज की भी स्थिति है, चारों तरफ जब सूखा हो, तो इन लोगों की किस प्रकार की स्थिति होती है, इसलिये आवश्यक है कि इन एरियाज के लिये सैन्ट्रल स्पेशल एसिस्टेंस स्कीम के अन्तर्गत सब-प्लान करके इसका प्रावीजन किया जाये। पहले 250 करोड़ रुपये का एक सब-प्लान बनाया जाये और उसके बाद राशि को सातवीं प्लान में और बढ़ाया जाये ताकि हम कह सकें कि कितने अर्से में इस डेजर्ट की समस्या को हल कर सकेंगे।

दूसरी बात फैमिन की है। फैमिन और फ्लड के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब सभा गुरुवार 15 अप्रैल के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

6.00 बजे म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 15 अप्रैल, 1982/25 चैत्र. 1504 (शक) के ग्यारह बजे म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।

P.L.S. 48/27/35/82 (N)
210

© 1982 लोक-सभा सचिवालय को प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
महाप्रबन्धक, सम्राट्-प्रैस दिल्ली द्वारा मुद्रित।